खण्ड-385, अंक-6
बुधवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(16 मार्च, 1988 ई0)

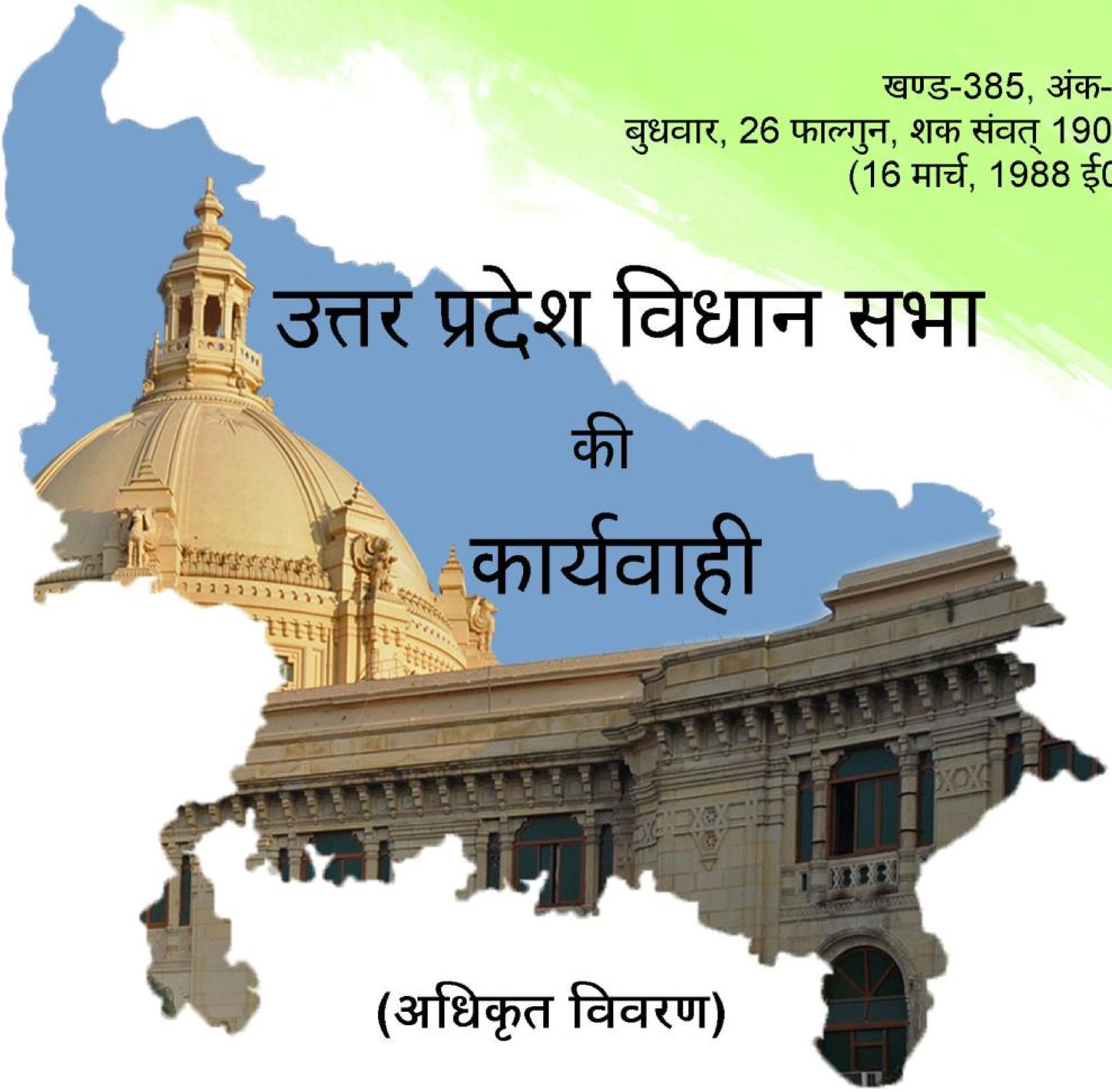

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 385 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3–87
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	88
जनपद मुरादाबाद के हसनपुर में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जिला उन्नाव के मौरावां पुरवा आदि कस्बों में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89
अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मन्डल, सिंचाई कार्य, बहराइच के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89
जिला वाराणसी में सुरियावां क्षेत्र की विद्युत् संचार व्यवस्था में गड़बड़ी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89–90
गोरखपुर की नौतनवां तहसील के हरिजन परिवारों की संपत्ति पर अवैध कब्जे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90
बस्ती जिलान्तर्गत विकास खन्ड बांसी में भीषण अग्निकान्ड से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90–91
प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय में हरिजन कर्मचारियों का आरक्षण पूरा न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	91
सदन में पुलिस के प्रवेश के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	91–92
प्रदेश में राजस्व वसूली के स्थगन आदेशों का क्रियान्वयन होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	93
प्रश्नों का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	95–96
श्री सुखपाल पान्डे की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना	96–97
सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध एवं रिहाई की सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	97–99
कतिपय विधायकों की गिरफ्तारी एवं उनकी रिहाई की सूचना (जारी) ..	99–100
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 (पुरः स्थापित) ..	100
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 (पुरः स्थापित) ..	100–101
कतिपय विधायकों की गिरफ्तारी एवं उनकी रिहाई की दी गयी सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	101–102
विधान भवन गेट नं0 3 के सामने पर्वतीय संघर्ष समिति द्वारा धरना दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास ..	102–103
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	103–120
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 43—परिवहन विभाग (स्वीकृत) ..	120–155
कतिपय विधायकों की गिरफ्तारी एवं उनकी रिहाई की सूचना ..	155–156

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग (स्वीकृत) ..	156-175
श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा को जिला कारागार, बांदा में बन्दी बनाये जाने की सूचना	175
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या 25—गन्ना विकास विभाग (चीनी) (स्वीकृत) ..	175-210
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	211
कानपुर में गंगा बैराज बनाने एवं गंगा को घाटों तक लाने के संबंध में वक्तव्य तथा जनपद आगरा की नहरों में पानी की आपूर्ति न होने के सबंध में चर्चा का स्थगन	211
नत्थियां	213-229

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 1988 ई0

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोण्डा
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
औसान सिंह, श्री	इटावा	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
किशन सिंह तड़ागी, श्री	नैनीताल	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
देव कुमार यादव, श्री	बांदा	शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
देवेन्द्र पान्डेय, श्री	सुल्तानपुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
प्रभु दयाल, प्रधान	मेरठ	संजय सिंह, डाक्टर	सुल्तानपुर
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
मंगल देव, श्री	गोण्डा	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
हाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
मो0 सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी	सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अवर सचिव विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय नियुक्तियों के लिये साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को राजकीय परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय नियुक्तियों के लिये साक्षात्कार में आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये निर्धारित स्थान तक जाने के लिये राजकीय परिवहन निगम की बसों में हरियाणा सरकार की तरह निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसे सरकार कब तक लागू करेगी ? यदि नहीं, तो ऐसा न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार हरियाणा सरकार की तरह यह सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

श्रीमन् हमारी सरकार की यह आदत है कि किसी भी लोक हितकारी कार्य के लिये कोई कार्यवाही का तरीका ही उसके पास नहीं है, सिर्फ "जी नहीं," "प्रश्न ही नहीं उठता" के अलावा, श्रीमन् मैंने यह प्रश्न किया था कि प्रदेश के पढ़े-लिखे नवजवानों की बेरोजगारी को देखते हुये, उत्तर प्रदेश सरकार न तो बेरोजगारी भत्ता दे सकती है और न नियुक्ति के लिये आयु सीमा में छूट दे सकती है । मान्यवर, मैंने यह सवाल किया था कि यदि बेरोजगार नवजवान राजकीय नियुक्तियों के लिये इण्टरव्यू में जाता है, तो उसे राजकीय बसों में चलने के लिये निःशुल्क यात्रा सुविधा, हरियाणा सरकार की भांति, उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रदान करने पर विचार करेगी । मान्यवर, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया कि "जी नहीं" "प्रश्न ही नहीं उठता"। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सरकार उत्तर प्रदेश के नवजवानों को यह सुविधा क्यों नहीं देना चाहती है, ताकि वे राजकीय नियुक्तियों के लिये साक्षात्कार में सुविधाजनक ढंग से आ जा सकें ?

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, यह सुविधा देना निगम के लिये सम्भव नहीं है, इसलिये यह सुविधा नहीं दी जा सकती है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में एक बार यह कह दिया कि जी नहीं और दूसरी बार असमर्थता प्रकट कर दी है कि प्रश्न ही नहीं उठता । मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछा यह जा रहा है कि इसका कारण क्या है कि बेरोजगार नवजवानों को राजकीय नियुक्तियों के लिये इण्टरव्यू में बुलाया जाता है, तो उनको बस की निःशुल्क यात्रा सुविधा क्यों नहीं प्रदान की जायेगी ? श्रीमन् पूछा गया है कि इसका कारण क्या है ? श्रीमन् कारण तो माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री राम नाथ मुंशी--

श्रीमन् निगम एक वाणिज्यिक और स्वायत्तशासी संस्था है, जब तक इसका निगम में प्राविधान नहीं होगा, तब तक ऐसा करना बिल्कुल सम्भव नहीं है ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह निगम एक स्वायत्तशासी संस्था है । यह तो सही बात है कि यह निगम एक स्वायत्तशासी संस्था है, लेकिन इस पर सरकार का वर्चस्व है और इसके जितने कार्य होते हैं, सरकार को करने होते हैं । श्रीमन् इस स्थिति को देखते हुये कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की बहुत दयनीय स्थिति है और एक आदमी को नौकरी के लिये इण्टरव्यू में कई-कई बार जाना पड़ता है, तो श्रीमन् इसको मद्दे नजर रखते हुये और गरीबी को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी इस मामले में कोई नीतिगत फैसला करने की कृपा करेंगे कि बेरोजगारों को राजकीय नियुक्तियों के लिये साक्षात्कार में जाने-आने के लिये निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जायेगी ?

श्री राम नाथ मुंशी--

श्रीमन् निगम में इसका प्राविधान करना सम्भव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि निगम में इसका प्राविधान करना सम्भव नहीं है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से सिद्धांततः सहमत हैं कि जो बेरोजगार नवजवान दसों बार इण्टरव्यू में जाते हैं और गरीबी और बेरोजगारी के कारण उनकी आय भी ऐसी नहीं है कि वे बार-बार इण्टरव्यू में जाने के लिये बस यात्रा व्यय भार भी वहन कर सकें, जैसा कि हरियाणा और कर्नाटक सरकार ने अपने प्रदेश में सुविधा प्रदान कर दी है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सिद्धांततः इससे सहमत है । यदि हां, तो इसका निगमों में भी प्राविधान सरकार द्वारा किया जायेगा ?

श्री राम नाथ मुंशी--

इस प्रकार का अभी कोई प्राविधान नहीं किया जायेगा ।

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मात्र उन अभ्यर्थियों को जिनको इण्टरव्यू कार्ड जारी करते हैं तो सिद्धान्ततः सहमत होने के बावजूद उनको कंसेशनल टिकट जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नाथ मुंशी--

श्रीमन्, जब मैंने कह दिया कि न इस प्रकार का कोई प्राविधान है, न किया जायेगा तो इसको स्वीकार, अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको भगवान सद्बुद्धि दें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नियम तो जनहित में बनते बिगड़ते रहते हैं । परिवहन निगम में तो यह भी नियम नहीं था कि हम लोग मुफ्त में यात्रा करें, लेकिन

कर रहे हैं । तो मान्यवर, इसमें कोई बिजनेस या आफिशियल ट्रांजिक्शन नहीं है केवल एक स्लिप लिख देनी है, वह बेचारे चले जायेंगे न इसको कोई रिकार्ड में लाना है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर पूरा निःशुल्क ही नहीं तो जैसे स्टूडेन्ट के लिये कन्सेशन टिकट की व्यवस्था है वैसे ही व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर अभी किसी प्रकार की व्यवस्था सम्भव नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो बहुत योग्य अध्यापक रहे हैं और वह जो बच्चों को पढ़ाते थे वही माननीय विधायकों को पढ़ा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने यह कहा है कि निगम में प्राविधान नहीं है तो क्या मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि रियायती टिकट की व्यवस्था बरोजगार लोगों के लिये कर दी जायेगी ?

श्री राम नाथ मुंशी—

जी नहीं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस पर सिद्धान्ततः विचार करेंगे कि जो बेरोजगार युवक इण्टरव्यू के लिये जाते हैं उनको आने-जाने के लिये क्या माननीय मंत्री जी सिद्धान्ततः यह आश्वस्त करेंगे कि उनको आने-जाने के लिये कंसेशनल टिकट जारी करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, निगम में इस प्रकार का कोई सिद्धान्त नहीं है, न स्वीकार किया जायेगा ।

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की जो यह बेरोजगार विरोधी नीति है इस हठधर्मिता का समय कितने दिनों का है ? जो सरकार की हठधर्मिता बेरोजगार विरोधी अभियान में है, इसमें कितना समय देना है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी को सद्बुद्धि प्रदान करें । मान्यवर, यह सही है, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि परिवहन निगम में इस तरह का कोई नियम नहीं है, सिद्धान्त नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सिद्धान्त में विश्वास करती है या नहीं ?

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, परिवहन निगम में सिद्धान्त में विश्वास नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, यह कितना दुखद प्रकरण है कि हमारी यह सरकार कितनी बेदर्दी के साथ उत्तर प्रदेश के नवजवानों के बारे में जो इण्टरव्यू के लिये जाते हैं उनके साथ किस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस सरकार का उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पर नियंत्रण है या नहीं और उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को साक्षात्कार में जाने के लिये राजकीय परिवहन निगम में निःशुल्क यात्रा देने के लिये तैयार है या नहीं । यह दो प्रश्न हैं, मान्यवर, यह कला के अध्यापक रहे हैं, ड्राइंग बनाते रहे हैं, कूची चलाते रहे और यहां पर सफेद कपड़े पहन कर बैठ गये हैं, इसलिये समझना पड़ता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को निःशुल्क सुविधा दी जा सकती है, हम विधायकों और सांसदों को निःशुल्क सुविधा दी जा सकती है तो क्या कारण कि इन बेरोजगार नवजवानों को यह सुविधा नहीं दी जा सकती ? इसको सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर रही है ?

श्री राम नाथ मुंशी—

श्रीमन् मा0 शाही जी ने एक बात कही कि मंत्री जी कला के अध्यापक हैं, पहले एक दिन कही थी और आज भी कहा कि अध्यापक हैं। तो अध्यापक अध्यापक होता है मैं मा0 शाही जी को बता दूं कि मैं गणित का भी अध्यापक हूं। शाही जी इसको जान लें। मैं इस प्रश्न का उत्तर बता देना चाहता हूं। मैंने पहले भी बता दिया था, हमेशा कहना पड़ता है और अब भी कह रहा हूं इसको सिद्धांततः स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सरकार बेरोजगारों के हितों के खिलाफ है यह इनके उत्तर से दिखाई देता है । वित्तीय संसाधनों की कमी तो समझ में आ सकती थी कि आज नहीं कर पा रहे हैं, कला कर सकेंगे, लेकिन सरकार इसको सिद्धांततः स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिये मैं सरकार की इस नीति की भर्त्सना करता हूं और विरोध स्वरूप दो मिनट के लिये अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

जीवन उपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

**2—श्री सरदार सिंह, श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री अब्दुल वहीद कुरैशी—

क्या सरकार की जानकारी में है कि वर्तमान में जीवन उपयोगी वस्तुओं के दाम भारी बढ़ गये हैं, जिसमें आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार इस पर कैसे रोक लगाने जा रही है ? क्या मंत्री जी मुख्य-मुख्य जीवन उपयोगी वस्तुओं का बाजार रेट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

सूखे के कारण जीवन उपयोगी वस्तुओं के दामों में कुछ वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतया अक्तूबर, 1987 से हुई है । इसका मुख्य कारण सूखा है जिसकी वजह से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में कमी आई। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया। उचित दर की दुकानों की संख्या में वृद्धि की गई जिससे जन साधारण को आवश्यक वस्तुएं उचित दर की दुकानों से

अपने निवास के समीप सुलभ हो। शासन ने यह प्रयास किया कि गेहूं, चावल, पामआयल/पामोलीन आदि का आवंटन भारत सरकार से अधिक मात्रा में प्राप्त हो। इस प्रयास में पर्याप्त सफलता मिली और इसके फलस्वरूप दिसम्बर, जनवरी व फरवरी के महीनों में जब आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आमतौर से सामान्य वर्षों में भी बढ़ते हैं, इस वर्ष सूखे के बावजूद अधिकतर आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को सुलभ रहीं और खुले बाजार में इनके मूल्यों पर नियंत्रण रहा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र सभी में उचित दर की दुकानों पर कम से कम 5 कुंतल गेहूं व 5 कुंतल चावल हर समय उपलब्ध कराया गया। जन-साधारण को दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये चलती-फिरती दुकानें खोली गई जिनमें दाल, सरसों का तेल, आलू, प्याज आदि वस्तुएं बाजार से कम मूल्यों पर सुलभ कराई गई। जिलाधिकारी तथा संभागीय खाद्य नियंत्रकों के माध्यम से व्यापारियों तथा उत्पादकों के संगठनों की बैठक बुलाकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम कराये गये तथा उनकी बिक्री के लिये विशेष दुकानें खुलवाई गई जिनमें दाल, सरसों का तेल, चावल, आटा आदि बाजार से कम मूल्य पर सुलभ कराया गया। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता/ आपूर्ति व मूल्यों का अनुश्रवण मंत्रिपरिषद् द्वारा सप्ताह में एक बार, मंत्रिपरिषद् की उपसमिति द्वारा प्रत्येक सप्ताह, मुख्य सचिव द्वारा भी सप्ताह में एक बार तथा खाद्य सचिव द्वारा प्रतिदिन किया जाता है। जिला मुख्यालय, तहसील, विकास खंड, न्याय पंचायत तथा उचित दर की दुकानों तक सतर्कता/सलाहकार समितियां गठित की गई हैं जो उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, इनके सुचारु वितरण तथा मूल्य वृद्धि की बराबर समीक्षा करती हैं।

उपरोक्त प्रयासों के कारण जनवरी, फरवरी व मार्च में गेहूं व चावल के मूल्यों में स्थिरता रही। अरहर की दाल के मूल्य नवम्बर की तुलना में मार्च में रु0 138.00 की कमी आयी। उसी महीने की तुलना में सरसों के तेल में रुपये 494.00 प्रति कुन्तल की कमी आई।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश रखने के लिये इस वर्ष अधिक से अधिक छापे मारे गये जिसका असर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर रहा।

मुख्य जीवनोपयोगी वस्तुओं का 8 मार्च, 1988 का औसत बाजार मूल्य संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-संख्या 213 पर)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

अध्यक्ष महोदय, हमारी इस सरकार को बेरोजगारों से और आम आदमी की जिन्दगी से कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

प्रश्न भी करूंगा। सूखे के बाद में कितने लोग भूखे मरे, कितने लोग परेशान हुए, पेट भर रोटी नहीं मिली, लेकिन इस सरकार ने उसका कोई इंतजाम नहीं किया। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि इस दौरान में जब सन् 1987 से मान्यवर, अक्तूबर, 1987 से जब सूखे का भयंकर असर हुआ तब आम आदमी की जिन्दगी गुजारना दूभर हो गया, आटा तीन रुपये किलो मिलने लगा।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

सरकार ने उन बढ़ी हुई कीमतों पर क्या नियंत्रण किया ? जो आंकड़े दिये गये हैं कि इतनी दुकानें खोली गयीं, यह गलत है। इन पर सही रिपोर्ट क्या है उसे सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जो रिपोर्ट दी गयी है, वह बिल्कुल ठीक दी गयी है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि सूखे के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है। आनुपातिक दृष्टि से मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ? इसको दृष्टिगत रखते हुए कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है और मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है और इसका उल्टा प्रभाव किसानों पर पड़ा है। सूखे के कारण पहले ही उनको बहुत क्षति हुई है। क्या सरकार उस क्षति की पूर्ति के लिए मूल्य सूचकांक की बढ़ी हुई दर को देखते हुए, किसानों के उत्पादन की जो वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों में भी, उस अनुपात में वृद्धि करने की घोषणा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया था कि क्या-क्या उपाय किये गये, उत्तर यदि कृपापूर्वक देखें, तो हमने उसमें बताया है कि मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये, विस्तार से उत्तर दे दिया है कि क्या-क्या उपाय किये गये। यह पूछा गया कि जिस अनुपात में मूल्यों में वृद्धि हुई है, उस अनुपात में किसानों के उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि करेंगे ? मान्यवर, यह चीज कृषि विभाग से संबंधित है और इस पर सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है उस अनुपात में वृद्धि होगी, किस अनुपात में वृद्धि होगी, यह अनुपात निश्चित नहीं है। मान्यवर, गेहूं का जो सपोर्ट प्राइस रखा है वह बढ़ा करके 173 रु0 रखा हुआ है, तो वृद्धि तो की हुई है। किसानों को जो समर्थन मूल्य हम दे रहे हैं, उसमें हमने वृद्धि की है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डे--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि क्या-क्या प्रयास किये हैं, कर रहे हैं, मान्यवर, इनके प्रयास कितने सार्थक हैं इसकी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मान्यवर, जो जनसत्ता अखबार में इन्डेक्स छपा था, उसका उल्लेख करना चाहूंगा। दिसम्बर 1987 में 26 तारीख को थोक सूचकांक सबसे अधिक था, वह 413 था।

श्रीमन्, इन्होंने दिसम्बर-जनवरी के महीने में पेट्रोल के, चीनी के और तमाम चीजों के दाम बढ़ा दिये और जिसके कारण सारी चीजों की कीमत बढ़ गयी। मेरा प्रश्न यह था कि जब इन सारी चीजों को लेकर वस्तुओं की कीमतें बढ़ीं, सूखे के कारण कीमतें बढ़ीं और लगातार बढ़ती हो जा रही हैं कीमतें, तो ऐसे कौन से उपाय करेंगे, जिससे कीमतें न बढ़ सकें ? थोक सूचकांक सबसे अधिक जनवरी माह में 413 था और ऐसी परिस्थिति में भी माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि कीमत में वृद्धि नहीं हो रही है यह कहां तक ठीक है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि कृपापूर्वक जो उत्तर दिया गया है, उसे देखें। मैंने उत्तर में स्वीकार किया है कि वृद्धि हुई। यह मैंने कहा ही नहीं कि वृद्धि नहीं हुई है। यह बात आयी कि अप्रत्याशित रूप से हो रही वृद्धि को रोकने के लिये क्या प्रयास किये, उसका विवरण भी

दिया गया । कारण बता दिया कि सूखे के कारण यह वृद्धि हुई । क्या उपाय किये गये रोकने के लिये, यह भी बता दीजिये ।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में तस्लीम कर लिया कि वृद्धि हुई है, मूल्यों में, उसके संदर्भ में पूरा विवरण दिया है कि इतनी चलती फिरती दुकानें दी गयी हैं, सस्ते गल्ले की दुकानों पर यह सब सामान दिया गया है। लेकिन, मान्यवर, यह सिर्फ कागज पर दर्शाने के लिये है, अगर मौके पर देखा जायेगा, तो स्थिति भिन्न मिलेगी। इसमें दिखाया गया है कि इतने छापे मारे गये, मान्यवर छापे तो उन्हीं दुकानों पर इनके अधिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, जहां से उनको माहवारी नहीं मिलती है ।

मान्यवर, मैं तहसील सरधना क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं । वहां पर दुकानों में गेहूं, चावल, कोई चीज नहीं मिल रही है, सारी चीजें ब्लैक की जा रही हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इनकी जांच कराकर और जो जनहित के खिलाफ काम किया जा रहा है और आपकी पालिसी के भी खिलाफ हो रहा है, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, ऐसी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है कि किसी जगह पर गेहूं और चावल उपलब्ध न हो । सरधना क्षेत्र की इन्होंने बात कही, वहां पर तमाम दुकानें खुली हुई हैं और सब जगह गेहूं और चावल उपलब्ध है । यदि कहीं इस प्रकार की शिकायत की सूचना हमको मिलेगी, तो मैं वहां आपूर्ति सुनिश्चित कराऊंगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न] ।

टिहरी बांध के वर्तमान ढांचा को भूकम्प व भूस्खलन के खतरे से बचाने के उपाय पर विचार

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सोवियत एलेक्जेंडर फिंक की हाल में की गई इस टिप्पणी की ओर सरकार का ध्यान गया है कि टिहरी बांध का वर्तमान ढांचा भूकम्प के झटके झेलने के लिये पर्याप्त सुरक्षित नहीं है तथा बांध बनने से पूरे क्षेत्र में नमी बढ़ जायेगी और आस-पास की पहाड़ियों के भूस्खलन का खतरा पैदा हो सकता है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)—

सोवियत एलेक्जेन्डर फिंक की कोई टिप्पणी अलग से नहीं है । दिसम्बर, 1987 में सोवियत विशेषज्ञ दल जिसमें श्री ए0 के0 फिंक भी थे, भारत आया था । सोवियत विशेषज्ञ दल के सदस्यों का भारतीय विशेषज्ञों से विस्तृत विचार-विमर्श हुआ । विचारोपरान्त सोवियत विशेषज्ञ दल ने भारतीय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये डिजाइन की प्रशंसा की है । सोवियत विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि टिहरी राकफिल बांध तथा स्पिलवे का निर्माण प्रस्तावित स्थल पर संभव है । यह भी निश्चय हुआ कि सोवियत विशेषज्ञ अति आधुनिक तकनीक का उपयोग कर आगे विश्लेषण करेंगे व बांध हेतु ऐसा डिजाइन प्रस्तावित करेंगे जो भूकम्प के झटके झेलने के लिये पर्याप्त सुरक्षित हो । जहां तक पहाड़ियों के भू-स्खलन को खतरा होने का प्रश्न है, इस विषय पर रुड़की विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत अध्ययन कर लिया गया है । इस अध्ययन के अनुसार पहाड़ियों का कोई भाग ऐसा नहीं है, जहां बड़े पैमाने पर भू-स्खलन का खतरा हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह तमाम विसंगतियों से भरा हुआ है। एक ओर यह कह रहे हैं कि रुड़की विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के अध्ययन के अनुसार कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय विशेषज्ञों ने एक डिजाइन तैयार किया है। लेकिन यह बात सही है कि 300 मीटर से बड़े बांधों को बनाने का हमारा अनुभव नहीं था। इस प्रकार के बांधों को बनाने का अनुभव रूस के पास था। उन्होंने यह कहा है कि वह अति आधुनिक तकनीक का उपयोग कर आगे विश्लेषण करेंगे, और ऐसी डिजाइन प्रस्तावित करेंगे, जो भूकम्प के झटके झेलने के लिये पर्याप्त सुरक्षित हों। इस सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है? जबकि हमारे यहां बांध की नींव 1.5 किलो मीटर चौड़ी रखी जाती है जबकि भागीरथी पर बनी दो व्यावर्तन सुरंगें टी–2 व टी–4 की लम्बाई क्रमशः 1298 मीटर तथा 1327 मीटर है, जो 1500 मीटर से कम ही बैठती है। इस प्रकार बांध की ऊंचाई कम हो जाती है। इससे चारों ओर बनी सुरंगें बेकार हो सकती हैं। इस बांध के लिये 190 करोड़ रुपया पूर्व में प्रस्तावित था जबकि इस बांध पर 205 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। तो सरकार क्या यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है वह सोवियत डिजाइन जिसका विश्लेषण होना है, उसका इन्तजार करेगी अथवा निर्माण कार्य होता रहेगा या बन्द कर दिया जायेगा?

श्री सीता राम निषाद—

मान्यवर, दिसम्बर, 1987 में रूसी विशेषज्ञों का दल भारत आया था और इस दल के साथ विस्तृत विचार-विमर्श हुआ है। यह विचार-विमर्श रुड़की और दिल्ली में हुआ था। और इसमें हमारे सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण, रुड़की विश्वविद्यालय, केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विशेषज्ञों ने इस पर विचार-विमर्श किया और तत्पश्चात् यह निर्णय निकाला गया कि भारतीय अभियन्ताओं द्वारा जो बांध के लिये साइट का चुनाव किया गया है, वह बिल्कुल उपयुक्त है। इस बात की भी पुष्टि की गई है कि भारतीय अभियन्ताओं द्वारा बहुत विस्तार से इस पर अनुसन्धान किया जा चुका है और भारतीय अभियन्ताओं द्वारा जो बांध का परिकल्प बनाया गया है, वह बहुत उच्च स्तर का है। इसलिये यह निश्चित किया गया है कि अति आधुनिक तरीके से इस बांध का विश्लेषण करके, भारतीय अभियन्ताओं द्वारा जो प्रस्तावित है और रूस के विशेषज्ञों द्वारा दिये गये प्रस्ताव को सम्मिलित करके, इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को सचिवालय ने जो उत्तर लिखकर दे दिया है, उसी लिखित उत्तर को माननीय मंत्री जी पढ़ दे रहे हैं। इन्होंने जो उत्तर दिया है, उसमें लिखा है कि आगे विश्लेषण करेंगे व बांध हेतु ऐसा डिजाइन प्रस्तावित करेंगे जो भूकम्प के झटके झेलने के लिये पर्याप्त सुरक्षित हो। आकलन डिजाइन का होने वाला है। यदि डिजाइन बदला जाता है तो इसमें दो बातें होंगी या तो इसकी ऊंचाई घटाई जायेगी या चौड़ाई घटाई जायेगी ऐसा करने से दो सुरंगें बन्द हो जायेंगी। हम पहले ही इस पर बहुत खर्चा कर चुके हैं मान लिया कि डिजाइन परिवर्तित करके इसे भूकम्प विरोधी कर भी दिया जाता है तो क्या इतना पैसा खर्च करने के बाद शासन की वर्तमान में क्या नीति है? क्या डिजाइन की प्रतीक्षा में इसका काम रोक दिया जायेगा या काम चलता रहेगा? कुछ इतिहास भी यह कहता है कि 1803 में भूकम्प आया था, जिसने राजधानी श्रीनगर को ध्वस्त कर दिया था और 1905 में भी भूकम्प आया था, जिसे कांगड़ा भूकम्प के नाम से जाना जाता है, 100 वर्षों से लगातार कुछ समयान्तराल के बाद भूकम्प आ रहे हैं। इसलिये पूछ रहा हूं कि शासन की नीति क्या है?

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, शासन की नीति बिल्कुल स्पष्ट है । सोवियत विशेषज्ञों के साथ जो निर्णय हुआ है, उसी के अनुसार काम हो रहा है ।

यह निश्चित हो गया है कि यह बांध भूकम्प से सुरक्षित है । हमारा यह बांध 260.5 मीटर ऊंचा बनेगा । दुनिया में इससे भी ऊंचे बांध हैं । रीगन बांध 325 मीटर है, अलास्का 270 मीटर ऊंचा है, इस प्रकार और भी बांध हैं जो काफी ऊंचे हैं । हमारे देश में हिमालय क्षेत्र में भाकड़ा, पोंग, मंगला और पांडू बांध भूकम्प से बिल्कुल सुरक्षित हैं । हर दृष्टि से देख लिया गया है । भारतीय विशेषज्ञों की रूस के विशेषज्ञों के साथ जो बात-चीत हुई है, उसी के अनुसार काम हो रहा है, काम रोका नहीं गया है । रूसी विशेषज्ञों को जो काम करना होगा, वह अपना काम करेंगे और जो हमारे विशेषज्ञों को करना होगा, वह अपना काम करेंगे ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मामला महत्वपूर्ण भी है, गम्भीर भी है, जिसमें 205 करोड़ रुपये खर्च होने का मामला सम्बन्धित है । यह भूकम्प से सुरक्षित नहीं है । सरकार भी अपने लिखित उत्तर में इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि नये सिरे से डिजाइन में परिवर्तन करा रहे हैं । अगर डिजाइन में परिवर्तन हो गया और निर्माण का कार्य रोका नहीं गया, तो परिवर्तन का क्या महत्व रह जायेगा ? ऐसा न हो कि भूकम्प आये और यह परियोजना ही नष्ट हो जाय । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रश्न चूंकि महत्व का है, गम्भीर है, मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है, कुछ तथ्य हमारे पास भी हैं, मैं चाहता हूं की सरकार और विचार कर ले और आप इस पर एक घण्टे की चर्चा की स्वीकृति दे दें, इससे खुलकर बात आ जायेगी, जिसके पास जो तथ्य होंगे, वह रख देगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी सूचना दे दें तो मैं देखूंगा ।

श्री विद्याकर विक्रम सिंह—

माननीय मंत्री जी ने दो-तीन बांधों का नाम लिया कि बने हैं, तो कोयना बांध जो गुजरात में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तमाम हानि हुई थी, जब कि उसकी ऊंचाई भी टेहरी बांध से कम थी, उसका आकार भी टेहरी से छोटा था ?

श्री सीताराम निषाद—

इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी चाहता हूं । चूंकि यह टेहरी बांध मेरे चुनाव क्षेत्र में है और मेरे गांव, मेरे शहर, मेरी भूमि के साथ-साथ 105 गांव और टेहरी नगर संपूर्ण रूप से इससे डूब जायगा । पिछले 20 सालों से इस बांध पर कार्य हो रहा है और जो डूब क्षेत्र है, वह पूरी तरह से पिछड़ गया है, शासन न तो कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, न किसी आदमी को कर्जा देता है कि वह उद्योग लगाये, इस क्षेत्र का कोई कार्य नहीं हो रहा है । हमारा क्षेत्र इस बांध की वजह से कितना चिन्तित है, जो कि स्वाभाविक है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मित्रदेश रूस ने मदद दी है, क्या यह हिन्दुस्तान में पहुंच गयी है ? रूस के साथ जो समझौता हो रहा है, इसकी मार्फत कोई कारपोरेशन बनाया है या नहीं और बनेगा तो कब तक ? कन्ट्रोल बोर्ड जो टेहरी बांध को देखता था, तीन साल से मीटिंग नहीं हुई, समस्यायें बनी हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

चौथा सवाल है कि टेहरी बांध सीमेन्ट और कन्क्रीट का क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो प्रश्न पर प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं। आप माननीय मन्त्री जी से मिल लीजिये और अपनी समस्याये तय कर लीजिये।

सूत के दामों में वृद्धि से बुनकरों द्वारा प्रदेश व्यापी आन्दोलन

*2—श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूत के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में उत्तर प्रदेश के बुनकर प्रदेश व्यापी सत्याग्रह व आन्दोलन कर रहे हैं ? यदि हां, तो सूत के दाम को नियंत्रित करने और प्रदेश के बुनकरों को उचित मूल्य पर सूत की आपूर्ति कराने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अन्सारी)—

यह सही नहीं है। केवल कुछ स्थानों से बुनकर आन्दोलन के समाचार मिले हैं। जी हां।

बुनकरों को उचित मूल्य पर सूत की आपूर्ति कराने के संबंध में शासन द्वारा निम्न उल्लेखनीय कदम उठाये गये हैं :—

(1) हथकरघा निगम द्वारा पूर्व में कम दाम पर सूत क्रय कर जो स्टाक कर लिया गया था उसको माह जुलाई, 1987 से अक्तूबर, 1987 तक बुनकरों को कम दामों पर उपलब्ध कराया गया है।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा कताई मिलों के गेट पर सूत विक्रय डिपो की स्थापना कर दी गई है तथा 16 सूत विक्रय डिपो बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे हैं।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों को क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप सूत उत्पादन के निर्देश दिये गये हैं। इसकी मानिटरिंग हेतु प्रत्येक मिल के लिये 9 सदस्यों की एक समिति भी गठित कर दी गई है जिसमें 5 क्षेत्रीय बुनकर प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

(4) हथकरघा निगम फरवरी, 1988 में 3,075 गांठें सूत जिसका मूल्य रु0 2.18 करोड़ है, प्रदेश के बुनकरों को अपने उत्पादन केन्द्रों/सूत वितरण केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

(5) बुनकरों को कार्यशील पूंजी मुहया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से डी0 आर0 आई0 योजनान्तर्गत प्रति बुनकर रु0 1500 की दर से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(6) प्रदेश के आठ जिलों में बाढ़ से प्रभावित बुनकरों को रुपये 1.20 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि बुनकरों के आन्दोलन केवल कुछ-कुछ स्थानों पर हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किन-किन स्थानों पर बुनकरों के आन्दोलन हुए और उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं? दूसरी बात यह कि सूत के दामों में प्रति गांठ कितने की वृद्धि हुई जिसके खिलाफ बुनकर लोग आन्दोलन कर रहे थे?

श्री निसार अहमद अन्सारी—

मान्यवर, जो सूचनायें मिली हैं उसमें गोरखपुर, खलीलाबाद और बस्ती जिले हैं जहां पर कुछ बुनकरों ने आन्दोलन किया था। यह सही है कि सूत के दाम में वृद्धि हुई है इसका कारण यह है कि देश में भीषण सूखा पड़ा जिसके कारण से कपास की पैदावार में कमी आयी और कपास का सीधा संबंध सूत से है। कपास के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई और इसका असर सूत के दामों पर भी पड़ा। वैसे रुई के दामों में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी किन्तु सूत के दाम काफी बढ़ गये जिसके कारण से बुनकरों को तकलीफ पहुंची है। उत्तर प्रदेश का शासन इस संबंध में जागरुक है और उपाय किया गया है कि सूत के दामों पर नियंत्रण रखा जाय। इसके लिये सरकार ने जो तय किया है उससे मैंने सदन को अवगत कराया।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मैंने यह भी पूछा था कि उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं। इसका उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैंने ओझा जी को बुला लिया है, बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मान्यवर, कि माननीय मंत्री जी का उत्तर सत्य से परे है कि गोरखपुर, बस्ती में आन्दोलन हुए, केवल बुनकरों के आन्दोलन इन स्थानों पर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बुनकर इस मामले को लेकर आन्दोलित रहे और इस पर लाठी चार्ज भी हुए और हमारे जैसे लोग गिरफ्तार भी किये गये। आपने कहा है कि सूत के दामों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

एक बात मान्यवर मैं यह जानना चाहूंगा कि यह केन्द्रीय शासन की जो टेक्सटाइल पालिसी है, उसके तहत मूल्यों में वृद्धि हुई है न कि रूई की वजह से। बल्कि इनकी नीति के अनुसार रुई और सूत विदेशों में जा रहा है जिसका फायदा मिल-मालिकों को पहुंच रहा है, बुनकरों को नहीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कृपया वह यह बतायें कि रुई और सूत के दाम क्रमशः वर्ष 1986-87 और 1987-88 में क्या थे? और अब वर्तमान में क्या है और इनके दामों के अन्दर कितने परसेंट अब तक वृद्धि हुई है? मान्यवर जब कि हमारी निश्चित जानकारी है कि इस शासन की नीति बुनकर विरोधी है और क्या इस बात को माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हुए केन्द्रीय शासन की टेक्सटाइल पालिसी को संशोधित कराने की कृपा करेंगे।

श्री निसार अहमद अन्सारी—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि 2 सालों से बराबर रुई की पैदावार में कमी आती चली जा रही है। जैसा कि 105 लाख गांठों की हमारे लिए हर वर्ष जरूरत थी। लेकिन इसके दूसरे साल केवल 95 लाख गांठें हुयीं और इसके बाद यह रुई की

गांठें 87 लाख गांठे ही हुयीं । रूई की इस पैदावार में कमी की वजह से लगातार इनके दाम बढ़ते चले गये और फिर इसका असर सूत के दामों में यकीनन आया और जब रूई की बहुतायत से पैदावार हुयी थी पिछले वर्ष में तो रूई के दामों में कमी रही जैसे वर्ष 1985-86 में आर0 सी0-34 के दाम 3,105 रु0 थी और जब इसके पैदावार में कमी आयी तो इसके दाम बढ़कर वर्ष 1987 में 4,100 कुछ रुपया हो गयी और आज उसी रूई के दाम 7,000 कुछ हो गए हैं । तो इस रूई के दामों में वृद्धि की वजह से सूत के दामों में भी वृद्धि हुई है और जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि केन्द्रीय सरकार की नीति में तब्दीली किये जाने का तो यह कार्य प्रदेश सरकार के कार्य क्षत्र में नहीं है और यदि माननीय सदस्य ऐसा कुछ चाहते ही हैं तो उन्हें चाहिए कि वह केन्द्र सरकार को लिखकर अनुरोध करें ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए कई समितियां बनाई गयी हैं और उसपर कार्यवाही की जा रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज सूत की समस्या पूरे प्रदेश में है, इसको देखते हुए कोई फौरी हल माननीय मंत्री जी निकालेंगे क्योंकि इन कमेटियों के कार्य में और रिपोर्ट आने में काफी समय लग सकता है, इसलिए मैं यह भी माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वह इन कमेटियों की रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर मंगाकर समस्त कार्यवाही शीघ्र कराने की कृपा करेंगे ?

श्री निसार अहमद अंसारी--

जो कमेटियां बनाई गयी हैं उनसे कहा जायेगा कि वह अपनी रिपोर्ट जल्दी दे दें ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर खलीलाबाद और बस्ती व अन्य स्थानों में जो आन्दोलन बुनकरों के हुए हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन बुनकरों की क्या-क्या मांगें थीं और जिस प्रकार से रूई और सूत के दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं क्या उसी अनुपात में इनके कपड़ों के दाम भी बढ़े हैं, इसका मान्यवर आप उत्तर दिलवा दीजिए, उनको संरक्षण न देने लगिएगा ?

श्री निसार अहमद अंसारी--

सूत के दामों में जो वृद्धि हुयी है, इसके लिए यह बुनकर यही चाहते थे कि सूत के दामों में कमी हो क्योंकि इस क्षेत्र में जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो जनता-क्लाथ को तयार करता है, धोती व साड़ी आदि बनाता है, उसकी आमदनी में कमी हो गयी थी तो उन लोगों का कहना था कि कुछ ऐसे उपाय करें जो उनकी जीविका का साधन हो सकें । मान्यवर सूत का जहां तक वृद्धि का सम्बन्ध है, मिलों को निर्देश दिया गया है कि दाम को आप स्थिर रखें और 9 फरवरी, 1988 से दाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और हमारा वह वर्ग जो जनता क्लाथ तैयार करता था, 34.50 रुपये में एक जोड़ा तैयार करता था, उसके बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 रुपये दाम बढ़ाये थे और भारत सरकार ने जो सब्सीडी अनुदान के रूप में स्वीकार की थी, अब वह 44.50 रुपये में खरीदी जा रही है । अब छोटे बुनकरों को जीवन का सहारा हो गया है, लेकिन जब तक रूई का दाम कम नहीं होता, सूत के दाम में कमी होने का सवाल पैदा नहीं होता है ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, मंत्री जी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, आप हमें संरक्षण दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, सुखपाल पाण्डे जी । ऐसे नहीं, मैंने बुनियाद हुसेन अंसारी को बुलाया है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में फरमाया है कि इनकी एक कमेटी बना दी गयी है, तो क्या यह रेट को सब्सीडाइज्ड करने के लिये कमेटी बनायी है और अगर यह कमेटी रेट को निश्चय कर देगी, तो उस समिति के फैसले से सरकार बाध्य होगी या नहीं ? दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कही है कि सूखा पड़ गया है, जिसके कारण रूई कम पैदा हुई, तो क्या जो रुई का निर्यात हो रहा है, उसको बन्द करने की कृपा करेंगे ? मान्यवर, इसका जवाब दिलवा दें।

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, जहां तक निर्यात की बात कही है, मेरी जानकारी में रूई का निर्यात कोई नहीं हो रहा है, बल्कि भारत सरकार इस चीज पर विचार कर रही है कि रूई की कमी से कहीं मिलें न बन्द होनी शुरू हो जायें, इसलिये किस आदेश से आयात करें ?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट पूछा है कि रूई की कमी को देखकर रूई बाहर भेजना बन्द करेंगे या नहीं....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, नहीं दिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आपसे आग्रह है कि जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, उससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। माननीय मंत्री जी उसका ठीक से उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिये इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दें तो वहां पर इसका निराकरण हो जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

सूत के मामले में चर्चा लगी हुई है तो यह हो जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अगर चर्चा लगी हुई है, तो क्या हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं। प्रश्न करना तो मेरा अधिकार है । बुनकरों की उपेक्षा की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं । चर्चा लगी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जो बुनकरों की उपेक्षा की जा रही है, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा सदन त्याग कर चले गये।)

(प्रश्न संख्या 3 पुकारे जाने पर विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलते रहे

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

इस प्रश्न को प्रश्न समिति को भेज दें, मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष—

इसमें चर्चा लगी हुई है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मेरे प्रश्न का तो जवाब दिला दीजिये.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मुझे कोई एतराज नहीं है । आपका ही समय जायेगा.....

(व्यवधान)

बरेली में फर्नीचर निगम स्थापित कराये जाने की मांग

*3—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित) ने बरेली में 9 अगस्त, 1985 को घोषणा की थी कि बरेली के फर्नीचर उद्योग से जुड़े हजारों कारीगरों को शोषण से बचाने के लिये फर्नीचर निगम स्थापित किया जायेगा ? यदि हां, तो अभी तक उक्त निगम स्थापित किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार हजारों मजदूरों के हित को देखते हुए बरेली में तुरन्त फर्नीचर निगम स्थापित करेगी ? यदि नहीं; तो क्यों ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

9 अगस्त, 1985 को तत्कालीन उद्योग मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित) बरेली गये थे और उन्होंने हस्तकलाओं के प्रोत्साहन हेतु वहां वार्ता के मध्य यह चर्चा की थी कि फर्नीचर उद्योग से जुड़े कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी किन्तु उन्होंने फर्नीचर निगम स्थापित करने की कोई घोषणा नहीं की थी ।

फर्नीचर उद्योग में लगे कारीगरों को सामान्यतया बैंकों द्वारा वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और लकड़ी की आपूर्ति हेतु वन निगम का एक डिपो स्थापित किया गया है । अतः फर्नीचर निगम स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री गोपीनाथ दीक्षित बरेली गये थे तो उस समय वहां के लोग उनसे मिले थे । और उस समय उन्होंने यह घोषणा की थी कि बरेली में फर्नीचर निगम बनाया जायेगा और आज मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कोई घोषणा नहीं की है । मंत्री जी बता दें कि बरेली में फर्नीचर निगम बनाने में उन्हें क्या दिक्कत आ रही है कौन से मानक हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, बरेली में फर्नीचर निगम बनाने का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है और जो तत्कालीन मंत्री श्री गोपीनाथ दीक्षित ने घोषणा की थी उसके सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा था कि उन लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उन्हें लकड़ी उपलब्ध कराने के लिये वनविभाग के डिपो भी खोले गये हैं; उन्हें क्वालिटी मार्किंग के अन्तर्गत ले लिया गया है । और भी सुविधायें उन्हें दी गई हैं । इसलिये इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, 9 अगस्त 1985 को जो तत्कालीन मंत्री श्री गोपीनाथ दीक्षित ने घोषणा की थी तो उस समय कितनी-कितनी आर्थिक सहायता किन-किन लोगों को दी गई ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, नाबार्ड योजना सन् 86 में चालू की गई थी जिसके माध्यम से ऐसे बैंकों द्वारा उद्यमियों को, कारीगरों को आर्थिक सहायता देने की योजना चलाई गई । दिसम्बर 1987 तक 359 प्रार्थना-पत्र उनकी तरफ से प्राप्त हुये हैं । उन पर विचार किया गया । इसमें 58.85 लाख रुपये का व्यय निहित था। बैंकों ने 179 प्रार्थना-पत्र मंजूर किये जो 10.87 लाख रुपया होता था। उसक बैंकों की तरफ से डिसबर्समेंट शुरू हुआ, लोन देना शुरू हुआ तो 78 लोगों को अब तक 5.73 लाख रुपया दिया जा चुका है और बाकी प्रोसेस में है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यालय लिपिकों की नियुक्ति एवं सेवा मुक्त करने के आधारों की जांच ।

*1—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के अधिशासी अधिकारी ने अपने स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के 10 दिन के बाद उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ में कार्यरत लगभग 30 कार्यालय लिपिक आदि को सेवा उक्त कर दिया ? यदि हां, तो सेवामुक्त करने का क्या आधार है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि स्थानान्तरण होने के पूर्व कितने व्यक्तियों की नियुक्ति उन्होंने अपने हस्ताक्षर से की है और उसके आधार क्या हैं ?

श्री निसार अहमद अन्सारी—

स्थिति स्पष्ट न होने के कारण सम्पूर्ण मामले की जांच करायी जा रही है ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी से जांच करायी जा रही है और कब तक यह जांच रिपोर्ट आ जायेगी ? क्या माननीय मंत्री जी यह जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री निसार अहमद अन्सारी—

मान्यवर, यह जांच उद्योग निदेशक द्वारा करायी जा रही है हमारा प्रयास होगा कि जल्दी ही यह रिपोर्ट आ जाय । फिर आपको अवगत करा देंगे ।

यूपिका के शो-रूमों द्वारा प्रदेश के बाहर व अन्दर स्थित दूसरे शो रूमों को माल का स्थानान्तरण

*2—श्री भगौती सिंह—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि यूपिका के विभिन्न शो रूम जो प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित हैं एक दूसरे को आवश्यकतानुसार माल स्थानान्तरित करते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपा बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 में किस-किस शो रूम से कितने-कितने रुपये का माल स्थानान्तरित हुआ ? क्या नियमानुसार इनकी पूर्व स्वीकृति मुख्यालय से प्राप्त कर ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्या उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निसार अहमद अन्सारी—

जी हां ।

अब तक प्राप्त 25 बिक्री में केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है ।

जी नहीं । मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् एक शो रूम से दूसरे शो रूम के माल स्थानान्तरण करने से सम्बन्धित प्रतिबन्ध वर्ष 1986–87 में नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 213 215 पर)

भगौती सिंह––

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1986–87 में विभिन्न शो-रूमों का माल स्थानान्तरित करने के लिये जो मांग-पत्र प्रसारित किये गये वह मुख्यालय को गये या सीधे सम्बन्धित शो रूम्स को भेजे गये ?

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 1986–87 में हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध नहीं था । तो क्या यह प्रतिबन्ध 1985–86 और 1987–88 में था या नहीं ?

श्री निसार अहमद अन्सारी––

मान्यवर, 27 मई, 1987 को प्रबन्ध निदेशक ने इस आशय का एक पत्र जारी किया कि एक शो रूम से दूसरे शो रूम को माल का ट्रान्सफर डिपो मैनेजर प्रबन्ध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेंगे ।

श्री भगौती सिंह––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी आधा उत्तर देकर बैठ जाते हैं, ऐसा उत्तर देने से क्या फायदा ? उत्तर दिला लें ।

श्री बाबूराम यादव––

माननीय सदस्य ने सीधा सवाल पूछा है मैं फिर उसे स्पष्ट कर रहा हूं कि कितना माल स्थानान्तरित हुआ था एक डिपो से दूसरे डिपो को और उसकी पूर्व स्वीकृति थी या नहीं । अगर स्वीकृति नहीं थी तो माल स्थानान्तरित करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री निसार अहमद अन्सारी––

मान्यवर, मैंने अपने जवाब में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कोई लिखित आदेश इस किस्म के डिपो मैनेजर को नहीं थे । इस सम्बन्ध में पहले कोई प्रतिबन्ध नहीं था । अब जब माल हस्तान्तरित होगा उसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है । इस सम्बन्ध में 25 केन्द्रों से जो सूचना उपलब्ध हो पाई है वह मैंने यहां पर दे दी है ।

श्री बाबू राम यादव––

सीधा सवाल है कि बिना पूर्व स्वीकृति के किन डिपो से दूसरे किन डिपोज को कितना माल हस्तान्तरित हुआ और क्या उसकी पूर्व स्वीकृति ली गयी थी । यदि नहीं ली गयी तो जिन लोगों ने बिना स्वीकृति के माल स्थानान्तरित किया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री निसार अहमद अन्सारी––

मान्यवर, जिस अवधि के लिये प्रश्न पूछा गया है उस सम्बन्ध में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि उस वक्त कोई प्रतिबन्ध नहीं था । अब लिखित आदेश दिये गये हैं कि जो माल एक डिपो से दूसरे डिपो को भेजें उसके लिये पूर्व स्वीकृति ले लें ।

श्री भगौती सिंह––

मान्यवर, बुद्धि के विधांचल माननीय मंत्री जी प्रश्न नहीं समझे । प्रश्न यह है कि यूपिका के विभिन्न शो रूम जो प्रदेश में और प्रदेश के बाहर स्थापित हैं एक दूसरे को माल स्थानान्तरित करते

हैं। वर्ष 1986-87 में यूपिका के जो विभिन्न शो रूम हैं उनमें माल स्थानान्तरित करने के लिये जो मांग-पत्र भेजे गये वह सीधे शो रूम्स को भेजे गये या मुख्यालय को भेजे गये ? (व्यवधान)

श्री निसार अहमद अन्सारी--

मैंने पहले उत्तर में ही कहा है कि 25 डिपो से जो सूचना आई है वह मैंने उपलब्ध करा दिया है जो कि ट्रान्सफर हुआ था (व्यवधान) उस समय कोई प्रतिबन्ध नहीं था। हर डिपो मैनेजर अपना माल दूसरी जगह के शो रूम को भेजता था और उसकी सूचना हेड आफिस को दे दिया करते थे। अब यह हो गया है कि बगैर मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति के कोई ट्रान्सफर नहीं होगा।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मंत्री जी को, अधिकारी जो प्रश्न होता है उसका उत्तर रटा कर भेज देते हैं। आप प्रश्न को स्थगित कर दें अब पूरक प्रश्न के उत्तरों को रट कर दूसरे दिन आ जायेंगे क्योंकि उनको जानकारी थी नहीं अब फिर पढ़ कर आयेंगे तो जवाब दे देंगे।

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें या आप समझें हों उत्तर को तो आप समझा दें।

श्री अध्यक्ष--

आप दोनों मेरे कक्ष में आ जायं, मैं समझ लूं फिर जैसा होगा बता देंगे।

देहरादून जनपद में यमुना नदी पर लखवाड़ तथा व्यासी बांधों के निर्माण कार्यों के लिये आमंत्रित निविदायें

*3--श्री हर्ष वर्धन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद में यमुना नदी पर बनने वाले लखवाड़ एवं व्यासी बांधों के लिये 30 अप्रैल, 1985 को आमंत्रित निविदाओं पर शासन द्वारा 30 अप्रैल, 1987 को स्वीकृति प्रदान की गयी ? यदि हां, तो निविदाओं के सम्बन्ध में विलम्बित निर्णय किये जाने के कारण ठेकेदार/फर्मों को 30 अप्रैल, 1985 की दर से क्या 40 करोड़ रुपया अधिक का भुगतान करना पड़ेगा ? यदि हां, तो इस विलम्बित निर्णय हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी ?

श्री सीता राम निषाद--

लखवाड़ तथा व्यासी बांधों के निर्माण कार्यों के लिये 30 अप्रैल, 1985 तक आमंत्रित निविदायें सितम्बर, 1985 में अनुमोदित हुई थीं। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त वन भूमि के हस्तान्तरण तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से भारत सरकार की स्वीकृतियों की आवश्यकता थी।

वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के पूर्व 36.52 हेक्टेयर भूमि वन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी थी। शेष 831.56 हेक्टेयर भूमि के हस्तान्तरण के लिए उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात् कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसकी भारत सरकार से स्वीकृति 31 अक्तूबर, 1986 को प्राप्त हुई। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उन्हें 17 जून, 1980 को भेजा गया जिसकी स्वीकृति 3 फरवरी, 1987 को प्राप्त हुई।

भारत सरकार की स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् निविदाओं की स्वीकृति के आदेश 28 अप्रैल, 1987 को जारी किये गये।

जी नहीं।

निविदायें प्राप्त करने के लिये दी गयी सूचना तथा अनुबन्धों में परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि में मूल्यों में संभावित वृद्धि के कारण , ठेकेदार को, निर्धारित सीमान्तर्गत, प्रतिपूर्ति का प्राविधान है। इनके अन्तर्गत देय प्रति पूर्ति की वास्तविक गणना कार्य पूर्ण होने पर की जा सकेगी।

इसके लिये कोई दोषी नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हर्ष वर्धन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि परियोजना कार्यान्वयन अवधि में मूल्यों में वृद्धि के कारण ठेकेदार को प्रतिपूर्ति करने का प्रतिबन्ध है उसके अनुसार अनुमानतः कितना धन अधिक देना पड़ेगा तथा अनुबन्ध की शर्तें क्या है ?

श्री सीता राम निषाद—

मान्यवर, मूल्य वृद्धि के अनुसार यह प्राविधान है, जिसका अनुबन्ध में उल्लेख किया गया है, तो जो नियम है, उसमें लेबर, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तथा रहन सहन के मूल्यों में अन्तर पर कार्य की लागत के आधार पर 20 प्रतिशत , डीजल और पेट्रोल आदि मूल्यों में अन्तर पर कार्य की लागत के आधार पर 5 प्रतिशत विस्फोटक पदार्थों के मूल्यों में अन्तर पर कार्य की लागत के आधार पर 2 प्रतिशत गाड़ियों के टायर ट्यूब के मूल्यों में अन्तर पर कार्य की लागत के आधार पर 1 प्रतिशत, अन्य सहायक वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर पर इसके कार्य की लागत के आधार पर 10 प्रतिशत , यह इसका नियम है, इसके अनुसार भुगतान दिया जाता है । लखवाड़ तथा व्यासी बंधों के संबंध में जो निविदा मांगी गयी थी वह निविदा 1985 में स्वीकृत की गयी थी उसमें जब 1987 में उसके आदेश जारी हुए तो उस समय उसके हिसाब से मूल्य वृद्धि का जो हिसाब लगाया जाता है वह लगभग 10 करोड़ के आता है किन्तु निवेदन करना है कि 10 करोड़ का मूल्य वृद्धि जो दो वर्षों में आती है वह जो विलम्ब हुआ है वह कोई विभाग के अधिकारियों के कारण नहीं और न शासन के कारण बल्कि वन अधिनियम जो लागू है उसमें वन विभाग की जमीन लेने के कारण वन अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति लेने पर और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था जिसके कारण अनुमति प्राप्त करने में जो समय बीता था वह अनुबन्ध में है, वह नियमतः देना पड़ता है। लेकिन उसमें सरकार को, सिंचाई विभाग को नुकसान इसलिये नहीं होगा कि यदि वह औपचारिकता पूरी करके दो साल के बाद 1985 के बाद 1987 में प्रतीक्षा करके निविदा मांगते तो उस समय हमारी निविदा पहले से ज्यादा ऊंची आती और मूल्य वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया है वह निविदा की धनराशि मूल्य वृद्धि से ज्यादा आती। तो इस तरीके से दो साल पहले जो निविदा स्वीकार की गयी थी और दो साल बाद उसके जो आदेश जारी किये गये उसमें जो विलम्ब हुआ है उससे कोई नुकसान नहीं है और उसका सही आकलन जब काम पूरा हो जाता है, उस समय उसका हिसाब लगाने से उसका सही आंकलन आता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या यह सही है कि परियोजना अधिकारियों द्वारा वन की किस्म, वनस्पति जाति, परिजाति, भूसंरक्षण उपाय, और पुनर्वास आदि के उपाय के संबंध में पूरा विवरण 17-6-80 के प्रस्ताव के साथ केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया था? और यदि नहीं भेजा गया था तो क्यों और केन्द्र सरकार को इस बारे में किस तारीख को दुबारा आपके परियोजना अधिकारियों ने सारी सूचनायें भेजी हैं, जिसके कारण विलम्ब से यह सारी सेक्शन मिली ?

श्री सीता राम निषाद—

मान्यवर, यह पर्यावरण के संबंध में अनुमति के लिए 17-6-80 को ही भारत सरकार से लिखा पढ़ी की गई थी और वहां से जब अनुमति नहीं प्राप्त हुई तो हमारे अधिकारी वहां

पर गये और उन्होंने वहां पर सम्पर्क किया, और बार-बार अनुस्मारक पत्र भी भेजे गये। फिर जब 30-9-85 को वहां से योजना आयोग से यह लिखकर आया कि गंगा-यमुना बेसिन परियोजनाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके संबंध में एक कार्यकारी दल अध्ययन कर रहा है और उसके अध्ययन करने के बाद उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके बाद इस बारे में विचार किया जायगा। तो मान्यवर, इस पर्यावरण एवं जल समिति की बैठक 7-4-86 को हुई थी, उसमें इस पर विचार हुआ और कुछ अतिरिक्त सूचनाएं इसमें मांगी गई थी। वह सूचनायें मान्यवर, भारत सरकार को 5-5-86 को भेजी गई और फिर पर्यावरण एवं जल समिति की बैठक 24-6-86 को हुई, उसमें भी इस पर विचार हुआ और फिर भारत सरकार ने कुछ और विवरण जानकारी के लिए हमें भेजे कि विस्थापितों के पुनर्वास के लिये क्या योजना है, उसमें लिये गये वनों के समतुल्य वनीकरण के लिए क्या योजना है ? (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, यह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं।

श्री सीता राम निषाद--

पूर्वी गंगा नहर के पुनरुद्धार और जल योजना की क्या योजना है तो इन सब के बारे में उन्होंने जानकारी चाही, तो उसमें फिर यह जानकारी दी गई और बताया गया कि 868 हेक्टर भूमि समतुल्य वनीकरण के लिए ललितपुर जिले में ग्राम सभा की भूमि लेकर उस पर वनीकरण करने की व्यवस्था की गई है। कैचमेन्ट एरिया के बारे में व पूर्व गंगा नहर के बारे में जो सूचना मांगी गई थी वह भी भेजी गयी। 24-11-86 को एप्रेजल समिति की बैठक की गई और उसमें कुछ और सूचनाएं फिर से मांगी गई थीं, वह भी भारत सरकार को 9-12-86 को भेज दी गई। फिर पुनः भारत सरकार के एप्रेजल समिति की बैठक 5-1-87 को सम्पन्न हुई, उसमें इस पर विचार किया गया और उसके बारे में अंतिम रूप से फैसला लिया गया। और उसके बाद 3-2-87 को इसकी स्वीकृति दी गई। तो वह जो--जो, जब जब जवाब मांगते रहे, वह हम देते चले गये और अनुरोध पहले कर लिया गया था।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना का प्रस्ताव 1980 में भारत सरकार को भेजा गया, 1986 में मजबूरी थी और आप कहते हैं कि विलम्ब नहीं हुआ। मान्यवर, इनकी सरकार के जो मंत्री भजनलाल जी हैं इन्होंने हर्षवर्धन जी को लिखा है कि परियोजना को पर्यावरणीय जांच के लिये विभाग में आंका गया था। पूरी सूचना उपलब्ध न होने के कारण परियोजना प्राधिकारियों से वन किस्म, वनस्पतिजात और प्राणिजात भू-संरक्षण उपाय, पुनर्वास आदि पर ब्यौरे मांगे गये थे, तो मान्यवर, ब्यौरे देने में 6 साल लग गये 6 साल से ब्यौरे नहीं दिए गये, जो योजना के साथ देने चाहिए थे, तो माननीय मंत्री जी के पत्र से स्पष्ट हो गया है कि दोष अधिकारियों का है और उन्हीं की वजह से विलम्ब हुआ है।

श्री सीता राम निषाद--

मान्यवर, समय-समय पर भारत सरकार ने सूचनायें मांगी हैं और वह सूचनायें बराबर यहां से भेजी गई हैं। इसमें जानबूझ कर कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

(तारांकित प्रश्न संख्या-4 पुकारे जाने पर)

श्री जय दीप सिंह बरार--

मान्यवर, यह पूरे चालीस करोड़ रुपये का मामला है।

(घोर व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने सही जवाब नहीं दिया है और यह 40 करोड़ का मामला है और इस परियोजना में देरी हुई है। इसलिये मैं और मेरा दल एक मिनट के लिए सदन से वाकआउट करता है।

(श्री शत्रुघ्न प्रकाश अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये तथा श्री जर्नादन प्रसाद ओझा और श्री जयदीप सिंह बरार ने भी सदन का त्याग किया।)

श्री रबीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, यह मामला आपके संरक्षण में पहले भी गया था इसमें साफ-साफ कहा था कि तीन करोड़ कमीशन लिया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इसमें 6 साल की देरी हुई उसका कारण क्या था? जब आप जानते थे कि यह इतना बड़ा कांट्रेक्ट है चालीस करोड़ का, और इसमें दस परसेन्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो इसमें स्पेशल मैसेन्जर क्यों नहीं भेजा गया?

श्री अध्यक्ष--

इसमें काफी समय दिया जा चुका है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इसमें तीन करोड़ का कमीशन लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऐरी जी आप अपना प्रश्न करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आ गया हूं। कृपा करके अगर कोई बात हो तो सूचना कक्ष में दे दीजिये, मैं देखूंगा। आप दूसरे नियमों के अन्तर्गत मुझे सूचना दीजिये मैं देखूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

नियम 49 में दूंगा।

कोट्द्वार भावर के किसानों द्वारा तृतीय उपखण्ड कोट्द्वार में सिंचाई के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में शिकायतें

श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1987 के जुलाई माह के दूसरे पखवाड़े [illegible] विभाग के कार्यालय तृतीय उपखण्ड कोट्द्वार

में पानी के बंटवारे की शिकायतों को लेकर आया था ? क्या यह सही है कि ग्राम-ध्रुवपुर, पट्टी सुखरौ तहसील कोटद्वार गढ़वाल के किसानों को भू-अभिलेखों तथा सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित समय के बाद भी पानी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या यह सच है कि अध्यक्ष, पानी वितरण समिति ग्राम ध्रुवपुर के परगना अधिकारी द्वारा वर्ष 1987 के माह दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में एक चेतावनी पत्र दिया गया है ? क्या इर्रीगेशन मैनुअल एण्ड आर्डर के अनुसार पानी वितरण का अधिकार सिंचाई विभाग ने परगना अधिकारी कोटद्वार को स्थानान्तरित कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सिंचाई विभाग इस मामले को स्वयं निपटायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सीता राम निषाद--

जी हां ।

यह सही नहीं है बल्कि ग्राम ध्रुवपुर, पट्टी सुखरौ, तहसील कोटद्वार गढ़वाल के किसानों को भू-अभिलेखों तथा सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित समय व उपलब्ध जल की मात्रा के अनुसार पानी दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभाग द्वारा ग्रामों में कोई पानी-वितरण समितियां नहीं बनाई जाती हैं व नहीं इस प्रकार की कोई चेतावनी परगनाधिकारी द्वारा जारी करने की कोई सूचना है ।

इर्रीगेशन मैनुअल आफ आर्डर में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है कि पानी वितरण का अधिकार परगनाधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया जाय व न ही ऐसा किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आउटलेट या गूल से आगे पानी के बंटवारे का कार्य कृषकों को स्वयं निजी समझौतों से करना होता है । इस वर्ष भयंकर सूखे के बावजूद उपलब्ध जल कृषकों को अथक प्रयासों से दिलवाया गया । ग्राम ध्रुवपुर के किसानों का कोई शिकायती-पत्र इस विषय में प्राप्त नहीं हुआ, अतः मामला निपटान का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पूछा है कि जुलाई, 1987 के दूसरे पखवाड़े में कोटद्वार भावर के किसानों का एक जुलूस सिंचाई विभाग के कार्यालय तृतीय उपखंड, कोटद्वार में पानी के बंटवारे की शिकायतें लेकर आया था । मंत्री जी ने जवाब दिया है "जी हां" । तो मैं जानना चाहता हूं कि वह शिकायतें क्या-क्या हैं और उन शिकायतों पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, वहां के एक मेट द्वारा नदी से पानी देने में धांधली व मेट का तबादला करने के सम्बन्ध में शिकायतें लेकर लोग आये थे और शिकायती पत्र दिया था । वहां पर पत्र परगनाधिकारी, एम0 डी0 ओ0 को दिया गया था । उसकी जांच करायी गयी तो उसमें कोई तथ्य सही नहीं पाया गया ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मंत्री जी ने पूरा जवाब नहीं दिया है कि शिकायतें क्या-क्या थीं और क्या कार्यवाही की गयी ? मान्यवर, दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि क्या यह सच है कि अध्यक्ष पानी वितरण

समिति ग्राम ध्रुवपुर को परगनाधिकारी द्वारा वर्ष 1987 के माह दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में एक चेतावनी-पत्र दिया गया है । उसका जवाब मंत्री जी ने दिया है कि न कोई समिति है न कोई चेतावनी दी गयी है । मैं मानता हूं कि आफीशियल कोई समिति नहीं बनायी गयी लेकिन गांव में पानी के वितरण को सुनिश्चित करने के लिये किसान लोग समिति बनाते हैं तो यह जो समिति बनी उसके अध्यक्ष को परगनाधिकारी ने एक चेतावनी पत्र दिया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह चेतावनी पत्र क्या था और क्या एस0 डी0 एम0 जनता द्वारा चुनी गयी समिति के अध्यक्ष को चेतावनी दे सकते हैं ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, परगनाधिकारी को कोई चेतावनी देने का अधिकार नहीं दिया गया है और न कोई ऐसी समिति वहां पर बनी है जिसने आकर ऐसी कोई शिकायत की है । मान्यवर, कैनाल एक्ट में ओसराबंदी की व्यवस्था है । किसान जहां पर आवश्यक समझते हैं वहां पर वह स्वयं व्यवस्था सिंचाई करने के लिये बताते हैं । लेकिन यहां पर जो तथ्य जानकारी में आया है वह यह है कि आउट-लेन के बाहर किसानों का अपना विवाद हो सकता है । कानूनी तौर पर कोई समिति वहां पर बनायी गयी ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं मानता हूं कि कानूनी तौर पर वहां कोई समिति नहीं थी लेकिन किसानों ने एक अपनी समिति बनायी और उसके एक अध्यक्ष बनाये गये । परगनाधिकारी ने उनको चेतावनी दी है तो क्या परगनाधिकारी जनता द्वारा चुने गये किसी व्यक्ति को चेतावनी देने का अधिकारी था अगर नहीं था तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

राम सहाय आयोग द्वारा हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय की पृथक् स्थापना की संस्तुति

5--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राम सहाय आयोग ने वर्ष 1972 में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय को उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय से अलग करने की संस्तुति की थी जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है ? यदि हां, तो हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय कब तक अलग कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां ।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय की पृथक् स्थापना 16 सितम्बर, 1972 को की जा चुकी है और तब से यह निदेशालय पृथक् रूप से कार्य कर रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

द्वारा वर्ष 1985–86 में इकसार करायी गई थी जिसकी किश्त कृषक दे रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि में सरकार द्वारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से पूरी भूमि पैदावार से वंचित है ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 मई, 1987 जो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को सम्बोधित था और जिसमें एक सरकारी नलकूप लगाने की मांग की गयी थी, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

पत्र सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) गाजियाबाद के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, मुजफ्फरनगर को भेजा गया था । वर्ष 1987–88 में गाजियाबाद जनपद में किसी नवीन नलकूप लगाने का प्राविधान जिला योजना में नहीं है । अतः नलकूप लगाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

(बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

मथुरा जनपद में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये आवंटित धन

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने विद्युत् परिषद् को वर्ष 1986–87 व 1987–88 में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये आर0 ई0 सी0 व अन्य परियोजनाओं के माध्यम से धन का आवंटन किया था ? यदि हां, तो कितना–कितना धन उक्त वित्तीय वर्ष में जनपद मथुरा को दिया गया और कितना-कितना वास्तव में धन पहुंचा ? आवंटित धन में कटौती के क्या कारण थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मथुरा जनपद के लिये वित्तीय वर्ष 1986–87 में रु0 74 ·36 लाख तथा 1987–88 में रु0 98 ·46 लाख का प्राविधान किया गया था तथा क्रमशः रु0 93 ·30 लाख तथा रु0 127 ·26 लाख (जनवरी, 1988 तक) खर्च किया गया ।

आवंटित धन में कोई कटौती नहीं की गई ।

प्रदेश में ट्रान्सफार्मर का उत्पादन एवं खराब ट्रान्सफार्मर बदलने का प्राविधान

*2—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में ट्रान्सफार्मरों का एक माह में कितना उत्पादन होता है ? कितने ट्रान्सफार्मर प्रदेश के बाहर से क्रय किये जाते हैं ? क्या यह सही है कि ट्रान्सफार्मर खराब होने पर महीनों तक दूसरा ट्रान्सफार्मर उपलब्ध न होने के कारण लगाये नहीं जाते हैं ? यदि हां, तो एक सप्ताह से ज्यादा समय तक जो ट्रान्सफार्मर खराब रहते हैं क्या उन पर विद्युत् देय नहीं लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ट्रान्सफार्मरों का उत्पादन प्रदेश में निजी क्षेत्र में है । अतः इनके कुल उत्पादन की संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1987–88 में अब तक 4090 छोटे ट्रान्सफार्मर विद्युत् परिषद् द्वारा प्रदेश के बाहर से क्रय किये गये हैं ।

जी नहीं। ट्रान्सफार्मर खराब होने की स्थिति में उन्हें 30 दिनों में बदल देने का प्राविधान है। यदि किसी कारणवश खराब ट्रान्सफार्मर बदलने में 30 दिन से अधिक समय लगता है तो प्रभावित उपभोक्ताओं को न्यूनतम देय में छूट प्रदान की जाती है।

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(5वें बुधवार के लिये स्थगित)

मौरावां कस्बे एवं असोहा में सब-स्टेशन लगाये जाने की मांग

*4—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के मौरावां कस्बे में स्वीकृत 132 के0 बी0 ए0 का सबस्टेशन लगाये जाने में क्या कठिनाइयां हैं? क्या असोहा केन्द्र पर 33/11 के0 बी0 ए0 का स्टेशन लगाने में भी कुछ कठिनाइयां हैं? यदि हां, तो उन कठिनाइयों को दूर करने व पावर हाउस बनाने पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उन्नाव जिले में मौरावां कस्बे में 132 के0 बी0 का कोई सब-स्टेशन स्वीकृत नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है।

असोहा में भी 33/11 के0 बी0 का सब-स्टेशन स्वीकृत नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद जिले के दादरी तहसील में नलकूप लगाये जाने की मांग

*5—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जिले के दादरी तहसील जिसमें सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न होता है, में विश्व बैंक योजना के अंतर्गत नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*6—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*7—श्री अवधेश प्रसाद—

[दिनांक 2-3-88 को ता0 प्र0 सं0 17 द्वारा उत्तरित]।

*8—श्री सूर्यप्रताप शाही—

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

श्री एम0 के0 जैन, सहायक अभियन्ता, यांत्रिक, अलीगढ़ के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच

*9—कुंवर मानवेंद्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता, यांत्रिक (श्री एम0 के0 जैन), अलीगढ़ के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांचोपरान्त लगभग 90,000 (नब्बे हजार)

रुपये की वसूली के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के आदेश किये गये थे ? यदि हां, तो क्या श्री जैन से उपरोक्त धनराशि की वसूली न कर मात्र चेतावनी सचिव, सिंचाई द्वारा वर्ष 1984 में दी गयी ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है तथा उपरोक्त शासकीय धनराशि की वसूली किससे की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। अतः शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जनपद में बड़ा उद्योग स्थापित करने की मांग

*10--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या उद्योग मंत्री बलिया जनपद के पिछड़ेपन को देखते हुए व जनपद के युवकों में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के लिये जनपद में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बलिया जनपद, जो औद्योगिक पिछड़ेपन की दृष्टि से "बी" श्रेणी में आता है, में इस समय दो वृहत् उद्योग स्थापित हैं। इस जनपद हेतु किसी वृहत् उद्योग को स्थापित करने की कोई योजना वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है।

जनपद आगरा के ग्राम नसीलपुर में राजकीय नलकूप की लाइन से तार टूटने से हुई क्षति

*11--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम नसीलपुर में दिनांक 4 जनवरी, 1988 को करीब 12 बजे दिन राजकीय नलकूप 62 की ग्यारह हजार वोल्टेज की लाइन में तार टूटने पर काश्तकारों के निजी नलकूपों की लाइन पर गिर पड़ने से श्री बाबूलाल, श्री भारामल, श्री कल्याण सिंह के नलकूप की केबिल में आग लग गयी और श्रीमती जानकी देवी और श्रीमती शान्ति देवी एकदम जल गयी और घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया तथा 10 अन्य व्यक्ति बिजली के झटकों से घायल हुए ? यदि हां, तो क्या विद्युत् परिषद् ने क्षति पूर्ति की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य विद्युत् परिषद् को वर्ष 86-87 व 87-88 में हुआ घाटा

*12--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 86-87 व वर्ष 87-88 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को कितना घाटा हुआ। घाटे का कारण क्या है और इसको कैसे पूरा किया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

परिषद् को वर्ष 1986-87 में 76.24 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। उक्त घाटे के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं:--

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों को लागत से बहुत कम दर पर बिजली दिया जाना।

(2) कोयले की गुणवत्ता में कमी व अन्य कारणों से परिषद् की मशीनों की उत्पादन क्षमता कम होना।

(3) लाइन हानि का अधिक होना।

(4) कोयला, रेल भाड़ा तथा तेल मूल्यों में निरन्तर वृद्धि।

(5) बकाया राजस्व का वसूल न होना।

विद्युत परिषद में घाटा कम करने के सम्बन्ध में अनेक उपाय किये जा रहे हैं जिनमें से मुख्य निम्न हैं--

1--परिषद की पुरानी मशीनों का नवीनीकरण करके उनके उत्पादन क्षमता में सुधार किया जा रहा है।

2--प्रबन्ध एवं नियंत्रण में सुधार कर तापीय विद्युत् गृहों में स्वयं प्रयोग किये जाने वाली विद्युत् में कमी लायी गई है।

3--ईंधन व तेल की खपत को कम करने का निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है।

4--वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके लाइन हानियों में कमी करने के लिये एक बड़ी योजना बनाई गई है जिसमें एक विदेशी विशेषज्ञ संस्था का तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है।

5--राजस्व की चोरी कम करने व बकाया धनराशि वसूल करने प्रभावी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

6--अधिष्ठान व्यय पर कमी लाने के लिये परिषद् ने एक समिति नियुक्त की थी जिसमें अपना प्रतिवेदन परिषद को प्रस्तुत कर दिया है जिसके आधार पर विद्युत ताप गृहों के अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार जन शक्ति का मूल्यांकन कराकर आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को नई आने वाली परियोजनाओं में स्थानान्तरित करके प्रशासनिक व्यय भार में कमी करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

7--परिषद् में कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार कार्य हो रहा है ताकि प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् की वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे अभी नहीं बने हैं। नियमानुसार वार्षिक लेखे 30 सितम्बर तक पूर्ण किये जाने का प्राविधान है।

*13--श्री कुशल पाल सिंह--

[6वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

जनपद इलाहाबाद में पर्यटन स्थानों को विकसित करने के आश्वासन पर कार्यवाही की मांग

*14-श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या पर्यटन राज्य मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 86-87 के पर्यटन के बजट भाषण में प्रश्नकर्ता द्वारा इलाहाबाद जनपद के कौशाम्बी, भीटी उपरदहा, चन्द्र शेखर आजाद पार्क तथा मैक्फर्सन झील आदि के विकास का सुझाव अपने कटौती भाषण में देने पर उन्होंने इन सुझावों पर विचार करके विकसित करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो इन स्थानों के विकास हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी। यदि नहीं, तो क्यों?

कार्य राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

पश्चिमी यमुना नहर मेरठ जनपद में नियमित पानी की सप्लाई की मांग

*15—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में पश्चिमी जमुना नहर का रोस्टर क्या है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस नहर में सात सप्ताह में एक ही बार पानी छोड़ा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसको नियमित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेरठ जनपद में पश्चिमी जमुना नहर नहीं है अपितु पूर्वी यमुना नहर की नहर प्रणाली है। इस प्रणाली के रबी व खरीफ वर्ष 1987–88 के रोस्टर माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई के कक्ष में रख दिये गये हैं जिसे माननीय सदस्य सुविधानुसार देख सकते हैं।

इस प्रणाली में वर्ष 1987–88 की खरीफ फसल में 1 से 3 सप्ताह तक प्रतिमाह तथा रबी फसल में अधिकांश नहरों में 1 से 2 सप्ताह तक प्रतिमाह पानी छोड़ा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। क्योंकि यमुना नदी में पूरे समय आवश्यकता अनुरूप जल उपलब्ध नहीं है।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*16—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनका स्थायीकरण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार ऐसा करना संभव नहीं है।

मेरठ शहर में जहरीली शराब पीने से हुई मृत्यु की शासन द्वारा जांच एवं कृत कार्यवाही

*17—श्री मित्रसेन—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ शहर में 1980 में जहरीली शराब पीने से अनेक लोगों की हुई मृत्यु की जांच शासन ने कराई थी जिसकी रिपोर्ट शासन को मिल गयी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेसर्स गोयल मेडिकल स्टोर्स, खैरनगर, मेरठ जिसके पास डिनेचर्ड स्प्रिट फुटकर बिक्री का एफ0 एल0–17 का अनुज्ञापन था, के द्वारा मिथाइल युक्त स्प्रिट बेची गई थी, जिसके पीने से कई लोगों की मृत्यु हुई थी, जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 को उक्त अनुज्ञापन को निलम्बित कर दिया गया।

मेसर्स गोयल मेडिकल स्टोर्स के मालिक श्री योगेन्द्र कुमार अनुज्ञापी एफ0 एल0–17, उनके भाई विनोद कुमार तथा नौकर नत्थूराम पुत्र चेतराम के विरुद्ध धारा 328/304 आई0 पी0 सी0 तथा धारा–27 ड्रग्स ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है

मेसर्स गोयल स्टोर्स, एफ0एल0-17 अनुज्ञापी से नियमों का कड़ाई से पालन न कराने एवं शिथिल नियंत्रण के लिये संबंधित आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही कर ली गई है। तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्वी तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित परियोजनायें

*18—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में नलकूप सफल न होने की घोषणा कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए वैकल्पिक साधनों की योजनायें बनाई गई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। कर्वी तहसील के ग्राम सुरावल में एक नलकूप निर्माणाधीन है। इस तहसील के अन्तर्गत 10 क्यूसेक क्षमता की लमियारी पम्प नहर तथा 5 क्यूसेक क्षमता की लोदहा पम्प नहर का निर्माण हो रहा है।

कर्वी तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित सिंचाई परियोजनायें भी प्रस्तावित हैं :

1—पैसुनी नदी पर—पैसुनी नहर परियोजना (आल्टरनेटिव)।

2—यमुना नदी पर—चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता वृद्धि योजना।

उ0 प्र0 खनिज विकास निगम द्वारा पत्थर आपूर्ति

*19—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी विभागों में पत्थर आपूर्ति उ0 प्र0 खनिज विकास निगम द्वारा कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या निगम यह कार्य ठेकेदारों से करायेगी अथवा स्वयं करेगी ? यदि ठेकेदारों द्वारा कार्य होना है तो सार्वजनिक कोष पर अतिरिक्त व्यय भार बढ़ाने का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

आपूर्ति में कई स्तर होते हैं। जिसमें खनन स्थल पर ब्लास्ट करने से लेकर कार्य स्थल पर पत्थर पहुंचाना तक सम्मिलित है इस प्रक्रिया में जो कार्य निगम नहीं कर सकता, विशेषकर ढुलाई का, वह निर्धारित दर पर निजी माध्यमों से कराता है।

सार्वजनिक कोष पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि निगम को भुगतान अनुसूचित/सहमत दरों पर ही होता है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा हिन्डालको तथा रेनुसागर पावर हाउस को दिये जाने वाले पानी की रेट में बढ़ोतरी की मांग

20—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 25 वर्ष पूर्व उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् के अधिकारियों द्वारा एक रुपया में एक हजार गैलन पानी बिरला के रेनुसागर पावर

हाउस तथा हिन्डालको कारखाने को देने का अनुबन्ध किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुबन्ध को तोड़कर बिरला के रेनुसागर पावर हाउस एवं हिन्डालको को दिये जाने वाले पानी के रेट में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। 25 वर्ष पूर्व रिहन्द पावर हाउस एवं उसका जलाशय राज्य सरकार के अधीन था इसलिये राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा उसके पानी बेचने के अनुबन्ध किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

1 अप्रैल, 1965 से राज्य सरकार ने रिहन्द पावर हाउस और उसका जलाशय राज्य विद्युत परिषद् को हस्तान्तरित कर दिया और उसके उपरान्त राज्य विद्युत परिषद् ने रेनूसागर को पानी देने के लिये फरवरी, 1966 से 10,000 गैलन प्रति रुपये की दर से 10 वर्ष का अनुबन्ध किया।

पुराने आदेश/एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होनेके बाद समय-समय पर दरों का पुनरीक्षण करके उसमें बढ़ोत्तरी की जा चुकी है। वर्तमान समय में हिन्डालको को प्रति रुपया 4280 गैलन पानी तथा रेनुसागर पावर कम्पनी को प्रति रुपया 1200 गैलन पानी दिया जा रहा है। भविष्य में भी आवश्यकतानुसार दर पुनरीक्षित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में मूर्तियों के रखने हेतु इमारत का निर्माण

1—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार की जानकारी में है कि मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में मूर्तियों के रखने के लिए स्थान की कमी को देखते हुए क्या शासन अविलम्ब मूर्तियों को रखने हेतु उपयुक्त इमारत बनवाने का कष्ट करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संग्रहालय की वीथिकाओं के विस्तार के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये आगणन के आधार पर स्वीकृति की प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है।

निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों को दी गयी भूमि तथा उसके लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या

2—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा प्राधिकरण ने कुछ विद्यालयों को 75 रु0 प्रति मीटर के हिसाब से भूमि दी है ? यदि हां, तो इस प्रकार भूमि प्राप्त करने के लिये कितने विद्यालयों ने आवेदन दिया था तथा उनमें से कितने विद्यालयों का चयन किया गया है ? चयन के क्या मानक है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नोएडा द्वारा कुछ विद्यालयों को 75 रु0 वर्ग मीटर की दर से भूमि दी गई है।

सन् 1984 में एक विद्यालय ने आवेदन-पत्र दिया तथा उसका चयन किया गया। सन् 1985 में 27 विद्यालयों ने आवेदन दिया। उसमें से 5 विद्यालयों का चयन किया गया। दिसम्बर, 1986 में निकाली गयी योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15 जनवरी, 1987 थी। इसके अन्तर्गत 75 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा एक का चयन हुआ।

चयन के मुख्य मानक हैं, संस्था का पंजीकृत होना, उनका शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन का अनुभव, वित्तीय स्थिति, शुल्क संरचना, समाज के निम्न वर्ग को शुल्क में मुक्ति संबंधी विवरण आदि।

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वैधानिक दायित्व

3--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण है? यदि हां, तो क्या औद्योगिक प्राधिकरण को नगर प्रशासन चलाने का अधिकार प्राप्त है तथा नगर प्रशासन हेतु किसी विशेष संस्था की उत्पत्ति करना भी प्राधिकरण के अधिकार में है? यदि नहीं, तो बुच कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त करने एवं उसे लागू कराने का क्या औचित्य है?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां। नोएडा एक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है।

नोएडा का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 में उल्लिखित उद्देश्यों की व्यवस्था हेतु किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना उसका वैधानिक दायित्व है। प्राधिकरण द्वारा अपना दायित्व निर्वाह करने के प्रयोजन से किसी विभाग/अनुभाग को गठित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

बुच कमेटी के रिपोर्ट नगर प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की संस्तुति है, जो प्राधिकरण द्वारा अपने मार्गदर्शन हेतु प्राप्त की गयी है।

जनपद सीतापुर के ग्राम संघना में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण की मांग

4--श्री राम कृष्ण--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर संघना में सब स्टेशन हेतु स्वीकृत पोल 10 वर्षों से गड़े हुए हैं? यदि हां, तो किन कारणों से सब-स्टेशन नहीं बन रहा है और कब तक बना दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जनपद सीतापुर के ग्राम संघना में एक विद्युत उपकेन्द्र बनाने के लिये लाइन का निर्माण किया गया था परन्तु उपकेन्द्र के निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि न मिलने के कारण उक्त सब-स्टेशन का निर्माण नहीं किया जा सका यद्यपि इस दिशा में सतत प्रयास किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होने पर इस सब-स्टेशन के निर्माण हेतु कार्यवाही संभव हो सकेगी।

ग्राम बेनीगंज में विद्युत करेन्ट लगने से हुई मौतों का शासन द्वारा की गयी क्षतिपूर्ति

5--श्री राम कृष्ण--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत करेन्ट लगने से ग्राम बेनीगंज थाना मछरेहटा, सीतापुर की वृद्धा तथा दो बैलों की मृत्यु सन् 1986 में हुई थी जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु शासन द्वारा कोई सहायता दी गई है? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मृतक के आश्रितों को एक हजार रुपये की धनराशि अन्तरिम अनुग्रह क्षतिपूर्ति के रूप में दे दी गयी है । बैलों की क्षति के सम्बन्ध में अभी कोई सहायता नहीं दी गयी है आवश्यक प्रपत्र प्राप्त होते ही परिषद् द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद वाराणसी के ग्रामों का विद्युतीकरण

6--श्री मूलचन्द--

क्या ऊर्जा मंत्री वाराणसी जनपद के विधान सभाई क्षेत्र भदोही औद्योगिक वि0 खण्ड सुरियावां औराई, ज्ञानपुर के प्रत्येक ग्राम का विद्युतीकरण कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । फरवरी, 1988 तक जनपद वाराणसी के विधान सभाई क्षेत्र भदोही, औद्योगिक विकास खण्ड, भदोही सुरियावां, औराई, ज्ञानपुर के क्रमशः 262 में 213, 212 में 154, 290 में 183 व 219 में 158 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण धन एवं सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

7--श्री अफजाल अन्सारी--

(5वें बुधवार के लिये स्थगित)

जनपद गाजीपुर के ग्राम वीरपुर में वीरपुर पम्प नहर की क्षमता बढ़ाने की मांग

8--श्री अफजाल अन्सारी--

क्या सिंचाई मंत्री जनपद गाजीपुर, तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम वीरपुर में स्थित 50 क्यूसेक क्षमता वाली वीरपुर पम्प कैनाल, जो उस क्षेत्र के किसानों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाती है, की क्षमता बढ़ाने के विषय में विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक विभागीय अधिकारियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी व योजना बनाने हेतु सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वीरपुर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के ग्राम सकारपार में स्थित नलकूप के सम्बन्ध में ली गई भूमि का मुआवजा दिया जाना

9--श्री हरिश्चन्द, हरीश जी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ग्राम सकारपार में स्थित नलकूप नम्बर 91 और उससे सम्बन्धित नाली किन-किन खाता नम्बर में स्थित है ? क्या सम्बन्धित खातों का मुआवजा भू-स्वामियों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बस्ती जिले के ग्राम सकारपार में स्थित राजकीय नलकूप सं0 91 बांसी समूह चक नं0 272 एवं सम्बन्धित नाली चक नं0 273, 274, 275, 276, 277, 278, 206, 207, 210,

211, 220, 221, 272, 270, 263 एवं 262 में तथा ग्राम मदावल बुजुर्ग के चक नं0 3, 4, व 6 तथा ग्राम मदावल खुर्द के चक नं0 152, 153 एवं 155 में स्थित है ।

जी नहीं ।

इसके मुआवजे का प्रकरण विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, बस्ती को भेजा गया है । भूमि अध्यापित की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा ।

बस्ती में ककरही गोनहा बांध पर मिट्टी का कार्य कराने सम्बन्धी भुगतान

10—श्री धनराज यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड, बस्ती में ककरही गोनहा बांध पर वर्ष 1978 तथा 1979 में कि0 मी0 2 से 3 तक में मिट्टी का कार्य कराया गया था ? कार्य कराने वाले ठेकेदारों में श्री स्वामी नाथ, एग्रीमेन्ट नं0 42 ने भी कार्य कराया था जिसका रनिंग पेमेन्ट हो चुका है ? यदि हां, तो प्रश्नगत मामले का फाइनल पेमेन्ट कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां अनुबन्ध संख्या 42/ए0 ई0—111—78—79, दिनांक 2 फरवरी, 1979 द्वारा ककरही—गूनहा जमींदारी बांध पर वर्ष 1979 में मिट्टी का कार्य कराया गया था । प्रश्नगत कार्य का प्रथम व द्वितीय रनिंग पेमेन्ट किया गया है । ठेकेदार को उक्त कार्य के फाइनल पेमेन्ट की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है जो मार्च, 1988 के अन्त तक कर दिया जाना है ।

बस्ती जिले की नगरपालिका खलीलाबाद में श्री राम हरख के मकान से शराब की दुकान हटवाने की मांग

11—श्री धनराज यादव—

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले की नगरपालिका खलीलाबाद के घनी आबादी में श्री राम हरख के मकान में शराब की दुकान है एवं उसी मकान में आधे भाग में मकान मालिक का परिवार भी रहता है, और इस दुकान को सघन बस्ती से हटवाने के लिये खलीलाबाद की जनता ने आन्दोलन किया था ? क्या यह भी सही है कि शराब की उक्त दुकान हटवाने के लिए मा0 अफसर, यू0 अहमद विधायक एवं प्रश्नकर्त्ता ने जिलाधिकारी बस्ती एवं माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो जन प्रतिनिधियों की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए एवं जनभावना का आदर करते हुए क्या उक्त शराब की दुकान को हटवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

खलीलाबाद देशी मदिरा की दुकान वर्तमान परिसर में लगभग 10 वर्षों से मकान मालिक श्री राम हरख की रजामन्दी से चल रही है । इसके बगल में श्री राम हरख का रिहायशी मकान है जिसका रुख मुख्य सड़क की ओर है, जब कि प्रश्नगत देशी मदिरा की दुकान का रुख मुख्य सड़क की ओर न होकर पश्चिमी तरफ लगभग 20 फुट लम्बे गलियारे में है । राम हरख को इससे कोई असुविधा नहीं है और उसने दुकान को अन्यत्र हटाने के लिये कोई आवेदन—पत्र नहीं दिया है । परन्तु भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भी अप्रैल, 87 में इस संबंध में परगनाधिकारी, खलीलाबाद को एक ज्ञापन दिया गया था ।

श्री अफसर यू0 अहमद, विधायक, मेहदावल का पत्र दिनांक 3—4—87 तथा श्री धनराज यादव, विधायक, नौगढ़ का पत्र दिनांक 4—5—87 शासन को प्राप्त हुए हैं ।

विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश के जनपदों के आवंटित नलकूपों की संख्या

12—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कितने नलकूप लगाये जाने की योजना है और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कितने-कितने नलकूप आवंटित किये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तहसील हंडिया, इलाहाबाद को इस वर्ष कितने नलकूप आवंटित किये गये हैं और यह कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1987-88 में उत्तर प्रदेश में जनपद प्लान के अन्तर्गत 159 राजकीय नलकूप राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 163 अतिरिक्त राजकीय नलकूप एवं विश्व बैंक परियोजना (द्वितीय फेज) के अन्तर्गत 200 नलकूप लगाये जाने की योजना है जिनका जनपदवार विवरण संलग्न है।

इलाहाबाद जनपद में वर्ष 1987-88 में 4 राजकीय नलकूप जिला प्लान के अन्तर्गत तथा 27 राजकीय नलकूप स्टेट प्लान के अन्तर्गत लगाने की योजना है। उक्त 27 नलकूपों में से 2 नलकूप हंडिया तहसील के ग्राम बसनेहटा तथा प्रतापपुर कलां में 31 मार्च, 1988 तक लगाया जाना प्रस्तावित है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ————————पर)।

विद्युत् परिषद् की बकाया धनराशि वसूल करने हेतु सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

13—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 87 तक विद्युत् परिषद् का कितना रुपया बकाया है और उसे वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

31 मार्च, 1987 तक उत्तर प्रदेश राज विद्युत् परिषद् का उपभोक्ताओं पर लगभग 266.92 करोड़ रुपया बकाया है।

बकायों की वसूली के लिये परिषद् निरन्तर प्रयत्नशील है और किये गये प्रयासों का विवरण निम्न है—

1—परिषद् ने क्षेत्रीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि जिन उपभोक्ताओं पर विद्युत् देय शेष है, उनके विद्युत् विच्छेदन हेतु अभियान चलाया जाय। बड़े-बड़े शहरों में कैम्प लगाकर बिलों को ठीक करने व वसूल करने की कार्यवाही की जाय।

2—जल संस्थानों/जल निगम/स्थानीय निकायों से तथा सिंचाई विभाग से शासन स्तर पर वसूली के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

3—विभिन्न प्रदेशों के राजकीय उपभोक्ता (विद्युत् परिषदों) पर लगभग 9,34 करोड़ रुपया शेष है। इस संबंध में वसूली प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

4—निजी व म्युनिसिपल लाइसेन्सधारियों, जिन पर 2,38 करोड़ रुपया शेष है, के

अधिकांश मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं और परिषद् प्रयास कर रही है कि इनका शीघ्र निपटारा कराया जाय।

5—जो उपभोक्ता विच्छेदन के उपरान्त भी विद्युत् देयों का भुगतान नहीं करते उनसे वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूलने की कार्यवाही की जाती है।

ऊंचाहार, टाण्डा एवं आनपारा विद्युत् परियोजनायें तैयार करने में हुये विलम्ब का कारण

14—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊंचाहार, टाण्डा एवं आनपारा विद्युत् परियोजनायें कब तक तैयार होनी थी और कब तक तैयार होंगी ? समय बढ़ने से कितना अधिक व्यय हुआ इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद में अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन बिछाने की योजना के आदेशों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग।

15—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप संख्या 83 पी0, इलाहाबाद में एक व्यक्ति विशेष की तीन एकड़ जमीन पर सिंचाई के लिये अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन बिछाने की योजना है ? यदि हां, तो इस योजना पर सरकार कितना धन व्यय करेगी और यह पाइप लाइन किस अधिकारी के आदेश से बिछाई जा रही है ? क्या मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पडरौना ड्रेन एवं सिकरा बावल पट्टी ड्रेन पर मछली मारने का अन्यायोचित कार्य

16—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मंत्री को आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा शाखा, उत्तर प्रदेश के संस्थापक का पत्र दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 प्राप्त हुआ है जो पडरौना ड्रेन एवं सिकटा बावल पट्टी ड्रेन पर बन्धा बांध कर मछली मारने का अन्यायोचित कार्य को मना करने से सम्बन्धित है ? क्या मंत्री जी जनहित में कृषि क्षति एवं जल भराव की समस्या को देखते हुये वांछित मांगों पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस नाले में मछली मारने हेतु जो नीलामी की जाती है उसकी शर्तों के अनुसार मछली मारने हेतु ड्रेन के अन्दर बन्धा व ठेका लगाने की अनुमति नहीं है तथा उल्लंघन करने पर नार्दर्न इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रबन्ध है ताकि क्षेत्र को कोई हानि न हो ।

पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके अभाव में मांगों पर कार्यवाही नहीं हो पाई है ।

पडरौना नाले में मछली मारने हेतु बने बन्धे से हुई क्षति की अधीक्षण अभियन्ता गण्डक नहर विभाग द्वारा की गयी जांच ।

17—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि संस्थापक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा के पत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 1984 के पैरा 3 में अधीक्षण अभियन्ता, गण्डक नहर विभाग, मण्डल 3 के माध्यम से जांच करायी गयी और पाया गया कि पडरौना नाले में किसी प्रकार का मछली मारने का बन्धा नहीं बंधा था न किसी प्रकार की क्षति का वर्णन है जब कि पूर्व की भांति अब भी (माह अगस्त, 1986) से बन्धा लगाकर पिपरासी बांध टूटने का अप्रत्याशित अधिक वर्षा से जल निकास बाधित होने की आशंका बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण विवरण को मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं, अगस्त, 1986 में पिपरासी बांध टूटने की प्रत्याशा या अधिक वर्षा में कोई जल निकास बाधित नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के पडरौना ड्रेन पर निर्मित पुल के दोनों ओर के ढालों को ठीक कराने की मांग ।

18—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद देवरिया के पडरौना तहसील स्थित श्रीपति खण्ड एवं जमुनिया के बीच पडरौना ड्रेन पर निर्मित पुल के दोनों किनारों के ढाल पर आवश्यक मात्रा में अब तक मिट्टी न पड़ने से आवागमन में व्यापक बाधा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर अविलम्ब निर्मित पुल के दोनों अपूर्ण ढालों को ठीक करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद देवरिया के पडरौना तहसील स्थित ग्राम श्रीपति खण्ड एवं जमुनियां के बीच पडरौना ड्रेन पर निर्मित पुल के दोनों तरफ रैम्प का कार्य पूर्ण हो चुका है । जहां तक आवागमन में बाधा का प्रश्न है जांचोपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि यह रैम्पस के कारण न होकर रैम्पस तक समुचित पहुंच मार्ग न होने के कारण है । यह ग्रामीण पथ है जिसका निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता है । जिलाधिकारी, देवरिया से इस मार्ग को ठीक कराने का अनुरोध किया जा चुका है ।

जनपद फैजाबाद के मीटी ब्लाक की जनता को मीटी में ही बिजली का बिल जमा करने की सुविधा दिया जाना ।

19—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के मीटी ब्लाक की जनता को मीटी में ही बिजली का बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु माननीय प्रमोद कुमार तिवारी, राज्य मंत्री ऊर्जा एवं पर्यटन को सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का दिनांक 8 जनवरी, 1987 का 'पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उक्त सुविधा उपभोक्ताओं को कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर बलिया, रसड़ा, बिल्थरा एवं सिकन्दरपुर में बिजली की चोरी ।

20—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में सब डिवीजन नगर बलिया, नगर रसड़ा, नगर बिल्थरा रोड, नगर सिकन्दरपुर में वर्ष 1985–86 व 1986–87 में कितनी-कितनी बिजली की चोरी पकड़ी गयी और उसके लिये जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

21—श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

लखीमपुर खीरी के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के आरोपों की जांच ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

22—क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29 सितम्बर, 1987 से 12 अक्तूबर, 1987 के बीच विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम), लखीमपुर खीरी के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के गम्भीर आरोपों से युक्त श्री राम कुमार गुप्त, निवासी औयल लखीमपुर खीरी का कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ मिला है ? यदि हां, तो उनकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो किससे तथा क्या तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा जांच की जा रही है । जांच आख्या अभी तक प्रतीक्षित है ।

जिला सीतापुर, ग्राम नेवादा में मृतक श्री रामेश्वर प्रसाद के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिया जाना ।

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नेवादा प्रेम सिंह, ब्लाक परसेंडी, थाना कोतवाली, जिला सीतापुर में दिनांक 4 अक्तूबर, 1986 को खेत में बिजली का टूटा पड़ा तार छू जाने से रामेश्वर प्रसाद की मृत्यु हो गई थी ? क्या उनके आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता दी गई ? क्या और कुछ दिया जाना शेष है ? यदि हां, तो शेष कितना धन देना है तथा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मृतक श्री रामेश्वर प्रसाद के आश्रितों को रुपये एक हजार की अन्तरिम अनुग्रह क्षतिपूर्ति दे दी गयी है । अनुग्रह क्षतिपूर्ति की शेष धनराशि के बारे में विद्युत परिषद् को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशित कर दिया गया है ।

नोएडा द्वारा व्यक्तिगत विद्यालयों को दी गयी भूमि की दर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नोएडा को स्वीकृत ऋण एवं विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या ।

24—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा में कितने व्यक्तिगत विद्यालयों को एक रुपया प्रति मीटर के हिसाब से भूमि दी है ? क्या यह सही है कि नोएडा द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, नोएडा को लाखों रुपया ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? इन विद्यालयों में नोएडा के कितने और दिल्ली के कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नोएडा ने तीन व्यक्तिगत विद्यालयों को एक रुपये प्रति मीटर के हिसाब से भूमि दी है ।

नोएडा द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, नोएडा को ब्याज मुक्त ऋण नहीं अपितु रुपये दस लाख ऋण भवन, निर्माण हेतु 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकार किया गया है । नियत समय पर भुगतान किये जाने पर ब्याज दर में 4 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन विद्यालयों में नोएडा और दिल्ली के विद्यार्थियों की अलग -अलग संख्या उपलब्ध नहीं है ।

ग्राम याकूबपुर, गुलावली, जटटा, बदौली, कामनगर कोडली के किसानों की भूमि एवं फसल के मुआवजे के भुगतान की मांग

25—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम याकूबपुर, गुलावली, जटटा, बदौली, कामनगर कोडली के किसानों की भूमि एवं फसल का मुआवजा जो जिला गाजियाबाद एवं बुलन्दशहर में पड़ने वाले यमुना बांध के लिये ली गयी थी, जिसका मुआवजा सन् 1983 से सिंचाई विभाग पर बकाया है, का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा इसी प्रकार हिण्डन नदी के किनारे बने बांध हेतु ग्रामीणों से ली गयी मिट्टी व फसल का मुआवजा कब तक दे दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1982 से 1986 तक यमुना नदी के बायें किनारे पर निर्मित यमुना तटवर्तीय बांध के निर्माण हेतु ग्राम याकूतपुर (याकूबपुर नहीं) गुलावली, अटूटा, बदौली, रामनगर एवं कोडली की भूमि ली गई थी। सिंचाई विभाग ने जनपद गाजियाबाद एवं जनपद बुलन्दशहर के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को क्रमशः 15 लाख व 24.5 लाख रुपये का मुआवजा प्रतिकर बांटने हेतु मार्च, 1985 में कर दिया था। भूस्वामियों को प्रतिकर भुगतान किये जाने की प्रक्रिया विशेष कार्याधिकारी के स्तर पर प्रगति में है।

इस बांध के निर्माण में इन ग्रामों की फसल का नुकसान नहीं हुआ, अतएव फसल का मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्डन नदी के किनारे हिन्डन तटवर्तीय बांध का निर्माण वर्ष 1977–78 में किया गया था। इस बांध के निर्माण हेतु ग्रामों से ली गई मिट्टी व फसल का मुआवजा क्रमशः रु0 39,578.00 व 53,204.00 कृषकों को बांटा जा चुका है।

26—श्री महेन्द्र भाटी—

(दिनांक 30 दिसम्बर, 1987 को अता0 प्र0 सं0 75 द्वारा उपस्थित)।

जिला गाजियाबाद ग्राम चिपयाना के डासना ड्रेन पर पुल निर्माण का प्रस्ताव

27—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चिपयाना, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद के निकट बहने वाले डासना ड्रेन पर ग्रामवासियों के लिए कोई पुल है? यदि नहीं, तो क्या उक्त पुल के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम चिपयाना, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद के निकट बहने वाले डासना नाले पर ग्रामवासियों के द्वारा नाले को पार करने हेतु वर्ष 1985–86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत एक रपटे (काजवे) का निर्माण करा दिया गया है। इस स्थल पर पुल बनाने का प्रस्ताव डासना नाले के पुनरोद्धार की योजना में प्रस्तावित है। इस योजना का अनुमोदन राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा किया जाना है।

नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत प्रति नियुक्त अधिकारियों की संख्या

28—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा प्राधिकरण में कितने अधिकारी प्रति नियुक्ति पर काम कर रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नोएडा प्राधिकरण में वर्तमान में तीन अधिकारी बाह्य सेवा पर तथा 36 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

झांसी जिले के गुरसराय उपकेन्द्र पर एक ट्रान्सफार्मर स्थापित किये जाने की योजना

29—कुंवर मनवेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के गुरसराय उपकेन्द्र पर एक डेढ़ एम0 वी0 ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने, जिसका एस्टीमेट भी

स्वीकृत है, की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या इस पर विचार कर इसे कार्यान्वित कराने के आदेश करेंगे ? साथ ही क्या मंत्री जी अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित कराने के साथ ही शहरी विद्युत लाइन एवं पेयजल आपूर्ति एक पर तथा शेष दूसरे पर कराने के भी आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

यह कार्य मार्च, 1988 के अन्त तक कराये जाने की आशा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित हो जाने पर शहरी व पेयजल आपूर्ति एक स्वतंत्र फीडर बनाकर किया जाना प्रस्तावित है जिससे यह आपूर्ति अधिक सुचारुरूप से की जा सकेगी।

गोकुल (मथुरा) में चयनित गांवों का विद्युतीकरण

30--श्री सरदार सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र गोकुल (मथुरा) में विद्युतीकरण के लिये चयनित गांव वर्ष 87-88 में विद्युती कृत नहीं किये जा सके हैं ? यदि हां, तो शासन दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा शासन अब कब तक चयनित गांवों को विद्युतीकृत कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। विद्युतीकरण हेतु चयनित 8 गांवों में से 4 ग्रामों का विद्युतीकरण फरवरी, 1988 तक हो चुका है। शेष 4 ग्रामों में उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन हेतु धन जमा न करने के कारण उनका विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है। अस्तु किसी अभियन्ता के दोषी होने व उसके खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है। चयनित अवशेष 4 ग्रामों का विद्युतीकरण, उपभोक्ताओं द्वारा धन जमा करने व सामान की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद मेरठ, ग्राम रटौल में प्राप्त मूर्तियों का राजकीय संग्रहालय, मथुरा को हस्तांतरण

31--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 14-5-87 का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ जिसमें जनपद मेरठ के विकास खण्ड, खेकड़ा को ग्राम रटौल में बाल्मीकि के घर में हैन्ड पम्प लगाने हेतु खुदाई करते समय लाखों रुपये की प्राचीन मूर्तियां प्राप्त होने का उल्लेख था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद मेरठ के विकास खंड खेकड़ा के ग्राम रटौल में प्राप्त मूर्तियों को राजकीय संग्रहालय, मथुरा को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जिले में सोनपुर लिफ्ट कैनाल में पानी न चलने से धान की फसल को नुकसान

32—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में सोनपुर लिफ्ट कैनाल में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, 1987 में पानी न चलने से धान की रोपाई न होने पर कितनी फसल का नुकसान हुआ ? नहर नियमित और पूरी क्षमता से न चलने के क्या कारण थे ? क्या यह सही है कि विद्युत् ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने के कारण कई बार विद्युत्-मोटर जल गयी थी ? क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री के बांदा आगमन पर विधायकों ने उक्त नहर के न चलने की शिकायतें की थी? क्या मुख्य मंत्री जी के मौखिक आदेश के बावजूद आज तक नहर सही ढंग से नियमित रूप से नहीं चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? उसके लिये कौन दोषी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

इलाहाबाद जिले के चिलौंडा गांव के किसानों की नहर निर्माण हेतु ली गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

33—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील फूलपुर के चिलौंडा गांव के 65 किसानों की जमीनें 21-1-78 में शारदा सहायक खंड 30 में नहर निर्माण हेतु ली गयी थीं और वर्ष 78 में ही खुदाई का कार्य भी समाप्त हो गया था ? यदि हां, तो किसानों द्वारा कई बार अनुरोध करने के बावजूद उन्हें मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण हैं ? विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण प्रतिकर का वितरण नहीं हो सका है । प्रारम्भिक जांच पूर्ण कराकर व जिलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा कर धारा 4 (1) की विज्ञप्ति का प्रकाशन करा लिया गया है तथा धारा 6 (1) की विज्ञप्ति प्रकाशन के लिये सिंचाई निदेशालय से अधिसूचना पत्र, दिनांक 24 जून, 1987 द्वारा जारी कर निदेशक, राजकीय प्रेस को भेजी जा चुकी है । राजकीय गजट में प्रकाशन के बाद प्रतिकर प्रपत्र तैयार करके भूमि प्रतिकर वितरण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा की जायेगी ।

34—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

(5 वें बुधवार के लिये स्थगित)

उन्नाव जिले के पुरवा कस्बे का निर्माणाधीन पावर हाउस

35—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा कस्बे के निर्माणाधीन पावर हाउस के निर्माण में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र राज्य मंत्री, ऊर्जा को माह दिसम्बर, 1987 में मिला है ? क्या यह सच है कि मंत्री जी ने उक्त पत्र पर तहसील केन्द्र के

पावर हाउस को महत्व देने व तत्काल निर्मित कराने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो अब भी पावर हाउस बनाये जाने में विलम्ब क्यों हो रहा है ? क्या इसी संदर्भ में ऊर्जा मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र जिसकी प्राप्ति माननीय मंत्री ने पत्र संख्या 719 एम/एम/ई/87, दिनांक 26 मई, 1987 द्वारा की है पर हुई कार्यवाही का विवरण देने की कृपा करेंगे ? क्या मंत्री जी कृपया यह जानकारी देंगे कि पावर हाउस कब तक बन जाना चाहिये था और समय पर न बन सकने के लिये दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्रश्नगत पत्र राज्य विद्युत् परिषद् को भेजा गया था, जहां वह उपलब्ध नहीं है ।

पुरवा उप केन्द्र का कार्य तो पूर्ण हो चुका है परन्तु इस उप केन्द्र को चालू करने के लिये 25 कि0मी0 लम्बी सोनिका से पुरवा तक 33 के0वी0 लाइन का कार्य रेकून कन्डक्टर के अभाव में पूर्ण होना शेष है । कन्डक्टर का प्रबन्ध किया जा रहा है । पुरवा उप केन्द्र का कार्य 1986–87 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था । अब इसे 1987–88 में चालू करने का प्राविधान है । विलम्ब के लिये कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है ।

कानपुर विद्युत् प्रदेय प्रशासन, कानपुर में अलग-अलग संवर्गों में दीर्घकाल से नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग ।

36—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन में अवर अभियन्ता तथा उससे ऊपर के कितने अधिकारी (अलग-अलग संवर्गों में) 8 वर्षों से अधिक समय से नियुक्त हैं ? उनको इतने लम्बे अवधि तक एक स्थान पर नियुक्त रखने का कारण क्या है ? इन अधिकारियों/कर्मचारियों के दीर्घकाल के नियुक्ति अवधि को देखते हुये क्या मंत्री जी इनका सामूहिक रूप से स्थानान्तरण का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कानपुर विद्युत् प्रदेय प्रशासन, कानपुर में 51 अवर अभियन्ता, 10 सहायक अभियन्ता तथा 7 अधिशासी अभियन्ता 8 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

केसा, कानपुर की कार्य प्रणाली तथा विद्युत् वितरण व्यवस्था अन्य बड़े नगरों से पूर्णतः भिन्न होने के कारण इसे संचालित करने हेतु अनुभवी तथा दक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता है । इन्हीं कारणों से उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी केसा में लम्बे समय से कार्यरत हैं और अच्छी विद्युत् सम्पूर्ति बनाये हुये हैं, यद्यपि कि इन्हें केसा की परिचालन, वितरण एवं वाणिज्य शाखाओं में समय-समय पर स्थानान्तरित किया जाता रहता है । इन अधिकारियों/कर्मचारियों का सामूहिक रूप से स्थानान्तरण करना सम्भव नहीं है क्योंकि इससे केसा के दैनिक कार्यकलापों तथा विशेष रूप से उपभोक्ताओं की विद्युत् आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है जो प्रशासनिक हित में न होगा ।

बस्ती जनपद के ड्रेनेज खण्ड प्रथम अन्तर्गत ग्रामों की नहरों तथा जलाशयों की क्षमता बढ़ाये जाने हेतु परियोजना

37—श्री धनराज यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 87 के पहले बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भूमिहीन ग्रामीण

रोजगार गारन्टी योजना में पुराने कार्य नहीं लिये जाते किन्तु यह पुराना होते हुये भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लोकहित का कार्य है, क्या शासन स्तर से यह कार्य विशेष वित्तीय व्यवस्था कराकर की जायेगी ? यदि हां, तो व्यवस्था कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत परियोजनायें जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को प्रेषित की गयी थी परन्तु यह योजनायें स्वीकृत नहीं हुई हैं तथा धन प्राप्त नहीं हुआ। इस कार्य के लिये सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत भी धन का मांग का गया था परन्तु पुरानी योजनायें होने के कारण उसमें भी धन प्राप्त नहीं हुआ है। इन सागरों तथा इनसे निकलने वाली नहरों की क्षमता वृद्धि एवं पुनरोद्धार हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर ही कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

गाजीपुर में कोयले के स्टोरेज एवं थोक बिक्री के लाइसेन्सों को निरस्त करना तथा नये लाइसेन्स देना

38--श्री अमिताभ अनिल दुबे--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर में कोयले के स्टोरेज एवं थोक बिक्री के लाइसेन्स जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से 1984-85 और 1986 के 31 मई, 1986 तक कितने लाइसेन्स रद्द किये गये हैं तथा इस बीच कितने लाइसेन्स दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि गाजीपुर के निवासियों के लाइसेन्स रद्द करके गाजीपुर के बाहर के लोगों को बड़ी संख्या में लाइसेन्स दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

आलोच्य अवधि 1984-85 एवं 31 मई, 1986 तक जनपद गाजीपुर में 27 थोक कोयला लाइसेन्सियों के लाइसेन्स निरस्त किये तथा 37 लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं।

जी नहीं। रद्द किये गये लाइसेन्सों में से 13 जनपद के निवासियों के तथा 14 लाइसेन्स जनपद के बाहरी लोगों के थे। परन्तु निर्गत किये गये लाइसेन्सों में से 13 लाइसेन्स जनपद के निवासियों के और 24 जनपद के बाहर के लोगों के हैं।

आलोच्य अवधि में कोयला नियंत्रण आदेश, 1977 के अन्तर्गत बाहर के लोगों को लाइसेन्स देने में कोई रोक नहीं थी।

लखनऊ-फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग के सआदतगंज प्राइमरी पाठशाला के पास राजकीय परिवहन निगम की बस से दुर्घटना में मृतकों को क्षतिपूर्ति दिया जाना

श्री राम सागर--

39--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग के सआदतगंज प्राइमरी पाठशाला के पास राजकीय परिवहन निगम (उत्तर प्रदेश) की बस नम्बर यू० एच०एक्स०-321 से दिनांक 15 अप्रैल, 1987 को दुर्घटना में तांगे वाले मुन्नू लाल उसकी घोड़ी तथा एक अन्य खड़खड़े की घोड़ी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी है और श्री राम चन्दर निवासी भिटिरिया ने दिनांक 5 मई, 1987 को माननीय मंत्री जी को प्रार्थना पत्र भेजकर दुर्घटना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके आवश्यक क्षति पूर्ति की मांग की है ? यदि हां, तो निगम ने इस दुर्घटना में कितने की क्षति पूर्ति की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

दिनांक 15 अप्रैल, 1987 को कथित मार्ग पर हुई दुर्घटना में श्री मुन्ना लाल उसकी घोड़ी तथा एक अन्य खड़खड़े की घोड़ी की मृत्यु हो गई।

श्री राम चन्दर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5 मई, 1987 शासन को प्राप्त नहीं हुआ है । श्री राम चन्दर, निवासी मिटिरिया, जिला बाराबंकी, जो मृतक मुन्ना लाल के भाई हैं ने फैजाबाद न्यायालय में एम0वी0 ऐक्ट की धारा 110-ए के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु वाद दायर किया है ।

न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी ।

इस प्रकरण में वाद मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है ।

बलिया जनपद के नगरीय सब-डिवीजनों एवं ग्रामीण सब-डिवीजनों में बिजली की चोरी से उपभोक्ताओं पर समान भार

40—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के नगरीय सब-डिवीजनों में अधिक बिजली की चोरी होती है तथा ग्रामीण सब डिवीजनों में कम बिजली की चोरी होती है लेकिन दोनों भागों के उपभोक्ताओं पर समान भार भुगतान में पड़ता है ? क्या सरकार बिजली की चोरी की समीक्षा कर अन्य पूरक भुगतान की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत् वितरण की अवधि नगरीय क्षेत्र से कम होती है, अतः विद्युत चोरी की अवस्था में समान भार पर जो मूल्यांकन होता है वह औसत आपूर्ति की अवधि के अनुसार नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से अधिक किया जाता है ।

अधीक्षण अभियन्ता (पब्लिक नलकूप निर्माण मण्डल), मुरादाबाद द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच

41—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता (पब्लिक नलकूप निर्माण मण्डल), मुरादाबाद द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित कोई पत्र दिनांक 14 मई, 1987 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इनका कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण करते हुये इनके क्रिया कलापों की जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पत्र शासन में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । यदि माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य प्रश्नगत पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दें तो उसमें उल्लिखित अनियमितताओं की जांच करा ली जायेगी । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

अतर्रा कस्बे से लखनऊ तक नियमित बस सुविधा दिया जाना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

42—क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र 271, दिनांक 27 जुलाई, 1987 बांदा के अतर्रा कस्बे से लखनऊ तक चलने वाले बस को नियमित अतर्रा तक चलाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

अतर्रा-लखनऊ बस सेवा कम लोड फैक्टर प्राप्त होने के कारण बन्द कर दी गयी थी ।

अतर्रा से बांदा तक निगम बसों से आकर लिंक सेवा के रूप में बांदा–लखनऊ सीधी बस उपलब्ध होती है । बांदा-अतर्रा के मध्य प्रतिदिन 16 फेरे तथा बांदा–लखनऊ के मध्य प्रतिदिन 3 अप, 3 डाउन फेरे संचालित हैं । इस प्रकार अतर्रा के यात्रियों को कोई असुविधा नहीं है ।

अतर्रा से लखनऊ तक सीधी यात्रा करने वाले किसी यात्री द्वारा उपरोक्त बस संचालन की अवधि में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गयी कि परिचालक द्वारा पहले उसे बांदा का टिकट दिया गया हो और फिर बांदा–लखनऊ का ।

कालिंजर से फैजाबाद के अयोध्या तक बस सुविधा दिया जाना

43—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 268, दिनांक 17 जुलाई, 1987 जनपद बांदा के दर्शनीय स्थान कालिंजर से फैजाबाद के अयोध्या तक रोडवेज बस सेवा चलाने के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई तथा क्या दो धार्मिक दर्शनीय स्थलों को बस सुविधा से जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

दिनांक 15 मार्च, 1988 से उक्त कालिंजर–फैजाबाद–अयोध्या बस सेवा प्रयोगात्मक रूप से संचालित कर दी जायेगी ।

सिंचाई विभाग में आरक्षित कोटे के अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नतियों की मांग

44—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ताओं के पद पर प्रोन्नत किये जाने की बात शासन के विचाराधीन है तथा आरक्षित कोटे के कई अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नति होनी है? यदि हां, तो प्रोन्नतियां क्यों नहीं की जा रही हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर प्रोन्नति द्वारा चयन करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है। श्रेष्ठता के मापदन्ड पर भरे जाने वाले प्रश्नगत पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिशासी अभियन्ताओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश संख्या 65/ दो–69–रा0 एकी, दिनांक 8–3–1973 के अनुसार रखी गयी है। चयन की कार्यवाही अभी सम्पन्न नहीं हुई है, अतः कोई पदोन्नतियां करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक खन्ड 25 के अधिशासी अभियन्ता पर बंगला खाली न करने का आरोप

45—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद में शारदा सहायक खन्ड 25 के अधिशासी अभियन्ता जिनका दो वर्ष पूर्व बहराइच स्थानान्तरण हो गया था, अब भी सिंचाई कालोनी, बाराबंकी स्थित सिंचाई विभाग के बंगले में काबिज हैं? यदि हां, तो बंगला खाली न कराये जाने तथा पेनल किराया न लिये जाने का क्या कारण है?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। स्थानान्तरित अधिशासी अभियन्ता द्वारा माह 2/1988 में प्रश्नगत आवास खाली कर दिया गया है।

किराया वसूल करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में पिछड़ेपन तथा गरीबी को दूर करने हेतु नये उद्योग-धन्धों की स्थापना एवं आवंटित धनराशि

46—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जो घोर पिछड़ेपन व गरीबी के शिकार हैं, के विकास के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में नये उद्योग धंधों की स्थापना के लिए प्राविधान है ? यदि हां, तो इनके लिए कुल कितनी धनराशि के आवंटन की व्यवस्था की गयी है और कौन-कौन उद्योग किन-किन जिलों में कितनी-कितनी लागत से स्थापित करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इनके लिये रु0 182 करोड़ के परिव्यय का प्राविधान है।

वांछित विवरण संलग्न* में सूची में दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अकबरपुर इकाई में काटन गोडाउन विभाग में रिश्वत लेकर नियुक्तियां किये जाने की जांच

47—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 19 जून, 1987 जिसका उत्तर प्रश्नकर्त्ता को अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2701/18-4-87-उद्योग अनुभाग-4, दिनांक 22 जुलाई, 1987 द्वारा दिया गया है, में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल-1 की जांच आख्या के जिस आधार पर आरोपों को निराधार बताया है, का ब्योरा क्या है और कौन-कौन आरोप असत्य हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी (नं0 1) की अकबरपुर इकाई में काटन गोडाउन विभाग में रिश्वत लेकर नियुक्तियों के प्रयास के आरोपों के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी नं0 1 द्वारा अनौपचारिक जांच की गई थी। जांच के दौरान तथ्यों एवं अभिलेखों का भी अध्ययन किया गया था। काटन गोडाउन विभाग में कोई नियुक्तियां नहीं की गई थी तथा आरोप सही नहीं पाये गये।

48—श्री अकबर हुसैन बाबर—

(दिनांक 15 मार्च, 1988 को अता0प्र0सं0 99 द्वारा उत्तरित)।

(देखिए नत्थी, 'घ' आगे पृष्ठ सं0 219 पर)।

बलिया जनपद में बिल्थरा रोड पर स्थित डिपो में नई गाड़ियां न दिये जाने तथा डीजल

49—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में बिल्थरा रोड में डिपो स्थापित होने तथा कर्मचारियों के योगदान होने के बावजूद नयी गाड़ियां न उपलब्ध कराये जाने तथा डीजल टंकी व कार्यशाला न स्थापित करने के क्या कारण हैं ? उक्त कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बलिया जनपद में बिल्थरा रोड में बस स्टेशन है । यहां डिपो बनाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 से बिल्थरा रोड बस स्टेशन से 12 शटल सेवायें चलायी जा रही हैं, जिसके संचालन हेतु 71 कर्मचारियों को तैनाती की गयी है । आवश्यकतानुसार बिल्थरा रोड बस स्टेशन को 4 नई गाड़ियां उपलब्ध कराई गयी हैं। वर्तमान में डीजल टंकी तथा कार्यशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जिला मुरादाबाद के गागन ग्राम अहमदनगर जैतवाड़ा के नलकूप को पुनः चालू करना

50—श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 60 गागन ग्राम अहमदनगर जैतवाड़ा तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद कब बना और कितने दिन चला और कब से बंद पड़ा है ? किसानों की सूखा राहत को ध्यान में रखते हुए क्या इसे तुरन्त चालू कराने का आदेश प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कूप नं0 60 गागन ग्राम अहमदनगर जैतवाड़ा वर्ष 1982–83 में निर्माण किया गया । कूप का निर्माण सफल नहीं रहा है । अतः इसके चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । असफल नलकूप को चालू कराने का आदेश प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जिला उद्योग मथुरा द्वारा शिक्षित बेरजगार नवयुवकों के लिये स्वः रोजगार योजना

51—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986–87 में जिला उद्योग मथुरा द्वारा कितने बेरोजगार युवाओं को स्व रोजगार स्कीम के अंतर्गत मथुरा जनपद में चयनित किया तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया गया तथा कितने व्यक्तियों को अब तक ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया ? क्या यह सही है कि जितने व्यक्तियों को ऋण इस स्कीम में उपलब्ध कराया जा चुका है उन्होंने अभी तक अपना रोजगार शुरू नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिये स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र मथुरा द्वारा वर्ष 1986–87 में 480 के लक्ष्य के विरुद्ध 664 व्यक्तियों को चयनित किया गया जिनमें से 280 व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया तथा 200 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया। जिन व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है उनमें से 52 व्यक्तियों की जांच करायी गयी जिनमें से 48 व्यक्तियों ने अपना रोजगार शुरू कर लिया है । 2 व्यक्तियों

को विद्युत् कनेक्शन नहीं मिला है एवं 2 व्यक्ति कार्य नहीं कर रहे हैं । अतः यह कहा जा सकता है कि जितने व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है उनमें से अधिकांश द्वारा रोजगार शुरू कर लिया गया है ।

जनपद वाराणसी, पशु चिकित्सालय, ज्ञानपुर पर बिजली विभाग का बकाया

52--श्री मूल चन्द--

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पशु चिकित्सालय ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी पर बिजली विभाग का कितना बकाया है ? क्या वर्तमान डाक्टर राजकीय विद्युत् का उपभोग निजी कार्यों के लिए जून, 1987 से कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उनका भुगतान भी पशुपालन विभाग ही करेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

पशु चिकित्सालय ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी पर बिजली विभाग का कुल रु0 2289.00 बकाया है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

53--श्री सुखपाल पाण्डेय--

(5वें बुधवार के लिए स्थगित ।)

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम में प्रभारित एवं नियमित कर्मचारियों की कार्य की प्रकृति एवं परिस्थितियां

54--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश नलकूप निगम में समकक्ष पदों पर कार्यरत प्रभारित एवं नियमित कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति एवं परिस्थितियां एक जैसी हैं या अलग-अलग ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

समकक्ष कुछ पदों पर कार्य प्रभारित एवं नियमित कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति एवं परिस्थितियां सामान्यतः एक जैसी हैं ।

उ0प्र0 नलकूप निगम में कार्यरत प्रभारित कर्मचारियों का चिकित्सा एवं दुर्घटना आदि की प्रतिपूर्ति भत्ता

55--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कार्यरत प्रभारित कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता नियमित कर्मचारियों के समान दिया जा रहा है तथा दुर्घटना आदि की प्रतिपूर्ति नियमित कर्मचारियों के समान दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान चिकित्सा

भत्ता अनुमन्य नहीं है। दुर्घटना आदि का प्रतिपूर्ति भत्ता वर्कमैन कम्पनसेशन ऐक्ट के अनुसार दिया जाता है।

उ0 प्र0 नलकूप निगम के कर्मचारियों की भविष्य निधि धनराशि की लेखा-पर्ची उपलब्ध कराये जाने की मांग

56---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कर्मचारियों की वेतन से काटी गयी भविष्य निधि की धनराशि का वर्ष 85-86 एवं 84-85 एवं 83-84 की लेखा पर्ची कर्मचारियों को उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

वर्ष 83-84 की लेखा पर्ची कर्मचारियों को वितरित की जा चुकी है। वर्ष 1984-85 की लेखा पर्ची अभी भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर से प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 85-86 के भविष्य निधि लेखे पूर्ण किये जा रहे हैं। भविष्य निधि लेखे पूर्ण होने के उपरान्त कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर द्वारा लेखा पर्ची कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

जनपद देवरिया, कुशीनगर में कसया हवाई पट्टी को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने की मांग

57---श्री सूर्य प्रताप शाही---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में स्थित महात्मा बुध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आने वाले विदेशी पर्यटकों और बौद्ध तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए उनकी सुविधा के लिये कसया हवाई पट्टी को वायुदूत सेवा से जोड़े जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लेकर केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है और रक्षा मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है और कब तक कसया वायुदूत सेवा से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार ---

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला आजमगढ़, ग्राम देवडीह में कृषकों से ली गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

58---कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम देवडीह, जिला आजमगढ़ की जमीन पर नहर निकालने के लिये भूमि अध्याप्त कर ली गयी है लेकिन अभी तक ग्रामवासियों को उसका मुआवजा नहीं मिला है ? यदि हां, तो देरी का क्या कारण है, और कब तक यह मुआवजा ग्रामवासियों को भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह---

ग्राम देवडीह, जिला आजमगढ़ के कृषकों से ली गयी भूमि में से 10.508 एकड़ भूमि का प्रतिकर बांटा जा चुका है। शेष भूमि का अभिनिर्णय समय से घोषित न हो सकने के कारण इनकी अध्याप्ति की कार्यवाही निष्प्रभावी हो गयी। इनके अध्यापन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जा चुकी है जिसके पूर्ण होने पर प्रतिकर का भुगतान किया जा।

प्रदेश में ट्रान्सफार्मरों का उत्पादन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ट्रान्सफार्मर न बदलने का आरोप

59--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता 1986-87 में थी और कितने ट्रान्सफार्मर का उत्पादन इस वर्ष प्रदेश में हुआ है ? क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर खराब हो जाने के बाद महीनों लगाये नहीं जाते ? यदि हां, तो क्या उसके लिये सरकार हर्जाना देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रदेश में वर्ष 1986-87 में नये कार्यों के लिये कुल 20,290 छोटे ट्रान्सफार्मरों की आवश्यकता थी । ट्रान्सफार्मरों का उत्पादन विभिन्न फर्मों द्वारा किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों को भी ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति करते हैं । उत्पादित ट्रान्सफार्मरों की सूचना विभिन्न उत्पादकों से प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जिसमें काफी अधिक समय लगने का अनुमान है ।

यह सही नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर खराब हो जाने के बाद महीनों नहीं लगाये जाते । विद्युत् परिषद् द्वारा क्षेत्राधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ट्रान्सफार्मरों को एक माह के समय के अन्दर बदल दिया जाय । यदि किसी कारणवश खराब ट्रान्सफार्मर बदलने में एक मास अथवा 30 दिन से अधिक समय लगता है तो प्रभावित उपभोक्ता/उपभोक्ताओं को 30 दिन से अधिक उस अवधि के लिये जिसमें विद्युत् आपूर्ति प्रभावित रही हो, न्यूनतम गारन्टी/नियत चार्ज में आनुपातिक छूट दी जाती है । उक्त छूट का प्राविधान ऐसे उपभोक्ताओं पर लागू नहीं है जिन्होंने विद्युत् बकाये का भुगतान न किया हो ।

जनपद देवरिया के ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

60--श्री रणजीत--

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि निर्वाचन क्षेत्र गौरी बाजार, जनपद देवरिया के अन्तर्गत ग्राम गौनरिया, करज, बडहरा, मदरसन, उधौपुर आदि ग्रामों की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण हेतु लगभग 10 वर्ष पूर्व बिजली के खम्भे व तार लगाये गये थे और लगभग 3 वर्ष बिजली जलने के बाद अब खम्भे आदि उखाड़ दिये गये हैं तथा विद्युत् आपूर्ति बन्द है । यदि हां, तो दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

61--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह--

(उरे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला फैजाबाद के श्रवण क्षेत्र (कटेही ब्लाक) को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की मांग

62--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25 सितम्बर, 1987 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक पत्र लिख कर 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में पर्यटन विभाग से सम्बन्धित मांगें क्या हैं और उन्हें पूरी करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 1987 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को जो 20 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया था उसमें श्रवण क्षेत्र (कटेहरी ब्लाक) को पर्यटन केन्द्र के रूप में तथा दरबन झील को पक्षी बिहार के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है । यद्यपि दरबन झील को पक्षी बिहार के रूप में विकसित करने विषयक कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी है, पर्यटन सम्बन्धी प्रस्ताव पर वन उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

63—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

(5वें बुधवार के लिये स्थगित)

बलिया जनपद को पर्यटन केन्द्र बनवाने की मांग

64—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद गंगा और घाघरा नदियों से घिरा जनपद है । जिनमें अनेक विशालकाय ताल हैं, जहां अनेक दर्शनीय ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बलिया जनपद में पर्यटन केन्द्र बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां ।

जी नहीं ।

विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित नहीं है ।

श्री पी० एन० तिवारी, आर० जी० सी० कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लखनऊ जोन के वार्षिक वेतन-वृद्धि तथा बोनस का भुगतान

65—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी० एन० तिवारी, आर० जी० सी० कार्यालय, मुख्य अभियन्ता (लखनऊ जोन) अप्रैल, 1980 से अक्तूबर, 1984 तक का पूर्ण वेतन भुगतान करते समय किसी प्रकार का अनुबन्ध कराया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम मान्य होगा ? यदि नहीं, तो परिषद् द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस न लेने का आधार क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि, बोनस आदि का भुगतान अभी नहीं किया गया है ? क्या यह भी सही है कि ऊर्जा राज्य मंत्री जी ने उक्त कर्मचारी की पत्रावली को मंगा कर हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो हाईकोर्ट के निर्णय को आज तक क्यों नहीं लागू किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मुकदमा वापस न लिये जाने का कारण यह है कि इस विवाद से सम्बद्ध एक आवश्यक विधिक मुद्दा माननीय न्यायालय से निर्णीत कराया जाना अनिवार्य है ।

यह बात पूर्णतः सही नहीं है केवल इतना सही है कि श्री पी0 एन0 तिवारी को पिछले वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अनुग्रह धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। दिनांक 12 अक्तूबर, 1984 से श्री तिवारी को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

पत्रावली में ऐसे आदेश नहीं दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

66—श्री अचल सिंह—

(दिनांक 15 मार्च, 1988 को अता0 प्रश्न संख्या 134 द्वारा उत्तरित)

67—श्री वीरेन्द्र सिंह—

(5 वें बुधवार के लिये स्थगित)

जनपद गाजीपुर में नलकूप चालकों की संख्या बढ़ाने की मांग

68—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर में राजकीय नलकूपों के अनुपात में कूप चालकों की संख्या बहुत कम है? क्या नलकूप विभाग गाजीपुर ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए अंशकालिक चालकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया है? यदि हां, तो कब तक परीक्षा के परिणाम घोषित किये जायेंगे? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन नलकूपों पर अंशकालिक कूप चालकों की नियुक्ति करने हेतु परीक्षा हुई है, तथा चयन की प्रक्रिया तथा नाम क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

602 चलित नलकूपों में से केवल 33 नलकूपों पर नलकूप चालक नहीं हैं। पदों को भरने हेतु परीक्षा ली गई। परीक्षा फल दिनांक 5 अगस्त, 1987 को घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा ग्राम सभा कन्डेसर सेमरा, तमलपुरा, बेजलपुर सोनाड़ी, बीरपुर, महेन्द्र, पलिया, धरमाडीह, परमानन्दपुर ग्राम सभाओं के नलकूपों पर चयन हेतु परीक्षा हुई है विभाग में चयन की प्रक्रिया निश्चित है। उक्त ग्रामों के अतिरिक्त शेष रिक्त नलकूपों के लिए व्यवस्था की जा रही है।

जनपद गाजीपुर के नगरीय क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति

69—श्री अफजाल अंसारी—

क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी में है कि जनपद गाजीपुर में सूखे के इस भयंकर काल में विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं है? क्या मंत्री जी इस स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जनपद गाजीपुर को विशेष श्रेणी में घोषित कर विद्युत आपूर्ति करने की घोषणा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को नियमित 10 घंटे प्रतिदिन की निर्धारित विद्युत आपूर्ति की जा रही है। लेकिन गाजीपुर नगर की विद्युत आपूर्ति

निर्धारित समयानुसार नहीं हो पा रही है। नगर की निर्धारित विद्युत् आपूर्ति इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ती है और इसके कारण बढ़ी हुई मांग और उपलब्धता में जो कमी आई वह प्रदेश में स्थित अन्य शहरों एवं उद्योगों की आपात कालीन कटौती करके पूरी की जा रही है।

गाजीपुर नगर की स्थिति पर विचार करके इसको 31-3-88 तक विशेष श्रेणी का नगर घोषित कर दिया गया है। इसके पश्चात् विद्युत् उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए इस स्तर को पुनः बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

नलकूप चालकों की सेवायें स्थायी किये जाने की मांग

70--श्री अफजाल अंसारी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर में लगे विश्व बैंक के नलकूपों में 5 वर्ष से अधिक समय से सेवारत रहने वाले कूप चालकों की सेवायें कब तक स्थायी कर दी जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विश्व बैंक के नलकूपों पर अंशकालीन नलकूप चालक पदस्थापित किये जाते हैं अतः उन्हें स्थायी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के राजबहा नहर से निकलने वाली माइनर से पानी की सप्लाई की मांग

71--श्री बाबू राम यादव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया में देवरिया राजबहा नहर में से माड़ीपुर से निकलने वाली माइनर जो ग्राम खजुरी करौते होते हुए अधौला को गयी है, इसको निकाले हुए कितने वर्ष हो गये ? क्या इस माइनर का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे पूर्ण करा कर पानी सप्लाई करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, प्रश्नगत माइनर गण्डक नहर की बभनी माइनर से सम्बन्धित है। इस पर कार्य लगभग 8 वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था।

जी नहीं।

माइनर का कार्य दो भागों में जनता द्वारा किये गये विरोध के कारण अवशेष है जिसे पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जा रहे है। पूर्ण होने पर पानी यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 में भारी उद्योग लगाये जाने हेतु जारी लाइसेन्सों का प्रारूप

72--श्री अमिताभ अनिल दुबे--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 व 1986-87 व 1987-88 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग लगाये जाने के कितने लाइसेन्स दिये गये ? इसके कितने लाइसेन्स केन्द्र सेक्टर के लिए, कितने लाइसेन्स राज्य सरकार एवं उसके विभिन्न एजेन्सियों के लिए तथा कितने लाइसेन्स निजी क्षेत्र के लिए हैं ? इसमें किस-किस उद्योगों के लिए लाइसेन्स थे तथा प्रत्येक सेक्टर में कितने-कितने उद्योग लगे तथा जो नहीं लगे उसके क्या कारण थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

शारदा सहायक खण्ड 40, लखनऊ के अन्तर्गत हैदरगढ़ ब्रांच व जौनपुर ब्रांच में करायी गयी रिमाडलिंग के भुगतान में विवाद

73--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 40 के लखनऊ के अंतर्गत हैदरगढ़ ब्रान्च व जौनपुर ब्रांच में सन् 1976-77 में ठेकेदारों के द्वारा रिमाडलिंग कराई गयी थी जिसके अंतिम भुगतान में विवाद है जिसकी पत्रावली अंतिम निर्णय के लिये मुख्य अभियंता, शारदा सहायक के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया जा सका ? लगभग 10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अभी निर्णय में कितना समय और लगने की संभावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

शारदा सहायक खण्ड 40, लखनऊ के अंतर्गत हैदरगढ़ ब्रांच व जौनपुर ब्रांच में 1976-77 में कराए गए रिमाडलिंग कार्यों से संबंधित अनियमितताओं एवं भुगतान के संबंध में मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक द्वारा जांच की गई थी एवं जांच आख्या का शासन में परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षण एवं निर्णयोपरान्त ही अंतिम स्थिति तय हो सकेगी ।

74--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

हथकरघा निदेशालय के अन्तर्गत समीक्षक पदों की नियुक्तियां

75--श्री राज किशोर सिंह--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि हथकरघा निदेशालय के अंतर्गत 15 समीक्षक पदों की नियुक्ति हेतु सितम्बर 83 में विज्ञापन हुआ था ? यदि हां, तो क्या वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, बरेली तथा अलीगढ़ के सहायक निदेशक, उद्योग हथकरघा ने अवैध ढंग से अर्हता रहित गैर टेक्निकल अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन अवैध नियुक्तियों को निरस्त करके उनके स्थान पर टेक्निकल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामस्वरूप यादव, कम्पोटर पुरवां, सीनियर मार्केटिंग कार्यालय पुरवां, उन्नाव को उनके वेतन का भुगतान

76--श्री राज किशोर सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्रांक 2333/9/86, दिनांक 4 अक्तूबर, 1986 के आदेश के अनुसार क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ ने श्री राम स्वरूप यादव, कम्पोटर पुरवां, सीनियर मार्केटिंग कार्यालय, पुरवां, उन्नाव का जनवरी सन् 1985 से रुके हुए कुल वेतन धनराशि का भुगतान कर दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

यह भुगतान दिनांक 15 जनवरी, 1988 को कर दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा-नरैनी मार्ग पर बस स्टाप खोलने की कार्यवाही

77—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 17 जुलाई, 1987 का पत्र संख्या 262 बांदा जनपद के बांदा-नरैनी के देवरार अमरुवा मार्ग (कच्ची सड़क) में बस स्टाप खोलने के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या दसियों गांवों के यात्रियों को ध्यान में रखकर उक्त स्थान में बस स्टाप खोला जायेगा। यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

कच्ची सड़क नामक स्थान जो बांदा-नरैनी मार्ग पर स्थित है को निगम बसों का फ्लैग स्टाप घोषित किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों को नलकूप चालक पद पर नियुक्ति करने की कार्यवाही

78—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 0317 (ई)-3, दिनांक 19 जनवरी, 1987 द्वारा कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों को नलकूप चालक पद पर खपाने हेतु निदेशक, कृषि से सूची मांगी गयी थी जिसके उत्तर में पत्रांक ए-6523/ए0 एस0 ओ0/ले-6 (248-111), दिनांक 27 जनवरी, 1987 द्वारा कृषि निदेशक ने सूची प्रदान कर दी गई है? यदि हां, तो अब तक नियुक्तियां न किये जाने के क्या कारण हैं तथा यह नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों की एक सूची मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हुई है। सिंचाई विभाग में लिये गये निर्णय के अनुसार वर्तमान में केवल अंशकालिक नलकूप चालकों की ही भर्ती की जा रही है। अतः उक्त अमीनों को क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत बाराबन्दी कार्य हेतु समादेश क्षेत्र में भर्ती के लिए प्रकरण संदर्भित कर दिया गया है।

मांट क्षेत्र में कोलौना ऊंटासानी व गौरेला माइनरों की टेलों पर सिंचाई हेतु पानी व्यवस्था

79—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि मांट क्षेत्र में कोलौना माइनर ऊंटासानी चित्तागढ़ माइनर व गौरेला माइनरों की टेलों पर अलग-अलग वर्ष 1985-86 व 86-87 में कितने-कितने एकड़ जमीन की सिंचाई करायी गयी? क्या यह सही है कि फर्जी सिंचाई कागजों पर दिखा कर आबपाशी लगा दी जाती है? क्या सरकार उपरोक्त माइनरों की टेलों पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कोलौना ऊंटासानी व गौराला माइनरों की टेलों पर वर्ष 1985–86 एवं 1986–87 में सिंचाई नहीं हुई जब कि चिन्तागढ़ी माइनर की टेल पर केवल रबी 1985–86 में 14 एकड़ सींच हुई।

जी नहीं। बिना सींच के सींच कर नहीं लगाया जाता है।

जी हां। जेवर राजवाहे के वर्तमान 280 क्यूसेक्स स्राव को 400 क्यूसेक्स स्राव करने हेतु पुनरोद्धार का कार्य, पूर्ण होने पर कोलौना, ऊंटासानी, व गौराला, माइनरों की टेलों पर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा। यह कार्य पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर 1990–91 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। चिन्तागढ़ी माइनर जो बासना राजवाहे से निकलती है, पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा टेल पर पानी पहुंचाने के प्रयास सतत् किये जा रहे हैं और इस वर्ष रबी 1395 में टेल तक पानी पहुंच गया है।

मैनपुरी ब्लाक मुख्यालय में पशु चिकित्सालय की स्थिति

80—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी ब्लाक मुख्यालय पर कोई पशु चिकित्सालय है? यदि हां, तो इसका कार्यालय कहां पर है? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि आज तक उक्त चिकित्सालय कागजों पर ही चल रहा है तथा वहां न दवा है न कोई स्टाफ है? यदि हां, तो ऐसे जगह पशुधन विकास अधिकारी की नियुक्ति करने का क्या औचित्य है?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं। मैनपुरी ब्लाक मुख्यालय पर कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। अतः इसका कार्यालय होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विकास खण्ड, मैनपुरी के अन्तर्गत एक पशुधन विकास अधिकारी का पद स्थायी रूप से सृजित है जो इस विकास खण्ड क्षेत्र में विकास एवं प्रसार तथा रोग नियंत्रण का कार्य करता है।

जनपद मेरठ के ग्राम टिकौली में बाल्मीकी बस्ती के अन्तर्गत बिजली के खम्भों में बिजली के तारों का न लगाया जाना

81—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड, पिलना के गांव टिकौली में बाल्मीकी बस्ती के अन्तर्गत बिजली के खम्भे कब गाड़े गये थे और आज तक उन पर तार न खींचे जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बिजली के खम्भे नवम्बर, 1986 में गाड़े गये थे। उक्त बस्ती में गाड़े गये खम्भों पर तार न खींचे जाने का मुख्य कारण यह है कि परिषद् के नियमानुसार उपभोक्ताओं द्वारा तुरन्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के आश्वासन के बाद भी न तो आवश्यक धनराशि जमा की गयी और न ही अनुबन्ध किये गये। अस्तु कार्य रोक दिया गया था। यदि बिना कनेक्शन के तार खींच दिये जाते, तो चोरी की पूर्ण सम्भावना थी।

जनपद गाजियाबाद के गांव चिरौड़ी में बिजली की अनियमित आपूर्ति

82—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड, लोनी के गांव चिरौड़ी में 1987–88 के अन्तर्गत कितने बार ट्रान्सफार्मर फुंका है और कुल कितने दिन बाद

में बिजली की आपूर्ति दी गयी है ? उक्त ग्राम को बिजली की आपूर्ति न हो पाने के लिये दोषी अधिकारी को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री लालधारी यादव, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) द्वारा कनहर निर्माण मण्डल, पिपरी, मिर्जापुर में लाखों रुपयों का घोटाला

83--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 से 1981 की अवधि में तत्कालीन अवर अभियन्ता, यांत्रिक सिंचाई (श्री लालधारी यादव) ने कनहर निर्माण मण्डल पिपरी, मिर्जापुर में लाखों रुपये की गड़बड़ियां की ? उनके विरूद्ध हो रही जांच की दिसम्बर, 1986 तक क्या प्रगति है और कौन अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है तथा कितने आरोप सिद्ध हुये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री लालधारी यादव, अवर अभियन्ता (यांत्रिक), कनहर निर्माण मण्डल, पिपरी, मिर्जापुर, के अन्तर्गत कनहर निर्माण खण्ड, प्रथम, पिपरी में दिनांक 29 जनवरी, 1977 से 31 जुलाई, 1981 तक कार्यरत थे । इस अवधि में इनके द्वारा की गई गड़बड़ी के दो प्रकरण प्रकाश में आये :--

1--पांच अश्व शक्ति का विद्युत् पम्प गायब होना ।

2--53 अदद ड्रिल रीड की कमी ।

प्रथम प्रकरण पर जांच श्री शेषधर एवं श्री राजबंशी शाह, सहायक अभियन्ताओं की समिति तथा दूसरे प्रकरण पर श्री जी0पी0 गुप्ता एवं श्री राजबंशी शाह, सहायक अभियन्ताओं की समिति द्वारा की गई । जांच समिति ने दोनों प्रकरणों में इन्हें दोषी पाया ।

बस्ती जिले में मोटर वेहिकिल्स एक्ट के अन्तर्गत वाहनों का चालान एवं कृत कार्यवाही

84--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में 1 अप्रैल, 1987 से 15 जून, 1987 तक कितने वाहनों का चालान मोटर वेहिकिल्स एक्ट के अन्तर्गत किया गया ? उन वाहनों को छोड़ने के लिए न्यायालय के आदेश होने के बावजूद कितनी ऐसी बसें हैं जिन्हें 3-4 दिन तक या इससे ऊपर थाने में खड़ी रखा गया और उसे छोड़ा नहीं गया? इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने के लिए सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बरेली क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची परिचालकों की नियुक्तियां

85--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरेली क्षेत्र के प्रतीक्षा सूची परिचालकों की नियुक्ति प्रदान किए जाने विषयक जो पत्र डा0 दिनेश जौहरी, स0 वि0 सभा के परिपत्र के साथ 31-8-86 के आस-पास किसी दिन प्राप्त हुआ था तथा जिसे मंत्री जी द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरेली क्षेत्र को भेज दिया गया था उस पर अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ? प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित श्री दिनेश कुमार दीक्षित जिन्हें प्रशिक्षण मिला है

तथा जिससे धरोहर की धनराशि भी जमा करा ली गयी थी, की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में अवैध वाहनों के चलाये जाने के कारण राजकीय परिवहन निगम को भारी घाटा

86--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में सड़कों पर टैक्सी के रूप में चलने वाले अवैध वाहनों और बसों की भरमार के कारण राजकीय परिवहन निगम को भारी घाटा हो रहा है ? क्या यह भी सही है कि थाना बेवाना की पुलिस की साजिश से कई प्राइवेट बसें जनपद सुल्तानपुर के दोस्तपुर कस्बे से फैजाबाद जिला मुख्यालय तक चलती हैं और जिले के विभिन्न मार्गों पर कई पुलिस कर्मियों की प्राइवेट जीपें टैक्सी के रूप में अवैध रूप से चल रही हैं ? यदि हां, तो सारे मामले की उच्च स्तरीय खुफिया जांच कराकर दोषी लोगों को दंडित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की बसें पर्याप्त संख्या में संचालित नहीं हैं उनमें से कुछ मार्गों पर अवैध संचालन रिपोर्ट की सूचना प्राप्त होती रहती है । इसकी रोकथाम करने के लिए विभाग द्वारा उचित कदम उठाये जा रहे हैं । निगम के बेड़े को सुदृढ़ करने के साथ ही परिवहन आयुक्त द्वारा प्रवर्तन कार्य में भी तेजी लाई गयी है जिसके फलस्वरूप इस अवैधानिक संचालन से संबंधित पाये गये दोषी लोगों को दण्ड भी दिया जाता है ।

श्री सूर्य प्रकाश पुत्र श्री शिव राज बहादुर, भूतपूर्व विधायक की राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, बरेली में हाट निरीक्षक के पद पर नियुक्ति

87--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि श्री सूर्य प्रकाश पुत्र श्री शिवराज बहादुर ने उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, बरेली में 1982 से 1986 तक हाट निरीक्षक के पद पर कार्य किया है ? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के एकमात्र पुत्र होते हुए एवं कोटे के अन्तर्गत तथा मण्डल एवं कारपोरेशन में स्थान उपलब्ध होने के बाद भी इनको इस वर्ष स्थायी तथा सीजनल नियुक्ति नहीं दी गयी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री शिव राज बहादुर (भू0 पू0 विधायक) की सेवा को देखते हुए उनके पुत्र श्री सूर्य प्रकाश की नियुक्ति के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

श्री सूर्य प्रकाश ने उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के बरेली मण्डल में दिनांक 6-5-86 से 31-7-86 तक की अवधि में सीजनल हाट निरीक्षक

पद पर कार्य किया। इसके पूर्व श्री सूर्य प्रकाश ने निम्नलिखित अवधियों में सीजनल लेखा लिपिक के पद पर कार्य किया—

(1) 20-4-82 से 30-6-82 तक ।
(2) 1-5-83 से 12-8-83 तक ।
(3) 23-4-84 से 16-8-84 तक ।
(4) 1-4-85 से 29-5-85 तक ।
(5) 7-6-85 से 29-7-85 तक ।
(6) 18-4-86 से 5-5-86 तक ।

श्री सूर्य प्रकाश की नियुक्ति इस वर्ष भी रबी क्रय योजना में सीजनल हाट निरीक्षक के पद पर की गयी थी, जिस पर उन्होंने दिनांक 15-4-87 से 30-6-87 तक कार्य किया। पद उपलब्ध न होने के कारण इन्हें नियमित नियुक्ति देना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के बरेली मण्डल में सीजनल हाट निरीक्षक के स्वीकृत 5 पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण कोटे के अन्तर्गत श्री सूर्य प्रकाश की नियुक्ति करना संभव नहीं है।

जनपद बरेली में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण

88—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में बरेली में शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत कितने आवेदकों की संस्तुति पर विभिन्न बैंकों में भेजा गया है और उनमें से कितनों को बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त हो सका है ? क्या यह सत्य है कि बैंकों द्वारा ऋण देने में औपचारिकतायें बढ़ा दिये जाने पर परेशान किये जाने के कारण बहुत अधिक संख्या में लोगों को ऋण नहीं मिल सका है ? क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में बैंकों से उन सभी लोगों को ऋण दिलवाने हेतु उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन-पत्र बैंकों में भिजवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1986-87 में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिये स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत जनपद बरेली में 781 आवेदकों के आवेदन-पत्रों को संस्तुत कर विभिन्न बैंक शाखाओं में प्रेषित किया गया जिनमें से बैंकों द्वारा 597 आवेदन-पत्रों पर ऋण स्वीकृत किया गया तथा माह जनवरी, 1988 के अन्त तक 390 आवेदकों को ऋण प्राप्त हो सका है ।

यह कथन सत्य नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा में लोगों को ऋण नहीं मिल पाया है । बैंकों द्वारा नियमानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के पश्चात् ही ऋण स्वीकृत/वितरित किया जाता है । बैंक एवं प्रार्थी द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण न करने के कारण कुछ मामलों में ऋण वितरण में विलम्ब हो जाता है ।

जो आवेदन-पत्र दिनांक 31 मार्च, 1987 तक बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं, वे ऋण वितरण हेतु सम्बन्धित बैंकों में अब भी लम्बित हैं, अतः नये सिरे से प्रार्थना-पत्र बैंकों को भेजे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री कृष्णानन्द शर्मा, उत्तर प्रदेश नलकूप निगम, बरेली को पारिवारिक पेंशन का भुगतान

89—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री कृष्णानन्द शर्मा जो उत्तर प्रदेश नलकूप निगम, बरेली में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे, का स्वर्गवास दिनांक 11 दिसम्बर, 1984 को हो गया था

किन्तु अभी तक उनकी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी को उनकी पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो पेंशन न मिलने के क्या कारण हैं ? क्या श्रम मंत्री जी उनको पारिवारिक पेंशन का भुगतान तुरन्त करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मृतक की पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिये क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सर्वोदयनगर, कानपुर को समस्त औपचारिकतायें एवं सूचनायें पूर्ण कर प्रेषित की जा चुकी हैं । पारिवारिक पेंशन का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, कानपुर द्वारा किया जाना है जिसके लिये नलकूप निगम द्वारा अनुसरण किया जा रहा है ।

ड्रेनेज एवं उपखण्ड, चतुर्थ, नौगढ़ के कम्पाउण्ड में लगे नलकूप पर सिंचाई विभाग (नलकूप) द्वारा की गयी उपेक्षा का आरोप

90--श्री धनराज यादव--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज एवं उपखण्ड, चतुर्थ, नौगढ़ के कम्पाउण्ड में सिंचाई विभाग द्वारा एक नलकूप वर्षों पूर्व बनाया गया था जिससे तेतरी बाजार के कुछ मोहल्लों में पानी की सप्लाई होती थी एवं कुछ खेतों की सिंचाई हुआ करती थी ? क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग (नलकूप) द्वारा इस महत्वपूर्ण नलकूप की उपेक्षा करने के कारण न तो पीने के पानी की आपूर्ति होती है, न ही खेतों की सिंचाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत नलकूप ड्रेनेज खण्ड, चतुर्थ कालोनी कम्पाउन्ड को हस्तान्तरित करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, राजकीय नलकूप सं0 17, नौगढ़ तत्कालीन नलकूप कालोनी, नौगढ़ वर्तमान में चतुर्थ उपखण्ड, ड्रेनेज खण्ड, नौगढ़ के कम्पाउण्ड में वर्ष 1956 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया था, जिससे कालोनी तथा कालोनी के निकटवर्ती क्षेत्र में पेय जल योजना के अन्तर्गत पानी पीने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी। प्रश्नगत नलकूप की उपेक्षा नहीं की गई है बल्कि नलकूप कमाण्ड क्षेत्र में आबादी हो जाने के कारण सिंचाई हेतु नलकूप की उपयोगिता समाप्त हो गई । फलस्वरूप नलकूप का परित्याग प्रस्तावित था किन्तु अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड, बस्ती द्वारा उक्त नलकूप को हस्तानान्तरण पर लेने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नलकूप के ह्रासित मूल्य का बीजक रु0 48,800.00 भुगतान हेतु सितम्बर, 1987 में उक्त खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित किया गया है । भुगतान प्राप्त होने पर नलकूप के हस्तानान्तरण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

ड्रेनेज खण्ड प्रथम, बस्ती में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा जूनियर इंजीनियर के पदों पर कार्यरत अधिकारियों का स्थानान्तरण, स्थगन एवं निरस्तीकरण

91--श्री धनराज यादव--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड प्रथम, बस्ती में वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 1986-87 में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा जूनियर इंजीनियर के श्रेणी में कार्यरत लोगों में किन-किन को कब-कब स्थानान्तरित किया गया तथा स्थानान्तरित लोगों में से किन-किन लोगों का स्थानान्तरण स्थगित या निरस्त किया गया ? प्रश्नगत मामले में 1987 के जनवरी, फरवरी एवं मार्च में जिन अभियन्ताओं का स्थानान्तरण हुआ और पुनः रोक दिया गया उनके रुकने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ड्रेनेज खन्ड प्रथम बस्ती में वित्तीय वर्ष 1984–85, 1985–86 एवं 1986–87 में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा जूनियर इंजीनियर के पदों पर कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण/स्थगन/निरस्तीकरण का विवरण संलग्न है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण रोके गये।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 220–226पर)

बस्ती जिले की अलीगढ़वा चौकी को समाप्त करने की मांग

92—श्री धनराज यादव—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैपाल सीमा पर बस्ती जिले के अलीगढवा चौकी पर खाद्य विभाग की ओर से बैरियर चौकी है एवं उक्त चौकी पर कर्मचारी नियुक्त हैं ? यदि हां, तो 1985 से 31 अक्तूबर, 1987 तक कितने मामले पकड़े गये ? पकड़े गये वस्तुओं में क्या–क्या सामान था ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत चौकी में प्रश्नगत समय में कोई मामला नहीं पकड़ा गया ? यदि हां, तो इस बैरियर की अनुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए अलीगढ़वा के बैरियर चौकी को समाप्त करने का विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो उसे बनाये रखने का औचित्य क्या है ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

1985 से 31 अक्तूबर 1987 तक कोई मामला नहीं पकड़ा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि बैरियर की स्थापना के कारण ही अलीगढ़वा क्षेत्र से खाद्यान्न का अवैध संचरण नहीं हुआ है। इसलिये बैरियर को बनाये रखना आवश्यक है।

तापीय विद्युत गृहों में तेल की खपत

93—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तापीय विद्युत गृहों में पिछले वर्षों सन् 1980 से 1986 तक प्रति वर्ष कितने तेल की खपत हुयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विद्युत परिषद् के अधीन विभिन्न वृहत तापीय विद्युत गृहों में पिछले वर्षों 1980–81 से 1986–87 की अवधि में कुल तेल की खपत प्रति वर्ष क्रमशः 1·6, 1·4, 1·5, 1·1, 1·2, 1·4 तथा 1·3 लाख किलो लीटर रही।

पडरौना नाले पर बन्धा लगाये जाने के संबंध में संस्थापक द्वारा प्रेषित पत्र पर जांच

94—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मंत्री को संस्थापक, आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा का पत्र दिनांक 6–10–86 प्राप्त हुआ है, जिसमें संस्थापक द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 7–12–84 के अनुसार कार्यवाही न करने, विलम्ब करने, सत्य को छिपाने में विभागीय भ्रष्टाचार

एवं संरक्षण की शिकायत है ? यदि हां, तो पत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 1984 एवं 6 अक्तूबर, 1986 पर क्या कार्यवाही की गयी तथा क्या मंत्री जी कार्यवाही पूर्ण कराकर सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

दिनांक 6 अक्तूबर, 1986 का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दिनांक 7 दिसम्बर 1984 के पत्र पर पडरौना नाले पर बंधा लगाये जाने के बारे में अधिशासी अभियन्ता चीफ शाखा निर्माण खण्ड, देवरिया से जांच कराई तथा शिकायत निराधार पायी गयी।

अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

देवरिया जनपद के ग्राम श्रीपति खण्ड के एक किसान द्वारा शासन को भेजे गये प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

95--श्री विष्णुदेव--

क्या सिंचाई मंत्री को जनपद देवरिया स्थित पड़रौना तहसील के जमुनिया राजबाहा से संबंधित ग्राम श्रीपति खण्ड के किसी किसान का प्रार्थना-पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 1987 शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें 2 एकड़ क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होने तथा राजबहा का पानी सिंचाई हेतु न लिये जाने की सूचना देकर कथित क्षेत्र असिंचित मानते, सिंचाई कर से भविष्य में मुक्त करने की प्रार्थना की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी न्यायोचित मांग पर कथित क्षेत्र का परताल भविष्य में न करने की घोषणा करेंगे, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अभिलेख के अनुसार ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पड़ताल अर्थात् सिंचाई का इन्द्राज तभी होता है जब नहर का पानी लिया जाता है। ऐसी दशा में सिंचाई कर न लड़ाने की घोषणा करना नियमानुसार संभव नहीं है।

96--श्री मैनेजर सिंह--

(दिनांक 1 जुलाई, 1987 को अतारांकित प्रश्न संख्या 77 द्वारा उत्तरित)

बलिया के महर्षि भृगु मन्दिर को पर्यटक केन्द्र बनाने की मांग

97--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या पर्यटन मंत्री की इस घोषणा को कि सभी प्रसिद्ध स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में परिणित किया जायेगा ? बलिया के महर्षि भृगु मन्दिर को पर्यटक केन्द्र के रूप में स्थापित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नगत परियोजना विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित नहीं है।

98--श्री अचल सिंह--

(5वें बुधवार के लिये स्थगित)

99--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह--

(5वें बुधवार के लिये स्थगित)

जनपद देवरिया, नौतनहथियागढ़ ड्रेन पर पुल निर्माण की मांग

100--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत नौतनहथियागढ़ ड्रेन पर एक पुल का निर्माण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1987 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर शासन द्वारा जनवरी, 1988 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

पत्र में नौतनहथियागढ़ ड्रेन पर हरियापार, मुसहरी व शामपुर आदि ग्रामों में परासखाड बांध तक जाने वाले मार्ग पर एक पुल निर्माण की मांग की गई है । ग्राम प्रधान से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि पुल की मांग हरियापार से शामपुर तक जाने वाली चकरोड पर है जिसका स्थल 2·20 कि0 मी0 पर है, यह चक रोड जिला परिषद् द्वारा अभी निर्माण होना प्रस्तावित है तथा इस नाले के वर्ष 1974 में निर्माण के बाद हुई चकबन्दी में छोड़ी गई है । अतः इस चक रोड पर पड़ने वाले नाले के पुल का निर्माण जिला परिषद् द्वारा किया जाना है जिसके लिये मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई विभाग, गोरखपुर को निदेशित कर दिया गया है कि वे प्रश्नगत पुल के निर्माण के सम्बन्ध में जिला परिषद् को सन्दर्भित कर दें । सिंचाई विभाग इस नाले के कि0 मी0 1·00, 3.155 व 5·2 पर पहले ही पुल बना चुका है ।

इलाहाबाद नगर के कतिपय क्षेत्रों में विद्युत् वोल्टेज की समस्या

101--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या विद्युत् मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद नगर के सादियाबाद बघाड़ा, ढरहरिया, बक्शी खुर्द, दारागंज, मेंहदौरी, शिवकुटी, चिल्ला, गोविन्दपुर, रसूलाबाद, चांदपुर, सलोरी, मऊ सरैयां तथा सोहबतियाबाग आदि क्षेत्रों का विद्युत् वोल्टेज बहुत कम है ? यदि हां, तो इन क्षेत्रों के वोल्टेज ठीक करने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत मु0 सादियाबाद बघाड़ा तथा मऊ सरैयां में सामान्य रूप से कम वोल्टेज नहीं है। इन मुहल्लों के कुछ अन्तिम छोरों पर कम वोल्टेज की समस्या इधर कुछ समय से उत्पन्न हो गई है जिसे वर्ष 1988-89 में नई 11 के0 बी0 लाइन बना कर दूर किये जाने की सम्भावना है । मु0 ढरहरिया में कम वोल्टेज की समस्या माह फरवरी, 1988 में एक फेज के स्थान पर तीन फेज लाइन बना कर दूर की जा चुकी है । मुहल्ला मेहदौरी में सामान्यतया कम वोल्टेज नहीं है। इसके लिए कुछ क्षेत्रों में कम वोल्टेज को ठीक करने हेतु नई 11 के0 बी0 लाइन तथा 250 के0 बी0 ए0 विद्युत् उप संस्थान बनाने का कार्य प्रगति पर है जिसके माह अप्रैल, 1988 तक पूर्ण हो जाने की आशा है जिससे कम वोल्टेज की सम्भावना नहीं रहेगी । मु0 शिवकुटी में 250 के0 बी0 ए0 का विद्युत् उप केन्द्र माह मार्च, 1988 तक बन कर पूर्ण हो जायगा जिसका कार्य प्रगति पर है इसके बन जाने से कम वोल्टेज की समस्या दूर हो सकेगी । मु0 गोविन्दपुर एवं चिल्ला में कम वोल्टेज अब नहीं मिल रहा है इस मुहल्ले का कम वोल्टेज वर्ष 1986-87 में ठीक किया जा चुका है । मुहल्ला रसूलाबाद में कम वोल्टेज की समस्या नहीं है । मु0 चांदपुर सलोरी में एक 100 के0 बी0 ए0 का विद्युत् उप केन्द्र माह फरवरी, 1988 में बन जाने से अब कम वोल्टेज नहीं है । मु0 बक्सी खुर्द, दारागंज एवं मु0 सोहबतियाबाग में कम वोल्टेज नहीं मिल रहा है । परन्तु निकट भविष्य में बढ़ने वाले उपभोक्ताओं को ध्यान में रख कर मुहल्ला बक्सी खुर्द, दारागंज में एक 250 के0 बी0 ए0 का अतिरिक्त विद्युत् उप संस्थान भी बनाया जा रहा है जो माह अप्रैल, 1988 तक पूर्ण हो जायेगा ।

जनपद मुरादाबाद के सिकन्दरपुर पट्टीवाला बांध बह जाने की झूठी शिकायत

102—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद (मुरादाबाद) में सिकन्दरपुर पट्टी वाला बांध विगत 3 वर्षों में बार-बार बह जाने से सरकार को जो हानि उठानी पड़ी है क्या उसकी पूर्ति संबंधित दोषी अधिकारियों से हर्जाने के रूप में वसूली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद मुरादाबाद में सिकन्दरपुर पट्टी वाला बांध विगत तीन वर्षों 1985, 1986 एवं 1987 में नहीं बहा है। विगत तीन वर्षों में सरकार को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी है। अतः किसी अधिकारी से किसी प्रकार की वसूली किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

103—श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

[दिनांक 2-3-88 को अतां0 प्र0 सं0 28 द्वारा उत्तरित]

बुनकरों को पावरलूम लगाने हेतु ऋण दिलाने की मांग

104—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुनकरों को पावरलूम लगाने हेतु ऋण दिलाने की व्यवस्था उ0 प्र0 शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पब्लिक ट्यूबवेल रिंग डिवीजन, कानपुर में फेल ट्यूबवेलों के पाइप निकालने हेतु मशीन की खरीद

105—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक ट्यूबवेल रिंग डिवीजन, कानपुर में वर्ष 1987 में फेल ट्यूबवेलों के पाइप निकालने हेतु कोई मशीन लगभग ढाई लाख रुपए में खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मशीन किस फर्म से खरीदी गयी एवं उसको कितना भुगतान किया गया ? उक्त मशीन से अब तक कितना कार्य किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता विधायक का पत्र माह जनवरी, 1988 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। लगभग रु0 1.70 लाख लागत की खरीदी गयी थी।

यह मशीन मेसर्स टेक्नोक्रेट कम्पनी, मेरठ से खरीदी गई एवं उन्हें रु0 1,64,593.00 का भुगतान किया गया है।

उक्त मशीन द्वारा एक नलकूप का हाउसिंग का लगभग पूरा पाइप उखाड़ लिया गया है। माह नवम्बर, 1987 में मशीन के प्राप्त होने पर अन्य विविध आवश्यक संयंत्रों का प्रबन्ध कर कार्य पर लगाया गया।

जी हां।

मशीन सुचारु रूप से कार्य कर रही है। जांच की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के वीरपुर पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाने की मांग

106—श्री अफजाल अंसारी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद की सूखा राहत समिति की बैठक दिनांक 7 सितम्बर, 1987 में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 50 क्यूसेक क्षमता वाली वीरपुर पम्प कैनाल, जो वीरपुर से बदौली मांचा होते हुए बांठा तक गयी है, इसे तेल को मगई नाले तक मिलाना और इस पम्प कैनाल की क्षमता भी बढ़ाना आवश्यक है ? क्या जनहित को ध्यान में रखते हुए वीरपुर पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि वीरपुर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद गाजीपुर के सहकारी कताई मिल के कारखाना प्रबन्धक के विरुद्ध लगाये गये आरोप

107—श्री अफजाल अंसारी

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में स्थित पूर्वान्चल सहकारी कताई मिल लि0, बहादुरगंज के कारखाना प्रबन्धक आर0 एन0 त्रिपाठी द्वारा स्वीपिंग (कचरे) के दाम पर दिनांक 8-1-88 को अच्छे किस्म की रुई (रोबिन एवं बोल्डे) मात्र 100.00 रुपये की दर से कचरे की कीमत पर बिक्री की जा रही थी जिसे समय पर पहुंचकर मिल यूनियन अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके रुई को बिकने नहीं दिया और महाप्रबन्धक को इस कांड की सूचना भी दी थी ? तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। दिनांक 8-1-88 को कारखाना प्रबन्धक, काटन वेस्ट (कचरे) की डिलिवरी देने के पहले उसकी जांच कर रहे थे तभी मिल यूनियन के कुछ पदाधिकारियों ने इस संबंध में महाप्रबन्धक को शिकायत की जिस पर छानबीन की गयी और शिकायत निराधार पाई गई।

जनपद झांसी, अवर अभियन्ता श्री एम0पी0 निरंजन का स्थानान्तरण

108—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री ऊर्जा ने दिनांक 25 अगस्त, 1987 को अवर अभियन्ता (श्री एम0पी0 निरंजन), मोंठ, जनपद झांसी को शिकायतों के आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के आदेश जारी किये थे ? यदि हां, तो इन आदेशों का आज तक पालन न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अब तक विलम्ब करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, किन्तु यह आदेश दिनांक 19 अगस्त, 1987 को दिये गये थे ।

श्री निरंजन, अवर अभियन्ता को दिनांक 25 अगस्त, 1987 को झांसी से विद्युत् पारेषण (पश्चिम) मेरठ स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

चूंकि आदेशों का अनुपालन किया जा चुका है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद से भीटी बाजार होकर दोस्तपुर तक बस सेवा प्रारम्भ करने की मांग

109—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के फैजाबाद डिपो द्वारा चलाई गयी फैजाबाद–दोस्तपुर बस सेवा दोस्तपुर से फैजाबाद को आते समय भीटी बाजार पंहुचने के पहले ही इतनी अधिक भर जाती है कि भीटी बाजार और उसके बाद के यात्रियों को बैठाने के लिये उसमें स्थान ही नहीं रह जाता ? यदि हां, तो यात्रियों को सुविधा प्रदान करने हेतु क्या सरकार फैजाबाद से हैदरगंज बाजार तथा भीटी बाजार होकर दोस्तपुर के लिये एक और बस सेवा प्रारम्भ करने के लिये फैजाबाद डिपो को निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

फैजाबाद से तारन तक चलने वाली बस को हैदरगंज बाजार होते हुए भीटी बाजार तक दिनांक 1 मार्च, 1988 से प्रयोगात्मक तौर पर चला दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के मीरापुर गांव के नहर की माइनर की पुलिया की मरम्मत करने का प्रस्ताव

110—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में स्थित खजावा गांव के दक्षिण तथा मीरापुर गांव के उत्तर की नहर की माइनर की पुलिया काफी दिनों से टूटी पड़ी है जिससे किसी भी समय रात के अंधेरे में किसी वाहन या आदमी के गिरने से भयंकर दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो उक्त पुलिया की मरम्मत न कराने के लिये दोषी अधिकारी को दण्डित करने और उसकी शीघ्र मरम्मत कराने हेतु सरकार क्या कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पुरानी पुलिया भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हो गयी है । शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत पुलिया का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है जिसे माह अप्रैल, मई, 1988 की आगामी वार्षिक नहर बन्दी में किया जाना प्रस्तावित है । किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में पिपरहवा को पर्यटक केन्द्र बनाने का प्रस्ताव

111—श्री धनराज यादव—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन केन्द्रों को विकसित करने की सरकार की जो योजना है, उसमें बस्ती जनपद में पिपरहवा भी सम्मिलित है ? क्या यह सही है कि वर्षों पूर्व, पिपरहवा को बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की कोई महायोजना प्रस्तावित थी

यदि हां, तो क्या महा योजना स्वीकृत हो गयी और वह कितने रुपये की है एवं उस कार्य को प्रारम्भ करने में क्या कठिनाई है ?

श्री प्रमोद कुमार—

जी हां ।

जी हां ।

प्रदेश शासन द्वारा बौद्ध परिपथ के विकास के अन्तर्गत पिपरहवा में मार्गीय सुविधा, स्टाफ क्वार्टर के निर्माण तथा जनरेटर सेट, पहुंच मार्ग एवं लैण्ड स्केपिंग की योजना स्वीकृत है । प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु 100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि-अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत की जा चुकी है तथा भूमि के प्रतिकर में निहित रु0 20.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारी, बस्ती के निस्तारण पर रखी जा चुकी है । भूमि पर पर्यटन विभाग का कब्जा प्राप्त होते ही योजना का विस्तृत मानचित्र एवं आगणन तैयार कराया जायेगा ।

112—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

(दिनांक 24 फरवरी, 1988 को ता0प्र0 सं0 3 द्वारा उत्तरित)

प्रदेश में पशु अस्पतालों में पशुओं के इलाज हेतु औषधियों के क्रय का माध्यम एवं वितरण

113—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पशुधन अस्पतालों में पशुओं की बीमारी के इलाज की समस्त औषधियां प्रदेश निदेशालय और पशुधन सचिव के माध्यम से ही क्रय की जाती हैं ? यदि हां, तो औषधियों को किस औषधि निर्माता से क्रय किया जाता है तथा उनकी क्या कीमत वर्ष 1986–87 में अदा की गयी ? केन्द्रीय औषधि भण्डार से जिलों और उनके उप-केन्द्रों पर कितने-कितने मूल्यों की दवायें कैसे और किस साधन से भेजी जाती हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं । प्रदेश में पशु अस्पतालों में पशुओं की बीमारी के इलाज की समस्त औषधियां वर्तमान में पी0 सी0डी0एफ0 के माध्यम से क्रय की जाती हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 86–87 में कोई औषधि निदेशालय या पशुधन सचिव के स्तर से नहीं क्रय की गई। वर्ष 86–87 के सूखा एवं बाढ़ की मद से 72,50,000 रु0 की औषधियां पी0 सी0 डी0 एफ0 के माध्यम से वर्ष 87–88 में इस विभाग के लिये क्रय की गईं । जिन औषधि निर्माताओं से औषधियां क्रय की गई, उनकी सूची संलग्न है* ।

उक्त दवायें पी0सी0 डी0 एफ0 से विभागीय उप–निदेशकों ने विभागीय वाहनों से उठवा है ।

श्री राम निवास सिंह, वाहन संचालन प्रभारी, देवरिया का संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

114—श्री विष्णु देव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24–2–87 को वाहन संचालन प्रभारी श्री राम निवास सिंह, देवरिया का संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार

*देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ संख्या–227 पर

संबंधी शिकायत परिवहन मंत्री एवं प्रबन्ध निदेशक को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त आरोपों पर अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

उक्त शिकायती-पत्र में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध शिकायतकर्त्ता श्री राम निवास सिंह को तंग करने तथा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने के आरोप लगाये गये थे। जांच के फलस्वरूप उक्त आरोप सिद्ध नहीं पाये गये। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में एम0 टी0 के पदों पर नियुक्ति

115—श्री विष्णु देव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 सितम्बर, 1985 से 31 मई, 1987 तक 150 एम0 टी0 की भर्ती रा0 स0 प0 नि0 में की गयी है ? यदि हां, तो क्या इसमें आरक्षण की शर्तों को पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 1 सितम्बर, 1985 से 31 मई, 1987 तक कुल 234 एम0 टी0 के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन किया गया न कि 150 अभ्यर्थियों का आरक्षण की शर्तों के अनुसार आरक्षित पदों को भरने का विशेष प्रयास किया गया जिसके लिये प्रथम चयन में लिखित परीक्षा तथा द्वितीय चयन में लिखित परीक्षा के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विशेष छूट दी गयी जिसके अनुसार प्रथम चयन में आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत के बजाय 35 प्रतिशत तथा द्वितीय चयन में 40 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये। इस विशेष छूट के बाद भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सके।

एम0 टी0 के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यता स्नातकोत्तर स्तर की होने के कारण आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र भी पर्याप्त मात्रा में न उपलब्ध हो सके।

परिवहन विभाग में एकाउन्टेन्ट, जूनियर स्टेशन इंचार्ज एवं जूनियर फोरमैन की भर्ती का आरक्षण कोटा

116—श्री विष्णु देव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1986 से 31 मई, 1987 तक कितने एकाउन्टेन्ट, फोरमैन व जूनियर स्टेशन इन्चार्ज की भर्ती में आरक्षण का कोटा नियमानुसार पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनवरी, 1986 से 31 मई, 1987 तक एकाउन्टेन्ट फोरमैन तथा जूनियर स्टेशन इन्चार्ज के पदों पर चयन में जूनियर एकाउन्टेन्ट तथा जूनियर स्टेशन इन्चार्ज की लिखित परीक्षा में सफलता के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये थे। लिखित परीक्षा में उक्त निर्धारित प्रतिशत तथा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु साक्षात्कार में बुलाया

गया था तथा आरक्षित श्रेणी के सभी संवर्गों का कोटा पूर्ण करने का प्रयास किया गया फिर भी कुछ संवर्गों का कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका जिसका विवरण निम्नवत् है :—

एकाउन्टेन्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का कोटा पूर्ण किया गया है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों में केवल 6 अभ्यर्थियों ने उक्त न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत तक अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त किए थे जिनका चयन कर लिया गया है। भू0 पू0 सैनिक में कोई भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तथा अनुसूचित जनजाति के किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया था।

जूनियर स्टेशन इंचार्ज के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का कोटा पूर्ण किया गया है। अनुसूचित जनजाति तथा भूतपूर्व सैनिक का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जनजाति तथा भूतपूर्व सैनिकों का कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका।

जूनियर फोरमैन के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का कोटा पूर्ण किया गया है। अनुसूचित जनजाति का कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका।

राज्य सड़क परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों एवं संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (श्री के0 एस0 वर्मा) पर लगाये गये गंभीर आरोपों की जांच

117—श्री विष्णु देव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0 स0 प0 नि0 के वरिष्ठ अधिकारियों व संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (श्री के0 एस0 वर्मा) पर गंभीर आरोपों का शिकायती-पत्र श्री हरिकेवल प्रसाद, भूतपूर्व विधायक एवं अध्यक्ष, रोडवेज मजदूर यूनियन, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1987 तथा कुंवर रेवती रमण सिंह व श्री जनार्दन प्रसाद ओझा व प्रश्नवार्त्ता का आरोप-पत्र मई, 1987 में मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन व प्रबन्ध निदेशक, रा0 स0 प0 नि0, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। यदि हां, तो उक्त आरोपों पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री हरिकेवल प्रसाद, भूतपूर्व विधायक के परिवाद, दिनांक 11 अप्रैल, 1987 तथा अन्य से प्राप्त आरोपों की जांच शासन के सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा इससे संबंधित अभिलेख भी परिवहन निगम से प्राप्त कर लिये गये हैं। सतर्कता अधिष्ठान की जांच आख्या प्रतीक्षित है।

118—श्री विष्णु देव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बलिया में पंजीकृत उद्योग इकाइयों को स्वीकृत ऋण का भुगतान

119—श्री विक्रमादित्य पाण्डे तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में बलिया जनपद में कितनी उद्योग इकाइयां पंजीकृत हुईं और उन्हें कार्यशील पूंजी के रूप

में कितना-कितना ऋण स्वीकृत हुआ तथा अब तक उन्हें कुल कितने-कितने रुपये का भुगतान हुआ एवं वर्तमान उन औद्योगिक इकाइयों की स्थिति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बलिया जनपद में वित्तीय वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में क्रमशः 201 एवं 226 इकाइयां स्थायी रूप से पंजीकृत की गई थीं।

इकाइयों को कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा व्यवसायिक बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 1983-84 में 47 इकाइयों को रु0 16,48,863.00 एवं वर्ष 1984-85 में 71 इकाइयों को रु0 16,31,925.00 कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र, बलिया में बैंकों को संस्तुति भेजी गई थी। इनमें वर्ष 1983-84 में कुल 285 इकाइयों को रु0 6,50,000.00 एवं वर्ष 1984-85 में 40 इकाइयों को बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में कुल रु0 11,76,500.00 का ऋण बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान किया गया। उक्त सभी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं।

बलिया जनपद में शिक्षित बेरोजगार लोगों द्वारा उद्योग हेतु लिये गये ऋण का उपयोग न करना

120—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में बलिया जनपद में जिन शिक्षित बेरोजगार लोगों ने उद्योग के नाम पर ऋण लेकर उद्योग प्रारम्भ नहीं किये उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वित्तीय वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में बलिया जनपद में जिन शिक्षित बेरोजगार लोगों ने उद्योग के नाम पर बैंकों से ऋण लेकर उद्योग प्रारम्भ नहीं किये उनके विरुद्ध बैंकों द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम पीपलसाना में नया बिजलीघर बनाने की मांग

121—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धावली विद्युत उप-संस्थान पर अधिक लोड होने के कारण एक नया बिजलीघर ग्राम पीपलसाना, जनपद मुरादाबाद पर वर्ष 1974 में बनाना स्वीकृत हुआ था जिसका सर्वे आदि भी हो गया था ? यदि हां, तो स्वीकृत बिजली घर के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद मुरादाबाद के सिद्धावली विद्युत उप केन्द्र पर क्षमता से अधिक भार नहीं है। पीपलसाना पर अभी कोई उपकेन्द्र निर्माण हेतु नहीं स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन को तारों की सप्लाई

122—श्री धनराज यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में ककरहवा से बरदहवा बूढ़ी होकर बिजली के खम्भ 5 वर्ष पूर्व गाड़ कर तार भी खींच दिय गय थे, किन्तु विद्युतीकरण पूर्ण

न होने से ग्रामीणों ने अधिकांश तार काट कर उठा ले गये ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पिछले बजट सत्र में दिये आश्वासन के अनुसार इसको पूरा कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

उक्त क्षतिग्रस्त लाइन से कोई ग्राम ऊर्जीकृत नहीं था । वर्ष 1988-89 में लाइन का पुनः निर्माण करना प्रस्तावित है ।

123--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

(5वें बुधवार के लिये स्थगित)

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्व रोजगार योजनान्तर्गत वितरित धनराशि

124--श्री राज किशोर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में स्वः रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जिलेवार कितनी धनराशि वितरित की गयी थी और कितने शिक्षित बेरोजगार लाभान्वित हुये थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिये स्वः रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष, 1985-86 में प्रदेश में, संलग्न सूची में इंगित जिलेवार धनराशि वितरित की गयी थी एवं शिक्षित बेरोजगार लाभान्वित हुये थे ।

जनपद वाराणसी में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्वः रोजगार योजनान्तर्गत वितरित धनराशि

125--श्री राज किशोर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में स्वः रोजगार योजना के अन्तर्गत वाराणसी जनपद में कितनी धनराशि वितरित की गयी और कितने शिक्षित बेरोजगार लाभान्वित हुये?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिये स्वः रोजगार योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी में वर्ष 1985-86 में 91.93 लाख रु0 की धनराशि वितरित की गई तथा 506 शिक्षित बेरोजगार लाभान्वित हुये ।

126--श्री सरदार सिंह--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

आर0 एफ0 सी0 कार्यालय, लखनऊ मण्डल द्वारा ठेकेदार को बिल का भुगतान न किये जाने का कारण

127--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र पाल, रेगुलर ठेकेदार (हाउलिंग) के बिल नं0 501/6-6-86, को (आर0 एफ0 सी0 विभाग) दिनांक 10 नवम्बर, 1983 से 3 मार्च,

* (देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 228-229 पर)

1984 तक जनपद हरदोई में चावल लोडिंग का था, का भुगतान आर0 एफ0 सी0 कार्यालय, लखनऊ मण्डल द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को कर दिया गया है। यदि नहीं, तो क्यों ? इतनी लम्बी अवधि के बाद भुगतान न किये जाने में कौन कर्मचारी दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा भी पत्र दिनांक 11 मई, 1987 को शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं।

श्री चन्द्र पाल, रेगुलर ठेकेदार ने मिलों से चावल की लोडिंग का कार्य नहीं किया था, अतः उन्हें बिल का भुगतान नहीं किया गया।

इस बिल के भुगतान न किये जाने के लिये कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 जून, 1987 शासन को नहीं प्राप्त हुआ है। अतः इस पर कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद तथा वाराणसी मण्डल में राजकीय सिंचाई संकर्मों से कृषि योग्य क्षेत्रफल की सिंचाई का प्रतिशत

128—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मंडल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

फैजाबाद मण्डल के कुल 24.302 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में से 11.975 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल अर्थात् 49.27 प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है।

विगत 5 वर्षों में राजकीय सिंचाई संकर्मों से कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल की तुलना में वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत निम्न प्रकार रहा है :—

क्रम-संख्या	वर्ष	सिंचाई का प्रतिशत
1	1982–83	20.8
2	1983–84	20.06
3	1984–85	21.3
4	1985–86	20.95
5	1986–87	19.4

129—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मंडल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाराणसी मंडल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का 64 प्रतिशत क्षेत्र राजकीय सिंचाई संक्रमों के कमाण्ड में है तथा विगत पांच वर्षों में इन राजकीय संक्रमों द्वारा मंडल के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल की वास्तविक सींच का प्रतिशत निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रतिशत
82–83	28.6
83–84	27.6
84–85	32.8
85–86	31.8
86–87	32.3

जनपद बाराबंकी के जेतपुर कस्बे के निवासियों द्वारा हथकरघा उत्पादन केन्द्र में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत

130—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7 नवम्बर, 1985 को जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत कस्बा जेतपुर के निवासियों द्वारा हथकरघा उत्पादन केन्द्र में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो इस शिकायती-पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ओखला में सम्पर्क एवं क्रय अधिकारियों के अधीनस्थ निर्मित आवासों को अन्य अधिकारियों को आवंटित करने की मांग

131—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि ओखला में सम्पर्क एवं क्रय अधिकारी का कोई पद है जिसके अधीनस्थ चार सहायक अभियन्ताओं हेतु आवास बने हुए हैं ? यदि हां, तो इन अवासों में कौन-कौन अभियन्ता रह रहे हैं और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन आवासों को अन्य अधिकारियों के लिये आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, टिहरी बांध परियोजना के अधीनस्थ ओखला में सम्पर्क एवं क्रय अधिकारी का एक एवं सहायक अभियन्ता के दो पद स्वीकृत हैं। दो सहायक अभियन्ता हेतु दो आवास टिहरी परियोजना के विरुद्ध बने हैं।

सम्प्रति एक आवास में राजपत्रित स्तर के एक अवर अभियन्ता माह 8/87 से अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं तथा दूसरा आवास सहायक अभियन्ता की पद स्थापना न होने के कारण रिक्त है।

सहायक अभियन्ता की पद स्थापना के बाद उन्हें आवास आवंटित करना पड़ेगा। इस लिये आवास अन्य अधिकारियों को आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

देहरादून जनपद में यमुना नदी पर लखवाड़ एवं व्यासी बांधों की निविदाओं को विलम्ब से स्वीकार करने पर अतिरिक्त व्यय भार

132—श्री हर्षवर्धन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 20 अगस्त, 1987 का पत्र जो देहरादून जनपद में यमुना नदी पर लखवाड़ एवं व्यासी बांधों की निविदाओं को स्वीकार करने में अनावश्यक विलम्ब के कारण लगभग 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार बढ़ने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र के तथ्य क्या हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पत्र में जनपद देहरादून में यमुना नदी पर बनने वाले लखवाड़ एवं व्यासी बांधों के लिये आमंत्रित निविदाओं को स्वीकार करने में कथित विलम्ब के कारण सार्वजनिक कोष पर रु0 चालीस करोड़ के अतिरिक्त भार का उल्लेख करते हुए दो बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है कि केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण विभाग से आवश्यक स्वीकृति कब मांगी गई थी और भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा स्वीकृत कब प्रदान की गई।

भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से स्वीकृति दिनांक 17-6-80 को मांगी गई थी जो पर्यावरण, वन एवं वन्य जन्तु विभाग द्वारा दिनांक 3-2-87 में प्रदान की गई।

चिनहट विद्युत् उपकेन्द्र लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग तथा पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संपत्ति की जांच

133—श्री भगौती सिंह—

द्वितीय सत्र 87 के पहले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 87 क उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित कर्मचारियों का स्थानान्तरण कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त संदर्भ में क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अवर अभियन्ताओं से प्राप्त उनकी संपत्ति का संपूर्ण विवरण क्या है ? क्या इनसे प्राप्त विवरण की सत्यता एवं इनकी बेनामी संपत्तियों की भी जांच कराई जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संबंधित कर्मचारियों का स्थानान्तरण अभी नहीं किया गया है। खन्ड के अन्य कर्मचारियों के साथ इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण वर्तमान सत्र में प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये जायेंगे।

चिनहट विद्युत् उपकेन्द्र पर केवल एक अवर अभियन्ता तैनात हैं जिनकी संपत्ति का विवरण राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त हुआ है। इसका परीक्षण राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा किया जा रहा है यदि आवश्यक हुआ तो उस पर जांच कराई जायगी।

श्री मोती पुत्र जोखू, अल्लीपुर कोडरा, फैजाबाद को विद्युत् विभाग द्वारा अनुग्रह भुगतान से संबंधित प्राप्त विधायक के पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

134—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि श्री आर0 पी0 सुमन, सांसद का दिनांक 26 जुलाई, 1987 का पत्र जो विधान सभा 1987 के प्रथम सत्र के प्रथम शुक्रवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 मा0 नत्थू लाल किंकल-विधायक के प्रश्न पर दिए गए उत्तर के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए संबंधित विषय में शासन ने क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले के अशोगवा, मदरहवा नामक बांध पर ग्राम सनौली तथा नवेल के बीच हुई मरम्मत में भारी घोटाले की शिकायत की जांच

135—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत बूढ़ी राप्ती नदी के दायें किनारे पर अशोगवा, मदरहवा नामक बांध सिंचाई विभाग का है? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस बांध पर अक्तूबर, 1985 और मार्च, 1986 के बीच के दिनों में ग्राम सौनोली तथा नवेल के बीच मरम्मत के कार्य कराये गये थे और इस कार्य में भारी घोटाले की शिकायत विभाग से की गयी थी जिसके संबंध में विभाग ने जांच समिति बनायी थी? यदि हां, तो जांच कब पूरी हुई तथा इसके क्या परिणाम रहे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। अतः जांच परिणाम बताना संभव नहीं है।

जनपद मुरादाबाद के गजरौला कस्बे में विद्युत् खम्भे में विद्युत तार लग जाने से हुई मृत्य के संबंध में मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाये जाने की मांग

136—श्री कौशिक रमा शंकर—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि 7 जुलाई, 1986 में जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत कस्बा गजरौला में विद्युत् खंभे में विद्युत् तार लग जाने से अब्दुल गनी नामक व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में सी0 आई0 डी0 द्वारा कोई जांच कराई गई थी? यदि हां, तो उक्त जांच के बाद दोषी विद्युत् कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई तथा मृतक के परिवार को कितना धन मुआवजा के रूप में दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गयी जांच में मृतक श्री अब्दुल गनी की विद्युत् करेन्ट के कारण मृत्यु के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। अपराध अनुसंधान आख्या में यह संस्तुति की गयी है कि चूंकि भारतीय विद्युत् नियमावली 1956 के नियम 50 (2) (ब) के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा चालू विद्युत् लाइन के खंभे में रस्सी से तिरपाल बांधन का कार्य अनियमित था। अनुसंधान आख्या में मृतक के परि-

वार को क्षतिपूर्ति/अनुदान की मांग को न्यायोचित नहीं बताया है। अतः मुआवजा दिये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जनपद हरदोई में सन्डीला—गौसगंज होकर मल्लावा मार्ग पर चलने वाली बसों के परमिट

137—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में सन्डीला से गौसगंज होकर मल्लावा मार्ग पर वर्तमान समय में कितनी बसें चल रही हैं तथा 31 दिसम्बर, 1987 तक कितनी बसों के परमिट किन-किन तारीखों को दिए गये। उपरोक्त मार्ग पर चलने वाली बसों के नम्बर, बस मालिकों के नाम और पते क्या हैं? क्या यह सही है कि इस मार्ग पर कुछ बसें बिना परमिट के चल रही हैं? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद हरदोई में सन्डीला—गौसगंज होकर मल्लावां मार्ग पर तीन बसें स्थायी परमिट के आधार पर चल रही हैं।

31 दिसम्बर, 1987 तक तीन बसों के परमिट दिनांक 9 जुलाई, 1987 को जारी किये गये हैं। उनके नाम पते आदि का विवरण निम्न प्रकार है:

(1) डी0एल0पी0-4995-1343/स्टेज, 8 जुलाई, 1990 तक।	श्री दीन दयाल वर्मा पुत्र श्री राम दुलारे वर्मा, पुलिस लाइन पुरवा, हरदोई।
(2) यू0एस0जेड0-1752-1344/स्टेज, 8 जुलाई, 1990 तक।	श्री अब्दुल मजीद पुत्र श्री मो0 रजाक, आलू थोक, बावन रोड, हरदोई।
(3) यू0एस0डी0-1856-1345/स्टेज 8 जुलाई, 1990 तक।	श्रीमती जैना अग्रवाल पत्नी श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, निवासी 107-ए वैटगंज, हरदोई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य वस्त्र निगम, कानपुर द्वारा वेस्ट काटन मिलों के कन्ट्रैक्ट दिये जाने में अनियमितता

138—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, कानपुर ने दिनांक 26 अक्तूबर, 1987 को वेस्ट काटन के पांच मिलों के टेण्डर दिये थे और चार मिलों के कान्ट्रैक्ट पार्टियों को दे दिये गये थे लेकिन काशीपुर यूनिट का कान्ट्रैक्ट हरियाना काटन वेस्ट सेन्टर, मुरादाबाद को नहीं दिया गया, जब कि उक्त दिनांक के टेण्डर पर इनका रेट सबसे अधिक था? यदि हां, तो क्या सरकार प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। चार मिलों के कान्ट्रैक्ट दे दिये गये थे। काशीपुर मिल से सम्बन्धित समस्त निविदायें तकनीकी कारणों से निरस्त कर दी गई थीं तथा बन्द निविदायें दिनांक 7 फरवरी, 1987 को पुनः आमंत्रित की गई।

मुरादाबाद से ग्राम पीपलसाना तक चलने वाली प्राइवेट बसों के किराये को कम करने की मांग

139—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या सरकार को जानकारी है कि मुरादाबाद से काशीपुर की ओर चलने वाली प्राइवेट बसें मुरादाबाद से ग्राम पीपलसाना तक की 20 कि0 मी0 दूरी का किराया तीन रुपये वसूल रही हैं जब कि इतनी ही दूरी का किराया राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें ढाई रुपये ले रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किराया कम कराने का कष्ट करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। वास्तव में राज्य सड़क परिवहन निगम, मुरादाबाद बस स्टैण्ड से निजी बस स्टैण्ड कुछ दूरी पर है इसी कारण किराये में उक्त अन्तर आता है। राज्य सड़क परिवहन निगम का वास्तविक किराया 2 ·74 रु0 आता है जिसका नियमान्तर्गत केवल ढाई रुपये ही लिया जा सकता है जब कि निजी बस का वास्तविक किराया 2 ·75 रु0 से अधिक आता है इसलिये वे तीन रुपये वसूल रहे हैं। अतः इस अन्तर को कम करने का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के निरीक्षण गृहों में कार्यरत "केयरटेकर" पद धारकों का कार्य व उत्तरदायित्व

140—श्री राम सागर, श्री यदुनाथ सिंह, श्री काशी सिंह ऐरी तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत विद्युत् परियोजनाओं के निरीक्षण गृहों में कार्यरत "केयरटेकर" पद धारकों के क्या-क्या कार्य व उत्तरदायित्व विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

केयरटेकर एक नया संवर्ग है। इस पद के कार्य तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण अभी तक राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा नहीं किया जा सका है। विभिन्न परियोजनाओं के निरीक्षण गृहों पर तैनात इन केयरटेकरों से वहां की परिस्थिति के अनुरूप उनसे कार्य लिया जाता है।

जनपद हरदोई के सण्डीला में हिया पुल पर बस किराया निर्धारित दर से लिया जाना

141—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में सण्डीला से गौसगंज होकर मल्लावां मार्ग पर बसें चलाने हेतु बसों के परमिट जारी किये गये हैं? क्या यह सही है कि इन बस मालिकों द्वारा सण्डीला से 7 कि0 मी0 दूरी पर स्थित हिया का पुल का 2 रु0 किराया वसूला जाता है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर निर्धारित दरों पर बस किराया लिये जाने के सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

सण्डीला से हिया के पुल की दूरी 7 कि0 मी0 के स्थान पर 11 ·5 कि0 मी0 है। बस परिचालकों द्वारा मार्ग के इस भाग के लिये 2 रु0 किराया वसूल किया जा रहा है। जो निर्धारित दर से अधिक है। निर्धारित दर से अधिक किराया लिये जाने की सूचना प्राप्त होते ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

देवरिया जनपद के पथरदेवा विकास खण्ड के ग्रामों में विद्युतीकरण

142—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के पथरदेवा विकास खण्ड में विगत पांच वर्षों में कितने ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उर्जीकृत किये गये ? क्या

यह सत्य है कि इस अवधि में किसी भी ग्राम का पूर्वोक्त योजना के अन्तर्गत ऊर्जीकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है? क्या सरकार इस दृष्टि से संतुलन बनाये रखने के लिए संबंधित विकास खन्ड के विद्युतीकरण से वंचित गावों को उर्जीकरण के लिये अविलम्ब योजना बना कर उर्जीकरण हेतु निर्देश देगी?

श्री बीर बहादुर सिंह—

देवरिया जनपद के पथरदेवा विकास खन्ड में विगत 5 वर्षों में 13 ग्रामों का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार तथा 3 ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पथरदेवा विकास खन्ड की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 12/85 में समाप्त होने के पश्चात अब पुनः इस विकास खन्ड के लिये नई आर0 एम0 एन0 पी0 योजना स्वीकृत होकर आ गई है। इसके अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

जनपद फैजाबाद के विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

143—श्री रबीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय मुख्य मन्त्री को सबोधित तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को पृष्ठांकित प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 15 अक्तूबर, 1987 का पत्र शासन को मिल गया है? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, फैजाबाद ने भी इसी बारे में दिनांक 8 सितम्बर, 1987 को एक पत्र श्री जी0 के0 पान्डेय, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खन्ड, अकबरपुर, फैजाबाद को लिखा था जिसकी प्रतियां प्रश्नकर्त्ता तथा श्री डी0 पी0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, फैजाबाद को पृष्ठांकित थी? यदि हां, तो उक्त मामले में पूरे तथ्य तथा दिनांक 19 जनवरी, 1988 तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है.?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां।

अपने पत्र दिनांक 15 अक्तूबर, 1987 में माननीय विधायक ने जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी तथा जलालपुर के 63 के0 वी0 ए0 के खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने एवं जनपद में आवश्यक केबिल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी सूचित किया था कि मे0 त्रिभुवन इन्टर प्राइजेज, फैजाबाद के यहां 63 के0 वी0 ए0 के 21 ट्रांसफार्मर रिपेयर करके पड़े हैं परन्तु लखनऊ की तकनीकी टीम द्वारा उनका निरीक्षण न हो पाने के कारण उन्हें विभाग के स्टोर को नहीं दिया जा रहा है। इस संबन्ध में वस्तु स्थिति इस प्रकार है —

(1) जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में आठ ट्रांसफार्मर 3 सितम्बर, 1987 से 15 अक्तूबर, 1987 की अवधि में और विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में तीन ट्रांसफार्मर 18 सितम्बर, 1987 से 8 अक्तूबर, 1987 की अवधि में खराब हो गये थे।

सूखे के मौसम में केबिल तथा ट्रांसफार्मरों की मांग एकाएक बढ़ गई थी जिससे अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

(2) मे0 त्रिभुवन इन्टरप्राइजेज, फैजाबाद में पड़े 21 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत हो जाने की सूचना सामग्री प्रबन्ध संगठन को 8 अक्तूबर, 1987 को प्राप्त हुई थी। इन ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण 15-16 अक्तूबर, 1987 को कर लिया गया तथा 16 अक्तूबर, 1987 को ही इनको इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई।

3--आवश्यक केबिल एवं ट्रांसफार्मर विद्युत् वितरण खण्ड, फैजाबाद को उपलब्ध करा दिये गये हैं। विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के खराब ट्रांसफार्मर 20 अक्तूबर, 1987 से 17 नवम्बर, 1987 की अवधि में और विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के खराब ट्रांसफार्मर 26 नवम्बर, 1987 से 7 नवम्बर, 1987 की अवधि में बदल दिये गये हैं तथा स्थिति सामान्य है।

1984-85 में बुनकर हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा काटे गये रिबेट धन के भुगतान की मांग

144--श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में बुनकर हथकरघा सहकारी समितियों के काटे गये रिबेट धन का भुगतान समिति के वर्ष के अन्तर्गत है अब में अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है तथा उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम, कानपुर में कब रिबेट धन ब्याज सहित दिया जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा निजी कम्पनियों एवं अन्य राज्यों से बनवाई गई बस बाडियों पर व्यय धनराशि का विवरण

145--श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में विगत ढाई वर्षों में अपनी केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर के अतिरिक्त अन्य निजी कम्पनियों और किसी अन्य राज्य से कितनी बसों की बाडी बनवाई गई है और प्रत्येक बाडी पर कितनी धनराशि खर्च हुई ? क्या यह बाडी निगम की कार्यशाला, कानपुर में बनवाई जा सकती थी ? यदि हां, तो निगम की उक्त कार्यशाला में ये बस बाडियां क्यों नहीं बनवायी गयीं और अपनी केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में प्रति बस बाडी पर कितना खर्च आता ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कार्यशाला व एलेन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां तो उनका विवरण और परिणाम क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पिछले ढाई वर्षों में (नवम्बर, 1985 से) केन्द्रीय कार्यशाला के अतिरिक्त अन्य निजी निर्माताओं और अन्य राज्य से जो बसें बनवाई गई हैं और प्रत्येक बाडी पर जो धनराशि व्यय हुई है उसका विवरण निम्नवत् है :

वर्ष 1985-86 (नवम्बर, 1985 से)

फर्म का नाम	संख्या	कुल दर प्रति बस बाडी	
		टाटा	लीलैण्ड
		रु0	रु0
1--मे0 हैदराबाद आल्विन (आन्ध्र प्रदेश) सरकार का उपक्रम	200	1,33,745·00	1,35,500·00

	वर्ष 1986–87		
1—मे0 हैदराबाद आल्विन	200	1,41,745·00	1,43,500·00
	200	1,46,745·00	1,48,500·00
2—मे0 उत्कल आटोमोबाइल्स, जमशेदपुर	30	1,52,390·00	1,57,890·00
	125	1,51,809·00	1,57,199·20
3—मे0 जय कोच इन्टरप्राइजेज, बम्बई	40	1,59,450·00	1,62,810·00
	50	1,59,522·80	1,62,832·40
4—मे0 रूबी कोच बिल्डर्स, बम्बई	30	2,02,010·00	··
	(6 सेमी डीलक्स)		
	(सेमी डीलक्स)	··	2,16,010·00
	160	2,11,530·00	2,16,010·00
	(सेमी डीलक्स एवं बोडियो सहित)	2,17,130·00	2,21,610·00
	वर्ष 1987–88		
1—मे0 हैदराबाद आल्विन	240	1,65,000·00	1,66,255·00
2—मे0 उत्कल आटोमोबाइल्स	120	1,62,100·00	1,66,500·00
	1 सेमी डीलक्स	2,11,600·00	··
3—मे0 जय कोच इंटरप्राइजेज	110	1,64,740·00	1,69,220·00
4—मे0 रूबी कोच बिल्डर्स, अहमदाबाद	25 सेमी डीलक्स	2,11,812·00	2,16,004·00
	10 डिस्ट्रिक्ट	··	1,62,556·00
5—मे0 रूबी कोच बिल्डर्स, बम्बई	10 सेमी डीलक्स	··	2,24,666·00
6—मे0 मैक्ट्रूल इंडस्ट्रीज, लखनऊ	2	1,23,178·75	1,26,053·34
7—मे0 ए0 पी0 कामर्स, लखनऊ	2	1,22,917·42	1,26,053·34
8—मे0 मोटर सेल्स, लखनऊ	2	1,23,459·87	1,26,591·82

उपरोक्त अवधि में केन्द्रीय कार्यशाला तथा एलेन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर में पुरानी बसों के रिनोवेशन के साथ-साथ नई चेसिस पर बस बाडी की संरचना कराई गई जिसका विवरण निम्नवत् है :—

		1985–86		1986–87		1987–88 (जनवरी तक)
केन्द्रीय कार्यशाला	नई	485	नई	754	नई	390
	रिनोवेटेड	104	रिनोवेटेड	22	रिनोवेटेड	194
		589		776		584
एलेन फारेस्ट कार्यशाला	नई	8			नई	14
	रिनोवेटेड	255	रिनोवेटेड	380	रिनोवेटेड	270
		263				284

केन्द्रीय कार्यशाला तथा एलेन फारेस्ट कार्यशाला की क्षमता क्रमशः 45 एवं 33 बसें प्रति माह तदनुसार 540 तथा 396 प्रति बस की है। कार्यशालाओं की क्षमता का आवश्यकतानुसार ओवर-टाइम देकर अधिकतम उपयोग किया गया। वर्ष 1985-86 में 200, वर्ष 1986-87 में 841 तथा वर्ष 1987-88 में (जनवरी तक) 522 चेसिस क्षमता से अधिक होने के कारण बस बाडी निजी फर्मों द्वारा बनवाई गई। बाहरी फर्मों द्वारा नई पद्धति के अनुसार फोल्डेड सेक्शन के सुपर स्ट्रक्चर पर बस बाडी की संरचना कराई गई जब कि निगम की दोनों कार्यशालाओं में पुरानी पद्धति के अनुसार ऐंगिल आइरन के सुपर स्ट्रक्चर पर बाडी की संरचना कराई गई जिस पर वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 में क्रमशः रु0 1,88,000·00, 1,10,000.00, 1,20,000·00 प्रति बस बाडी टाटा हेतु तथा 1,10,000·00, 1,12,000·00, 1,22,000·00 प्रति बस बाडी ली लैण्ड हेतु खर्च आया। नई पद्धति से बनाई गई बसों की आयु अधिक होती है। 4·80 लाख कि0 मी0 के स्थान पर 6 लाख कि0 मी0।

नई पद्धति के अनुसार गुणवत्ता बढ़ाने हेतु फोल्डेड सेक्शन के सुपर स्ट्रक्चर पर बाडी संरचना के लिये एलेन फारेस्ट कार्यशाला में नई प्रकार की मशीनें एवं आवश्यक उपकरण की कुछ व्यवस्था की जा चुकी है तथा शेष की जा रही है। नयी पद्धति के अनुसार एलेन फारेस्ट कार्यशाला में बस बाडी संरचना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है जैसे-जैसे शेष उपकरण प्राप्त होते जायेंगे, उत्पादन क्षमता बढ़ती जायगी तथा निकट भविष्य में नई चेसिसों पर बस बाडी बनाने की लगभग प्रति माह 35 की क्षमता उपलब्ध हो जायगी।

चकधान प्रथा पर सिंचाई कर वसूलने की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

146—श्री नरेन्द्र पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में चकधान प्रथा पर सिंचाई कर वसूलने की व्यवस्था है? क्या इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने का कष्ट करेंगे यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कोसी आर्टीयल ड्रेन मथुरा में अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा दिलवाये जाने की मांग

147—श्री लक्ष्मी नारायण—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसी आर्टीयल ड्रेन, मथुरा में अधिग्रहीत की गयी भूमि का गांव नगरिया 10 बिस्वा, छाता, दौताना के किसानों को मुआवजा दिया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो मुआवजा न देने का क्या कारण है? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कोसी आर्टीरियल ड्रेन, जनपद मथुरा के पुनरोद्धार कार्य हेतु 19 ग्रामों की भूमि ली गयी किन्तु ग्राम नगरिया 10 बिस्वा की कोई भूमि अधिकृत नहीं की गयी है। ग्राम छाता के कृषकों को आंशिक मुआवजा 99,744.76 रुपये का वितरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा किया गया तथा 4,53,860.00 रुपये का भुगतान उनके द्वारा किया जाना शेष है, ग्राम दौताना में कृषकों को मुआवजा 4,24,308.40 रुपये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा देना शेष है।

धन की कमी के कारण अवशेष प्रतिकर नहीं बांटा गया।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है, क्योंकि कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है।

आगरा मन्डल के लालपुर माइनर के निर्माण हेतु सर्वेक्षण

148—श्री लक्ष्मी नारायण—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 दिसम्बर, 87 को आगरा मण्डल के जन प्रतिनिधियों की बैठक में लालपुर माइनर, मथुरा के निर्माण हेतु उच्च अधिकारियों को आदेश दिये थे? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बीर बहादुर सिंह—

दिनांक 6 दिसम्बर, 1987 को आगरा मण्डल के जनप्रतिनिधियों की बैठक में प्रश्न-कर्त्ता सदस्य ने नई माइनर बनाने की मांग की थी।

माइनर के निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है।

जनपद फतेहपुर के विद्युत् विभाग के अवर अभियन्ता व लाइन मैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

149—श्री लक्ष्मी नारायण—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग, जनपद फतेहपुर के हथगाम के अवर अभियन्ता व लाइन मैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु अध्यक्ष, युवा लोक दल, हथग्राम, फतेहपुर के पत्र के साथ माननीय नेता विरोधी दल का पत्रांक 1020, दिनांक 23-4-87 उन्हें प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां।

उक्त पत्र पर पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) द्वारा जांच कराई जा रही है।

हथकरघा निगम में कार्यरत पर्यवेक्षकों को उचित वेतनमान दिलवाये जाने की मांग

150—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हथकरघा निगम में कार्यरत उत्पादन पर्यवेक्षक सन् 1982 से 20 जनवरी, 1988 तक 300 रुपये मासिक छात्रवृत्ति पर ही रखे जा रहे हैं? क्या नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार तीन मास पश्चात् उन्हें 230-385 रु0 का वेतन अनुमन्य हो जाना चाहिए था? व या यह सही है कि परीक्षा भी सम्पन्न हो चुकी है फिर भी वेतनमान नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ड्रेनेज खण्ड, जिला बस्ती के मुखलिसपुर पम्प कैनाल का आडिट

151—श्री सुखपाल पान्डे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड द्वितीय, जिला बस्ती के मुखलिसपुर पम्प कैनाल का आडिट सन् 1981 से दिसम्बर, 1987 तक कब-कब हुआ तथा कितने रुपये की अनियमिततायें तथा गबन प्रकाश में आये? मुख्य-मुख्य आडिट आपत्तियां क्या हैं?

श्री बीर बहादुर सिंह—

ड्रेनेज खण्ड, बस्ती के मुखलिसपुर पम्प कैनाल का आडिट सन् 1981 से दिसम्बर, 1987 तक निम्नलिखित तिथियों में 6 बार हुआ—

1—वर्ष 1981–82 अवधि 27 जुलाई, 1981 से 13 अगस्त, 1981।

2—वर्ष 1982–83 अवधि 6–12–82 से 15–12–82।

3—वर्ष 1983–84 अवधि 2–12–83 से 14–12–83।

4—वर्ष 1984–85 अवधि 14–2–85 से 23–2–85।

5—वर्ष 1985–86 अवधि 22–2–86 से 7–3–86।

6—वर्ष 1986–87 अवधि 22–2–87 से 3–3–87।

मामले में प्रोसीजरल अनियमितताये प्रकाश में आई, परन्तु गबन का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया।

संक्षिप्त मे मुख्य-मुख्य आडिट आपत्तियां निम्नलिखित हैं:—

वर्ष 1981–82—

1—पम्प, मोटर की मरम्मत एवं सामग्री क्रय में अनावश्यक व्यय रु0 22913.25।

2—पुर्जे (रु0 6,000), फर्नीचर क्रय करने एवं आपूर्ति आदेश (रु0 22,000) में सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त न करना एवं पत्राचार करना।

3—कार्यादेश (रु0 7,500) अनियमित रूप से निर्गत करना। कंकरीट रिवेटमेंट की मरम्मत में अनावश्यक व्यय (रु0 32,367)।

4—कोयले की ढुलाई में अनावश्यक व्यय (रु0 50,000)।

5—बिना स्वीकृत के मस्टर रोल द्वारा कार्य कराया जाना।

वर्ष 1982–83

1—अनुबन्ध में प्राविधिक मदों में कार्य की मात्रा में भिन्नता के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न करना।

2—समय से ठेकेदार द्वारा कार्य न कराने पर जुर्माना लगाने और उसकी वसूली न करना।

3—कार्यादेश में अधिक दर से भुगतान देने में अनावश्यक व्यय (रु0 5,166)।

4—रु0 30.62 लाख के प्राक्कलन बिना स्वीकृति के कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

वर्ष 1983–84

1—कुआनों पम्प नहर के पम्प हाउस के लिये सर्कुलर इन्टेकवेल के लिये 1 लाख रु0 का अनियमित व्यय।

2—कुआनों नदी पर अस्थायी बैरियर की मरम्मत में (1 लाख रु0) प्रतिवर्ष का अनावश्यक व्यय।

3—मुखलिसपुर बियर साइट पर स्टोन ब्लास्ट की आपूर्ति में ठेकेदार से निगोशियेशन न करना।

वर्ष 1984–85।

1—रु0 20.38 लाख की सामग्री का अनावश्यक एकत्रीकरण एवं कुआनों एवं नहर के पम्प में मरम्मत में (रु0 2.43 लाख का) अनावश्यक व्यय।

वर्ष 1985–86

1—परियोजना के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलम्ब।

2—ईंटों के एकत्रीकरण में 12 हजार रु0 का ज्यादा भुगतान।

3—ठेकेदार से जुर्माना वसूली न करना।

वर्ष 1986–87

1—रु0 1.59 लाख अस्थायी अपवाह के समायोजन मे आर्थिक विलम्ब।

2--रु0 11 हजार के मूल्य के उपकरण एवं संयंत्र का त्रुटिपूर्ण समायोजन ।

3--प्रथम श्रेणी की ईटों के क्रय में अधिक दरों पर भुगतान करने के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति न लेना ।

4--कांक्रीट मिक्सर मशीन का किराया (रु0 13 हजार) ठेकेदार से वसूल न करना ।

5--काफर डैम के निर्माण में ऊंची दरों पर काली मिट्टी के कार्य पर (रु0 98,830) के व्यय के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन न लेना ।

6--कुआनों पम्प नहर के नये पम्प हाउस की नींव में मिट्टी का कार्य तथा तत्सम्बन्धी काफर डैम के पुनः निर्माण/रख रखाव में अनावश्यक व्यय (रु0 2.337 लाख) ।

बलिया जनपद के पिछड़े इलाके में हथकरघा विकास हेतु परियोजना स्थापित करने की मांग

153--श्री शारदा अंचल--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र में काफी लोग हथकरघा से रोजी रोटी चलाते हैं ? क्या सरकार बलिया जनपद के इस सर्वाधिक पिछड़े इलाके में हथकरघा विकास हेतु परियोजना स्थापित कर जनहित में विकास करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ रतनपुरा में हथकरघा निगम का एक उत्पादन केन्द्र कार्यरत है ।

इलाहाबाद-मीटी-लच्छीपुर मार्ग पर बस सेवा संचालित किये जाने की मांग

153--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इलाहाबाद--करछना, कोहडार घाट, इलाहाबाद से कालगई तथा इलाहाबाद से बसही एवं इलाहाबाद से मीटी लक्ष्मीपुर की बसें कई माह से बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो बसों के बन्द होने का क्या कारण है तथा क्या उन्हें फिर से चलाने या उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करने पर सरकार शीघ्र विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

इलाहाबाद-करछना-कोहडारघाट, इलाहाबाद-कुलमई तथा इलाहाबाद-बसही-लकटहा मार्ग पर निगम की सेवायें संचालित की जा रही हैं । इलाहाबाद-मीटी-लक्ष्मीपुर नाम के मार्ग की सूचना उपलब्ध नहीं है । इलाहाबाद क्षेत्र द्वारा इलाहाबाद-मीटी-लच्छीपुर मार्ग पर बस सेवा संचालित की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

154--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद मथुरा, मांट ब्रांच गंगा नहर की सिंचन क्षमता बढ़ाने की मांग

155--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि खारे पानी की समस्या एवं टेल पर होने के कारण मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा द्वारा प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र की भूमि का सिंचन पर्याप्त

रूप से नहीं कर पाती है और फसल की पैदावार कम होने से राष्ट्रीय हानि होती है ? यदि हां, तो शासन सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिये कौन-कौन से उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र गोकुल, जनपद मथुरा का भू-गर्भीय जल खारी और मांट शाखा के टेल पर स्थित है ।

कृषियोग्य क्षेत्र के अनुपात में रबी की सींच का प्रतिशत वपूरी प्रणाली पर रबी फसल में होने वाली सींच का प्रतिशत लगभग एक सा है, अतएव गोकुल क्षेत्र में राष्ट्रीय हानि होने का प्रश्न नहीं उठता । मांट शाखा प्रणाली पर होने वाली वास्तविक सींच प्रस्तावित सींच से कम है ।

मांट शाखा प्रणाली के वर्तमान कमान्ड में प्रस्तावित रबी की फसल के लिये अधिक जल उपलब्ध कराने हेतु तथा वर्तमान सिंचन क्षेत्र को बढ़ा कर प्रस्तावित क्षेत्र तक सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गंगाघाटी में कई जलाशय परियोजनायें प्रस्तावित व निर्माणाधीन हैं, जिनके पूरा होने पर अतिरिक्त जल उपरोक्त प्रणाली में उपलब्ध हो सकेगा ।

खरीफ की फसल हेतु निर्माणाधीन मध्यगंगा परियोजना से मांट शाखा प्रणाली को अतिरिक्त पानी दिया जावेगा जिससे वर्तमान सींच बढ़कर प्रस्तावित सींच के समान होने की आशा है ।

प्रदेश की नहरों की पटरियों को पक्का कर सड़क बनाने की मांग

156--श्री बदन सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्ग निर्माण में भूमि उपलब्धता की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की नहरों की पटरियों पर जनता द्वारा वांछित स्थानों पर पक्की सड़क बनाने का प्राविधान सरकार करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या होगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

प्रदेश की नहरों की पटरियों को पक्का कर सड़क बनाने में सिंचाई विभाग को समान्यतया आपत्ति नहीं है परन्तु वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित होने के कारण सिंचाई विभाग द्वारा नहरों के सेवा मार्गों को पक्का करना व तदुपरान्त उनका समुचित अनुरक्षण एवं रख रखाव सुनिश्चित करना संभव नहीं है ।

श्री जी0 पी0 भारती वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़ की नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

157--श्री बलराम यादव, श्री बाबू राम यादव, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, तथा श्री हफीज भारती--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जी0 पी0 भारती वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़ यू0 पी0 राजकीय रोडवेज की भर्ती के समय इनकी शैक्षिक योग्यता तथा जन्म तिथि क्या थी ? क्या यह सही है कि इन्होंने प्रथम नियुक्ति के समय ही फर्जी हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

श्री जी0 पी0 भारती, क्षेत्रीय प्रबन्धक से प्राप्त हाई स्कूल परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के अनुसार इनकी जन्मतिथि 1 जुलाई, 1933 है । इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा वर्ष

1948 में उत्तीर्ण की और उसी वर्ष इन्हें बैंकिंग लिपिक के रूप में प्रथम नियुक्ति राजकीय रोडवेज में प्राप्त हुई।

जहां तक प्रथम नियुक्ति के समय फर्जी प्रमाण-पत्र देने का प्रश्न है, श्री भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने हाई स्कूल पास करने के प्रमाण स्वरूप सरकारी गजट की प्रतिलिपि अपने प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत की थी और इनके द्वारा जन्मतिथि अथवा शैक्षिक योग्यता संबंधी सही तथ्यों को कभी नहीं छिपाया गया। इनकी प्रथम नियुक्ति संबंधी अभिलेख अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है।

जनपद सीतापुर के बुनकरों से किश्त में ऋण की वसूली

158--श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जनपद सीतापुर के बुनकरों से ऋण की वसूली 7 वर्षों की किश्त में न करके अनुबन्ध के विपरीत सारा धन एक साथ वसूल करने हेतु आदेश तहसील को दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों और क्या पुनः किश्त में ऋण की वसूली करने की कृपा करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

यह सही नहीं है।

सीतापुर जनपद के मात्र उन्हीं बुनकरों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं जिन्होंने ऋण की शर्तों से वितथ (डिफाल्ट) किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में विकास क्षेत्र मलिहाबाद लीला खेड़ा ग्राम में विद्युत् आपूर्ति

159--श्री मित्रसेन--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लीलाखेड़ा, विकास क्षेत्र मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के निवासियों का विद्युत् आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र श्री सरजू पाण्डेय, एम0 एल0 सी0 के संलग्नक सहित उन्हें दिनांक 24 नवम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ग्रामवासियों की उपर्युक्त मांग पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम लीलाखेड़ा के निवासियों का विद्युत् आपूर्ति हेतु पत्र श्री सरजू पाण्डेय, एम0 एल0 सी0 के संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है।

वर्ष 1987-88 के लिये तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना में ग्राम लीलाखेड़ा को विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित नहीं किया गया था। श्री सरजू पाण्डेय, के संलग्नक सहित ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उक्त गांव को उचित प्राथमिकता देते हुये विद्युतीकरण के कार्य पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है एवं आशा की जाती है कि माह अप्रैल, 1988 के अन्त तक इस कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। आपको जो कुछ कहना हो, उसे आप लिख कर भेज दीजिए।

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत आज 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 7 सूचनायें शलाका द्वारा स्वीकार की गयी हैं । पहली सूचना माननीय कौशिक रमा शंकर जी की जनपद मुरादाबाद के हसनपुर में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना माननीय हृदय नरायन जी की जिला उन्नाव के कस्बा मौरावां, पुरवा आदि में पीने के पानी के संकट के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना माननीय भयंकर सिंह जी की, अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है । चौथी सूचना माननीय मूल चन्द जी की, जिला वाराणसी के सुरियावां क्षेत्र की बिजली व्यवस्था के सम्बन्ध में है । पांचवीं सूचना माननीय मित्रसेन यादव जी की, जिला गोरखपुर की नौतनवां तहसील के हरिजन परिवारों की सम्पत्ति पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है । छठीं सूचना माननीय धनराज यादव की, जिला बस्ती के विकास खण्ड, बांसी में दिनांक 5 मार्च, 1988 को लगी आग के सम्बन्ध में है । सातवीं सूचना माननीय दीप नारायन जी की, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में हरिजन कर्मचारियों का कोटा पूरा किये जाने के सम्बन्ध में है ।

एक सदस्य—

मान्यवर, ये सूचनायें पढ़ी हुई मान ली जायं ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इन्हें पढ़ी मानी जायं ।

(सदन की सहमति से सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

जनपद मुरादाबाद के हसनपुर में महा विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशिक रमा शंकर—

[मान्यवर, जनपद मुरादाबाद के हसनपुर नगर में कोई महाविद्यालय नहीं है । हसनपुर नगर तहसील हसनपुर का मुख्यालय है । हसनपुर में एक सुखदेई इण्टर कालेज लड़कों के लिये तथा एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज है । हसनपुर के 16 कि0 मी0 की परिधि में अवस्थित कुल इण्टर कालेजों की संख्या 6 है । इन विद्यालयों द्वारा उत्तीर्ण प्रति वर्ष सैकड़ों छात्र महाविद्यालय में प्रवेश के लिये दूर-दूर तक भटकते हैं । हसनपुर से निकटतम महाविद्यालय सम्भल एवं अलमोहा में है, जिनकी दूरी 30 कि0 मी0 के लगभग होगी ।

मान्यवर, इस सन्दर्भ में यह उल्लेख भी समीचीन होगा कि 25 अप्रैल, 1987 के अपने पत्र में जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ने सुखदेई इण्टर कालेज के प्रबन्धक को लिखा था कि यदि 15 एकड़ भूमि महाविद्यालय के लिये प्राप्त हो जाये तो विभाग को तो हसनपुर में महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रस्ताव भेज दिया जायेगा । सुखदेई इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति ने अपनी बैठक दिनांक 15 मई, 1987 को सर्व सम्मति से इण्टर कालेज की 15 एकड़ भूमि एवं 7 कक्ष प्रस्तावित महाविद्यालय के लिये देने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसे 19 मई, 1987 को जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद को प्रेषित कर दिया गया ।

अतः श्रीमान् इस लोक महत्व एवं जनहित के मामले में, सदन के माध्यम से, सरकार से मांग करता हूं कि हसनपुर में तत्काल महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया जाय ।]

नोट—[[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिला उन्नाव के मौरावां पुरवा आदि कस्बों में भीषण पेय जल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।

*श्री हृदय नरायन—

[मान्यवर, उन्नाव जनपद के 18 हजार की आबादी वाले कस्बों, मौरावां पुरवा जो तहसील केन्द्र मुंसिफ कोर्ट, पी0 एच0 सी0 आदि सुविधाओं से युक्त हैं, में भीषण पेय जल संकट है, मशीनें खराब पड़ी हुई हैं 15 हजार आबादी वाले कस्बा मौरावां में भी लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। इन दोनों कस्बों के कुओं का पानी प्रदूषित है। बढ़ती आबादी को सुदृढ़ पेय जल व्यवस्था के जरिये ही पानी मिल सकता है । पेयजल की अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं]।

अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मण्डल, सिंचाई कार्य, बहराइच के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भयंकर सिंह—

[महोदय, सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने मण्डल में श्री टी0 ए0 खान, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण लगभग हर वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर मय कार्य स्थल के लाभ के पदों पर किया जाता रहा है तथा स्थानान्तरण जनपद बहराइच में रोक कर सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाया जा रहा है । अभी-अभी सरयू नहर-7 में उनके द्वारा सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत एक लाख साठ हजार रुपयों (1,60,000 रु0) का मास्टर रोल बनाकर बन्दरबांट किया गया है । इसके पूर्व खण्ड-3 में लंगड़ी स्केप चैनल के निर्माण कार्य में घोर अनियमिततायें की गयी हैं । इस चैनल पर निर्मित प्रान्तीय मार्ग पुल एवं पुल में कुछ हिस्सों की माप जान बूझ कर नहीं की गयी है, जिससे माप अब कराने में सरकार को डिवाटरिंग पर अनावश्यक व्यय लगभग 50,000 रु0 करना पड़ेगा तथा इस पर डिवाटरिंग हेतु करायी गयी बोरिंगें भी उखड़वाकर बेच ली गयी हैं । जिससे इनके ऊपर 56,516 रु0 की अग्रिम प्रकीर्ण की धनराशि डालने के उपरान्त भी इनके विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । लंगड़ी स्केप चैनल पर डिवाटरिंग हेतु करायी गयी अन्य बोरिंगें भी कार्य स्थल से गायब हैं । जिसकी लागत लगभग 5,00,000 रु0 पांच लाख रुपये होगी जिससे इस चैनल का निर्माण कार्य ठप हो गया है । इमामगंज ब्रांच के चलने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है । जिससे जनपद में व्यापक असंतोष फैला हुआ है]।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर प्रभावी कार्यवाही हेतु माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।]

जिला वाराणसी में सुरियावां क्षेत्र की विद्युत् संचार व्यवस्था में गड़बड़ी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मूल चन्द्र—

[मान्यवर, टाउन एरिया, सुरियावां पुरानी बाजार का ट्रान्सफार्मर 6 माह से जला हुआ है, दोबारा सौ-सौ के0 बी0 का लगाया गया, एक-एक दिन में जल गया । करीब 15 मशीन बन्द हैं । बाजार में अंधेरा है । बिल वसूला जा रहा है । ग्राम महदेपुर, महजूदा, मौरी, बहरेची, शुकुलपुर, डगहीर कुल मिला कर 50 पम्पिंग सेट हैं एक बार दो बार अधिकांश मोटरें जल चुकी हैं, फसल नष्ट हो गयी लाइन न मिलने की वजह से कनेक्शन पहले सुरियावां से था तो ठीक था । ट्रान्सफार्मर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जलने से कनेक्शन मदोही से जोड़ दिया गया । किसानों को भारी परेशानी हो गयी है । किसानों की कोई सुनवायी नहीं है बिल वसूला जा रहा है ।

अतः यह मामला अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का है । इसलिये आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि पूरे मामले की जांच की जाय और दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय ।]

गोरखपुर की नौतनवां तहसील के हरिजन परिवारों की सम्पत्ति पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।

*श्री मित्रसेन—

[मान्यवर, ग्राम रघुनाथपुर, तहसील नौतनवां, गोरखपुर के सैकड़ों हरिजन परिवारों के गांव में स्थित 300 हरे पेड़ों को उसी गांव के भूतपूर्व सामन्ती जमींदार असामाजिक तत्वों को गोलबन्द कर नाजायज असलहों की ताकत पर जबरिया बन्दूक की नोक पर कटवा लिया है । गांव के बृजलाल, जोखई, बेचू हरिजन के मकान को खड़े होकर दिन दहाड़े जलवाकर राख ही नहीं कर दिया बल्कि गिरा कर जमीनदोज कर दिया है आवासीय पट्टे की जमीन पर आबाद हरिजनों की बस्ती को आबादी न दर्ज किये जाने के कारण उन्हें उस पर से उजाड़ा जा रहा है। और उनसे लम्बी-लम्बी रकमें वसूली जा रही हैं। उनका जीना रहना तथा निकलना दूभर हो गया है। उत्पीड़न की कार्यवाही से उनमें भारी भय और आतंक व्याप्त है। 10 फरवरी, 1988 को परगनाधिकारी नौतनवां को दिये गये मांग पत्र दिये जाने पर कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण उनमें निराशा व्याप्त है। पास पड़ोस के हरिजनों में उत्तेजना व्याप्त है । और टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। किसी भी समय कोई गंभीर घटना घटने की पूर्ण आशंका है।

इस महत्व पूर्ण जनसमस्या के प्रश्न पर अविलम्ब जांच कार्यवाही की मांग करते हुये आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।]

बस्ती जिलान्तर्गत विकास खंड बांसी में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को मुआविजा देने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धनराज यादव—

[बस्ती जिले के बांसी विकास खंड के ग्राम जाजर गठिया में 5 मार्च को दिन में आग लग गई है। आग से आठ लोगों की भारी क्षति हुई है। मैं स्वयं आज घटना स्थल का निरीक्षण करने गया था। लोगों के घर उसमें रखा अनाज, कपड़ा, रुपया और अन्य सामान सब कुछ जल कर राख हो गया है। इस समय इनकी दशा यह है कि एक समय तक के भोजन के लिये उनके पास सामान नहीं है। जो कपड़े शरीर पर थे वही मात्र बचे हैं।

श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री सन्तन बुरी तरह से जल गई हैं। श्री सन्तन का एक बैल भी जल गया है। परन्तु खेद है कि बांसी के चिकित्सालय तथा पशु चिकित्सालय से उनको कोई औषधि अभी तक नहीं मिली है। अब तक यह कुल 300 रुपये अपने संबंधियों आदि से मांग कर दवा आदि पर व्यय कर चुके हैं।

श्री दुक्खी पुत्र श्री नगेश्वर का सब कुछ स्वाहा हो गया है। एक के साथ उसकी दो हजार रुपये की नई लकड़ी भी जल कर राख हो गयी है। इसी प्रकार इसी विकास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

खंड के ग्राम मझारी में भी आग लग जाने से दो परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया है।

अतः इस अविलम्बीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि सभी आठ पीड़ितों की आर्थिक सहायता की जाय।]

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में हरिजन कर्मचारियों का आरक्षण पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अति लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के समक्ष लाना चाहता हूं।

अभी हाल में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा लगभग 100 लोगों की विभिन्न पदों पर प्रोन्नति की गयी है। लेकिन उनमें से एक भी हरिजन की प्रोन्नति नहीं हुई। इसके पूर्व इसी विभाग में कार्यरत अनेकों अनुदेशकों की प्रोन्नति करके सुपरवाइजर (पर्यवेक्षक) बनाया गया था। परन्तु उनमें भी एक हरिजन अनुदेशक प्रोन्नति करके सुपरवाइजर नहीं बनाया गया। बाद में अनुदेशकों से सुपरवाइजर न बनाया जाय, कानून बना दिया गया। अब उन्हीं बनाये गये सुपरवाइजरों को प्रोन्नति करके फोरमैन बनाया जा रहा है और वे हरिजन अनुदेशक जो 20 और 25 वर्षों से इस विभाग में कार्यरत हैं आज भी अपने मूल पद पर ही हैं और सुपरवाइजर एवं पर्यवेक्षक के पद पर हरिजनों की संख्या प्रतिशत में नगण्य है। इस प्रकार से देखा जाता है कि इस विभाग के विभागाध्यक्ष हरिजन कर्मचारियों के साथ कानून को ताक पर रख कर कार्य करते हैं।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को जो हरिजन-विरोधी हैं, को हटा कर हरिजन अधिकारियों/कर्मचारियों को जो, बीसों साल से कार्यरत हैं, प्रोन्नति करके हरिजनों का कोटा पूरा किया जाय।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत आज 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय शारदा नन्द अंचल जी की, जो राजाज्ञा द्वारा भेजे गये धन के दुरुपयोग के संबंध में है। दूसरी सूचना माननीय काशी सिंह ऐरी जी की डी0 डी0 हाट में 23-2-88 को सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना न दिये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना माननीय सूर्य प्रताप शाही जी की है कल दिनांक 15-3-88 को होम गार्ड्स का सदन के अन्दर आ जाना, यह नियमों के खिलाफ के संबंध में है। चौथी सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की, पिछले शनिवार को सरकारी वसूली के संबंध में सरकारी घोषणायें की गयी थीं, मगर उसकी जानकारी अभी तक जिलाधिकारियों को नहीं भेजी गयी के संबंध में है।

जहां तक माननीय शारदा नन्द अंचल की सूचना का प्रश्न है, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, लिहाजा अस्वीकार। माननीय काशी सिंह ऐरी की सूचना के बारे में मैं जांच करा कर माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

सदन में पुलिस के प्रवेश के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, जो मेरा औचित्य का प्रश्न है, वह विधान सभा की अपनी व्यवस्था के अन्तर्गत विधान सभा के अन्दर कैसे व्यवस्था चलेगी, उसकी क्या प्रक्रिया होगी और आपकी आज्ञाओं

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का कैसे पालन होगा, उसके संबंध में है। मान्यवर, नियम 305 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि सदन के भीतर किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने के लिये वर्जित किया गया है। इस दिन के अन्दर कोई भी बाहरी व्यक्ति इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकता है। मान्यवर, कल पूरा भारत बन्द रहा।

मान्यवर, विधान सभा की व्यवस्था के संबंध में कई बार अध्यक्ष पीठ से ऐसे निर्देश किये हुये हैं कि विधान सभा परिसर के भीतर पुलिस या पी0ए0सी0 का प्रवेश वर्जित होगा। मान्यवर, स्पीकर्स कांफ्रेंस में भी यह कहा गया कि जब तक असाधारण परिस्थितियां न पैदा हों, तब तक विधान सभा के परिसर के भीतर कोई भी पुलिस नहीं बुलाई जायगी। कल श्रीमन्, जो कार्यवाही चल रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कई पुलिस कर्मी यहां पर खड़े थे और कई होम गार्ड्स के सिपाही खड़े थे। मान्यवर, कल कौन सी ऐसी असामान्य स्थिति खड़ी हो गयी थी कि विधान सभा के परिसर के अन्दर पुलिस कर्मी और होमगार्ड्स के सिपाही प्रवेश किये थे? मान्यवर, यह विधान सभा की पारम्पराओं और उसकी परिपाटी के प्रतिकूल है। मान्यवर, संविधान के भीतर जो व्यवस्था दी गयी है, यह एक अलग और स्वतंत्र व्यवस्था है। मान्यवर, इधर के दिनों में वह बार-बार इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, जिससे कि नियमों का और उसकी सार्वभौमिकता का हनन हो रहा है। मान्यवर, उसकी मर्यादाओं की रक्षा करने का दायित्व आपके कंधों पर है। मान्यवर, इस तरह से पुलिस और पी0ए0सी0 का प्रवेश विधान सभा के अन्दर कराकर, यह सरकार उपहास करा रही है मान्यवर, किन परिस्थितियों में पुलिस के लोगों की और होम गार्ड्स के लोगों की यहां पर ड्यूटी लगायी गयी और कैसे वे लोग इसके अन्दर प्रवेश कर गये?

मान्यवर, कैसे वह इसके भीतर प्रवेश किये कौन सी ऐसी असामान्य परिस्थिति खड़ी हो गयी थी? क्या मामला था? यह चर्चा होनी चाहिये थी कि किन कारणों से आज जरूरत पड़ी कि उत्तर प्रदेश और भारत बन्द हो?

श्री अध्यक्ष—

आप खत्म कीजिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, क्या जरूरत पड़ी कि बन्द हो? क्या सरकार कमीशन खा रही थी? क्या सरकार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? क्या सरकार प्रशासन चलाने में फेल हो गयी है? क्या सरकार मंहगाई को रोकने में फेल हो रही है? इनसब चीजों पर बातें होती, उसको रोकने के उपाय पर चर्चा होती। मान्यवर, होमगार्ड और पुलिस को लेकर यहां की व्यवस्था को गड़बड़ किया जाय यह उचित नहीं है। परम्पराओं की रक्षा का दायित्व आपके कंधों पर है, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या पुलिस का प्रवेश यहां हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—

सदन के अन्दर पुलिस का कोई व्यक्ति नहीं आया। 40 होमगार्ड की सेवायें मैंने सत्रकाल के लिये हासिल की हैं और वह हमारे नियंत्रणाधीन सदन के सेवक हैं, उन्हें अजनबी की संज्ञा नहीं दी जायेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैंने पूछा कि इस परिसर के भीतर प्रवेश हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—

अब बात खत्म हो गयी।

प्रदेश में राजस्व वसूली के स्थगन आदेशों का क्रियान्वयन होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं केवल 3 वाक्य में अपनी बात खत्म करूंगा। शनिवार को यहां राजस्व विभाग पर चर्चा हुई थी और इधर-उधर के सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की थी कि इस समय उत्पीड़न की कार्यवाही, कृषकों की वसूली वगैरा हो रही है, यह वर्तमान फसल के कटने तक रोक देनी चाहिये। मान्यवर, मैंने साफ-साफ सवाल किया था और माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जनवरी महीने तक यह वसूली या उत्पीड़न की कार्यवाही में पुर्नविचार किया जायेगा। मैंने उस वक्त साफ-साफ यह कहा था कि कृपया घोषणा कर दें कि आज आदेश जारी कर दिये जायेंगे क्योंकि रविवार का अवकाश निकल जायेगा। सोमवार भी निकल जायेगा।

मान्यवर, यह मेरी निजी जानकारी है कि केवल 4 जिलों के बारे में टैलेक्स गया है, जो ओला से प्रभावित माने गये हैं। मान्यवर, और भी इलाके ओला से प्रभावित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में जो आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया था, उस पर अभी तक सरकार द्वारा पुर्नविचार क्यों नहीं किया गया ? उस समय मान्यवर, मंशा साफ थी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इशारा किया था पुर्नविचार का मतलब यह है कि टैलेक्स जायेगा, अगर सरकार ने नहीं दिया तो मैं सरकार की इस नीति की भर्त्सना करता हूं क्योंकि यह एक जिले का सवाल नहीं है, ओलापीड़ित का सवाल नहीं है, सूखे का सवाल नहीं है, यह एक उस सैद्धान्तिक तरीके का सवाल है कि सरकार ने कहा था कि 31 जनवरी तक स्थगन है। मैं जानना चाहता हूं कि एक फरवरी में, मार्च में जब तक फसल कटकर उसके घर में न आ जाय तब तक उसके पास क्या है ? मान्यवर, मैंने अपने क्षेत्र का दौरा किया। एक-एक गांव में 30-30, 40-40 आदमियों को सम्मन चले गये हैं। आज हवालात में लोगों को बन्द किया जा रहा है, जेलों में बन्द किया जा रहा है। वह किसान जिनके पास 400-500 रुपये तक नहीं है उनके खेतों में खड़ी फसल में झंडियां लगा दी गयी हैं। मैंने मान्यवर, आपके माध्यम से यह औचित्य का प्रश्न रखा, आप हमें संरक्षण प्रदान करें। आप स्वयं इस बात के लिए साधिकृत हैं, आप सरकार को तत्काल निर्देशित करने की कृपा करें कि आज टैलेक्स जायेगा और यह सदन उठने से पहले माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा यह जानकारी मिल जानी चाहिये कि आदेश गया या नहीं।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो बात कही कि ओला वृष्टि के बारे में कि केवल 4 जिलों में ऐसे आदेश गये हैं। मान्यवर. यह बात शायद उनकी जानकारी में नहीं है कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह टैलेक्स भेजा है और उसकी सूचना मंगाई है। तो केवल 4 जिलों में नहीं गया है इसकी आपके माध्यम से जानकारी देता हूं। जहां तक दूसरी बात है जो उत्पीड़न की कार्यवाही रोकने और वसूली के बारे में आई तो जो रेवेन्यू डियूज थे वह रोके गये थे लेकिन और भी तमाम डियूज के बारे में सदन में चर्चा हुई थी और उस समय हमने निवेदन किया था कि इस पर सरकार पुर्नविचार करेगी। मान्यवर, पुर्नविचार आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद में होता है। हम सब लोग वहां बात ले जाते हैं। इस पर पुर्नविचार हो जायेगा, कार्यवाही होगी और आपके माध्यम से सदन को सूचित कर दिया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना थी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना मैंने पहले ही ले ली थी और कहा था कि जांच कराकर आपको सूचित करूंगा अब आप बैठें। जब मैं निर्णय दे चुका इसके बाद भी आप खड़े हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे बारे में क्या फैसला दिया ? अगर कोई फैसला किया हो तो सुना दें। इन्होंने कहा कि पुनर्विचार कर रहे हैं, इसका कोई समय होना चाहिये। ये एक माह तक पुनर्विचार करते रहें तो काश्तकार तो मर जायगा। आज सायंकाल तक निर्णय ले लें। अगर कोई समय सीमा नहीं रह जायगी तो काश्तकार तो मर जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी आप कृपा करके इस पर शीघ्र ही विचार कर लें ताकि सरकार का मकसद तो पूरा हो।

श्री अम्मार रिजवी--

बेहतर होगा।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मा0 गुप्ता जी के उत्तर में मा0 मंत्री जी ने बताया था कि केवल 4 जिलों के राहत के निर्देश जिलाधिकारी को दिये गये अब कह रहे हैं कि सारे जिलाधिकारियों को टेलेक्स भेज दिया गया है और सूचना मांगी गयी है। आपको राहत के लिये निर्देश देना था, आपने केवल सूचना मांगी है। यह क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, हर बात बार-बार दोहरा कर मैं इस सम्मानित सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सूचना टेलेक्स से सभी जिलाधिकारियों को भेज दी गयी है कि जहां 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हो गया है वहां पर वसूली रोक दी जाय और अहेतुक सहायता दी जाय और साथ ही साथ सारे उत्तर प्रदेश से सूचना मांगी गयी है कि कौन-कौन हिस्से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं ताकि वहां पर राहत कार्य को ज्यादा करवा सकें।

*श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, एक बार सूचना मांगी गयी, इस सूचना के आने में विलम्ब होगा उसके बाद मंत्रि-परिषद की बैठक होगी, तो जब तक फैसला लिया जायगा, तब तक प्रदेश के हजारों लाखों किसान हवालात में बंद हो जायेंगे। इनको मान्यवर, यह कहने में क्या दिक्कत आ रही है कि आगे उत्पीड़न की कार्यवाही रोकने और वसूली की कार्यवाही रोकने के आदेश जारी कर देंगे और सदन को अवगत करा देंगे। इतना आज ही करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने पहले ही निर्देशित कर दिया है।

श्री कल्यान सिंह--

आपकी सरकार ने एक माह कहा है, इसमें तो लाखों किसान हवालात की हवा खा जायेंगे। आज ही के दिन पूरे प्रदेश में उत्पीड़न की कार्यवाही रोक दी गयी है और जितने सरकारी देय हैं, उनकी वसूली स्थगित कर दी गयी है, इसकी घोषणा करनी चाहिये। हम मांग तो माफी की कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी ही घोषणा कर दें कि उत्पीड़न नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्ननिरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

कल्यान सिंह जी, मैं पहले ही निर्देशित कर चुका हूं।

श्री कल्याण सिंह--

अध्यक्ष जी, उत्तर ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आप यह बतावें कि क्या यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है। फिर भी मैंने मौका दे दिया।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, चूंकि मंत्री जी ने तत्काल वसूली स्थगित करने के आदेश निर्गत करने का आश्वासन सदन में नहीं दिया है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का त्याग कर रहे हैं।

(श्री कल्यान सिंह अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये) प्रश्नों का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, हमारा इस सदन में आकर प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन सरकार जिस तरह से हमारे प्रश्नों पर टाल मटोल कर तथ्यों को छिपाने का प्रयास करती है। मान्यवर आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 104 में मैंने पूछा था कि क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुनकरों को पावरलूम लगाने हेतु ऋण दिलाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायगी ? इसका उत्तर लिखा गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा प्रश्न पूछने का मोटिव है, ठीक उसी तरह से है कि कोई (मर्डर) हत्या हो जाय तो या तो उसके पीछे जायदाद का मसला होता है या उसके अन्दर एक ही औरत से कई लोग इश्क करते हैं। कोई न कोई बात छिपी होती है तो प्रश्न पूछने का मोटिव यहां आकर फेल हो जाता है। हम यह पूछ रहे हैं कि सरकार ने कोई योजना लागू की है, लिखा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। ठीक इसी तरह से अतारांकित प्रश्न संख्या-144 देखने का कष्ट करें। मैंने सवाल किया था कि क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में बुनकर हथकरघा सरकारी समितियों के काटे गये रिबेट धन का भुगतान समिति के कर्ज की अदायगी हेतु बैंक में अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है तथा क्या उ0 प्र0 हथकरघा निगम, कानपुर में जमा रिबेट धन ब्याज सहित दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका उत्तर दिया गया है - सूचना एकत्रित की जा रही है। मान्यवर, अब आप देखें सरकार को यह नहीं मालूम कि हम जो काम करने जा रहे हैं यह योजना है या नहीं ? मान्यवर, इस तरह से, आपके उस आसन पर होते हुए, हम लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

यह बात आप व्यवस्था के रूप में उठा रहे हैं। आप कृपा करके मुझे नियमों के अन्तर्गत लिखकर दीजिये। मैं उसको देखूंगा।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया था कि ओले से जो क्षति हुई है उसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेटों को टेलेक्स भेजकर रिपोर्ट मंगायी गयी है। क्या माननीय मंत्री जी ओले के साथ साथ, जो विभिन्न स्थानों पर मार्च के पिछले सप्ताह में असामायिक वृष्टि से जो नुकसान हुआ, उसकी भी रिपोर्ट मंगायेंगे और, जिस तरह से

ओला से प्रभावित क्षेत्रों में सुविधा दे रहे हैं उसी तरह से इन असामायिक वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में भी सुविधा देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो ओलावृष्टि की बात थी, जिसकी रिपोर्ट मंगायी है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, उसी के तहत मैं यह बात कह रहा हूं। बलिया जनपद में 12 और 13 मार्च 1988 को भयंकर असामायिक वृष्टि हुई है । खेत में जो अरहर की, चने की, गेहूं की फसल थी वह उससे क्षतिग्रस्त हुई, नुकसान हुआ, इसके अलावा जो हमने काटकर फसल खलिहान में रखी थी, वह इससे सड़ गयी। मान्यवर, इस प्रकार की क्षति बलिया में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अधिकांश भागों में हुई है, इसे असामायिक दृष्टि से मैं यह निवेदन कर रहा था कि ओलावृष्टि की जो रिपोर्ट मंगायी गयी है, उसी के साथ साथ इस असामायिक वृष्टि से हुई क्षति की रिपोर्ट भी मंगा लें और इससे प्रभावित लोगों को भी वही सुविधा दें, जो ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को दे रहे हैं या देने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप नियमों के अन्तर्गत मुझे लिखकर के भेज दीजिये।

श्री सुखपाल पान्डे की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना

*श्री सुखपाल पान्डेय--

मान्यवर, कल जब बस्ती से बाम्बे बी0टी0 ट्रेन द्वारा मैं सदन में भाग लेने के लिये लखनऊ आना चाह रहा था, तो ट्रेन छूट गयी ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना विशेषाधिकार की आ गयी है ।

श्री सुखपाल पान्डेय--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। मैंने टेलीग्राम भी आपको दिया जब मैं रास्ते से आ रहा था, तो पुलिस वालों ने मुझे धर लिया, मेरे साथ एक्स एम0 पी0 बृज भूषण तिवारी भी थे ।

श्री अध्यक्ष --

आपकी सूचना तो आ गयी है पान्डेय जी, विशेषाधिकार की ।

*श्री सुखपाल पान्डेय--

मान्यवर, मेरी गिरफ्तारी की सूचना आपको नहीं दी गयी है । आप घोषणा करते हैं सदन में कि इन इन माननीय सदस्यों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसको आपने कहां बताया? आपको मैंने टेलीग्राम दिया था। अगर आपके पास मेरी गिरफ्तारी की जो सूचना आयी भी होगी, तो उसमें आपको अधिकारियों ने तथ्यों को छिपाकर सूचना दी होगी । मान्यवर मैं यहां आकर सदन में भाग लेना चाहता था, हमको नहीं आने दिया गया। हम ही नहीं,

---

नोट :--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनेक विधायक जो सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आ रहे थे, उनको रोका गया मैंने आपको विशेषाधिकार की सूचना दे दी है। मान्यवर, आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें

* * *

श्री अध्यक्ष—

पाण्डे जी एक मिनट बैठें, मेरी बात सुनें, आपने अपनी गिरफ्तारी की बात बतायी, मैं देखूंगा कि सरकारी पक्ष से इसकी सूचना आयी है या नहीं। विशेषाधिकार की आपने इस संबंध में सूचना दी है, उस पर जरूर तलब किया जायेगा। देखा जायेगा, फिर आपको सूचना दी जायगी। अब आप कृपा करके बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय सुखपाल पान्डेय जी की गिरफ्तारी हुई, राजधानी में कई सदस्य गिरफ्तार हुए, इन सबकी सूचना आप तक पहुंचनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

अगर पकड़ा और छोड़ दिया तो फिर घोषणा नहीं की जाती।

श्री सुखपाल पान्डेय—

मान्यवर, मुझे शाम को मुकदमा फैसला होने के बाद छोड़ा गया। मुझे सदन में भाग लेने के लिये आने से रोका गया, उसमें बाधा डाली गयी। मान्यवर, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, आपको तो काफी जानकारी है, पहले भी ऐसी परम्परायें रही हैं कि गिरफ्तारी की सूचना आप तक तत्काल आती थी और उसकी सूचना यहां दी जाती थी। मान्यवर, मुझे उम्मीद है कि आप उन परम्पराओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। जब हम गिरफ्तार किये गये तो उसके बाद एक मुकदमा हुआ, जजमेन्ट हुआ और फिर शाम को छोड़े गये। मुझे सदन में आने नहीं दिया गया। इस पर आप रिपोर्ट मंगायेंगे। थानेदार से कि घटना हुई है या नहीं। मेरी सूचना को आप गलत मान रहे हैं। माननीय सदस्य जो इस सदन के हैं, उनकी बात को तो सही मानना चाहिये।

श्री सुखपाल पान्डे—

मान्यवर, मैंने कल टेलीग्राम द्वारा आपको सूचना भी दी थी। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे चाहूंगा कि उस मसले पर आप सदन में घोषणा करें।

— सदस्यों की गिरफ्तारी, विरोध एवं रिहाई की सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने वह मामला खत्म कर दिया है, अब कुछ नहीं सुना जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा प्रश्न पान्डे जी के प्रश्न से अलग है, मैं अपने प्रश्न में उनका नाम भी नहीं लूंगा, आप सुन तो लें। मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपकी जानकारी में ला रहा हूं।

नोट:—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, अपनी बात है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था लेकिन आपके श्रीमुख से एक बात कही गयी, जिससे मेरे मन में कुछ कहने की उत्कंठा पैदा हुई। मैं कहना यह चाहता हूं कि प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम 80-81 में यह दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति निरुद्ध हो, या उसको छोड़ा जाय, तो उसकी सूचना आपके पास गिरफ्तारी और रिहाई की आनी चाहिए। आपने यह कहा कि यदि गिरफ्तार हुआ और तुरन्त छोड़ा गया, तो सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है, मान्यवर, इससे तो नई बात पैदा हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

वह सूचना मेरे पास आई है। लेकिन मेरे लिये यह जरूरी नहीं है, कि गिरफ्तारी की सूचना मैं यहां पर दूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, ऐसा नहीं है अगर सदस्य गिरफ्तार हुआ है तो उसकी सूचना सदन में सुनाई जानी चाहिए। अगर सदन नहीं चल रहा हो तो उसकी सूचना बुलेटिन के माध्यम से दी जानी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जैसा कि यहांपर माननीय सदस्यों ने औचित्य का सवाल उठाया और उसका संबंध आपकी गरिमा और सम्मान से भी है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विधायक भारत बन्द के दौरान गिरफ्तार हुए और उनको रिहा भी किया गया है। आपने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। माननीय गुप्ता जी ने भी कहा है कि वह सदन की जानकारी में आना आवश्यक है। कौन कौन विधायक कहां गिरफ्तार हुए ? कब गिरफ्तार हुए ? क्यों गिरफ्तार हुए ? किस धारा में गिरफ्तार हुए ? यह सभी सूचनायें आपके द्वारा सदन में दी जानी चाहिये। यह हमारा विशेषाधिकार है और हमारे सभी माननीय सदस्यों को सम्मान और संरक्षण देना आपका कर्त्तव्य भी है। तभी इस कुर्सी की गरिमा रहेगी। सरकार यह मामूली सूचना, नहीं दे रही है। अगर गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन सूचना नहीं देता है, तो यह गंभीर बात है। मान्यवर, तमाम विधायक पिटे हैं, उनको चोटें आई हैं। कौन-कौन विधायक गिरफ्तार हुए हैं ? यह हमारे सदन के सदस्यों का विशेषाधिकार है और इसकी सूचना सदन में दी जानी चाहिए।

*श्री शत्रुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। जहां तक नियम का सवाल है आपने कहा कि माननीय सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और उनको छोड़ा गया है तो उसकी सूचना जरूरी नहीं है। लेकिन नियम 80-81 की तरफ गुप्ता जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया है, उनकी बात में काफी दम है मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। नियम-80 में साफ लिखा हुआ है सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध, आदि और रिहाई की सूचना अध्यक्ष को दी जायेगी। अगर माननीय श्री पान्डेय जी को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया हो और उसके फैसले के बाद उन्हें छोड़ा गया हो, या तत्काल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया हो या हम लोगों को कन्फाइन किया गया हो किसी मजिस्ट्रेट के सामने या किसी न्यायिक दन्डाधिकारी के सामने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपस्थित किया गया हो गिरफ्तारी की सूचना आपके पास आनी चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है, इस पीठ पर जितने भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने गिरफ्तारी की सूचना सदन को दी है, सदन के चलते हुए जब हम लोग गिरफ्तार होते हैं, तो उसकी सूचना सदन में नहीं आती है, यह बहुत ही अनौचित्यपूर्ण बात है। भारत बन्द के दौरान कम से कम 80 सदस्य गिरफ्तार किये गये और फर्जी दफायें उन पर लगाई गई। यदि श्री पाण्डेय जी को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया है, तब तो इससे ज्यादा और कोई विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं हो सकता है। आप सूचना दें कि कौन-कौन से सदस्य गिरफ्तार किए गये?

श्री मंजेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष, जी, जिन नियमों की तरफ माननीय श्री गुप्ता जी ने ध्यान आकर्षित किया है, उन पर मैं भी बल देना चाहता हूं। यह प्रशासन के लिए लाजमी है कि अगर किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया जाता, भले ही उसे 5 मिनट के लिए गिरफ्तार किया गया हो, तो उसकी सूचना माननीय अध्यक्ष को आनी चाहिए। यह भी लाजमी है कि जब आपके पास वह सूचना आये तो आप उससे सदन को अवगत करायें। यदि आप सदन को उससे सूचित नहीं करते हैं तो यह एक प्रकार से सदन की अवमानना है। सूचना आ जाय और आप उसे फाइल में दबाकर रख दें, कोई अच्छी बात नहीं है। यह सदन आपकी मर्जी पर नहीं है। इस पर आप विचार कर लें। पूर्व अध्यक्षों के निर्णयों को भी देख लें, जल्दबाजी में अपनी व्यवस्था न दें और एक स्वस्थ परम्परा कायम रखें।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम 82 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने पहले ही निर्देश दे दिया कि रिहाई की सूचना के प्राप्त होने के बाद कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा कि गिरफ्तारी की सूचना और रिहाई की सूचना साथ में जब आये .....

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिला प्रशासन की मर्जी पर नहीं चल सकता है। लखनऊ में ही 40-50 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आपको उन सबकी गिरफ्तारी की सूचना सदन में देनी होगी।

(शोर-व्यवधान)

कतिपय विधायकों की गिरफ्तारी एवं उनकी रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास जो सूचनायें अभी तक आई हैं, उनके बारे में मैं सदन को सूचित कर देता हूं, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री कौशिक रमा शंकर, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री राज किशोर श्री राम सजीवन, श्री मनोहर लाल, श्री माता प्रसाद, पाण्डेय, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मूलचन्द, श्री शिव मंगल सिंह, श्री दीप चन्द्र सोनकर, श्री विजय सिंह राणा, श्री सुरेश प्रताप सिंह, गांधी, डा0 बंगाली सिंह, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री महेन्द्र भाटी, श्री पारस नाथ यादव, श्री जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री अचल सिंह, चौधरी महाराज सिंह, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री बलराम यादव, श्री राम जनम, श्री रमाकान्त, श्री भगौती सिंह, श्री राम सागर, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री जवाहर सिंह यादव, श्री बाबू राम यादव, श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री

दिवाकर विक्रम सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री भगवान दीन कुशवाहा, श्री शत्रुघ्न प्रकाश, श्री कुशल पाल सिंह, श्री अब्दुल वहीद कुरेशी, श्री श्रीप्रकाश, श्री बदन सिंह, श्री जगवीर सिंह, श्री रिछपाल सिंह, बंसल, श्री इकबाल अहमद, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री मैनेजर सिंह, श्री सुन्दर लाल, श्री गौरी शंकर भइया, श्री शारदा प्रताप, श्री जमुना प्रसाद बोस, श्री मित्रसेन, श्री वीरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर), श्री हरेन्द्र सिंह इस प्रकार जो सूचनायें मेरे यहां बैठने तक आयी थीं, वे मैंने आपको बता दीं ।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

इनको किस धारा में गिरफ्तार किया गया था ?

श्री अध्यक्ष--

इनको धारा 151/116 सी0 आर0 पी0 सी0 में पकड़ा गया था ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988†

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री--(श्री अम्मार रिजवी)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरः स्थापित करता हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरः-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

† दिनांक 18-3-1988 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री राम नाथ मुंशी--

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरः स्थापित करता हूं ।

कतिपय विधायकों की गिरफ्तारी एवं उनकी रिहाई की दी गई सूचना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अचल सिंह---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी आपने सदन में सूचना दी कि सम्मानित विधायकों को 151 सी0 आर0 पी0 सी0 तथा अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि 151 सी0 आर0 पी0 सी0 में तब गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी से झगड़ा होता है,

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर भेज दीजिये ।

श्री अचल सिंह---

सुन तो लीजिये । बिना मुचलके या जमानत के उनको छोड़ा नहीं जाता है । माननीय विधायकों का न तो किसी से कोई झगड़ा हुआ है और न उन्होंने जमानत का कोई फार्म ही भरा है । यह गलत सूचना दी जा रही है, इस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, यह "गलत सूचना" का शब्द वापस ले लें, जो सूचना आपके पास आई है, आप तो उसे दे रहे हैं न कि गलत सूचना दे रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, हम कोई भी अशोभनीय काम सदन में नहीं करते हैं । हम जब व्यवस्था का प्रश्न उठायें और [× × ×]

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्य का पूरा आदर करता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मुझे इस पर घोर आपत्ति है कि आप हमारी बात को सुनते नहीं हैं और न व्यवस्था के प्रश्न को ध्यान देते हैं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, अभी जो माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रश्न उठाया है कि व्यवस्था का प्रश्न उठाने का हम सदस्यों का अधिकार है या नहीं ? इसीलिये अब यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है । व्यवस्था के प्रश्न को बगैर सुने कैसे कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं ? इसीलिये जब सदन में प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया जाय तो कृपा करके आप उसे सुन लिया करें और कृपा करके उसे सुनने के बाद ही व्यवस्था दिया करें कि यह व्यवथा का प्रश्न है भी या नहीं । इस सम्बन्ध में श्री मधुलिमये और श्री ज्योति बसु से कई बार विचार-विमर्श हुआ है और लोक सभा में भी इस पर

नोट---(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कई बार ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। व्यवस्था का प्रश्न सुन कर ही आप व्यवस्था देंगे, यह आपका अधिकार है। बिना प्रश्न उठाये आपने सुना ही नहीं, इस पर हम लोगों को आपत्ति है। हाउस आफ कामन्स की प्रक्रिया की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 11।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आपने इस पर निर्णय क्या दिया ? पहले तो यह बतला दें। हम तीन बार खड़े हुये व्यवस्था के प्रश्न को लेकर, लेकिन [× × ×] आप आगे बढ़ते चले गये। हम लोग इससे अपमानित हुये हैं, आपकी इस पर क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आप सबका आदर करता हूं और जो व्यवस्था आप उठाना चाहते हैं, उसे मैं सुनने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि आप सन्तुष्ट रहें।

विधान भवन गेट नं0 3 के सामने पर्वतीय संघर्ष समिति द्वारा धरना दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

*श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, अभी आप नियम 56 पर विचार करने जा रहे हैं, इसी सन्दर्भ में मेरी एक व्यवस्था है। आज जब हम दारुलशफा के अपने निवास से यहां की बैठक में भाग लेने के लिये आ रहे थे तो वहां गेट पर पर्वतीय संघर्ष समिति के लोग "धरना" पर बैठे हुए थे। वे वहीं पर धरना पर बैठे हुए हैं और उनकी कई मांगे हैं। मैं इस संबंध में आपका संरक्षण चाहता हूं कि कल जब मैं इस विषय को किसी नियम के अन्तर्गत उठाऊंगा चाहे नियम 56 में या अन्य किसी नियम में तो उसके पहले उनके साथ कोई हादसा न हो जाय जिससे कि जनतांत्रिक आधारों का कुठाराघात हो। उनकी तीन मांगे हैं -- (1) श्री नारायण दत्त तिवारी जी को उप-प्रधान मंत्री बनाया जाय, (2) श्री ब्रह्म दत्त को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया जाय तथा (3) हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन को अपट्रान से अलग किया जाय। इन मांगों को लेकर वे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आज सुबह-सुबह आकर उनको धमकी दे गये हैं कि तुम लोग अपना तम्बू यहां से हटाओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। उनको जनतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कि कल मैं सदन में इस मामले को उठाऊं, मुझे डर है कि कहीं तब तक उनके साथ कोई हादसा न गुजर जाय इसलिए मैं मांग करता हूं कि उनको संरक्षण मिलना चाहिये। मैं मांग करता हूं व्यवस्था के प्रश्न के जरिये से कि उनको संरक्षण व सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आपने क्या आज इसे नियम 56 में उठाया है ?

नोट--(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी--

अभी तो ये भूमिका बना रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी--

इसे मैं कल नियम 56 में उठाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझसे मिल लीजियेगा, मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। अब आप बैठें।

(इस समय 1 बजे श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से पहली सूचना सर्वश्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, जनार्दन प्रसाद ओझा, वीरेन्द्र सिंह और श्री प्रकाश सिंह की दिनांक 15 मार्च, 1988 को भारत बन्द के आह्वान के अवसर पर की गई गिरफ्तारियां एवं लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसी संबंध में दूसरी सूचना सर्वश्री मुलायम सिंह यादव, कौशिक, रमा शंकर, बलराम यादव और श्री गया प्रसाद वर्मा की, तीसरी सूचना सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश, कनक सिंह, हरेन्द्र सिंह, मूल चन्द्र, जगबीर सिंह और श्री लक्ष्मी नारायण की, चौथी सूचना सर्वश्री राम चन्द्र बख्श सिंह, राजकिशोर सिंह और श्री राम सजीवन की है। पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की दीवानी न्यायालय हरदोई के एक राजकीय कर्मचारी की पुलिस द्वारा की गई पिटाई से हत्या हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठी सूचना श्री भगौवती सिंह की स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल की हत्या करने वाले अपराधी को पकड़े जाने की मांग करने वाले श्री राजकुमार की पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की मिर्जापुर जनपद में रिहन्द जलाशय में नौका डूबने से 33 बरातियों की मृत्यु होने के संबंध में है।

आठवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव की इटावा जनपद के बिक्री कर अधिकारी, श्री राज नारायण सिंह की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। नवीं सूचना सर्वश्री डा0 दिनेश जौहरी, श्याम बिहारी सिंह, किशन लाल, मयंकर सिंह तथा कु0 मानवेन्द्र सिंह की प्रदेश में फर्जी टी0 सी0 व बोर्ड परीक्षा के प्रमाण-पत्र व अंक तालिकाओं को बनाने वाले गिरोह के संबंध में है। दसवीं सूचना सर्वश्री अवनीश कुमार सिंह, नरेश पाल सिंह की किसान सहकारी चीनी मिल, बदायूं की टरबाइन के बार-बार खराब होने के कारण बदायूं के गन्ना कृषकों के सम्मुख समस्या के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री काशी सिंह ऐरी की टनकपुर (नैनीताल) में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री विष्णु देव की आजमगढ़ जनपद में सन् 1987 के प्रशिक्षण प्राप्त तथा परीक्षा में सम्मिलित सैकड़ों लेखपालों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री मनोहर लाल की पुलिस इन्सपेक्टर, बांगरमऊ, उन्नाव के इशारे पर पत्रकारों तथा विधायकों का उत्पीड़न के संबंध में है। चौदहवीं सूचना सर्वश्री कुशलपाल सिंह, लक्ष्मी नारायण, जगबीर सिंह, सुरेश प्रताप सिंह गांधी और डाक्टर बंगाली सिंह की मथुरा जनपद में किसानों का गन्ना खेतों में सूख जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री अचल सिंह की फतेहपुर स्थित क्वालिटी स्टील ट्यूब लिमिटेड, घोडमरा में चल रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर जैसा कि सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कल पूरे भारतवर्ष में प्रायः सभी बड़े विरोधी दलों द्वारा बन्द का आयोजन किया गया था और इस बन्द का आयोजन मान्यवर, इसलिए किया गया था कि जो दिल्ली की सरकार, कार्यवाहियां कर रही है वे किसानों के हित विरोधी और जनता के हितों के विरुद्ध हैं। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में प्रशासन का कार्य चल रहा है—चारों तरफ लूट-खसोट और भ्रष्टाचार का वातावरण व्याप्त है, यहां तक कि रक्षा सौदों में भी दलाली के काम चल रहे हैं, इन्हीं सारी बातों को लेकर बन्द का आयोजन पूरे भारतवर्ष में रहा। जैसा कि सभी लोगों को समाचार पत्रों द्वारा भी सूचना मिली होगी और काल, मान्यवर, आपकी कृपा से विधान सभा अधिवेशन भी बन्द ही रहा और हम सब विपक्षीय दलों के मा0 सदस्यगण बन्द आयोजन को सफल बनाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विधान सभा के बाहर जा रहे थे, लेकिन इस सरकार की पुलिस की बर्बरता के कारण कई मा0 विधायकों व अन्य लोगों के चोटें आयी थी, हीरा लाल यादव, महराज सिंह चौधरी व रमाकान्त यादव को लाठियों की चोटें आई। हीरा लाल जी अस्पताल में हैं। इसके अतिरिक्त सदन में लोकदल के नेता, श्री मुलायम सिंह यादव के साथ बुरा व्यवहार किया गया, उनके साथ हाथापाई की गयी, यह सब विधान सभा के सामने हुआ है। इस सरकार की जो पुलिस है, वह निरंकुश हो गई है, उसको किसी बात का, अपने कर्त्तव्य का और अपने आचरण का ध्यान नहीं है। यह जन प्रतिनिधियों का प्रदर्शन था जो शान्ति पूर्वक तरीके से जा रहा था। विधान सभा के समक्ष इसी तरह की दुर्घटना हुई, कुछ दिन पूर्व अक्षयवर मल्ल की हत्या विधान सभा के सामने की गयी और मान्यवर, उसके अलावा मगौती सिंह ने दो दिन पूर्व धरना किया उन पर लाठी चार्ज किया गया और कार्य-कर्त्ताओं को पीटा गया। मुलायम सिंह जी के साथ हाथापाई की गयी और विधायकों को पकड़ कर गाड़ियों में ठूंसा गया, जिससे उनको चोटें आयीं। इस पर अगर आप चर्चा नहीं करायेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिये मेरा अनुरोध है कि इन सारे कामों को रोक कर इस पर चर्चा करा दें।

*श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, 15 मार्च को भारत बन्द का आयोजन विपक्षी दलों ने किया। यह आन्दोलन बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार और पुलिस राज के विरोध में और नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरोध में लोक तांत्रिक ढंग से भारत बन्द का आह्वान किया गया। जनतंत्र में जनतांत्रिक पार्टियों को यह अधिकार है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने, प्रदर्शन और बन्द का आयोजन किया जाये। ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल जनतांत्रिक पार्टियों को खत्म करने में लगा हुआ है। भारत बन्द के आह्वान पर जो लोग अपनी दुकानें बन्द करना चाहते थे, जो हड़ताल करना चाहते थे, उनको पुलिस के जरिये और कांग्रेस पार्टी के कार्य-कर्त्ताओं द्वारा उनको डराया गया और धमकाया गया। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा उनको डराया गया कि अगर दुकानें बन्द करेंगे तो इनकम टैक्स के रेड किये जायेंगे, सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने उनको धमकाया कि अगर दुकानें बन्द करोगे तो उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया जायेगा। जो सार्वजनिक कर्मचारी थे, उनको धमकाया गया कि यदि वह हड़ताल में शामिल होंगे तो उनकी नौकरी समाप्त कर दी जायेगी। हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये। सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि कितने कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये हैं। मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिये और सरकार को बयान देना चाहिये कि प्रदेश में कितने कार्य-कर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और कितने विधायकों को गिरफ्तार किया गया। मेरी जानकारी में आया है कि मुगलसराय में पुलिस ने लाठी चलाकर फर्जी मुकदमें कायम करके लोगों को गिरफ्तार किया है और बी0 एच0 यू0 और काशी विद्यापीठ के छात्रों को गिरफ्तार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया है । मुजफ्फरनगर में खतौली में किसानों को गिरफ्तार किया गया है । 15 मार्च को जो भारत बन्द का आह्वान किया गया, वह सफल रहा क्योंकि जनता बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो हो रहा है, उससे जनता ऊब गयी है और सरकार के साथ बिल्कुल नहीं है । भारत बन्द बिल्कुल सफल रहा है । इससे साबित होता है कि जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ नहीं है । मेरा निवेदन है कि इस सवाल को सदन के अन्य कार्यों को स्थगित करके, ले लें और चर्चा करा दें ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, भारत बन्द का आयोजन हमारे देश के सभी विपक्षी दलों की ओर से आयोजित किया गया था और इसमें जनता की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर इस बन्द का निर्णय लिया गया था । मान्यवर, जहां यह सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार रोकने किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब मूल्य दिलाने में हर तरह से विफल रही है वहीं इस बन्द में राजीव गांधी को इस्तीफा देने तथा नये चुनाव कराने की भी मांग की गई थी । मान्यवर, इस शांतिपूर्ण आन्दोलन को दबाने के लिये सरकार की तरफ से अनेक बार घिनौने हथकन्डे अपनाये गये हैं । सरकार के प्रचार माध्यमों टी0 वी तथा रेडियो आदि के जरिये और हर जगह जिलाधिकारियों को सूचना दी गई कि इस आन्दोलन को कुचल दिया जाय । इसी का परिणाम था कि आज बनारस, फैजाबाद, लखनऊ और कई अन्य शहरों में व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, लोगों को मारा-पीटा गया और उनको उत्पीड़ित किया गया । लखनऊ के अन्दर माननीय विधायकों को जिस तरह से अपमानित करके गिरफ्तार किया गया, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वह सचमुच में इस सरकार का एक घिनौना कृत्य था । इस सरकार ने पुलिस को मनमाने तौर पर खुली छुट दे दी है । माननीय मुलायम सिंह यादव, श्री हीरालाल यादव को मारा पीटा गया कि उन्हें बलरामपुर अस्पताल में दाखिल किया गया । इस तरह से पुलिस को छूट मिली है कि वे जो चाहें करें । जो विधायकों की गिरफ्तारियां हुई हैं, यह एक शर्मनाक घटना है जो इस शासन द्वारा करायी गई है । मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर आप चर्चा करा दें ।

श्री श्रीप्रकाश—

मान्यवर, कल जो भारत बन्द के सम्बन्ध में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को सदन के सदस्यों की गिरफ्तारियां की गई हैं वह एक शर्मनाक स्थिति में की गई है । हमारे शुक्ल जी जो विधायक हैं उन्हें पुलिस ने टांग कर बस के अन्दर डाला, उससे ऐसा लगता है कि यहां पर निश्चित रूप से पुलिस का राज कायम हो गया है । कई जिलों में भी समाचार मिला है कि इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों को मारा-पीटा गया है, जेलों में ठूंसा गया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है वह बहुत ही दुखद स्थिति में हुआ ।

मान्यवर, आजमगढ़ में लालगंज तहसील के अन्दर गिरफ्तारियां हुई । वहां पर स्थिति देखने लायक थी । इस तरह से पूरे देश के अन्दर यह बन्द कामयाब रहा है । मैं चाहूंगा कि इस विषय पर सदन का कार्य रोक कर इस पर चर्चा करा ली जाय और जो दुर्व्यवहार मेम्बरान के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने किया है उसके सम्बन्ध में व्यापक तौर पर चर्चा करा ली जाय और सदन का अन्य कार्य रोक लिया जाय ।

(व्यवधान)

*श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, कल 15 मार्च को भारत बन्द के आह्वान पर विपक्षी दलों ने जो आन्दोलन किया उसमें सभी विपक्षी दलों के राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने शांतिमय तरीके से आन्दोलन किया । फिर भी सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्यकर्ताओं को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पिटाई की तथा उन्हें बेइज्जत किया । मान्यवर, लखनऊ में विधान सभा के सामने माननीय श्री मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में जब हम लोग जा रहे थे तो उस समय चौधरी महराज सिंह यादव, श्री हीरा लाल और श्री रमाकान्त यादव की हम लोगों की आंखों के सामने पिटाई की गई और उनको बुरी तरह से पकड़ कर ट्रक में लादा गया ।

मान्यवर, मेरे जनपद इटावा में मेरे क्षेत्र बगेवर में पुलिस द्वारा पिटाई करके उन्हें घायल कर दिया गया । उसमें बाबा करतार सिंह और श्रीकृष्ण तिवारी जी को बुरी तरह से घायल करके उन्हें जेल भेज दिया गया है । वहां के राजनैतिक कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से बेइज्जत किया गया है । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर आप कई घंटों की चर्चा करा दें ।

*श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, कल भारत बन्द के चक्कर में सरकार ने जो षड़यंत्र और घिनौना काम किया है वह बहुत शर्मनाक है । लखनऊ में विधान सभा के सामने पुलिस ने विधायकों के साथ हाथापाई की । माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी का हाथ टूट गया इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है । मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस ने नंगा नाच किया है जो माननीय सदस्य यहां पर थे उनके घरों में पुलिस के दरोगा और डी0 एस0 पी0 आदि ने जाकर घृणित काम किया है मेरे चुनाव क्षेत्र में, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और उनके साथ ज्यादती की । पुलिस ने मुजफ्फरनगर में, किराना में हिन्दु मुस्लिम दंगा माननीय मंत्री जी के इशारे पर कराया था और आज फिर पुलिस ने उन लोगों पर लाठी चार्ज किया और तमाम ज्यादतियां की । तो इससे कोई और दूसरा महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता है, सरकार पूर्णरूप से विफल रही है । इसलिये सम्मानित सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोक कर कम से कम चार घंटे की चर्चा इस पर कराई जाय ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, परसों जब हमने आशंका व्यक्त की थी तब उधर से माननीय अम्मार रिजवी साहब ने जोरदार शब्दों में कहा था कि प्रदेश में कोई दमन का काम नहीं किया जा रहा है । आज आप सुन रहे हैं कि विधायकों के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ और पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां की गयी और यहां पर विधान सभा के सामने जब विधायक निकल कर जा रहे थे माननीय मुलायम सिंह जी कई विधायकों के साथ जा रहे थे तो पुलिस ने हाथापाई की । मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पुलिस को अधिकार दे दिया था कि विधायक अपनी आवाज सड़क पर न लगा सकें । जब दुकानें बन्द थीं, पूरा शहर बन्द था तो फिर वह किस प्रकार दुकानों को लुटवायेंगे, आपको किस बात की आशंका थी ? पुलिस ने और एस0 एस0 पी0 ने उनके साथ किस प्रकार से हाथापाई की, विधायकों को सड़कों पर घसीटा गया यहां विधान सभा के सामने यह हुआ । यहीं पर कुछ दिन पहले अक्षयवर मल्ल की मृत्यु हुई जिसमें पुलिस ने कह दिया कि वह गिर पड़े और गिर कर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गयी । मेरा एक सवाल था इनकी पुलिस ने इलाहाबाद में एक कार्यकर्ता को मार दिया था उसमें भी यही कहा कि वह गिर पड़े और गिरने से जो चोट लगी उसके कारण यह हुआ । तो क्या सरकार ने ऐसा फार्मूला बना लिया है कि अगर कोई हादसा हो जाय तो उसमें कह दें कि गिरने से चोट लगी । माननीय हीरा लाल जी गम्भीर रूप से घायल हैं और बलरामपुर में भर्ती हैं उनको कुछ भी हो सकता है । जिस तरह से मुलायम सिंह जी के साथ तथा अन्य विधायकों के साथ व्यवहार किया गया वह बहुत ही शर्मनाक है । यह सरकार घबरा गयी है कल पूरा भारत बन्द था कहीं पर कोई काम काज नहीं हुआ यहां तक कि कल-कारखाने भी बन्द रहे । उसके बाद भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है । आज पूरी जनता में शोर है बोफोर्स

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के मामले में रक्षा सौदों में दलाली ली गयी है उसके बाद भी यह सफाई देते हैं कि हमने या हमारे परिवार ने कोई दलाली नहीं ली । इनके परिवार ने नहीं ली तो किसने ली इस बात को नहीं बताते हैं। उल्टा अपनी पुलिस को खुली छूट दे दी है कि तुम लोगों पर लाठी प्रहार करो, लोगों को मारो और उनकी हड्डी तोड़ दो । इस तरह से लोगों पर बर्बतापूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और मांग करता हूं कि इस गम्भीर मामले पर जो अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है तथा तात्कालिक भी है पर बाकी काम रोक कर चर्चा करायें ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

सब को सुन लें, बलराम सिंह जी की पिटाई हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष—

तीन-तीन बजट हैं ।

श्री बलराम यादव— (व्यवधान)

मान्यवर, कल भारत बन्द के सिलसिले में जब पूरा हिन्दुस्तान बन्द था जिसमें पूरे विपक्षी दल सम्मिलित थे तो विपक्षी दलों के लोगों की 15 तारीख की पूर्व सन्ध्या पर जगह-जगह गिरफ्तारियां की गयीं उनको कोतवाली में, थानों में रख दिया गया यह सबसे शर्मनाक घटना घटी है। श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में विधान सभा के सामने शांतिमय ढंग से नारे लगा रहे थे तो यहां की पुलिस, श्री बीर बहादुर सिंह की पुलिस द्वारा जिस तरह श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या की गयी और उनकी हत्या का धब्बा अभी मिटा भी नहीं है और फिर अब हम लोगों पर जो धरना दे रहे थे, श्री मुलायम सिंह जी विपक्ष के नेता हैं, किसानों के बड़े नेता हैं उनके साथ जब यहां का एस0पी0 (सिटी) ऐसा सलूक कर रहा था तो हम लोगों और सामान्य लोगों के प्रति पुलिस के रवैये को देखकर गहरा क्षोभ हुआ और लगता है कि सरकार अपने काले कारनामों को छिपाने के लिये राजनीतिक नेताओं से संघर्ष कराना चाहती है। इसलिये यह महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आप चर्चा करायें।

*श्री मूल चन्द्र—

मान्यवर, भारत बन्द के संबंध में विधायकों के साथ पुलिस ने जो कार्यवाही की सरकार के इशारे पर वह बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को समझना चाहिए कि बन्द क्यों हुआ ? लेकिन इसको यह नहीं समझेंगे।

मान्यवर, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार आदि सीमा पार करते जा रहे हैं जिससे जनता ने अपने आप भारत को बन्द किया है । लेकिन सरकार खिसियानी बिल्ली की तरह जो खम्भा नोचती है, ठीक उसी तरह बन्द से नाराज होकर यह सरकार ने विधायकों को और श्री मुलायम सिंह जी को पिटवाने का काम शुरु किया। मैं नाम गिनाऊं तो 10 घंटे लगेंगे इसलिये बताना चाहता हूं कि कितने ही लोगों को पीटा गया, कितने ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बहुत बड़ा अन्याय है। आप इसको नहीं समझेंगे, इस पर किसी ने कहा है—कितने अहले वतन दार पर चढ़ गये, कितने अहले हबिस बन गये नौरत्न, कितने साहिब बसेरा को तरसा करे, बाग पे छा गये हैं जागो जगन। जागो जगन माने हैं गिद्ध कौवे की तरह यह छा गये हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों की उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं लेकिन मोटे तौर पर आपसे तीन बातें कहना चाहता हूं । पहली बात यह है कि जो कार्य स्थगन का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्ताव दिया गया है उसका लोक महत्व है और वह इसलिये कि आखिर इतना बड़ा फैसला जिसको 9 दलों ने क्यों लिया है, भारत बन्द का ? भारत बन्द का कारण था कि आज देश पर गंभीर खतरा है। 40 साल की आजादी के बाद जितना गंभीर संकट आज है उतना बड़ा संकट देश के सामने पहले नहीं आया और उसका कारण है इस देश का [×××] प्रधानमंत्री।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आप निर्देश दें कि वह अपनी भाषा पर संतुलन रखें और जो असंसदीय शब्द कहे हैं उनको कार्यवाही से आप निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, दिखवा लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव—

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, एक खतरा नहीं अनेक खतरे हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो शहीद हुए सरदार भगत सिंह और चन्द्र शेखर आजाद जिनकी यहां तस्वीर है, पं० गोविन्द वल्लभ पन्त जो जीवन भर अशक्त रहे, इसलिये कि देश की आजादी के बाद देश की सीमायें खतरे में पड़ जायें। लगातार 40 साल से हमारे देश की सीमायें सिकुड़ती जा रही हैं और इस निकम्मी विदेश नीति के कारण हमारे देश पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

मान्यवर, हमारे आसपास का कोई पड़ोसी देश हमारा मित्र नहीं रहा है और सारे शत्रु बन गये हैं बंगला देश में हमारे हजारों नवजवानों का कत्ले आम करवा दिया गया, अरबों धन खर्च हो गया और आज भी यह सरकार उसकी मित्र नहीं बन सकी है तो यह कोई मामूली खतरा है बहुत खतरे हैं, कहां तक गिनाऊं। दूसरे हमारे देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं। तीसरा खतरा भी हमारे सामने आ गया है। हमारी विदेशी नीति चकनाचूर हो गई है और हिन्दुस्तान की जनता के सामने हमारे देश की सीमाएं घट रही हैं। भारत बन्द के अलावा हमारे पास रास्ता क्या था। जिस श्रीलंका में हमारे देश के नवजवानों को वहां बसे तामिलों को न्याय दिलाने के लिए भेजा गया था, आज वह तामीलियन हमारी फौज के दुश्मन बन गये हैं और आज हालत यह है कि बंगला देश में हमारे जितने नौजवान, फौज के सिपाही उस देश की आजादी के लिए मारे गये थे, उससे कहीं ज्यादा श्री लंका में मारे गये हैं और अभी मारे जा रहे हैं।

यहां सूखा है, भुखमरी है, भीषण बेकारी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, नवयुवकों को रोजगार नहीं है, नई शिक्षा नीति चलाये छात्रों का भविष्य अन्धकार में है। हमारी दुर्दशा हो रही है, हमारे प्रदेश की दुर्दशा हो रही है, शिक्षा की दुर्दशा हो रही है। दूसरी तरफ विदेश नीति की विफलता के चलते हमारा 70 करोड़ रुपया रोज श्रीलंका में खर्च हो रहा है। इस सारे संकट का कारण यह है कि सत्ता पक्ष में वैसे देश का हित सर्वोपरि नहीं माना गया है, बल्कि अपने को, अपने दल कांग्रेस और परिवार को सर्वोपरि माना है। इसी का कारण है कि हमारे देश का सबसे हरा-भरा पंजाब प्रदेश, वीर जवानों का प्रदेश, शानदार सूबा पंजाब आज जल रहा है, हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। वह प्रदेश जो देश में सबसे ज्यादा अन्न पैदा कर रहा है, (व्यवधान) मान्यवर, आप व्याकुल न होइये, इससे ज्यादा महत्व का अन्य कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं हो सकता है। आप शान्ति से हमारी बात सुनिये। सब से ज्यादा अन्न पैदा करने वाला शानदार प्रदेश, देश को खिलाने वाला प्रदेश,

नोट—[×××] यह अंश को उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वह प्रदेश जिसने देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा गोलियां खाईं, सब से ज्यादा क्रांतिकारी जहां के फांसी पर झूले, जिन सिखों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दीं, इस सरकार द्वारा उनकी देशभक्ति पर आज आशंका प्रकट की गई है। यदि सिख हिन्दुस्तान में देशभक्त नहीं, तो इस देश में एक भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति देश भक्त नहीं। वह शानदार पंजाब, जिसने भारतवर्ष को भगत सिंह जैसे बलिदानी प्रदान किये (लाल बत्ती होने पर) लाल बत्ती बन्द कर दीजिए, श्रीमन् हमारा उससे ध्यान बंटता है। जहां सरदार भगत सिंह जैसे वीर सपूत पैदा हुए कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भिंडरवाले पैदा हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जय नारायण तिवारी--

मान्यवर, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं या यहां की विधान सभा में बोल रहे हैं। यह तो विदेशनीति पर बोल रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्थिति देश की है। दूसरी तरफ हमारी दौलत, हमारे देश में धनाभाव के कारण सड़कें नहीं हैं सिंचाई के साधन नहीं हैं और बिजली नहीं है। देश की संपत्ति 4 हजार करोड़ से ज्यादा की आज विदेशी बैंकों में जमा है और हमारे हमने अंग्रेजों को इसलिए हटाया था कि वह हमारे देश की संपत्ति को यहां से लूट कर लेजा रहे हैं। आजादी की लड़ाई में हमने सोचा था कि अंग्रेज चला जायगा जो हमारी दौलत हमारा होगी यहीं रहेगी और हमारे और देश के विकास के काम में आएगी और हमारा देश खुशहाल बनेगा। जो विदेशी बैंकों अथवा संपत्ति यहां की जमा है, उससे हमारे देशभक्त और क्रान्तिकारी जवानों के सपने चूर चूर हो गये हैं इस सरकार के चलते। इसलिए हमने भारत बन्द किया था, तो हमने कौन सा अपराध किया था। उयह सरकार पंजीपतियों की रखेल है, और इस पर नौकर शाही पूरी तरह हावी है। यही कारण भारत बन्द का था और इसके अन्तर्गत पूरे देश में एक विधायक नहीं दर्जनों विधायकों को अपमानित किया गया। मैं तो लोकदल का एक मामूली सेवक ही हूं, लेकिन हम यहां से चले...

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्राथमिकता पर हो अभी बोलें, आगे आपको मौका मिले तो और बातें बोलियेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

या तो कह दीजियेगा कि हमें बोलने नहीं देंगे या शान्ति से हमारी बात को सुना जाए। मैं ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा। जब भारतवर्ष बन्द है तो क्या यह प्रदेश भारत वर्ष से अलग है ... (व्यवधान) मान्यवर, हम लोगों ने क्या अपराध किया है। हमने केवल यह जनता को देश की हालत बताने की कोशिश की है इस देश हिन्दुस्तान की पूरी जनता का इस सरकार पर से विश्वास उठ गया है, उसके अविश्वास को ही इस तरह प्रकट किया है। हमने भारत बन्द का एलान किया। इन्होंने अपनी पूरी पुलिस लगा दी ताकि दुकानदारों में आतंक पैदा हो लेकिन मैं हिन्दुस्तान की बहादुर जनता को बधाई देना चाहता हूं कि तमाम आतंक के बाद तमाम पुलिस और पी0 ए0 सी0 लगने के बाद पूरा भारत बन्द रहा हमारे नौ दल के आवाहन पर। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पिटाई हुई हमारा अपमान हुआ। हमको यह सब बर्दाश्त इसलिये है कि तमाम नौजवानों को अपमानित किया गया है। आज हीरालाल जी अस्पताल में हैं। यह सरकार इतनी संवेदनहीन है हीरालाल जी की कोई पूछताछ नहीं की गई है। मान्यवर छांट-छांट कर इन्होंने पहले हमारे अध्यक्ष अक्षयवर मल्ल जी को मारा अब हमारे लखनऊ देहात क्षेत्र के जो अध्यक्ष हीरालाल जी हैं उनको मारा। अगर हमने माननीय मुख्य मंत्री जी को सूचना न दी होती तो हमारे युवा लोक दल के सदस्य सिद्दीकी जी को भी इनकी पुलिस ने इन्काउन्टर कर दिया होता परन्तु

हमने मुख्य मंत्री जी को सूचना दी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सूचना दी इनके इन्काउन्टर करने की सूचना दी तो उनको इन्काउन्टर नहीं किया गया । मान्यवर जिन-जिन अधिकारियों के खिलाफ हम लोग बोले हम लोग 20–25 विधायक थे हम लोग जैसे ही गेट पर पहुंचे सैकड़ों पुलिस और पी0ए0 सी0 के जवानों ने हमारे हाथ पकड़ लिये तमाम दरोगा और थानेदार हम को पकड़ लेते हैं । मान्यवर, हम अपने बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि हमसे ज्यादा और लोग अपमानित हुये हैं हमसे ज्यादा उन लोगों को ज्यादा चोटें लगी हैं । पुलिस हमारा हाथ पकड़ कर घसीट रही थी तो हमारा क्या अपराध था ? महराज सिंह जी का क्या अपराध था ? माननीय अचल सिंह जी का क्या अपराध था ? हीरालाल जी का क्या अपराध था ? रमाकान्त जी का क्या अपराध था पुलिस इस तरह से हमारे साथ करती है तो हमारा अपराध भी बताया जाए । प्रदर्शन करने का हमारा मौलिक अधिकार है इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है इससे ज्यादा लोक महत्व का प्रश्न और नहीं हो सकता है तो इस पर पूरे दिन की चर्चा करायें ।

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने और माननीय मुलायम सिंह जी ने जो भारत बन्द के बारे में बताया इस सिलसिले में मैंने परसों भी निवेदन किया था जब यह कहा गया था कि सरकार दमन की कार्यवाही कर रही है । माननीय राज किशोर सिंह जी से आज भी कहा कि इस तरह से जिले में यह आदेश भेजे गये कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित किये जाएं । तो इस तरह के कोई सम्बन्ध स्थापित किये जाएं या किसी के राय मशविरे से कार्य हो, ऐसे आदेश नहीं निकाले गये । प्रशासन का जो तरीका रहा है उसके हिसाब से आदेश भेजे गये । पूरे प्रदेश में कहा गया कि हजारों गिरफ्तारियां हुई । मान्यवर, यहां पर टोटल 58 जिले हैं अगर 100–100 हर जिले में गिरफ्तारियां हुई होती तो पांच हजार आठ सौ गिरफ्तारियां होतीं, लेकिन मान्यवर, तीन हजार 339 गिरफ्तारियां हुई । जहां तक विधायकों का सम्बन्ध है 57 माननीय विधायकों ने खुद अपने को अरेस्ट करवाया । जिसमें तीन विधान परिषद् के माननीय सदस्यों ने गिरफ्तारियां दीं । मान्यवर, जो बातें इस वक्त उठायी जा रही हैं तो जब भी कोई चीज फेल हो जाने वाली होती है तो उसकी पहले से पेशबन्दी की जाती है । यह बन्द बिल्कुल, टोटल फेल हुआ है ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री शत्रुद्र प्रकाश––

यह बिल्कुल असत्य है ।

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, एक अच्छा बजट जो रखा गया उसके प्रभाव से भयभीत होकर पूरे प्रदेश और हिन्दुस्तान बन्द का नारा दिया गया । मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, भारत की जनता को माननीय मुलायम सिंह जी बधाई देंगे क्योंकि वह इस वक्त राष्ट्रीय स्तर की तकरीर कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि लोग विकास की ओर चलाना चाहते हैं इसलिये उन्होंने इस भारत बन्द को नाकाम कर दिया कहीं पर किसी प्रकार के दमन की बात नहीं की गयी । जो प्रिवेंटिव तरीके होते हैं, वह अपनाये गये । जैसे यहां पर गेट नं0 3 पर सब लोग आना चाहें तो कैसे इजाजत दी जा सकती है, तो जहां-जहां पर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो कहीं पर आफेंसिव तरीके से नहीं बल्कि हर जगह डिफेंसिव कार्य किया गया । मान्यवर जहां तक चर्चा की बात है वह तो पूरी हो गयी है । ग्राह्यता पर कोई माननीय सदस्य बोला नहीं है । स्थिति तो ऐसी आ गयी है, मान्यवर, अभी तक तो लाठी चार्ज की बात होती रही है लेकिन आज एक नया चार्ज अखबारों से पता चला जिसे थप्पड़ चार्ज कहा जा रहा है । तो यह जो लाठी चार्ज और थप्पड़ चार्ज के मुकाबले हो रहे हैं इसको होने दीजिये । जहां तक शांति व्यवस्था का ताल्लुक है सारे अखबारों में है कि यहां पर शांतिपूर्ण रहा । इसमें माननीय विधायकगण, विरोधी दल के लोग

बधाई के पात्र हैं कि शांतिपूर्ण रहे लेकिन जहां-जहां यह लोग उग्र हुये वहां पर शासन को कार्यवाही करनी पड़ी । इन शब्दों के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्य--स्थगन की ग्राह्यता में किसी तरह से नहीं आता । मैं इसका विरोध करता हूं । इस पर चर्चा हो चुकी है । कहीं पर प्रदेश में कोई ज्यादती नहीं हुई है अगर कोई ज्यादती हुई है तो मुलायम सिंह जी या अन्य माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक चीज बतायेंगे, उसके लिये दरवाजे खुले हैं, रास्ता खुला है, जब भी ऐसी चीजें बतायी जाती है हम कार्यवाही करते हैं । लेकिन ऐसी स्थिति अभी सामने नहीं आयी है । जैसा कि हरेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी ने और कांग्रेस सरकार ने कैराना में कम्युनल राईट करा दिया तो यह सरासर असत्य आरोप है । अगर कहीं ऐसा हुआ तो उनकी आपसी बात रही होगी इसमें सरकार और मुख्य मंत्री का किसी प्रकार का हाथ नहीं है ।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, हुकुम सिंह जी से पूछ लें, वहां के क्षेत्रीय सांसद और भूतपूर्व मंत्री विद्याभूषण का हाथ था । अगर वह कह देंगे कि नहीं था तो मैं मान लूंगा । कैराना में हरिजनों और मुसलमान को लड़वाया गया ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, गोबल्स जैसा सत्य का विरोध करने के लिये मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सीखा सब इन्हीं से है । यह हमारे बुजुर्ग हैं ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, हजरतगंज में पान तक नहीं मिला जो यहां का प्रमुख बाजार है आप कहते हैं कि बन्द फेल हुआ है । आपको गोबल्स की पदवी से विभूषित करता हूं और बधाई देता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था दूंगा, अभी ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, दो सवाल हैं । एक तो निर्णय दिया गया था कि शांति भंग में विधायक पकड़े गये हैं । दूसरी बात संसदीय कार्य मंत्री जी ने बधाई दी कि शांतिमय तरीके से प्रदर्शन किया गया जब शांतिपूर्ण था तो गिरफ्तारियां क्यों की गयीं ? अध्यक्ष जी ने कहा है कि शांति भंग में गिरफ्तारी की गयी है लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण था । अगर शांतिपूर्ण था तो मुझे क्यों धक्का दिया गया, हीरालाल जी को चोटें क्यों आयीं ? महाराज सिंह यादव और अचल सिंह को रमाकान्त को चोटें क्यों आयीं ? इससे साबित हो जाता है कि लोगों पर ज्यादती की गयी है । इसलिये इस पर चर्चा होनी चाहिये । कम से कम 4 घंटे की चर्चा स्वीकार करें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जिन्होंने शांतिपूर्वक कार्य किया उनको बधाई दी है ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अचल सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, मैं अपनी निजी जानकारी से कह रहा हूं माननीय मुलायम सिंह जी ने एस0 पी0 (सिटी) को चांटा मारा था लेकिन पुलिस शांत रही। इनको तो पुलिस को बधाई देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर क्या व्यवस्था होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, नेकचन्द्र पाण्डेय जी जाने कहां से बात बिगाड़ रहे हैं, हम चांटा मार सकते हैं, एस0 पी0 को। ये थाने के दरवाजे पर बैठे रहते ह और जिस तरह से पेशबन्दी करते हैं उसी तरह से यहां पर भी कर रहे हैं। माननीय नेक चन्द्र जी पुलिस के मुखबिर हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यहां पर ग्राह्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो पूरे प्रदेश में जैसा कि उन्होंने बताया 4–5 हजार लोगों की गिरफ्तारी की सूचना है, विधायकों की भी गिरफ्तारी हुई है। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारियां हुयी हैं और पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी तो जितनी भी ग्राह्यता की शर्तें हैं यह उनको पूरा करता है, आप नियम 56 को देख लें। सरकार इस पर इत[illegible] गैर गंभीरता से बात कर रही है। विधायकों को छोड़ दीजिये, मुलायम सिंह जी को छो[illegible] जिये, जो कार्यकर्त्ता हैं गरीब लोग हैं, जिनकी आवाज यहां से हम उठाने के लिये आये [illegible] के साथ दुर्व्यवहार और दमन का काम पुलिस ने किया है। कोई भी जनतांत्रिक सरकार यह [illegible] कर सकती है। मेरा निवेदन है कि सारे कार्य को रोक कर इस पर 2 घंटे की चर्चा कराये। इससे ज्यादा गंभीर बात और कोई हो नहीं सकती है।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, अभी आपकी पीठ से निर्णय हुआ कि विधायक की गिरफ्तारी 116 और 151 में हुयी है। संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि स्वयं विधायकों ने गिरफ्तारी दी है। अगर स्वयं मैंने गिरफ्तारी दी है तो मेरे सर पर डंडा पड़ा, मेरी आंख पर डंडा पड़ा है, अगर शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दी गयी होती तो डंडों की चोट क्यों होती ?

श्री उपाध्यक्ष—

[illegible] मुझे देना है, आप काहे को परेशान हैं।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, अभी आपके संज्ञान में बातें ला दी गयीं उसी पर चर्चा होनी आवश्यक है वैसे यह हमारा राजनीतिक कार्यक्रम था लेकिन उसमें पुलिस को यह अधिकार नहीं होता कि वह विधायकों का अपमान करें। जिस तरह से पाण्डे जी कह रहे कि मुलायम सिंह जी ने थप्पड़ मारा था एस0 पी0 को। मान्यवर, एस0 पी0 जो दुर्व्यवहार कर रहा वह संसदीय लोकतंत्र में हमने पहली बार देखा कि एक दल के वरिष्ठ नेता के साथ पुलिस इस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है।

श्रीमन् यह आपके संज्ञान में आ गया हर तरफ से कि अचल सिंह जी को चोटें लगी है, [illegible]र जी सिंह को लाठी लगी है हमारे लोकदल के अध्यक्ष हरी लाल यादव जी अस्पताल में पड़े हुए हैं उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो यह घटना कोई जिले में नहीं हुई है यह विधान सभा के सामने हुई है, इसलिये इस पर चर्चा करानी बहुत आवश्यक है। मान्यवर, हम लोगों ने तो लाठी डंडा खाने के लिये यह कार्यक्रम किया ही था लेकिन जिस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो पुलिस बेलगाम हो जायेगी इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। जो माननीय मुलायम सिंह के साथ और माननीय विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है इस पर चर्चा आवश्यक है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मुझे एक बात कहना है माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि एहतियाती कार्यवाही के रूप में कुछ लोगों को पकड़ लिया गया । मैं एहतियाती कार्यवाही की परिभाषा सरकार से जानना चाहता हूं । मान्यवर, गोरखपुर में जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बालेन्द्र सिंह, महानगर जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री श्याम जी त्रिपाठी अपने घरों में बैठे हुए थे उनको पकड़ा गया है । इन विधायक श्री राम करन के घर पर पुलिस दल जाती है जब कि वह बीमार थे पुलिस यह नहीं पूछती है कि घर में बीबी है, बच्चे हैं, परिवार है वह घर से पकड़कर ले आती है । मान्यवर, मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूं । हमने संकल्प लिया है कि इस हुकूमत को खत्म करने के लिए जरूरत पड़ी तो जिन्दगी भर जेल में रहेंगे ।

मान्यवर, यह जो इस सरकार का तानाशाही तरीका है इसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । इसलिए प्रजातंत्र के नाम पर, जम्हूरियत के नाम पर यह वक्त का तकाजा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए वरना दरम्यानी हुकूमत के दौरान तानाशाही बढती जा रही है । जो बीबी बच्चों के साथ बीमार पड़ा हुआ है उसको बिस्तर से घसीटा जा रहा है यह कौन सी एहतियाती कार्यवाई है । इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं आप भी इधर बैठे हुए हैं । मैं यह नहीं मानता हूं कि आप उधर जाने वाले हैं जायेंगे तो सबके साथ जायेंगे । आपके साथ भी यह घटना घट सकती है इसलिए इस पर चर्चा कराने के आदेश दीजिए ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक शब्द कहा कि हमने प्रदेश भर में इतनी गिरफ्तारियां की हैं एहतियाती तौर पर और कहा कि कोई शांति भंग नहीं हुई तो श्रीमन इन गिरफ्तारियों को करने म हम लोगों को चोटें आईं । कहां पुलिस ने बल प्रयोग किया और किन परिस्थितियों में किया ? इन सब चीजों की जानकारी मंत्री जी के पास आनी चाहिए । इन सब की जानकारी पाने के लिए आवश्यक है कि सरकार को समय दें ताकि सारी जानकारी करके सदन में लायें । इसलिए इस पर आवश्यक है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए । माननीय मुलायम सिंह के साथ क्या घटना घटी ?

माननीय हमारे दूसरे साथी जो माननीय मंत्री ने कहा था एम0 एल0 सी0 साहब उनको चोटें आई हैं जो आपने बताया कि विधान परिषद के सदस्य गिरफ्तार हुए क्या उनके साथ घटना घटी है ? इसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पर आप चर्चा करायें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, इस विषय की ग्राह्यता के संबंध में मुझे आपसे अनुरोध करना है कि यह विषय अविलम्बनीय है चूंकि कल हुआ है । लोक महत्व का है क्योंकि सारे प्रदेश और देश से संबंधित है । अभी मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि कोई स्पेसिफिक घटना बतावें मैं चर्चा की मांग इसलिये कर रहा हूं चूंकि वर्तमान सरकार जो हमारे प्रजातांत्रिक अधिकार हैं उन पर आये दिन बराबर कुठाराघात कर रही है और जो यह सारी घटनाएं हैं यह स्पेसिफिक रूप से जिलेवार अगर यह सदन में इस पर चर्चा नहीं होती है तो पुलिस का जो निरंकुश रवैया चल रहा है जिसके तहत हमारे विधायकों और प्रदेश की जनता के साथ में . . . . . .

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

नेता विरोधी दल खड़े हैं और आप उनको रोक रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सत्यपाल सिंह --

मान्यवर, यह एक स्पेसिफिक उदाहरण चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां इनकी पुलिस ने, इनकी सरकार ने 15 मार्च को जो भारत बन्द था, उससे 2-3 दिन पहले लोगों को बन्द कर दिया और कार्यकर्त्ताओं को जेल में डाल दिया। मान्यवर, इनकी पुलिस ने कल भी शांतिप्रिय तरीके से काम कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया और सारे प्रदेश में पुलिस राज कायम करने की कोशिश की। अनेकानेक घटनाएं ऐसी हैं। सहारनपुर में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। हमारे कार्यकर्त्ताओं को घायल किया, जब कि प्रदेश के अन्दर बन्द को पूर्णतया सफलता मिली। हर जिले के हर छोटे-बड़े दुकानदार ने इसमें हिस्सा लिया। बन्द सफल रहा लेकिन सरकार बेहया हो गयी है इसको असर नहीं हो रहा है। इन्होंने आंख में चश्मा लगा रखा है अंधे हो गये हैं। आज सारे प्रदेश में आक्रोश की स्थित है, जनता दुखी है दरोगा राज कायम है लेकिन सरकार हमारे जायज प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है और हम चाहते हैं कि सारी घटनाओं की उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक रूप से जो हमारी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कोई बतावें स्पेसिफिक रूप से बता वें? हर घटना को लाया जाय उस पर चर्चा हो। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा अवश्य करावें और कम से कम 4 घंटे की चर्चा करावें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, इस पर व्यवस्था दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। ठीक है गंभीर मामला है, एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की पुलिस बिलकुल निरंकुश हो गयी है और उसके जुल्म अपनी पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने जजमेन्ट दिया है कि अफसोस है कि यह मामला प्राचीन काल के पुलिस राज की याद दिलाता है, जब लोगों का जीवन अपराधियों पर निर्भर करता था। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सैकड़ों घटनायें हैं पुलिस जुल्म की लेकिन एक घटना मैं प्रतीक रूप से बताना चाहता हूं। मान्यवर, हरदोई में दीवानी न्यायालय से एक मुजरिम बी0 के0 अस्थाना, सड़क पर जा रहा था। उसे पुलिस ने पकड़ कर इतना मारा कि वह मरणासन्न हो गया और अस्पताल जाते-जाते मृत हो गया। उसको इसलिये मारा गया चूंकि उसने कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रार्थना-पत्र एस0पी0 को दिये थे। पुलिस ने अपनी डिफेंस के लिये बना लिया कि वह शराब पीकर जा रहा था और तर्क के लिये मान लिया कि शराब के नशे में था। तो भी क्या पुलिस को यह अधिकार दिया जायेगा कि किसी व्यक्ति को सरेआम इतना मारा जायेगा कि वह मर जाय? मान्यवर, अफसोस की बात यह है कि इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पूरे नगर में इस घटना को लेकर उत्तेजना है न्यायालय बन्द हैं, कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

मान्यवर, आज क्या है, पुलिस जिसको रक्षक का काम दिया गया है वह पुलिस रक्षक के रूप में न रह कर भक्षक के रूप में हो गयी है। मान्यवर, पुलिस की इस स्थिति से शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, मैं यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय इस सदन की संज्ञान में लाया हूं, इस पर अविलम्ब चर्चा करायी जाय। पुलिस के और जुल्मों के सम्बन्ध में भी जो हम लोगों को जानकारी है, वह उस पर दी जायगी। सरकार की नीति का भी पता लगे कि आखिर सरकार इन भक्षकों के ऊपर कैसे नियंत्रण करना चाहती है, इनके अपराधों को जानने के बाद इन पर कार्यवाही क्यों नहीं करती है? इस पर चर्चा करायी जाय।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मान्यवर, इस घटना से माननीय सदस्य को जितना अफसोस है, उतना ही हमें भी अफसोस है। इस घटना को हम दिखवा रहे हैं। जिस गम्भीरता से इसको माननीय सदस्य गुप्त जी ने लिया है, उसी गम्भीरता से सरकार इसे लेगी और इसकी निष्पक्ष जांच करायेंगे। पुलिस के कांस्टेबिल को इसमें निलम्बित कर दिया गया है और अगर कोई केस वगैरह भी बनेगा, तो केस भी किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सरकार के भोलेपन को आप देख लें, कैसे उत्तर दे रहे हैं? सिपाही निलम्बित कर दिया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि देखेंगे कि केस बनता है या नहीं। वह व्यक्ति मार खाते-खाते मर गया, अभी भी कह रहे हैं कि केस बनता है या नहीं इसको हम देखेंगे। मान्यवर, यही वह तरीके हैं, जिस कारण से आज प्रदेश में दरोगा राज कायम है। वे लोग इनके ऊपर हावी हो गये हैं। इनके भोलेपन को देखिये कि कैसे अन्जान बन कर उत्तर दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि जानबूझ कर पुलिस के कुकर्मों पर पर्दा डालने का प्रयास यह सरकार कर रही है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, हम यह निवेदन कर रहे थे कि कार्य स्थगन की जितनी नोटिसें मिली, यहां सरकार की तरफ से, उसके हिसाब से जानकारी दे दी गयी। माननीय राज्य मंत्री गृह ने माननीय गुप्त जी की बात पर कहा कि इसके ऊपर सख्त कार्यवाही करेंगे। उसके बाद भी माननीय गुप्त जी यह कह रहे हैं कि सरकार तथ्यों को छिपा रही है, कुछ नहीं कर रही है। अब माननीय राज्य मंत्री ने उस पर सख्त कार्यवाही की बात कह दी, अगर अपराध किया होगा तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा। अगर जुल्म किया है तो उस जुल्म के हिसाब से कार्यवाही करायी जायेगी। अब उसके बाद कहां कोई बात रह जाती है।

श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, 29 फरवरी को पुलिस की लाठी से अक्षयवर मल्ल जी की हत्या हुई, उसकी रपट हजरतगंज थाने में दी, अभी तक उनका हत्यारा पकड़ा नहीं गया। इसी मांग को लेकर कि हत्यारे को पकड़ा जाय, 14 मार्च को हम लोग विधान सभा के फाटक पर धरने पर बैठे थे मान्यवर, मेरे साथ राज कुमार और भी तमाम लोग धरने पर थे। मान्यवर, राज कुमार अपने परिवार के साथ धरने पर था। वह अपनी बच्ची को पानी पिलाने के लिये गया हुआ था और पानी पिलाकर लौट रहा था, इसी बीच में हजरतगंज, कोतवाली के एस0 आई0 श्री धर्मवीर सिंह ने उसको रोका और उसको रोक कर बुरी तरह से पीटा। पिटाई से उसके सीने में और उसके पैर में बुरी तरह से चोटें आई हैं। उसके पास जो भी पैसा था, वह भी उससे छीन लिया गया और उसको ले जाकर कोतवाली में बन्द कर दिया गया। मान्यवर, आज राज कुमार अस्पताल में भर्ती है। यह विधान भवन के सामने का मामला है। आज तक उस एस0 आई0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। मान्यवर, यह एक के बाद एक घटना होती जा रही है, और पुलिस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अभी 29 तारीख को अक्षयवर मल्ल की हत्या हुई, उसके बाद 14 तारीख को राज कुमार को पीटा गया और अभी कल ही विधायकों को पीटा गया। इस प्रकार पुलिस की लगातार हरकत बढ़ती चली जा रही है और मान्यवर, इस हुकुमत की तरफ से प्रयास यह किया जा रहा है कि अक्षयवर मल्ल की हत्या जिस तरह हुई, जिस तरह से उनको पीटा गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने की पूरी कोशिश इस प्रशासन द्वारा की गई है। अब प्रयास यह हो रहा है कि जिस स्थान पर उनकी हत्या हुई और जो घटना का स्थान है, उसको बदल दिया जाय। इस प्रकार मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है और आज भी राज कुमार अस्पताल में भर्ती है। मान्यवर, इस पर चर्चा करायें नहीं तो यह परम्परा पड़ जायेगी कि पुलिस अपने अत्याचारों द्वारा निर्दोष लोगों को मारती रहेगी और विधायक भी पिटते रहेंगे। यह लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस पर चर्चा अवश्य करा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, माननीय भगौती सिंह ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही गम्भीर है । मान्यवर, जब हम और हमारे साथी शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो यह किसी को भी अख्तियार नहीं है, कि वह हम पर लाठी डन्डा चलायें । जहां पर यह घटना हुई है, मैं वहां पर गया था । मैंने स्वयं देखा कि लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और वह बिल्कुल अहिंसक थे । मान्यवर, राज कुमार नामक आदमी जो भी उस धरने में मौजूद था, अपनी बच्ची को पानी पिलाने के लिये गया । चूंकि पुलिस वाले उनको पहचानते थे, इसलिये बदला लेने की नीयत से उन्होंने उसको अपमानित किया व मारा पीटा । मान्यवर, इस तरह से पुलिस को लाठी डन्डा चलाने की छूट नहीं मिलनी चाहिये । अगर हम हिंसक हो तो लाठी डन्डा चलाना उचित है । लेकिन जिस तरह अहिंसक भीड़ पर लाठी डन्डा चलाया गया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, हम इस मामले की स्पष्ट तरीके से जांच करा लेंगे और यह सुनिश्चित करा लेंगे कि किसी प्रकार की नाइन्साफी राज कुमार के साथ न हो ।

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि मैं इसको दिखवा लूंगा और जांच करवा लूंगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को यह कैसे पता लगेगा कि क्या जांच हुई और क्या कार्यवाही हुई । मान्यवर, आप मंत्री जी से कहलवा दीजिये कि वह हम लोगों को भी इसकी सूचना देंगे । मंत्री जी की कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं । इसमें उन्हें कोई कष्ट भी नहीं होना चाहिये । हम यह चाहते हैं कि जो भी जांच हो, वह हमें भी मालूम होनी चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, हम इस सम्मानित सदन को और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाते हैं कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच की जायेगी । साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि यह बहुत छोटी-सी घटना है और इस पर सदन का समय बर्बाद करना ठीक नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, विधान सभा के सामने किसी व्यक्ति को इस तरह मारा जाय और अपमानित किया जाय और मंत्री जी यह कहें कि यह छोटी-सी घटना है । किसी इज्जतदार आदमी को बिना वजह पीटा जाय, यह कोई छोटी बात नहीं है । (श्रीमन्) इसको गम्भीरता से लीजिये ।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं अगर किसी मंत्री की टांग तोड़ दूं तो यह क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

हाउस के अन्दर यह काम नहीं कर सकते ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, आप इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं । राज कुमार किसी तरह मरने से बचा है । आप इसको गम्भीरता से लें तथा सरकार को निर्देश दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले मैं सुन लूं फिर निर्देश दूंगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव जनपद मिर्जापुर में रिहन्द जलाशय द्वारा अचानक पानी छोड़ जाने और उसके कारण 33 बरातियों के डूब कर मर जाने के सम्बन्ध में है । मान्यवर, इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घटना में 45 बराती नाव पर सवार थे । मान्यवर, रिहन्द जलाशय द्वारा अचानक पानी छोड़े जाने के कारण यह नाव डूब गई और उसमें से 33 लोगों की डूब कर मृत्यु हो गई डूबने वालों में बच्चे और औरतें हैं। सरकार को इसकी सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन ने उन्हें बचाने का कोई इन्तजाम नहीं किया और आज तक दर्जनों व्यक्ति ऐसे हैं, जो लापता हैं, उनको निकालने की कोई कोशिश नहीं की गई और न ही उनके परिवार जनों को कोई सूचना दी गई है। जिला प्रशासन ने आज तक उनके परिवार के लोगों के बीच न कोई राहत सामग्री बांटी और न क्षति पूर्ति की। इस प्रकरण से उस समस्त क्षेत्र म भीषण असन्तोष फैल गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज शेष सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय क्योंकि बिजली विभाग ने गलती की है। रिहन्ड डेम में इतना ज्यादा पानी छोड़ दिया, जिससे उसमें बाढ़ आ गई और लोग डूब गये।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं समझता हूं यह एक दुखद घटना है । घटना चाहे मध्य प्रदेश में घटी हो या उत्तर प्रदेश में, उसका कोई औचित्य नहीं है । हम सब इस घटना से दुखी हैं । अगर उत्तर प्रदेश की सीमाओं में यह घटना घटी है या उससे हमारा सीधा संबंध है, तो मृतकों के परिवारों को जो रिलीफ देनी होगी, उसके लिये सरकार कार्यवाही करेगी।

(श्री मनोहर लाल व श्री अचल सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर 12/13 मार्च की रात में इटावा जनपद के एक क्लास वन के बिक्रीकर अधिकारी श्री राज नारायण सिंह की निर्ममता से संदेहास्पद स्थिति में हत्या कर दी गई। श्री राज नारायण सिंह एक बहुत ही ईमानदार व कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च का महीना वित्तीय वर्ष होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है । वहां पर तमाम व्यापारियों को बिक्री कर के बकाये के भुगतान हेतु नोटिसें दी गई थीं और उनके न देने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही थी। यह शर्मनाक घटना कोतवाली के अन्तर्गत अस्तल चौकी स्थल से एक फर्लांग की दूरी पर घटी है । नीलकंठ मन्दिर के पुजारी श्री श्रीकृष्ण ने जब इसकी सूचना दी तो तब भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई। ऐसे तमाम बड़े व्यापारियों को खोजी कुत्ते ने सूंघा, तो उनसे कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। आज वहां इस घटना से भय व्याप्त हो गया है। तमाम बिक्री कर अधिकारी और कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है । राज्य-कर्मियों ने भी इटावा जनपद में हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। पूरे राजस्व की क्षति हो रही है। आज अधिकारी लोग सोचने लग गये हैं कि इस सरकार में ईमानदारी से काम करने वाला सुरक्षित नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आज शेष सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराई जाये और वहां पर पुलिस की स्थिति संदेहास्पद है, इसलिए सी0 आई0 डी0 से इस पर गंभीरता से जांच कराई जाय ।

*श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, इटावा के एक ईमानदार कर्त्तव्यनिष्ठ बिक्रीकर अधिकारी की जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गयी है, उससे आज समाज में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है । एक ईमान-दार अधिकारी, जो ईमानदारी से राजस्व प्राप्ति के लिये भ्रष्ट व्यापारी के समक्ष, जो भ्रष्ट तरीके से उस ईमानदार अधिकारी पर दबाव डाल रहा था, नहीं झुका, इसी कारण उसकी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निर्मम तरीके से हत्या कर दी गयी। पुलिस को मालूम है कि किसने हत्या की है लेकिन पुलिस इतनी मजबूर है कि कुत्तों द्वारा उन व्यक्तियों को सूंघने के बाद भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। मेरी मांग है कि उस ईमानदार अधिकारी क परिवार के संरक्षण की व्यवस्था करें और इस पर चर्चा करायें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, धारा 302 में मुकदमा कायम करा दिया गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, विस्तार से तो नहीं कहना है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना और सरकारी अधिकारी की हत्या हो जाना सरकार के लिये बड़ी शर्मनाक बात है। ये जो घटनायें शुरू हो गयीं है, इनको सरकार रोक नहीं सकी। इसका मुख्य कारण यह है कि यह सरकार पुलिस, गुन्डों और पूंजीपतियों के चंगुल में है। इसमें पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही है और वहां के धन्नासेठ और गुन्डों ने मिलकर यह हत्या की है। यह तो सरकार जाने, हमें अभी पूरे तथ्य नहीं मालूम हो पाये हैं। ईमानदार और बेईमानी अलग चीज है, मुख्य चीज है हत्या हो जाना और वह भी एक सरकारी अधिकारी की हत्या होना। इस पर गंभीरता से विचार करिये, यह कोई मामूली घटना नहीं है। एक अधिकारी को निर्मम तरीके से आंखे फोड़कर, तेजाब डालकर, पता नहीं कैसे कैसे-क.रके मारा गया है। गंभीर स्थिति है और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्थिति और बढ़ने वाली है। इसको समाप्त होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

पुलिस पूरी तत्परता से काम कर रही है, मुकदमा भी कायम हो गया है और तेजी से दिखवायेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दोषी आदमी कोई बचने न पाये।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम शरण दास--

जिनको कुत्तों ने सूंघा है, उसमें कुछ कांग्रेसी हैं कि नहीं, इसको भी दिखवा लीजिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

सी0 आई0 डी0 की जांच करा लें।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या माननीय मंत्री जी सी0 आई0 डी0 जांच के लिए तैयार हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

सी0 आई0 डी0 की जांच करा देंगे, लेकिन यह कहना सत्य से परे है कि इसमें किसी भी कांग्रेसी का हाथ है। आपके दोस्त ही इसमें होंगे, हम तो यही समझते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय राम शरण दास जी ने कहा कि जिनको कुत्तों ने सूघा उसमें कुछ कांग्रेसी हैं, आपने कह दिया कि कोई नहीं हैं, तो बिना जांच के आपको कैसे पता चल गया कि उसमें कोई कांग्रेसी नहीं है? आपने ऐसा किस आधार पर कहा?

श्री अम्मार रिजवी—

जैसे माननीय राम शरणदास जी ने कहा दिया कि इसमें कांग्रेसियों का हाथ है, वैसे ही उन्होंने भी कह दिया।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

कोई भी माननीय सदस्य कह सकता है, लेकिन अगर माननीय मंत्री कहते हैं तो वह घोषणा होगी। मान्यवर, अगर मंत्री जी ने कह दिया कि किसी कांग्रेसी का हाथ नहीं है तो यह किस आधार पर कह दिया जब कि मा0 राम शरण दास जी कह रहे हैं कि कुत्ते ने कांग्रेसी को सूंघा, उसकी बात का तो आधार है किन्तु मंत्री जी ने कैसे यह कह दिया,? जब मंत्री जी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं और अब सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश हो गये हैं तो वह भी जांच के समय इस बात का ध्यान रखेंगे जो अभी मंत्री जी ने कहा है। इसलिये मंत्री जी को वाक्य स्वातंत्र्य का यहां प्रयोग नहीं करना चाहिये बल्कि जिम्मेदारी की बात कहनी चाहिए और मंत्रियों का आचरण शिष्ट होना चाहिये।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, अभी मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने कह दिया कि मंत्रियों का आचरण शिष्ट होना चाहिये तो क्या दूसरी तरफ का आचरण इसका उल्टा होना चाहिये?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय दिनेश जौहरी, आपकी सूचना जो कि फर्जी टी0 सी0 व प्रमाण-पत्र के बारे में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, एक मिनट सुन तो लें, बहुत महत्वपूर्ण मामला है यह कि पूरे प्रदेश में फर्जी टी0 सी0 और फर्जी प्रमाण-पत्र और सनद बनाये जा रहे हैं, इसका पूरा कारखाना खुला हुआ है और काम चल रहा है। हजारों लड़कों और लड़कियों को जो कि फेल हो जाते हैं उनके लिये फर्जी प्रमाण पत्र बनाये जाते हैं ताकि वे लोग आगे की परीक्षाओं में उस प्रमाण-पत्र को दिखा सकें। अभी आगरा, मेरठ और गढ़वाल मण्डल में ऐसे 12 लड़के और लड़कियों के प्रमाण-पत्र पकड़े गये हैं जिन्होंने आगामी परीक्षा के लिये फार्म भरते समय उनको पेश किया था। इस प्रकार के तीन हजार प्रमाण-पत्रों की जांच हो रही है। हमारे पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के जीवन के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है और इस पर अभी तक कोई भी जांच नहीं हुई है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये। इसमें ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी हाथ है। इसमें प्रधानाचार्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर बाकायदा हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आज आप सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करा दें।

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, जैसा कि अभी सम्मानित सदस्य ने कहा और जिस विषय पर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया, शासन भी चिन्तित है कि जैसा अभी मा0 डा0 दिनेश जौहरी जी ने कहा कि आगरा, मेरठ और गढ़वाल मण्डल में ऐसे केसेज पकड़े गये हैं। मैं समझता हूं कि यह लोक हित का मामला है और प्रदेश के विद्यार्थियों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पूरे प्रकरण की मैं सी0 आई0 डी0 के द्वारा जांच करने के आदेश दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अवनीश कुमार और मा0 नरेश पाल सिंह की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। माननीय काशी सिंह ऐरी की सूचना जो कि उन्होंने नियम 56 में दी है, इसे नियम 51 में स्वीकार किया जाता है। माननीय कुशलपाल सिंह की सूचना गन्ना से संबंधित है। आज अभी गन्ना का बजट है उस समय आप लोग अपनी बात को कह लीजियेगा। माननीय अचल सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है।

श्री सत्य पाल सिंह —

मान्यवर, अभी मा0 मनोहर लाल जी कई बार खड़े हुए और आपने उनको मौका नहीं दिया। आपने उनकी सूचना को नहीं देखा है किन्तु मैंने देखा कि वह सूचना बहुत गंभीर है और आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं, यह गलत बात है, आप उनको सुन लीजिये।

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मनोहर लाल जी, आप बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय भगौती सिंह जी ने उठाया है, उस पर आपने क्या फैसला लिया? मैं सुन नहीं सका।

(समय 2 बजकर 20 मिनट पर)

श्री उपाध्यक्ष—

उनको स्टेटमेन्ट के लिये स्वीकार किया है और बाकी सभी सूचनाएं अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान)

श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, आपसे मैंने यही अनुरोध किया था कि मा0 मनोहर लाल जी को 2-3 मिनट के लिए सुन लीजिए, सभी ने अपनी बात कह ली है, इन्हीं की रह गयी है।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मेरी सूचना माननीय मंत्री जी से संबंधित है, इसलिए नहीं सुनिएगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने बहुत सूचनाएं सुन ली हैं, सिर्फ तो तीन ही रह गयी हैं, अब मैंने दूसरा मद ले लिया है, इसलिए अब नहीं सुनूंगा। कृपया आप लोग बैठ जाएं।

श्री सत्यपाल सिंह—

तो मान्यवर, कल सुन लीजिएगा, यही बता दीजिए, फिर हम लोग शांत हो जायं और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो प्रक्रिया आप पूरी करेंगे तो उस पर कल विचार होगा।

(श्री मनोहर लाल सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे)

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मेरी सूचना आप क्यों नहीं सुनेंगे, क्या यह माननीय मंत्री जी से संबंधित हैं, इसलिए ?

श्री उपाध्यक्ष--

न मेरा कोई गृह मंत्री जी से वास्ता है और न आप से और रही बात कल की तो उसे प्रक्रिया के अनुसार देखा जायगा। इसे मैं आज कैसे कह दूं और अब मैं सारी सूचनाएं अस्वीकृत कर चुका हूं, इसलिए नहीं सुन सकूंगा, [***] मैं नियमों के अनुसार सुन रहा हूं। अब संख्या 12 माननीय परिवहन मंत्री।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 43--परिवहन विभाग

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)--

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 47,73,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आज आपने इस सम्मानित सदन का मुझे ऐसे लोकोपयोगी और 24 घंटे जन-सेवा में लगे हुए विभाग के विषय में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारी इस लोकप्रिय सरकार ने समय-समय पर जनहित में ऐसे-ऐसे कदम उठाए हैं, जिनका सीधा संबंध जनता से रहा है और उनका लाभ जनता को मिला है। श्रीमन्, प्राइवेट सेक्टर को समाप्त करके दोनों व्यवस्थाओं को समन्वित रखने के लिये सर्वप्रथम सरकार ने मई, 1947 में सार्वजनिक क्षेत्र में बसों का चलना लागू किया यह व्यवस्था अब तक चलती रही और 1972 में परिवहन निगम की स्थापना हुई। निगम के माध्यम से आज तक यह विभाग जनता के आवागमन और यातायात की सुविधाओं में लगा हुआ है। श्रीमन्, यह परिवहन विभाग का संगठन आयुक्त द्वारा संचालित होता है और मुख्यतः इसको सुदृढ़ करने के लिये, विकासोन्मुख करने के लिय और इस व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिये समय-समय पर इसका विस्तार और प्रसार होता है रहा है और होता जायेगा। श्रीमन्, बढ़ती हुई जनसंख्या यातायात और आवागमन की आवश्यकताओं और बढ़ते हुए वाहनों की संख्या को देखते हुए इस विभाग का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है। 82-83 में वाहनों की संख्या 6 लाख थी और वह इस समय बढ़कर 12 लाख हो गयी है। 2 लाख वाहनों के बढ़ने की और संभावना है। तो इस प्रकार से 14 लाख वाहनों का योगदान होगा। इसके साथ ही व्यक्तियों के आवागमन की सुविधा के लिये इस समय प्रदेश में 20 हजार बस कार्य कर रही हैं, 13 हजार बसें प्राइवेट सेक्टर की और 7 हजार बसें निगम की हैं। अध्यक्ष महोदय, परिवहन व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिये तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिय अपराधों की रोकथाम और यात्रियों की सुविधा के लिए प्रवर्तन दल बनाया गया है और उसके माध्यम से इनको दूर किया जाता है अपराधियों को पकड़ा जाता है, गाड़ियों का चालान किया जाता है, जिससे अपराध कम हों। मैं इससे सदन को अवगत कराना चाहता हूं स्पष्ट है कि वर्ष 1985-86 जनवरी तक चालान किये गये वाहनों की संख्या 85 हजार 75 थी और उससे 1 करोड़ 2 लाख 41 हजार 3 सौ 78 रुपये कर के रूप में वसूल किये गये। वर्ष 1986-87

[***]नोट--यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

में जनवरी तक 92,463 वाहनों का चालान किया गया और उससे 1 करोड़ 8 लाख 60 हजार 807 रुपये वसूल हुए। वर्ष 1987-88 में जनवरी तक 1,32,277 वाहनों का चालान हुआ और उससे 1 करोड़ 52 लाख 63 हजार 735 रुपये जुर्माना के रूप में वसूल किये गये। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 7 लाख 49 हजार 870 रुपये अवशेष कर के रूप में वसूल किये गये। श्रीमन्, परिवहन विभाग की व्यवस्था को सुचारुता देने के लिए संभागीय उप संभागीय कार्यालय बनाये गये हैं, अब तक 32 संभागीय उप संभागीय कार्यालय बनाये गये हैं और 20 उप संभागीय कार्यालयों की और व्यवस्था कर दी गयी है। इसका अर्थ यह हुआ कि 52 जनपदों में इन कार्यालयों की व्यवस्था हो रही है। हमें आशा है कि वर्ष 1988-89 में इन नये उप संभागीय कार्यालयों का लाभ मिलना आरम्भ हो जायेगा। श्रीमन्, इसी संदर्भ में यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि अभी तक विभागीय कार्यालय भवन चार संभागों में उपलब्ध थे। वर्ष 1987-88 में तीन संभाग, इलाहाबाद, लखनऊ और मेरठ के लिये भूमि क्रय की जा चुकी है। वर्ष 1988-89 में तीन संभाग, गोरखपुर, वाराणसी और काठगोदाम में बनाने के लिये भूमि क्रय करने के लिए प्राविधान किया जा चुका है।

जहां इस तरह की व्यवस्था है उसमें हमने कुछ सरलीकरण के उपाय निकाले हैं। हमने लाइसेंसिंग मशीन की व्यवस्था भी की है जिसमें चालक के लाइसेन्स कार्ड प्लास्टिक कार्ड के बनाये जायेंगे। पहले यह लम्बे होते थे लेकिन अब यह प्लास्टिक कार्ड 3 बाई 3 के होंगे। इस लाइसेन्स पर सारी व्यवस्था लिखी मिलेगी। यह व्यवस्था स्थायी होगी। वह बिगड़ेगा और टूटेगा नहीं। इस तरह की व्यवस्था इलाहाबाद और वाराणसी के कार्यालयों में इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध हो जायेगी। लखनऊ में यह व्यवस्था पहले से है। अगले वित्तीय वर्ष 1988-89 में 6 और कार्यालयों में ऐसी सुविधा प्रस्तावित है।

श्रीमन्, व्यावसायिक वाहनों को फिटनेस की भी विभाग की तरफ से व्यवस्था की गई है। वाहनों को स्वस्थता का प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पहली बार प्रदेश में दो प्रमुख नगरों लखनऊ और कानपुर में फिटनेस वर्कशाप की स्थापना का प्रस्ताव है।

मान्यवर, चालकों को प्रशिक्षित करने हेतु टेस्टिंग ग्राउण्ड की भी व्यवस्था की गई है। कभी कभी अनभिज्ञ चालक गाड़ी ले जाते थे और लोगों की जानमाल से खिलवाड़ करते थे, इसकी सुरक्षा हेतु उन्हें चालक लाइसेन्स देने से पहले चालक टेस्टिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य से लखनऊ और कानपुर में ड्राइवर टेस्टिंग ग्राउण्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है यह अपने आप में एक नई चीज होगी। हल्के वाहनों पर एक वारीय कर लगाने की भी व्यवस्था की गई है। जनहित में, सरकार के हित में तथा सर्वहित में यह व्यवस्था की गई कि एक ही बार में हल्के वाहनों का कर जमा कर दिया जाय और जितनी भी उनकी गाड़ी चले उसमें आगे कर देने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार में कर जमा करने की व्यवस्था की गई है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों की बचत होगी और उनका समय अन्य उपयोगी कार्यों की ओर लगेगा।

बस स्टेशनों में सुधार लाने के दृष्टिकोण से बस टरमिनल प्राधिकरण की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है जो कि यह पता लगायेगा कि किस स्टेशन में जलपान की व्यवस्था नहीं है, स्नानागार, शौचालय और सफाई आदि की ठीक व्यवस्था नहीं है। उसका यह प्राधिकरण समय-समय पर निरीक्षण-परीक्षण करता रहेगा।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक स्टेट ट्रांसपोर्ट इन्स्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है जो भविष्य में 20 वर्षों के अन्दर बढ़ती हुई जनसंख्या, वाहनों की संख्या, वाहनों को सही रूप में चलाने हेतु किस तरह की व्यवस्था की जायेगी, के सम्बन्ध में अध्ययन करेगा। इस उद्देश्य से इस इन्स्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है जिससे यातायात जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति में जो बाधायें आती हैं उनको दूर किया जा सके।

बसों को परमिट देने में देर हुआ करती थी उसे गजट में प्रकाशित करना होता था । किन्तु अब आर0टी0ए0 की कार्यवाही का प्रकाशन गजट में न होकर दैनिक समाचार-पत्रों में करा देने की व्यवस्था की गई है । ताकि उसमें बिलम्ब न हो सके उसमें कोई धोखा न हो सके ।

मान्यवर, मारुति वैन टैक्सी को भी टैक्सी की संज्ञा दी गई है और उसे टैक्सी के रूप में प्रयोग हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त तिपहिये आटो रिक्शा में अब एक साथ दो सवारियों के स्थान पर 3 सवारियों को ले जाने के लिये भी अनुमति देने का प्रस्ताव है । प्रदूषण निवारण के लिये भी जो कि वाहनों द्वारा होता था उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से उन पर प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू करने का प्रस्ताव है ।

मान्यवर, सड़क परिवहन के साथ-साथ हमारी सरकार ने जल परिवहन को भी विशेष महत्व दिया है । यह काफी सस्ता होता है और पुराने जमाने में यह रहा भी है । माननीय सदस्य इसका इतिहास जानते हैं ।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बेनी प्रसाद वर्मा पीठासीन हुये ।)

प्रदेश में जल परिवहन को विकसित करने के लिये गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती में हाइड्रोग्राफिक एवं टैफनों इको नामिक सर्वेक्षण के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये हैं । कहां-कहां और कितनी उपयोगिता हो सकती है यह वहां से पास होकर आयेगा । इस विभाग में हमने जो राजस्व अर्जित किया है वह इस प्रकार है वर्ष 1985–86 में जनवरी तक 112.45 करोड़ रुपया, वर्ष 1986–87 में जनवरी तक 121.11 करोड़ रुपया और वर्ष 1987–88 में जनवरी तक 139.71 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त किया है । इस प्रकार आप देखेंगे तो राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है ।

इसके अतिरिक्त परिवहन निगम के कार्यकलापों में भी काफी विकास हुआ है । इस वर्ष अप्रैल से जनवरी में 6923 उपलब्ध बसों में से 6040 बसें यानी 87 प्रतिशत बसें आन रोड रही और केवल 13 प्रतिशत बसें आफ दि रोड रही और 2159 मार्गों पर बसें संचालित की गयीं जबकि विगत वर्ष इसी अवधि में 5439 बसें 2108 मार्गों पर संचालित की गयीं ।

मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अनुबन्ध में चल रही 548 बसों को अगस्त 1987 से हटाना पड़ा लेकिन निगम द्वारा बस उपयोगिता में वृद्धि कर अधिक से अधिक बसों को आन रोड कर इस कमी को पूरा किया गया । इसके फलस्वरूप अप्रैल से जनवरी 88 में 45.60 करोड़ कि0मी0 अर्जित किये गये जो वर्ष 86–87 की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है । यही नहीं इस अवधि में बस उपयोगिता भी 207 कि0मी0 प्रति बस प्रतिदिन प्राप्त हुई जो गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है ।

हमारे यहां इस समय 71 वी0डी0ओ0 युक्त बसें चल रही हैं तथा लगभग 200 सेमी डीलक्स बसें भी चल रही हैं ।

कार्यशालाओं के बारे में भी मैं बताना अपना कर्तव्य समझता हूं । नियमित मेन्टीनेन्स के फलस्वरूप ईंधन का माध्य 4.35 कि0मी0 प्रति लीटर से बढ़कर 4.47 कि0मी0 प्रति लीटर हो गया है । जो राष्ट्रीय औसत से (4.10) से अधिक है यानी राष्ट्रीय औसत 4.10 है ।

ब्रेक डाउन 1986–87 में 0.50 था वह घटकर इस वर्ष 0.32 हो गया है ।

17 नये डिपो स्थापित करने के लिये वर्ष 88–89 में लगभग 13 करोड़ रुपये का कार्यक्रम बनाया गया है और इस वर्ष लगभग डेढ़ करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है ।

कानपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला एवं ऐलन फारेस्ट कार्यशाला में इस वर्ष जनवरी 88 तक 464 बसों की बाडीज का नवीनीकरण किया गया जो गत वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक है ।

कार्यशालाओं को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिये 87–88 में 215 लाख तथा 88–89 में 401 लाख के आधुनिक संयंत्र क्रय करने का प्रस्ताव है ।

निगम द्वारा कार्यशालाओं की स्थापना/विस्तार एवं आधुनिक संयत्रों को उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 85–86 में इन मदों में कुल 50 लाख का व्यय किया गया जब कि इस वर्ष 6.50 करोड़ रुपयों का प्राविधान है एवं वर्ष 88–89 में 15 करोड़ की योजना है ।

परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । अगस्त 87 से एलन फारेस्ट कार्यशाला कानपुर में एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है । यहां अगस्त 1987 से जनवरी 88 तक कुल 444 चालकों को प्रशिक्षित किया गया है । अपने प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त निगम के 115 अधिकारियों और 328 पर्यवेक्षीय कर्मचारियों को विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों में भेजकर प्रशिक्षित किया गया है ।

वर्ष 1986–87 में 1335 चेसिसें क्रय की गयीं थीं और इस वर्ष जनवरी 1988 तक 1170 चेसिसे क्रय की गयीं हैं । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण गत वर्ष से यह संख्या कम हो गयी ।

मान्यवर, बसों के रख-रखाव में 4 क्षेत्रीय कार्यशालाओं लखनऊ, कानपुर, बरेली, फैजाबाद के सुदृढ़ीकरण के लिये भी व्यवस्था की गयी है जिससे नये यंत्र लग सकें और रख-रखाव में सुधार किया जा सके । अगले चरण में 6 अन्य क्षेत्रीय कार्यशालाओं के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है, इस प्रकार 10 क्षेत्रीय कार्यशालायें हो जायेंगी । इनके निर्माण कार्य हेतु 218 लाख रुपये की योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

मान्यवर, ऐलन फारेस्ट कार्यशाला को फोल्डेड सेक्शन स्ट्रैकचर पर आधुनिक पद्धति पर बस बाडी निर्माण के लिये सुसज्जित किया गया है ।

मान्यवर, निगम के कर्मचारियों के कल्याण के लिये सरकार सदैव जागरूक रही है और समय-समय पर कर्मचारियों को विशेष प्रकार की सुविधायें दिया करती है और जैसा कि कल रात के 11 बजे सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया और कहा कि "काम करो दाम लो" और हड़ताल की आवश्यकता नहीं है, इससे वह खुशी-खुशी काम पर चले आये । मान्यवर, इस समय प्रदेश में 51802 कर्मचारी कार्यरत हैं और इन कर्मचारियों की समस्याओं को समय से निपटाने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (कार्मिक) की तैनाती की जा रही है और कर्मचारियों की विभागीय कार्यवाहियों को तत्परता पूर्वक निपटाने के लिये 28 सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को विभागीय जांच का कार्य सौंप कर त्वरित रूप से जांचों का निष्पादन कराया जा रहा है ।

मुख्यालय पर सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिये एक पेंशन सेल का गठन किया गया है और इस वर्ष 75 मामले निस्तारित किये जा चुके हैं ।

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रिक्त पदों के विपरीत सेवा में लेने के लिये कार्यवाही की गयी और अब तक 413 मृतक आश्रितों को सेवा में लिया जा चुका है ।

मान्यवर, संचालन में रत कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए नौगढ़, देहरादून, हल्द्वानी एवं मेरठ में नये विश्रामगृह बनाये जा रहे हैं और वित्तीय संसाधनों के उपलब्धि के बाद और भी बनाये जायेंगे । निगम में कार्यरत कर्मचारियों में मैत्री एवं सद्भावना की वृद्धि के लिये निगम द्वारा क्रीड़ा एवं श्रम कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस वर्ष कर्मचारी कल्याण के लिये 8.40 लाख रुपये प्राविधानित हैं ।

मान्यवर, अब अपने विभाग के उत्थान और पतन की कहानी कहने की जरूरत [illegible] बता । इस दृष्टिकोण से मैं बताना चाहता हूं कि मतवर्ष 1986–87 के पूर्व के [illegible] में

निगम को लगातार घाटा उठाना पड़ा जिससे निगम में 31-3-86 तक 116.80 करोड़ रुपये घाटा पहुंच गया। परन्तु 1986-87 में निगम को अनुबंधित बसों से होने वाले लाभ के फलस्वरूप कुल 252.17 लाख रुपये का लाभ होना अनुमानित है।

चालू वर्ष 1987-88 में अप्रैल 1987 से जनवरी 1988 तक निगम को 343.39 लाख रुपये का लाभ हो चुका है। यह आंकड़े इस प्रकार हैं—वर्ष 1985-86 में संचित घाटा 116.80 करोड़ रुपये, 1986-87 में संचित घाटा 114.28 करोड़ रुपये और 1987-88 (जनवरी तक) कुल लाभ 3.43 करोड़ रुपये हो चुका है।

मान्यवर, वर्ष 1988-89 में हम क्या करने जा रहे हैं निगम के विकास के लिये और जनता के हित के लिये वह भी बताना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। वर्ष 1988-89 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार ने परिवहन निगम के लिये बस बेड़ा उपयोग 85 प्रतिशत, बस उपयोग (कि0 मी0 प्रति बस प्रतिदिन) 205 कि0मी0 तथा आकूपेशन अनुपात 67 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निगम द्वारा लगभग 52 करोड़ कि0 मी0 अर्जित किये जाने का लक्ष्य है।

मुझे एक आंकड़ा और याद आ गया, जिसको मैं अपनी व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाया। अब तक इस निगम ने भले ही 116 करोड़ रुपये का घाटा दिया है, किन्तु साढ़े सात अरब लोगों को तथा करोड़ों टन माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर हम लोगों को, आम जनता को महत्वपूर्ण सुख-सुविधा प्रदान की है। इस प्रकार यह घाटा केवल प्रति व्यक्ति लगभग 14 पैसे ही है। जनता की इस सेवा के सामने हमारा यह घाटा कोई महत्व नहीं रखता है। यह बात मैं अहंकार के साथ कहना चाहता हूं। यह बात आप लोग मेरे भाषण में जोड़ लीजिए। मुझे यहां पर गर्व के साथ कहना चाहिये था किन्तु अभी मैं अहंकार शब्द कह गया था, इसको आप लोग सुधार लीजिए। कार्यशालाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में नवीन यंत्र एवं संयंत्रों के क्रय हेतु 4 करोड़ रुपये एवं भूमि-भवन पर लगभग 11 करोड़ रुपये व्यय करने का हमारा आगे प्रस्ताव है। परिचालकों के प्रशिक्षण की निगम में समुचित व्यवस्था की गई है। अब मैं आपके सामने क्रय की जाने वाली बस की स्थिति को स्पष्ट कर दूं। वर्ष 1986-87 में 1,575 नई बसें क्रय करने का हमारे सामने लक्ष्य था और उनमें 1,335 बसों को हम खरीद कर पाये हैं और वर्ष 1987-88 में पिछली बकाया 240 बसों को मिलाकर 1200 नई बसें खरीदने का हमारा लक्ष्य था, उसके विरुद्ध हम 1170 बसें खरीदने में सफल हुए हैं यानी 1,170 चेसिसों का मूल्य भुगतान कर उन्हें निगम द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। इस प्रकार इस वर्ष 1987-88 के पुनरीक्षित लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त कर लिया जायगा।

अब एक हमारा अन्तिम आंकड़ा है और मैं आपको अवगत करा दूं, इससे लाभ होगा और जो आप सुझाव देंगे, जो रास्ता बतायेंगे, उस पर अमल करने का मुझे अवसर मिलेगा। इसलिये हर चीज को जानने की आवश्यकता होती है। हमारी कुल बसों की माध्य संख्या 1986-87 (अप्रैल से मार्च तक) 6452 थी जो उसी वर्ष अप्रैल से जनवरी तक 6,422 रही थी। वर्ष 1987-88 में अप्रैल से जनवरी तक की अवधि में ही कुल बसों की माध्य संख्या 6,923 हो गई यानी इसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आन रोड बसों की माध्य संख्या में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आन रोड बसों का, कुल बसों पर प्रतिशत 3 प्रतिशत बढ़ा है। जो पहले 84 था अब बढ़कर 87 हो गया है। अर्जित किलोमीटर पहले हमने 1986-87 (अप्रैल से मार्च) की अवधि का 47.60 करोड़ बताया था, जो इसी वर्ष अप्रैल से जनवरी की अवधि में 39.25 करोड़ था, वह 1987-88 वर्ष में अप्रैल से जनवरी की अवधि में बढ़कर 45.60 करोड़ हो गया है। ढोये गये यात्रियों की संख्या 86-87 (अप्रैल से मार्च) 42.75 करोड़ थी जो इसी वर्ष अप्रैल से जनवरी की अवधि में 35.40 करोड़ थी वर्ष 87-88 (अप्रैल से जनवरी) में 35.80 करोड़ रही है।

इस संख्या को आप कम न समझें अभी इस वर्ष के इसमें दो महीने की संख्या जुड़ना शेष है। उसके आ जाने से मैं समझता हूं कि इसमें भी आप अच्छी वृद्धि पायेंगे। बस उपयोग का किलोमीटर में प्रतिशत भी जो पहले 190 प्रतिशत था वह इसी 86-87 वर्ष के अप्रैल से जनवरी में 189 रहा था, अब 1987-88 के वर्ष में अप्रैल से जनवरी की अवधि में बढ़कर 207 हो गया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अर्जित आय भी हमारी बढ़ी है, जो पहले के वर्ष में 181.39 करोड़ रुपये थी इस वर्ष 87-88 में बढ़कर 182.98 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी है यानी कि इसमें भी 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लाभ-हानि के बारे में मैंने बता दिया है, जो 2.52 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 3.43 करोड़ पहुंची है। अब प्रति किलोमीटर आय की दृष्टि से भी मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं। प्रति यात्री संचालित घाटा मैंने कहा था कि इतना हमने घाटा उठाया है, इतने अरब लोगों को ढोया है और हमारा घाटा केवल 14 पैसा प्रति व्यक्ति हुआ है। पूरे निगम के जीवन काल में कभी इतना नहीं हुआ था। जन सुविधाओं को देखना सरकार का प्राथमिक फर्ज है और घाटे को देखना गौण बात है। जहां भी हमारे साथियों को इसमें कोई कमियां दिखाई दें, तो वह हमें बताएं कि कैसे उसका विकास हो सके, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। इसके बारे में पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य हमें सुझाव दें, मैं उसको कार्यान्वित अवश्य करूंगा इस विभाग को हमें जन उपयोगी बनाना है, जनता इसका सही उपयोग कर सके।

अन्त में मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया और पूरे सदन का भी आभारी हूं कि उसने बड़े मनोयोग से हमारी बातों को सुना।

*श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, अनुदान संख्या 43--परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए, कमी करने का उद्देश्य है विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी साहित्यिक शैली में इस काले निगम और जनहित विरोधी विभाग, जिसमें निरंतर जनता की उपेक्षा है, इस पर सुनहरा आवरण लगाने का प्रयास किया है। मैं सोचता था कि माननीय मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, अब तो यह मंत्री हैं, तो सरकारी गाड़ी से आते हैं, लेकिन इन्हें बस में चलने का भी अनुभव होगा प्रदेश की कठिनाइयों का भी इन्हें अनुभव होगा। प्रदेश की 12 करोड़ जनता की कठिनाईयों का भी इन्हें अनुभव होगा।

मान्यवर, इन्होंने जो बजट, विभाग का रखा है इसमें आयोजित लाभ और उपयोगिता के बारे में बताया है। मान्यवर 116 करोड़ का निगम में संचित घाटा हो चुका है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने ऐसा आंकड़े को घुमाया-फिराया है और उसमें से थोड़ा सा लाभ दिखाने का प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़ों का जाल रखा है उसमें सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर शासकीय बस सेवा जारी की गयी। सन् 1947 से परिवहन विभाग का उद्भव हुआ। इसमें निरंतर विकास होता गया। पहली जून, 1972 को निगम बनाकर तमाम मार्गों का राष्ट्रीयकरण करके निगम को यह कार्यभार सौंप दिया गया। निगम इसलिये बनाया गया कि सस्ती दरों पर प्रदेश को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। लोगों को आने-जाने में सुविधा मिल सकेगी, लेकिन मान्यवर, जब से निगम बना, इसमें सवारी सुविधाओं में निरन्तर घटोत्तरी होती गई। जिन रास्तों पर निगम की बसें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलती हैं वहां पर भी लोड दूसरे साधनों से जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मनमाने ढंग से इनके कर्मचारी कार्यक्रम तय कर लेते हैं मनमाने ढंग से बसों का प्रयोग किया जाता है, और यात्रियों की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने परिवहन के बारे में बताया और कहा कि जल परिवहन की आवश्यकता है। इस आवश्यकता का अनुभव तो इस सदन को, प्रदेश की जनता को वर्षों से होता रहा है प्रति वर्ष सदन में बजट पेश किया जाता है और जल परिवहन पर चर्चा की जाती है। मुझे प्रसन्नता होती अगर मंत्री जी कोई नयी घोषणा करते और कहते कि जल परिवहन में हम आगे बढ़े हैं। पिछली बार भी मैंने यह शब्दावली सुनी थी कि जल परिवहन की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है। कोई भी रचनात्मक कदम इनका विभाग आगे नहीं बढ़ा सका है। जहां इतनी नदियां और जल स्रोत हैं। हमारा अपना इतिहास रहा है, जहां जल परिवहन यातायात का मुख्य स्रोत रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया गया है जल परिवहन अंग्रेजों की सरकार के समय से शुरू हुआ। अगर इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता तो सड़कों पर पड़ने वाला भार कम होता। पाल्यूशन की घटनायें कम होती। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस दिशा में कोई कार्य यह नहीं कर सके हैं। मैं सोचता था इन सब चीजों को माननीय मंत्री जी ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। मान्यवर, इनकी पार्टी समय-समय पर रैलियां आयोजित करके तमाम परिवहन बसों से अनाधिकृत ढंग से लोगों को ढोने का काम करती है।

इस तरह से करोड़ों रुपया परिवहन निगम की इनकी पार्टी के ऊपर बकाया है। 5 करोड़ से ज्यादा रुपया परिवहन निगम का कांग्रेस पार्टी पर बकाया है, मंत्री जी इसके बारे में जरूर बतायें। अभी 20 तारीख को यहां पर रैली में 3 हजार से ज्यादा बसें परिवहन निगम की लगायी गयीं और 10 हजार प्राइवेट बसें और ट्रकें जबरदस्ती अधिकारियों ने लेकर यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखकर रैली के लिये लगायीं। सारी बसों को रैली के लिये लगा दिया गया इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। जिस समय यह रैली हुई उस समय ऐसी लगा थी कि प्रत्येक गांव में 10-12 बारातें आनी-जानी थीं। जिन लोगों ने महीनों पहले बसों के लिये पैसा जमा किया था तो रैली की अचानक घोषणा के बाद, बसों के परमिट कैंसिल करने के कारण लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। जबरदस्ती पुलिस और प्रशासन के बल पर इस सरकार ने रैली में बसों को लगाया। मैं चाहता हूं कि आज मंत्री जी सदन में स्पष्ट घोषणा करें कि इस तरह के आयोजनों में जनता की सुविधा का ध्यान रखा जायगा और सरकारी बसों को इस तरह से रैली में नहीं लगाया जायगा। मुझे दुख है कि सारे रास्तों पर उस दिन रेगुलर बसें समाप्त कर दी गयी और सारी बसों को रैली में लगा दिया गया। शासन में बैठे हुये लोग और विभाग के अधिकारी इस तरह से सामाजिक सम्पत्ति का दुरुपयोग करके जनता की सुविधाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

माननीय मंत्री जी ने विभाग के संबंध में कहा कि हम क्षेत्रीय कार्यालय बना रहे हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसों को सुसज्जित कर रहे हैं। यह अच्छी बात है लेकिन आपने कार्यालय स्थापित तो कर दिये हैं लेकिन मेरा कहना है कि वहां पर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इन कार्यालयों को इस तरह से सुसज्जित तथा सुव्यवस्थित किया जाय कि छोटे-छोटे कामों के लिये लोगों को मुख्यालय पर न आना पड़े और उनका कार्य जिला स्तर पर हो सके। मान्यवर, 1937 में नोटीफिकेशन हुआ है जो सड़कें नोटीफाइड हुयीं। 68-सी के अंतर्गत वही आज भी व्यवस्था चली आ रही है। कितनी आबादी बढ़ गयी है, कितने यात्री बढ़ गये हैं लेकिन विभाग ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस 68-सी को डी-नोटीफाइड किया जाय और फिर से आवश्यकता को देखते हुए जहां पर ज्यादा बसों की आवश्यकता है वहां पर नये परमिट जारी किये जायं। मैं समझता हूं कि पूरा एक क्लस्टर सा बना हुआ है परिवहन निगम के अधिकारियों और बस मालिकों में, एक आर्गनाइजेशन बना हुआ है, केवल उतने ही लोगों में परमिट बंट जाते हैं और सामान्य व्यक्तियों को परमिट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है।

मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-सी कठिनाइयां हैं जिनके कारण 68-सी को डी-नोटीफाइड नहीं किया जा रहा है ? आज की आवश्यकता को देखते हुए आज जितनी बसें हैं उससे ज्यादा आप नहीं चला सकते हैं तो बहुत से लोग हैं, बहुत से नवयुवक हैं जिनको बैंकों द्वारा लोन मिल सकता है, जिससे वह बसें खरीद सकते हैं और वह बसों को चलाकर स्वावलम्बी हो सकते हैं । उनको बसें चलाने का अवसर दें, उनको परमिट जारी किये जायं । मैं नहीं समझ पाता कि कौन सी कठिनाइयां हैं कि इस दिशा में सरकार द्वारा कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जाता ? आज स्थिति यह है कि बसों के परमिट 1-1, 2-2 लाख में बिकते हैं और यह सब काम विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में होता है । चंद लोगों के परिवहन कार्यालयों से रिश्ते जुड़े हैं और जब भी परमिट की लिस्ट निकलती है तो केवल नये नाम हर बार सामने आते हैं कभी इस रूट पर या कभी उस रूट पर । माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें ताकि जन साधारण को भी परमिट उपलब्ध हो सके ।

परिवहन निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है । जितने भी आर0टी0ओ0, क्षेत्रीय कार्यालय हैं खुले रूप से पैसों का लेन-देन चलता है । यह स्थिति है कि छोटे-छोटे कार्यों के लिये बड़ी रकम देनी पड़ती है । एक परम्परा इन्होंने डाल रखी है । मैं जानना चाहता हूं कि जब सड़क स्थायी है, आवश्यकता स्थायी है तो फिर तीन-तीन महीने के लिये परमिट क्यों जारी किये जाते हैं ? यह सिर्फ इसलिये किया जाता है कि 3 महीने समाप्त होने पर लाइसेंसी आयेगा और मोटी रकम देगा और तब उसका नवीनीकरण होगा । इसी कारण से लोग नयी बसें नहीं खरीदते हैं और पुरानी बसें चलाते हैं क्योंकि उनको स्थायी रूप से परमिट नहीं दिये जाते । मेरा अनुरोध है कि 68-सी0 को डी नोटीफाइड किया जाय तथा पूरे प्रदेश का सर्वे कराया जाय कि कहां पर कितनी बसों की आवश्यकता है, कितने यात्री हैं और उनके लिये बसों की व्यवस्था करायी जाय तथा स्थायी परमिट जारी किये जायं ।

आज एक-एक व्यक्ति कई परमिटों का मालिक है । बहुत से लोगों ने यही धंधा बना रखा है । परमिट किसी तिकड़म से प्राप्त कर लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को किराये पर दे देते हैं । दूसरा व्यक्ति बस चलाता है और परमिट धारी किराये पर परमिट को चलाने का काम करता है । जिस प्रदेश में 40 लाख लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हों, वहां पर क्या आवश्यकता है कि एक व्यक्ति को कई-कई परमिट दिये जायं । इसलिये मेरा निवेदन है कि जन साधारण को परमिट दिये जायं वह बैंकों से ऋण लेकर बसें चलाने का काम कर सकते हैं । इससे बेरोजगारी दूर होगी और यात्रियों को भी निश्चित रूप से अच्छी सुविधा मिलेगी और शासन पर भी बोझ नहीं पड़ेगा तथा यात्री कर और पथकर के रूप में राजस्व भी कई गुना बढ़ेगा अगर लोगों को स्थायी रूप से परमिट उपलब्ध करा सकें ।

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि वह परिवहन निगम में पल्लवन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार क्रांतिकारी परिवर्तन करने जा रहे हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पल्लवन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार इतने बड़े सूबे में जहां पर 7 हजार बसों का पलीठ है क्या समुचित सुविधायें उपलब्ध करा सकेंगे ? इस कमेटी की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है । इसमें अधिकारियों का जमाव करने की बात की गयी है । पल्लवन कमेटी की संस्तुतियों को आधार मानकर न जाने कितने लोगों को भर्ती कर लिया गया है । मेरी निश्चित जानकारी है कि इसकी जांच करायें कि जो अधिकारी नियुक्त किये गये हैं उनसे 50-50 हजार रुपये रिश्वत के रूप में लिये गये हैं और योग्यता का कोई मानक नहीं रखा गया है । पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये नियुक्ति होनी चाहिये लेकिन योग्यता को आधार न मानकर केवल व्यक्तिगत रुचि के आधार पर जिन लोगों ने पैसा दिया है उनको नियुक्तियों में स्थान दिया गया है ।

मान्यवर, बड़ी विडंबना है कि जब कोई आपरेटर बस चलाता है तो अगले साल वह एक नयी बस और दूसरे साल दूसरी नयी बस तथा तीसरे साल तीसरी नयी बस खरीद लेता है लेकिन हमारे नगम में लगभग 7 हजार बसों का पलीट है और करोड़ों रुपया प्रदेश की गाढ़ी कमाई का लगा है

उसके बावजूद भी निगम 116 करोड़ रुपये का घाटा दे चुका है । मेरा दावा है कि निगम की अक्षमता का द्योतक है । आप भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं जिसके कारण घाटा प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है । जितने अच्छे रूट हैं उनके ऊपर आप अपनी बसें चलाते हैं आपका कोई कंपीटीटर नहीं है । उसके बावजूद भी आपको हानि क्यों होती है ? यह निश्चित रूप से विभाग के निकम्मेपन का द्योतक है । विभाग में भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता को रोक न पाने के कारण इतना घाटा हुआ है । मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस दिशा में कोई कारगर प्रयास करें और इस घाटे को रोकें । प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों के स्पेयर पार्ट्स खरीदे जाते हैं लेकिन घटिया और सब स्टैंडर्ड स्पेयर पार्ट्स लगाये जाते हैं । मेरा निवेदन है कि जिस तरह से इंडियन रेलवे में पार्ट दूसरी फैक्टिरियों से खरीदे जाते हैं और उन पर मार्क लगा दिया जाता है जिससे उनकी चोरी नहीं हो सकती और नकली पार्ट भी नहीं लगाये जा सकते । उसी तरह से आप भी जिन कारखानों से पुर्जे मंगवाते हैं, उन पुर्जों पर मार्क लगवायें ताकि उन पुर्जों की चोरी न हो सकें और सब स्टैंडर्ड पार्ट्स न लगाये जा सकें । बहुत बड़ा घपला प्रति वर्ष स्पेयर पार्ट्स के नाम पर किया जाता है ।

मान्यवर, इनके यहां पुर्जों को खरीदने के लिये निगम में पहले 12 लोगों की एक पर्चेजिंग कमेटी हुआ करती थी लेकिन पता नहीं एम0 डी0 महोदय ने इसे परिवर्तित करके 3 लोगों की रख लिया जब कि यह 12 लोगों की कमेटी वर्षों से चली आ रही थी । जब 12 लोगों की पर्चेजिंग कमेटी थी तो कुछ कम गोलमाल हुआ करता था लेकिन अब जब 3 लोगों की पर्चेजिंग कमेटी है जिससे गोलमाल बढ़ गया है । मान्यवर, करोड़ों रुपये के नकली स्पेयर पार्ट्स खरीदने का काम इसी कमेटी द्वारा किया जा रहा है । मान्यवर, इनके जो रीजनल मैनेजर हैं वह 4 लाख तक के पुर्जों की मासिक खरीददारी करने के अधिकारी हैं और आवश्यकतानुसार यह लिमिट एम0 डी0 के परमीशन से बढ़ भी जाती है । मान्यवर, इसका दुरुपयोग करके रीजनल मैनेजर मनमाने ढंग से नकली पुर्जों को खरीदने का काम करता है । 4 लाख से अधिक के पुर्जे केन्द्रीय कार्यालय से खरीदे जाते हैं । जितना घपला स्पेयर पार्ट खरीदने में है उतना और किसी में नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कोई कमेटी बना कर इनकी निष्पक्ष रूप से जांच करायें क्योंकि इसी स्पेयर पार्ट्स की वजह से इस निगम का ढांचा चरमराता चला जा रहा है और गाड़ियों की स्थिति भी खराब होती चली जा रही है । मेरा सुझाव है कि इस पर्चेजिंग कमेटी का विस्तार करें और इसमें ऐसे लोगों को रखें जिनका चरित्र उज्जवल हो, ईमानदार हो, जिनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल न हो जिससे गोलमाल की सम्भावना कम हो और सही पुर्जों की खरीद हो सके और चोरी न की जा सके ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को प्रति वर्ष हजार बारह सौ नयी बसें खरीदनी पड़ती हैं । इस वर्ष भी 1400 नई बसें खरीदने का प्राविधान है । मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा सूबा है जो गाजियाबाद से लेकर बलिया तक फैला हुआ है जहां लाखों नवयुवक बेरोजगार हैं और यहां अच्छे-अच्छे कारीगर हैं लेकिन इनकी बसों की बाडी बनाने आंध्र प्रदेश जाती है । इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का और नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, इनके 2 वर्कशाप हैं एक एल0 एन0 फारेस्ट है और एक कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप है । सेन्ट्रल वर्कशाप की क्षमता 3 गाड़ियों की बस बाडी बनाने की है लेकिन एक बना रहा है और और एल0 एन0 फारेस्ट की क्षमता 2 दिन में एक बस बाडी बनाने की है लेकिन 6 दिन में एक बस बाडी बना रहा है । मान्यवर, आवश्यकता तो थी कि इस क्षमता को बढ़ाया जाता लेकिन क्षमता दिनों दिन घट रही है और ये आंध्र प्रदेश के किसी प्राइवेट बाडी बिल्डर्स से बसों की बाडी बनवा रहे हैं । जिसमें साधारण बसों की बाडी पर 1 लाख 35 हजार रुपये और डीलक्स बसों पर 2 लाख 55 हजार रुपये की लागत आ रही है जब कि वही साधारण गाड़ियां यहां पर 70 हजार रुपये में और विशिष्ट गाड़ियां डेढ़ लाख रुपये में बनायी जा सकती हैं । एक जो साधारण गाड़ियों की बाडी के निर्माण में 1 लाख 35 हजार रुपये की लागत आ रही है इसमें भारी मात्रा में कमीशन कम्पनी द्वारा अधिकारियों एवं संरक्षणकर्ताओं को दिया जा रहा है । वहां की बनी हुई बाडियों के 2-3 महीने में ही अस्थि-पंजर अलग होने लगते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

बाजपेयी जी, 5 मिनट में समाप्त करें। आपको 20 मिनट हो गया है।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, अभी तो शुरू किया है। मान्यवर, आंध्र प्रदेश में जो गाड़ियों की बाडियां बनने गयीं उसमें से 127 चेचिसों का अभी तक पता नहीं है कि कहां हैं? इसके लिये आंध्र प्रदेश से भी जानकारी नहीं की गयी कि यह चेचिसें कहां हैं? मान्यवर, इनकी जांच करायें। इन 127 चेचिसों की लागत 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह चेचिस कहां है, न बाडी बन कर आई और न चेचिसों का पता ही है। यदि इसकी जांच न की गयी तो अधिकारी इसको बट्टे खाते में डाल देंगे। मान्यवर, वर्ष 1988–89 में इन्होंने 1400 नई बसों को खरीदने का प्राविधान किया है मान्यवर, इसके लिये 77 करोड़ 56 लाख का अनुदान इसमें मांगा है। इसमें भी बसों का बाडी के निर्माण के लिये सामान्य बस पर एक लाख पैंतीस हजार का प्राविधान किया है। क्योंकि इनका इरादा फिर बाडी बनने के लिये आंध्र प्रदेश भेजने का है। इसमें विशिष्ट बसों की बाडी की कीमत 2 लाख 55 हजार दर्शायी गयी है। मान्यवर, इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से 15 करोड़ रुपया लिया है, साढ़े 7 करोड़ केन्द्र सरकार से लिया है अनुदान के रूप में, एल0 आई0 सी0 से 2.66 करोड़ लिया है और आई0 डी0 बी0 आई0 से 37 करोड़ का लोन लिया है। इसी प्रकार और दूसरे लोगों को मिला कर कुल 77.56 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। डीलक्स गाड़ियों में ये बीडियो कोच लगवाने जा रहे हैं। इस प्रदेश की गरीब जनता को बीडियो कोच नहीं सस्ती बस चाहिये। क्या बीडियो कोच की गाड़ियां यहां नहीं बन सकती? मेरठ में, सहारनपुर में प्रदेश से बाहर के लोग बसों की बाडी बनवाने आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह काम होता तो यहां के लोगों को काम मिलता, लेकिन ये आंध्र प्रदेश से बाड़ियां बनवा रहे हैं। इनके पास 80 टैक्सियां भी हैं। उन टैक्सियों का उपयोग कहां होता है, कब होता है, क्या वे टैक्सियां केवल मंत्रिगणों और वरिष्ठ अधिकारियों के नातेदारों और रिश्तेदारों को घुमाने के लिये उपयोग में लायी जाती हैं? माननीय सदस्य हरिकेवल जी ने मुख्य मंत्री जी से कहा कि एक टैक्सी 80 हजार किलोमीटर चली, लेकिन उसकी लाग बुक नहीं भरी गयी। उस पर जो लाभ अर्जित किया गया, उसका भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। उसमें पुर्जे चले जल निगम का पेट्रोल जला, लेकिन उसमें निगम को कोई लाभ नहीं हुआ। यह 80 हजार किलोमीटर कहां उपयोग हुआ। एम0डी0 ने क्यों उसको लाग बुक भरने की आवश्यकता नहीं समझी। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करावें और निगम जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसको रोकने का काम करें। माननीय मंत्री जी इसको गम्भीरता से लें, केवल मुस्कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई निगम में लगी हुई है।

श्री अधिष्ठाता—

बाजपेयी जी, समाप्त करें, आज तीन विभागों की अनुदान पास होनी है। समय कम है, आपको बाद में समय मिलेगा।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, 51 हजार कर्मचारी निगम में कार्यरत हैं। उसके बावजूद मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा और लिटरेचर में भी लिखा है कि ओवर स्टाफिंग के कारण निगम घाटे में चल रहा है। निगम में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं। लेकिन ड्राइवर, जो निगम का मुख्य अंग होता है, वहां ड्राइवर डेली वेजेज पर नियुक्त किये जाते हैं। वे डेली वेजेज के ड्राइवर निगम की बसें चलाते हैं, जिसके कारण कम अनुभवी ड्राइवरों के चलाने से निरन्तर दुर्घटनायें हो रही हैं। इस प्रकार जन-जीवन के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुरूप ड्राइवर इनके पास नहीं हैं। डेली वेजेज से काम चलाया जाता है। अधिकारियों की फौज है इनके पास अन्-

अनुपयोगी कर्मचारी लोगों की फौज है इनके पास, लेकिन ड्राइवरों की कमी है। एक बस पर आठ कर्मचारियों का एवरेज आता है। लेकिन ड्राइवरों की कमी है। मान्यवर, आज निगम भी जिस तरह से और तमाम निगम हैं, यह निगम भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का चारागाह बनता जा रहा है। किसी भी आई0 ए0 एस0 या पी0 सी0 एस0 अधिकारी को वहां पर नियुक्त कर दिया जाता है, जिनको आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं होता। जिस पर सरकार की कृपा होती है, उनको वहां पर नियुक्त कर दिया जाता है। मेरी जानकारी है कि जो 19 जोनल आफिसेज हैं, उनका मुख्य प्रबन्धक एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी होगा। आई0 ए0 एस0 को तकनीकी या वाणिज्यिक अनुभव नहीं होता है। उनसे निगम का घाटा बढ़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बाजपेयी जी, अब आप समाप्त करें, आपको फिर मौका मिलेगा।

श्री अशोक बाजपेयी —

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं, थोड़ा समय दे दें।

मान्यवर, 3 करोड़ रु0 से अधिक की धनराशि केवल इनके मुकदमों पर प्रति वर्ष खर्च हो रही है और मुकदमें ज्यादातर बसों में टिकट न होने से दो रुपये या पांच रुपये चालान के, हैं। इनको देखना चाहिये कि आय कितनी हो रही है, जो प्रति वर्ष 3 से 5 करोड़ रु0 इसमें खर्च कर रहे हैं।

मान्यवर, इन्होंने 18 रिटायर्ड जजेज को इसमें डिप्यूट कर रखा है। 300 रु0 प्रति केस यह जजेज ले रहे हैं प्रति दिन 3-3 केस यह उन्हें दे देते हैं। मान्यवर, जब तक इन सारी चीजों को नहीं रोका जायेगा, आपका घाटा बढ़ता ही रहेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विवादों को निपटाने के लिये आपके पास अधिकारी थे जब, फिर इन जजों की क्या आवश्यकता थी। यह भी कहना चाहता हूं कि इस निगम में बेहूदे और बेवकूफ वकीलों से काम लिया जा रहा है, इनके यहां के ए0 डी0 को जिस पर कृपा हो जाती है वह व्यक्ति निरन्तर अपनी आय बढ़ाता ही चला जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री अशोक बाजपेयी—

बस मान्यवर, थोड़ा समय दे दें, सुझाव रख रहा हूं। मान्यवर, एक बार इनका ड्राइवर कंडक्टर बाराबंकी या फैजाबाद बस लेकर चला गया फिर अगले दिन के लिये उसे पता नहीं होता कि कल गाड़ी कहां जायेगी? मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो एक गाड़ी पर 2:1 का रेशियो है, उसके अन्तर्गत जब तक आप कंडक्टर-ड्राइवर पर जिम्मेदारी नहीं देंगे कि यह गाड़ी की तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, इतने कि0 मी0 गाड़ी चलनी चाहिये, इतनी आय अर्जित होनी चाहिये जब तक आप इस तरह का दायित्व लोगों पर नहीं डालेंगे तब तक यह निगम कदापि घाटे से उभर नहीं पायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप आसन ग्रहण करें।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। बसों के मेंटिनेन्स के बारे में यह कहता हूं कि आपके सर्विस स्टेशन बन्द पड़े हुये हैं, बसों की सफाई धुलाई का काम ठेके पर कराया जाता है। मामूली बस की पोछाई के लिये 5 रु0 दिया जाता है और 90 रु0 में

बस की सर्विसिंग का काम कराया जाता है। इनके फोरमैन कागज पर लिख देते हैं कि बस की धुलाई हो गयी, सफाई हो गयी और पैसे का भुगतान ठेकेदार को हो जाता है। जबकि बस की वास्तविकता में कोई धुलाई होती है, न मरम्मत आदि होती है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बाजपेयी जी, अब आप आसन ग्रहण करें, फिर आपको मौका मिलेगा, आप सुझाव रख लीजिएगा।

(श्री अमिताभ अनिल दुबे को पुकारे जाने पर)

श्री नरेन्द्र देव--

मान्यवर, माननीय सदस्य अनिल दूबे जी भी गाजीपुर के हैं, माननीय राज्य मंत्री मुंशी जी भी गाजीपुर के हैं। उनके यहां तो कोई समस्या ही नहीं होगी। आप हम लोगों को मौका दें, जहां समस्या ही समस्या है।

श्री अधिष्ठाता--

अभी आप बैठें। मैंने दुबे जी को बुला लिया है।

*श्री अमिताभ अनिल दुबे--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिये, उसके पक्ष में बोलने के लिये, अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि आपके परिवहन विभाग को संभालने के बाद से परिवहन निगम फायदे में आया है, लाभ की स्थिति में आया है। पहली बार यह निगम फायदे में गया है।

(मेजों की थपथपाहट)

उसका मुख्य कारण यह है कि जो अनुबंधित बसें आपने लगायीं। मान्यवर, आज परिवहन विभाग कितना पापुलर है, यह आपकी पुस्तिका देखने से ही आभास होता है, कितने लोग आज परिवहन विभाग की बसों से यात्रा कर रहे हैं। इसको आपने इसमें बतलाया है। मैं इस बात की भी आपको बधाई देना चाहता हूं कि प्राइवेट बसों के परमिट, जो पहले दिये जाते थे, उसमें बड़ी धांधली थी, आपने जो यह प्राविधान किया कि समाचार-पत्रों और गजट में भी इस संबंध में सूचना दी जायेगी, जिससे कि इसमें आम जनता को भी शरीक होने का अवसर मिले, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है, कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, आज सबसे बड़ी समस्या है प्रदेश में अवैध बसों के संचालन की, जिसको कि परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी आज रोकने में बिल्कुल अक्षम साबित हुए हैं वह सफल नहीं है। आज पुलिस के लोग अवैध बसें संचालित करवा रहे हैं, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर वह बसें चलवा रहे हैं, जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं सुधार पा रहे हैं तो उस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रायल्टी लेकर, उन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उन बसों को चलवायें जिससे कि परिवहन विभाग को भी फायदा होगा और जो अवैध बसों का संचालन पुलिस के बल पर हो रहा है, उसको रोका जा सकेगा। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि परिवहन निगम के पास जो बसें हैं, वह उनको चलाने में सक्षम नहीं हैं तो अनुबंधित बसों को उन मार्गों पर, जहां जनता को कठिनाई है, वहां चलवा दिया जाय। इसके साथ ही साथ एक मुख्य समस्या और है जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, उन पर जो बसों का संचालन है जैसे बनारस-गाजीपुर, बनारस-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिर्जापुर और मिर्जापुर से गाजीपुर। आज वहां पर उत्तरप्रदेश परिवहन निगम की बस सर्विस हमारे क्षेत्र में है लेकिन आज वहां पर रोटेशन टूट रहा है। मान्यवर, जो अवांछनीय तत्व हैं, बदमाश लोग हैं, वह नियम कायदे, कानून को तोड़ रहे हैं, वह अपनी मेल और तूफान बसों को बीच में लगा देते हैं, उससे व्यवस्था खराब हो रही है और लोगों में असंतोष है। इस पर मंत्री जी अपना ध्यान दें और उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें जो व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। मान्यवर. आज वास्तविकता यह है कि उन लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने की भी किसी में हिम्मत नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस बात को मंत्री जी स्वीकार करें और उत्तर प्रदेश शासन स्वीकार करें। इसके साथ ही साथ, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, उनको जिस प्रकार सरकारी बसों में छूट दी गयी है, उसी प्रकार प्राइवेट बसों में भी आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाये। एक साल पहले भी मैं इस विषय को उठा चुका हूं और तब मुझे आश्वासन दिया गया था कि इसको हम जल्दी ही करवा देंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह काम आज तक नहीं हुआ।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बात आपके संज्ञान में और लाना चाहता हूं कि आज किस तरह से परिवहन निगम में नियुक्तियों के मामले में धांधली हो रही है और इसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे गाजीपुर में श्री सुखलाल पुत्र श्री जवाहर प्रसाद नामक व्यक्ति ने एक आवेदन पत्र दिया। उसकी नियुक्ति भी हुई, जब उसने सभी परीक्षायें और इंटरव्यू आदि पास कर लिया। लेकिन बाद में उसकी नियुक्ति नहीं की गई। जानकारी करने पर यह कहा गया कि तुमको बुलवाया गया था और तुमने ज्वायन नहीं किया। इसलिये तुम्हारी नियुक्ति रद्द कर दी गयी। बाद में उसी स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को रोजगार दे दिया गया। इस प्रकार मान्यवर, परिवहन विभाग में धांधली हो रही है। मान्यवर, उपरोक्त व्यक्ति एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित था। मान्यवर, इस तरह हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। इन शब्दों के साथ, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इसी के साथ मैं इस प्रस्तुत बजट के समर्थन पर बल देता हूं।

*श्री अब्दुल वहीद कुशी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से इस बजट को पेश किया। मान्यवर, एक साधारण बिजनेसमैन को अगर अपने बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो वह उस नुकसान को जानने का प्रयास करता है कि ऐसा किन कारणों से हुआ। आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है या और कोई कारण है। जहां तक परिवहन निगम का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि रोडवेज की आमदनी रोजबरोज बढ़ती जा रही है लेकिन यह निरन्तर घाटे में चल रहा है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वहां पर हमें नुकसान ज्यादा है और हमारा खर्चा बढ़ा हुआ है। आज मंत्री जी के पास वह कमाऊ बेटे भी नहीं रह गये हैं जो अनुबंधित बसों द्वारा वह अपने नुकसान को पूरा कर सकते। वह भी बेकार पड़ी हुई है। आज उनको नुकसान की तरफ कोई परवाह नहीं है। माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करें, कि यह नुकसान हमको किस तरह से हो रहा है?

मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, जब से उत्तरप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन हुआ है, तब से आज तक यह बराबर घाटे में चल रहा है। इसमें नुकसान का एक कारण यह है कि जो नई बसें बनवाई जाती हैं, अथवा नई बसें खरीदी जाती हैं, वह कर्जे से ली जाती हैं, इस कारण एक समय ऐसा आ जायेगा जब इस कर्जे का सूद व मूल दोनों ही चुकाना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। सबसे पहले यह सोचना चाहिये कि जो बसों को बाडी उत्तरप्रदेश के बाहर एक लाख तीस हजार और डेढ़ लाख रुपये में बनवाई जाती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, वह पैसा का बहुत बड़ा वेस्ट है, कमीशन लेने के अलावा और कुछ नहीं है। आप जिस प्रकार अपने अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रमोशन कर रहे हैं और जो आपके चेकिंग इन्सपेक्टर हैं, अक्सर हम लोग आते-जाते रहते हैं, वे चेकिंग इन्सपेक्टर नहीं हैं बल्कि वे शेयर होल्डर बन गये हैं। जो यात्री बिना टिकट चलते हैं, उनसे शेयर करते हैं और जो सीटों के नीचे सामान रखा होता है उसे खा जाते हैं। आपने पश्चिम में कहा है कि नो वैकेन्सीज हैं। आप पूरब से भरती करते हैं और वहां भेज रहे हैं जब कि पश्चिम का आदमी पश्चिम में ज्यादा अच्छा काम कर सकता है और पूरब का पूरब में अच्छा काम कर सकता है, लेकिन ऐसा न होने से भी आमदनी में असर पड़ रहा है। बहुत से रूट्स जो 68-डी में ले लिये गये हैं, वे अधर में लटके पड़े हैं, न उनको आप लेते हैं और न उनमें गाड़ियां आप चला पा रहे हैं, मुकदमेबाजी में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, प्राइवेट आपरेटर्स को फायदा हो रहा है। अन्डर रेन्यूवल में जो 4 महीने का परमिट लिया जाता है और जिसके लिये 800 रुपये टैक्स देना पड़ता है, उसे आप खत्म कीजिए और जो पहले की प्रथा थी उसे लागू करें। साथ ही जो आपके रोड टैक्स हैं या अन्य टैक्स हैं, उन्हें आप एक ही जगह रखें।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत परिवहन बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो आज परिवहन विभाग का बजट रखा है, यह पूरे प्रदेश के उन ग्रामीण अंचलों से संबंधित है, जहां आज तक यातायात की कोई सुविधा नहीं थी। माननीय मंत्री जी की कृपा से और माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से आज चाहे वह ग्रामीण अंचल हो, चाहे वह पहाड़ हो और चाहे वह दूर से दूर क्षेत्र हो, परिवहन विभाग द्वारा यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिये मैं व्यक्तिगत रूप से तथा प्रदेश की जनता माननीय मंत्री जी के प्रति अपना आभार प्रकट करती है। जहां, आज परिवहन विभाग का भार बढ़ा है कार्य क्षेत्र बढ़ा है, वहीं मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। इलाहाबाद जनपद के सिराथू विधान सभा क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूं। यह इलाहाबाद शहर से 70—80 किलोमीटर दूर है, जहां पर कड़ा, कई सौ साल तक उत्तर भारत की, मुगल समय में राजधानी रही। अकबर बादशाह जब गद्दी नसीन हुए तो उन्होंने कड़ा से राजधानी उठाकर इलाहाबाद प्रयाग में स्थापित कर दी थी। कड़ा में ही शीतला देवी की शक्ति पीठ है, ख्वाजा कड़क शाह की मजार है। खिलजीवंश का पूरा इतिहास यहां भरा पड़ा है। संदीपन ऋषि का आश्रम भी यहां पर है, जहां भगवान कृष्ण ने और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी।

ऐसे तमाम सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं, परन्तु मैं इस सन्दर्भ में माननीय परिवहन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सिराथू तहसील में जहां अजुहा, सिराथू टाउन एरिया है तथा भरवारी, दारानगर, शमशाबाद और देवीगंज मुख्य बाजार हैं, जिसमें भरवारी और अजुहा बहुत बड़ी अनाज की मंडियां हैं जहां से हजारों हजार लोग रोज शहर आते-जाते हैं वहां पर आज तक परिवहन विभाग की तरफ से यातायात की सुविधा नहीं प्रदान की गयी है। शमशाबाद में लाखों रु0 का पीतल का सामान बनता है, जो मुरादाबाद और कानपुर भेजा जाता है। परिवहन विभाग की तरफ से यातायात की कोई सुविधा आज तक प्रदान नहीं की गयी है, जबकि विभाग अन्तर्राज्यीय स्तर पर लोगों को परिवहन की सुविधा प्रदान कर रहा है। वहीं इलाहाबाद में सिराथू विधान सभाई क्षेत्र में परिवहन विभाग की तरफ से यातायात की सुविधा नहीं कर पा रहा है जब कि वह जी0टी0 रोड पर बसा हुआ है। शमशाबाद बाजार जो पीतल नगरी है, वहां से इलाहाबाद के लिये सीधे बस सेवा होनी आवश्यक है मैं मांग करता हूं कि सिराथू से इलाहाबाद, उदहिन खुर्द से इलाहाबाद, शाखा से इलाहाबाद, टाण्डा से इलाहाबाद, अजुहा से इलाहाबाद, लेहदरी से इलाहाबाद, अलीपुर जीता से इलाहाबाद, कड़े शीतला

मन्दिर से इलाहाबाद, दारानगर से इलाहाबाद, शहजादपुर से इलाहाबाद, अफजलपुर धारी से इलाहाबाद के मध्य बस सेवा तत्काल प्रारम्भ की जाय, जहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और जाते हैं, वहां पर यातायात की सुविधा नहीं दी गयी है । मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र की समस्याओं की तरफ ध्यान दें और यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिये रोडवेज की बसों को मुहैया करायें ।

इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद के कार्यालय में रोडवेज के एक चपरासी श्री बचई, जिसका निधन सेवाकाल में विगत 30 जनवरी, 1987 को हो गया था, उसके एक ही लड़का है मनोज कुमार, अनुकम्पा के आधार पर अपने पिता के स्थान पर नियुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र कई बार दिया लेकिन अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई है । मेरी मांग है कि श्री मनोज कुमार की नियुक्ति उसके पिता के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर तत्काल की जाय ।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं तथा विरोध पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव—

मान्यवर, मैं माननीय बाजपेयी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो नई टिकट प्रणाली चली है, उसके विषय में मेरे ख्याल से मंत्री जी को पता नहीं, उससे निगम के अधिकारियों को फायदा हुआ है या जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उनको फायदा हुआ है । परिचालकों को तो कोई फायदा नहीं हुआ है । जब वे गाड़ी लेकर चलते हैं तो अगर वे टिकट पूरी चेक नहीं कर पाते हैं तो रास्ते में उनको पकड़ लेते हैं और फिर सौदा तय होता है । अगर सौदा तय नहीं हो पाता है तो उसे सस्पेण्ड कर देते हैं और बाद में पैसा लेकर बहाल कर देते हैं । अगर पुरानी टिकट प्रणाली रखें तो उससे पैसेन्जर्स को भी आसानी होगी । जब पैनाल्टी लगती है और बगैर टिकट पकड़ा जाता है तो नियमानुसार 10 गुना पैसा देना होता है, अगर कन्डक्टर ने पैसा ले लिया है तो उसको देना होगा । जहां पर पैनाल्टी क्लाज के हिसाब से 10 गुना लेना चाहिये, वहां भी अगर कोई बगैर टिकट पकड़ा जाता है तो उसको डब्लू0टी0 लिखते हैं और ए0 आर0 एम0 तक सौदा 2000 रु0 में तय हो जाता है ।

अगर ए0 आर0 एम0 से बात नहीं बनती है तो आर0 एम0 के पास जाते हैं और वहां पर पांच हजार रु0 तक लिये जाते हैं और अगर वहां भी बात न बनी तो फिर एम0डी0 के पास जाते हैं जहां पर दस हजार रु0 तक केस फाइनल होता है । तो आपकी पैनाल्टी जो कि दस गुनी है, ऐसा नहीं करना चाहिये ।

रोडवेज के कर्मचारियों में से किसी के मर जाने पर नियम यह है कि घर के किसी सदस्य को वहां पर नियुक्ति दी जाती है । अभी दस-बीस रोडवेज कर्मचारियों की मृत्यु हुई है परन्तु उनके घर के किसी सदस्य को नौकरी नहीं दी गयी है । क्षेत्रीय प्रबन्धक बिना पैसा लिये किसी को भी नियुक्त नहीं करता है ।

गत वर्षों में 6 हजार कर्मचारी रोडवेज से निकाल दिये गये थे । इस सम्बन्ध में मुकदमा चला, हाई कोर्ट के आदेश भी हो गये कि उनको पुनः ड्यूटी पर लिया जाय लेकिन वह नहीं किया गया । कोई-कोई कर्मचारी जिनकी पहुंच थी, वह सिफारिश के आधार पर ड्यूटी पर ले लिये गये हैं, किन्तु शेष कर्मचारी नहीं लिये गये हैं । अतः आप इसके लिये कोई जनरल आर्डर कीजिये कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार उन सभी कर्मचारियों को पुनः ड्यूटी पर लिया जाय, सिफारिश के आधार पर ड्यूटी न ज्वाइन करायी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपके 14 राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं यू0पी0 में इसके बारे में न्यायालय में मुकदमा गया जिसमें प्राइवेट आपरेटरों ने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा । प्राइवेट आपरेटर 14 राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अपना कब्जा कर लिये हैं । जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, आपके अधिकारी लाखों रुपया लेकर उन पर प्राइवेट आपरेटरों से सांठगांठ करके उनकी बसों को चलवा रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा क्यों वापस लिया गया, इसकी जांच आप करवा लें ।

एक बात और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अलीगढ़ के बारे में कहना चाहता कि वहां पर जो सर्विस मैनेजर हैं उसके जमाने में 38 एक्सीडेन्ट हुए हैं जिनकी तिथि के साथ विस्तार से मेरे पास सूचना है । इसका कारण यह है कि जो हमारे यहां के चालक थे उनको भर्ती नहीं किया गया बल्कि पांच-पांच हजार रुपया ले करके दिल्ली से फर्जी ड्राइविंग सार्टिफिकेट बनवाकर उनको भर्ती कर लिया गया जिन्होंने इतना रुपया दिया । नये चालकों के द्वारा ही यह 38 एक्सीडेन्ट हुए हैं । इस बात को मैंने एम0डी0 महोदय से भी कहा और यहां सचिव महोदय के संज्ञान में भी लाया कि इसकी जांच कराके दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाय । उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसे दिखवा लूंगा और जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । इस सम्बन्ध में सर्विस मैनेजर कहता है कि शिकायत कर दी तो क्या हुआ ? अगर हमने चार लाख रु0 कमाया है तो मुकदमें में एक लाख ही तो खर्चा होगा ? मैं चाहूंगा कि आप इन 38 एक्सीडेन्टों की जांच करा लें और जो 5-5 हजार रु0 ले करके ड्राइवरों की भर्ती की गयी है, फर्जी लाइसेन्स के आधार पर उसको भी देखें । सर्विस मैनेजर की भी जांच करा लें ।

इन्हीं सब कारणों से अलीगढ़ का माहौल इतना खराब है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक की शिकायत की गयी और उसी के आधार पर उसे वहां से हटाया भी गया किन्तु अब फिर उसे वहां पर पोस्ट कर दिया गया है । ऐसा क्यों ? जब आर0एम0 और ए0आर0एम0 की शिकायत की जाती है तो ए0आर0एम0 को निलम्बित कर दिया गया लेकिन आर0एम0 को दुबारा वहां पोस्ट कर दिया गया । उनका खुला रेट है कि 5 हजार से 10 हजार रु0 तक वे एक नियुक्ति के लेते हैं । यदि जो कोई इतना खर्चा करेगा उसे नियुक्ति दी जायेगी अन्यथा नहीं । नई टिकट प्रणाली को भी आप देख लें, इससे भी लोगों को काफी असुविधा है ।

*श्री नरेन्द्र देव--

मान्यवर, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय राम नाथ मुन्शी जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि जिस विभाग को उन्होंने सम्भाला है । उस विभाग में बड़े-बड़े घपले थे और अभी निश्चित रूप से उन्हें समय लग रहा है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने चेसिसें खरीदीं और इसको खरीद कर फक्टरी से लखनऊ मंगाई और लखनऊ से तेल भरा कर बाडी बिल्डिंग के लिए बम्बई भेजी ।.... (व्यवधान) यह कार्य मान्यवर, क्यों किया गया जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में कई बाडी-बिल्डिंग के बड़े-बड़े कारखाने हैं, खुद रोडवेज का ओन वर्कशाप है, यहां न बनवाकर केवल घपले के लिए और करोड़ों की रकम को खाने के लिए ऐसा किया गया है । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस घपले के मामले में जितने लोग भी जिम्मेदार हों, सभी को हथकड़ी लगाने का जल्द से जल्द प्रबन्ध माननीय मुन्शी जी करें ।

दूसरी बात माननीय मुन्शी जी ने रोडवेज बस स्टेशनों की देख-भाल में काफी ध्यान दिया है, लेकिन अभी और ध्यान देने की जरूरत है, जहां ग्रामीण महिलाएं बस स्टेशन में प्रतीक्षा करती हैं उनके लिए इस ओर अलग से व्यवस्थाएं हर बस स्टेशनों पर सुनिश्चित की जाएं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तीसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं सुझाव के आधार पर कि टक्सी, जीप और ट्रैक्टर्स बैंक लोन पर उपलब्ध करा दिए जाएं, लेकिन अगर परिवहन निगम उन्हें परमिट नहीं देगा, उन्हें परमिट नहीं करेगा तो वह आखिर बैंक लोन कैसे भरेंगे और फिर इस प्रकार से स्वतः रोजगार के कार्यक्रम कैसे पूरे होंगे ? परिवहन निगम इस प्रदेश में जीप, टैक्सी और ट्रैक्टर्स को भार ढोने के लिए परमिट दे, जिससे वह अपना बैंक लोन अदा कर सकें और इससे किसानों का और जनता का भी हित होगा और जो लोग रोजगार चाहते हैं, उनका भी हित होगा। आखिर में मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र मिर्जापुर से वाराणसी माधवपुर होते हुए एक बस के चलाए जाने का प्रस्ताव मैंने दिया था, यह दूरी ढाई सौ कि0मी0 लम्बी दूरी है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर बसें पिछले 10 सालों से नहीं चलाई गयी हैं और जो बसें पहले से चल भी रही हैं, वह ठीक नहीं हैं। साथ ही मा0 मुन्शी जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस बात की घोषणा करें कि वह आर0टी0ए0 की मीटिंग वह कब तक करने जा रहे हैं ताकि इस मीटिंग के माध्यम से क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले किये जा सकें। साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि आई0ए0एस0 या कमीशन या आर0टी0ए0 की मीटिंग फर्जी तौरपर न बुलाई जाए बल्कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वहां से संबंधित प्रत्येक जन प्रतिनिधि की इच्छानुसार मीटिंग बुलाई जाए। अन्त में मान्यवर मैं आपके माध्यम से श्री मुन्शी जी को परिवहन विभाग की ओर से बजट पर समर्थन देते हुए भाई अशोक बाजपेई, जिन्होंने कुछ सुझाव अच्छे दिए हैं, उनके कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, धन्यवाद।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा:—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अशोक बाजपेयी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और परिवहन मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है, उसका विरोध करता हूं। श्रीमन बाजपेई जी ने जो उदाहरण दिया है, उसको कांग्रेस पार्टी के भाई ने सप्लीमेंट किया है। यहां की बसों की चेसिस बनाने का कार्य आन्ध्र प्रदेश को दिया गया है।

मान्यवर, कमीशन की बात इनके लिये अप्रासंगिक नहीं है। जिलों में हजारों के कमीशन की बात चल रही है। यहां प्रदेश स्तर पर लाखों के कमीशन की बात चल रही है और केन्द्र स्तर पर करोड़ों के स्तर की बात चल रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, घूम कर देख रहे हैं। कर्नाटक प्रदेश है, वहां पर भी परिवहन विभाग है, वहां की सरकार ने 20 किलोमीटर के अन्दर चलने वाले छात्रों को फ्री पास दे दिया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, अगर माननीय मंत्री जी यहां पर भी इस घोषणा को करें। श्रीमन, एक व्यवहारिक कठिनाई है, वह यह है कि जितने भी परिवहन हैं, उनकी चेकिंग का काम लोकल पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है और इसके परिणामस्वरूप थानों पर रेट बंधे हुये हैं। वाहनों की चैकिंग का जो अधिकार उनको दिया गया है, उनसे ले लिया जाना चाहिये। दुहरी व्यवस्था से लोग परेशान हैं। कोई भी थाना ऐसा नहीं है, जहां पर इनका चार्ट न हो।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर-सुनौली-नेपाल मार्ग है, उस पर 50-50 हजार रुपये चालान हुआ है, लेकिन उनका लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि आपके इनफोर्समेन्ट विभाग, पुलिस और ट्रान्सपोर्ट में लिंक बंधा हुआ है, जब तक आप इस लिंक को नहीं तोड़ेंगे, तब तक घाटे का दौर चलता रहेगा। मुझे खेद है कि ओवर स्टाफिंग का सवाल उठाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि 1974 के बाद कितनी बसें बढ़ायी गयीं, कितनी प्लेट बढ़ाई गयीं, कितने अधिकारी बढ़ाये गये और कितने कर्मचारी बढ़ाये गये ? मैं कहना चाहता हूं कि इनके अधिकारियों की फौज बढ़ी है, उनकी बढ़ोत्तरी पर रोक लगाना चाहिये, तभी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। मान्यवर, इनके पास इतने अच्छे-अच्छे वर्कशाप हैं, लेकिन इन वर्कशाप में यह रिपेयर नहीं करवाते हैं और दूसरी जगह पर रिपेयर करवाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वही पुराना सामान फिर लगकर चला आता है। आप अपने वर्कशाप को काम दें। मान्यवर, पहले इनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां पर बहुत बड़ी परचेज कमेटी थी और अब उसमें केवल 3 सदस्य रह गये हैं, बड़ी अच्छी कमेटी थी, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस कमेटी को बनावें और उसी के माध्यम से सामान खरीदा जाये। आपका कानपुर का वर्कशाप बहुत अच्छा वर्कशाप है, उसमें रिपयर का काम नहीं कराया जाता है, यह बड़े शर्म की बात है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिन्दु मैंने सुझाव के रूप में उठाये हैं उन पर विचार करने का कष्ट करें और उसके अनुरूप कार्य करने की कृपा करें, इससे जो भ्रष्टाचार है, वह समाप्त होगा। मान्यवर, भ्रष्टाचार के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि 14 लाख मार्ग पर प्राइवेट बसें चलती थीं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, निगम ने उस केस को वापस ले लिया और फिर उनको बसें चलाने की इजाजत दे दी। आप इसकी जांच करायें तो आप को पता चल जायेगा। मजदूरों की मांगों को माना नहीं जाता है, उनसे काम नहीं लिया जाता है, वह घर पर बैठे हैं, यह व्यवस्था डेमोक्रेटिक सेट अप में ठीक नहीं है। जो सुझाव मैंने दिये हैं, उन पर आप विचार कर लें और छात्रों को फ्री पास देने पर भी विचार करें। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री अजीत सिंह सेठी--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं सर्वप्रथम अपने माननीय मंत्री महोदय जिन्होंने इस बजट को रखा है उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इस विभाग के अफसरान और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने सही दिशा में इन दो-तीन सालों में जो इस परिवहन विभाग को चलाया है उसके विवरण को देखने से पता चलता है कि यह विभाग किस स्थान पर था और कितनी इसने प्रगति कर ली है। इस परिवहन विभाग के अन्तर्गत 7151 बसों का बेड़ा है जिसमें 2810 अशोका ले लैंड की गाड़ियां हैं, 4341 टाटा की गाड़ियां हैं और प्रदेशों की तुलना को देखते हुए आन्ध्र प्रदेश में 10760 गाड़ियां चलती हैं, महाराष्ट्र में 12190 गाड़ियों का बेड़ा है। पंजाब में डेढ़ करोड़ की आबादी में 2348 गाड़ियां हैं और दिल्ली में 4088 गाड़ियां। संसाधनों की कमी के कारण गाड़ियों के बेड़े का अधिक होना एक बड़ी भारी बात है। लेकिन जो बेड़ा इस वक्त कार्य में लगा हुआ है उसे जो निर्देश मिल रहा है उनकी मैं प्रशंसा करता हूं और उसका विवरण दे रहा हूं। मान्यवर, इस वक्त इन्होंने 1987-88 में यह प्रस्ताव किया था कि 82 प्रतिशत बेड़ा रोड पर रहे और बसों की खराबियों को दूर किया जाय। 1984-85 में 72 प्रतिशत गाड़ियां रोड पर रहीं, 1986-87 में 84 प्रतिशत रहीं, 1987-88 में दिसम्बर तक गाड़ियां रोड पर आ गईं। इसका मतलब यह है कि इनकी कार्यशालाओं में कार्य हुआ, यह खुशी की बात है। इससे पता चलता है कि बड़ी रूप में उन्होंने गाड़ियों को चलाया और इसी कारण यह फायदे में रहे। मान्यवर, इसके साथ ही इनकी उपयोगिता भी बढ़ी है। जहां पर एक बस को 160 कि0मी0 चलना चाहिए था वहां 190 और 206 कि0मी0 तक प्रतिदिन इन बसों ने काम किया। यह एक प्रशंसनीय बात है।

एक और बात कहना चाहता हूं। एक और अच्छा निर्णय लिया गया है कि सातवीं योजना सन् 85 से 90 के अन्दर इस सारे बेड़े को नया करने के लिये योजना बनायी गई है। जो बसें खराब हो जाती हैं उनके लिये यह निर्णय लिया गया है कि सन् 85-90 के अन्दर बस का यह सारा बेड़ा नया कर दिया जाय इसलिये यह एक बड़ी योजना है।

इसके अतिरिक्त जो अर्जित किलोमीटर है वह सन् 84-85 में 42,56, 50,657 कि0 मी0 था। सन् 85-86 में यह बढ़कर 44, 22,06,121 किलोमीटर हो गया। 1986-87 में 47,46,62,280 कि0 मी0 और दिसम्बर, 1987-88 तक यह संख्या 40,66,12,383 कि0 मी0 कर ली। यह वास्तव में एक प्रशंसनीय कदम है। इन बसों को अधिक चलाने में हमें नफा मिला है इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आरामदेह बसों की एक और योजना है। कहा जाता है कि गरीब प्रदेश में वीडियों बसे क्यों चलाई गई। मान्यवर, हर चीज की अपनी उपयोगिता है। यहां पर 41 नई वीडियों बसे कार्य में लायी गई 237 डीलक्स बसें संचालित की गई है। यह बहुत अच्छा कार्य हुआ है, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि 1981 से हमारे व्यय में बढ़ोत्तरी हुई है—कर्मचारियों में मैटीरियल में, टैक्स में, डेप्रिशियेशन में और अन्य खर्चों में सन् 81 से पैसा के हिसाब से 292 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद फायदे में यह विभाग जा रहा है। तो इन सरकमस्टांसेज में विभाग ने अच्छा काम किया है।

इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं रेवेन्यू के लीकेज को रोका जाना चाहिये। टिकटलैस ट्रैवल को रोका जाना चाहिये। यात्रियों से किराया ले लिया जाता है और टिकट नहीं दिया जाता है या फिर कम डिस्टेंस का टिकट दिया जाता है इससे विभाग को नुकसान होता है। इसी प्रकार गलत टिकटों और बिके टिकटों के इस्तेमाल की समस्या है, वे बिल की समस्या है इन सबको देखने की जरूरत है। अगर आप लीकेज को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी इनकम में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

मैं पश्चिमी जोन के बारे में बताना चाहता हूं वहां आपको काफी इनकम हो रही है वहां और अधिक बसों की जरूरत है इसलिए ज्यादा बसें वहां दी जायें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

जो अच्छा काम करते हैं उनको इनसेन्टिव भी देना चाहिये जिससे काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।

इसी तरह से सेफ्टी की तरफ भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिये रोड सेफ्टी के मेजर्स लिये जाने चाहिये आज एक्सीडेन्ट ज्यादा हो रहे हैं रात की बात छोड़िये दिन में ही बहुत एक्सीडेन्ट हो रहे हैं। तो इसका विवरण प्राप्त करना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेन्स में भी स्टिक्टनैस की जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेन्स देते समय ठीक से जानकारी कर ली जाय। इन शब्दों के साथ, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय अशोक बाजपेयी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक घटना बताना चाहता हूं। हमारे जनपद बहराइच के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फखरपुर में पिछले दिनों इसके परिवहन की एक बस आकर खड़ी हो गयी उसमें बैठे कुछ लोग कहने लगे आइये इस बस में बैठ लीजिये यह लखनऊ जा रही है। लखनऊ जाने और आने का दोनों तरफ का किराया मुफ्त रहेगा और लखनऊ में खाना भी मिलेगा, एक रैली है। जब वह बस खड़ी रही और कोई जाने के लिये तैयार नहीं हुआ। वहीं पर एक आदमी बेहया फूल तोड़ कर लाया और कहने लगा यह समय का फेर है। इस फखरपुर में सैकड़ों आदमी दिन भर में यहां पर खड़े होकर हाथ उठाते थे और खाली बस आती थी और चली जाती थी यात्रियों को नहीं उठाती थी लेकिन आज सबरे ही बस आकर खड़ी हो गयी और चिल्ला-चिल्ला कर कहते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि लखनऊ चलिये और किराया भी नहीं पड़ेगा लेकिन यात्री बैठने को तैयार नहीं है आदमी अधपगला सा कांग्रेस का कार्यकर्त्ता था। वह बार बार लोगों से कह रहा था फिर भी लोग बैठने को तैयार नहीं है। अन्त में बस नगर के एक स्कूल में गयी और बच्चों को भर कर ले आई।

रोडवेज की जो 7 हजार बसें हैं, उनके प्रतिदिन का यह रवैया है कि आम जनता छोटे-छोटे बस स्टापेज पर खड़ी रहती है इनकी खाली बस आती है हाथ दिखाने पर भी नहीं रुकती और चली जाती है, मंजिल पर वह पहुंचती नहीं है और रास्ते में ही खराब हो जाती है। सरकार का और निगम का आपस में तय हो गया है--

"कहां-कहां है राहजन, न तुम कहो न हम कहें,

कहां-कहां लुटा निगम, न तुम कहो न हम कहें।"

यह ऐसी आज एक सांठ-गांठ चल रही है। मान्यवर, पल्लवन स्कीम के अन्तर्गत जहां अधिकारियों की बढ़ खड़ी कर दी गयी है तो स्वाभाविक इस पर व्यय भार बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 6 हजार परिवहन कर्मचारियों को जिनको उच्चतम न्यायालय से न्याय मिल चुका था लेकिन उसके बाद विधेयक और अध्यादेश द्वारा इस सरकार ने उनको रौंद डाला जिससे आज उनकी आस्था प्रजातंत्र में डिगी है क्योंकि न्याय पाने में वैसे ही काफी विलम्ब होता है फिर न्याय पाने के बाद उन्हें अध्यादेश द्वारा कुचला जाये तो यह ठीक नहीं है।

मान्यवर, रोडवेज में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कार्यकाल में या ड्यूटी पर मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को रखा जाता है लेकिन आज रोडवेज में इनके आश्रितों की नियुक्ति नहीं की गयी है जिससे विभाग में असन्तोष है।

मान्यवर, कानपुर में आर0 टी0 ए0 की बैठक नहीं हुई, इसलिये कि वहां जो पुरानी बसें चलती हैं वही चलती रहे और नये परमिट न देना पड़े चूंकि पुरानी बसों के मालिकों से विभागीय अधिकारियों को भारी रकम मिल गयी है।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि औरैया से छिबरामऊ, कानपुर से फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ के लिये शीघ्र ही आर0 टी0 ए0 की बैठक बुलाकर नई परमिटें देकर बसें चलाई जायं। इसके अतिरिक्त फतेहगढ़ से फर्रुखाबाद के लिये सिटी बसें जो चलती थी वह बन्द हो गयी हैं, उनको पुनः चालू किया जाये।

मान्यवर, अब मैं अपने जनपद बहराइच की ओर मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं जहां बौड़ी एक स्थान है। आज यह स्वतंत्रता का ही परिणाम है कि हम इस स्वतंत्र भारत में उन्मुक्त होकर सत्ता और विपक्ष के लोग यहां बैठकर विचार कर रहे हैं। स्वतंत्रता के प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन 1857 में जब संघर्ष हुआ था तो इसी लखनऊ से बेगम हजरत महल संघर्ष करती हुई, बहराइच जिले के बौड़ी स्थान पर रुकी और अवध का विख्यात बेगम हजरत महल का घोषणा पत्र बौड़ी के किले से जारी हुआ था, उसकी ड्राफटिंग बौड़ी में ही राजा बलभद्र सिंह द्वारा हुई थी। आज दुर्भाग्य है कि उस बौड़ी को रोडवेज की एक बस चलाई गयी थी लेकिन अब बन्द कर दी गयी है उसे पुनः चलाया जाय। इसी प्रकार जैतपुर की भी बस चलना बन्द हो गयी है जिसे भी पुनः चलाया जाये।

मान्यवर, रुपईडीहा से लखनऊ को एक बस चलती थी, रोडवेज की, जो बन्द हो गयी है। रुपईडीहा सोनावर्ती स्थल है और वहां से काठमांडू के लिये नेपाल राष्ट्र की सीधी बस सर्विस है, जिसपर लग्जरी डीलक्स कोच बसें चलती हैं और हजारों विदेशी पर्यटक रुपईडीहा पहुंचते हैं और हमारी इस पवित्र भूमि पर रुपईडीहा में प्राइवेट खस्ता बसों

पर लटककर खड़े होकर धक्के खाते आते हैं। उसे देखकर लज्जा से सर झुक जाता है। इसलिये विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखकर रुपईडीहा से लखनऊ व अन्य स्थानों के लिये रोडवेज की अच्छी बसे चलाई जायं, यह राष्ट्र के सम्मान का विषय है।

मान्यवर, पिछले साल बहराइच में रोडवेज की एक कार्यशाला स्थापित करने की घोषणा की गयी थी जो कि किसी दूसरे जिले में चली गयी है, इसलिये वहां एक कार्यशाला स्थापित की जाये।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में खसहा मोहम्मदपुर से बहराइच के लिये और कोठवल से बहराइच तथा राजपुर भिलौर बासू से बहराइच व केसरगंज तक रोडवेज की बसें चलाई जायं चूंकि यहां तक के लिये सड़कें बन गयी हैं और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो परमिट देकर प्राइवेट बसे चलाई जायं।

इन शब्दों के साथ, मैं श्री अशोक बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं।

श्री राम चन्द्र शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे परिवहन विभाग पर मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिये जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर परिवहन मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उससे सम्भव है कि परिवहन में काफी सुधार ला रहे हैं लेकिन इससे काम नहीं चलेगा उनको और अभी बहुत से सुधार विभाग में करने हैं। साथ ही मैं अपने विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन है, यहां वाराणसी से चौबीसों घंटे बसें चलती हैं और इसके लिये बसों की संख्या बढ़ाई जाय। बसें यहां पर बहुत कम हैं इनको बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। नेशनलाईज्ड रूट वाराणसी से चन्दौली मार्ग पर साढ़े 8 किलोमीटर विकास प्राधिकरण का एरिया है, यह अरबन एरिया में आ जाता है। चूंकि नेशनलाईज्ड रूट के रूप में 8 1/2 किलोमीटर के टुकड़े में अलीनगर से वाराणसी तक रोक दिया गया है यह उचित नहीं है। साढ़े 8 किलोमीटर की सीमा की एरिया जो विकास प्राधिकरण के द्वारा लागू की गई है, वह अरबन एरिया में आती है, इसलिये वहां पर नेशनलाईज्ड रूप की परिभाषा समाप्त हो जाती है। इस साढ़े 8 किलोमीटर की सड़क पर कोर्ट से आदेश लेकर प्राईवेट गाड़ियां चल रही हैं, इसका आप परीक्षण करा लें। यदि यह अरबन एरिया मान लिया गया ह तो इसमें नेशनलाईज्ड की परिभाषा समाप्त कर दी जाय। साथ ही यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मिनी बसें जो टैक्स के रूप में 7 सीटों की परमिट पहले दी गई थी, उसको भी रोक दिया गया है। शासन द्वारा किन्तु हाईकोर्ट के आदेश से वह भी मिनी बसें चल रही हैं। इससे एक बात यह भी है कि जिन लोगों ने बैंक से ऋण लेकर मिनी बसें या जीप खरीदी थी, परमिट की रोक लगा देने पर उनके सामने समस्या पैदा हो गयी है कि उनका लोन कैसे अदा हो। अतः अनुरोध है कि इनको परमिट दी जायें और इनसे पैसेंजर टैक्स लिया जाय, जिससे शासन की आय बढ़ सके। पहले बसें रायल्टी लेकर चलाई जाती थीं। मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि साढ़े 8 किलोमीटर का जो विकास प्राधिकरण का नियम है, उसको हटा दिया जाय और शेष चंदौली तक रायल्टी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी जाय। मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में एक रामनगर इंडस्ट्रियल है, जो रामनगर नगर पालिका होते हुये इंडस्ट्रियल एरिया में बसें चलाने की मैंने मांग किया था। उस मांग पर कुछ दिन तक बस चलाने के बाद उसको बन्द कर दिया गया है। बस न चलने से, उसके इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण वहां की जनता और मजदूरों को बहुत असुविधा और दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इसके अलावा इसी कारण से वहां उद्योग पनप नहीं पा रहा है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उस औद्योगिक क्षेत्र में वाराणसी से रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए जिवनापुर स्टेशन तक मार्ग को बसों से जोड़ दिया जाय, जिससे वहां की

जनता को आवागमन में सुविधा होगी और इससे राजस्व की आय भी बढ़ेगी और उस सड़क से रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया होते हुये मुगलसराय तक जोड़ दिया जाय । यानी बसें चलाई जाय, जिससे वहां की आम जनता को और रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग धंधों में लगे मजदूरों को सुविधा हो । साथ ही मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक वर्कशाप भी स्वीकृत थी और वहां पर इसके लिये जमीन भी छोड़ रखी गई थी, लेकिन आजतक वर्कशाप का निर्माण नहीं हुआ है । इसलिये रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में परिवहन विभाग द्वारा एक वर्कशाप का निर्माण किया जाय जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले और लोगों को सुविधा भी मिले । अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री कुशलपाल सिंह—

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत आभारी हूं । अभी हमारे सत्ता पक्ष के भाई लोग माननीय मंत्री जी का बड़ा गुणागान कर रहे थे, उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इंटरवल हो जाता है स्कूल में हेडमास्टर टोफी बांटता है और बच्चे उसके लिये जिन्दा बाद के नारे लगाते हैं । पहले यहां लोग संजय सिंह की जय जयकार किया करते थे अब मुन्शी जी की जय जयकार कर के तारीफ करते नहीं थकते हैं । पता नहीं संजय सिंह सही थे या मुन्शी जी । मालूम पड़ता है मुन्शी जी ने कह दिया है कि 1-1 बस का परमिट दिलवा देंगे, यदि हमारी तारीफ करोगे । किसी से छिपा नहीं है । हमारे सम्मानित सत्ता पक्ष के भाई भी इस बात पर आखिर में आते हैं ।

मान्यवर, जितनी बसें वर्कशाप से निकलती हैं उनकी किसी की सफाई नहीं होती है और जब वह वर्कशाप जाती है तब तो वह बहुत ही गन्दी होती है । अगर सुबह-सुबह कहीं जाना पड़ जाय तब तो सीट इतनी गन्दी होती है कि जो सज्जन अपने साथ कपड़े लेकर न जाये, उनके लिये बहुत ही मुश्किल हो जाती है । जो बसें सात आठ लाख किलोमीटर तक चल चुकी हैं उनको जबरदस्ती धक्का देकर वर्कशाप से निकाला जाता है और जब वह बसें रास्ते में खराब हो जाती हैं, तो रोडवेज वाली दूसरी बसे सवारियों को नहीं लेती हैं जिससे बड़ी परेशानी होती है । मान्यवर, जहां तक लगेज का सवाल है, मान्यवर, लगेज को बन्द कर दिया गया है, लेकिन कोई भी बस ऐसी नहीं है जिसमें लगेज न भरा हो सामान न भरा हो, यात्रियों का जिसकी वजह से निगम को घाटा आ रहा है । रात के टाइम में जो बसें चलती हैं उसमें अधिकांश कन्डेक्टर लोग टिकट नहीं काटते हैं और यात्रियों से पैसा ले लेते हैं, जब अगला स्टेशन आता है, तो टिकट काटते हैं । मान्यवर मथुरा डिपो जो है यहां दो-दो, तीन-तीन दिन तक बसें नियमित नहीं चलती हैं इसका कारण यह है कि मथुरा डिपो का सारा स्टाफ गोरखपुर का है । वह छुट्टी लेकर चले जाते हैं फिर दो-तीन हफ्ते तक वापस नहीं आते हैं । हर डिपो में मान्यवर, टेम्परेरी स्टाफ रखा जाता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था यहां नहीं की गई है तो यहां पर भी टेम्परेरी स्टाफ की व्यवस्था कराने का कष्ट करें । मथुरा डिपो में बसें बढ़ायें मथुरा से नौहझील का जो मार्ग है वहां नौहझील पर डिपो बना दिया जाय । इससे इस मार्ग पर यातायात सुविधा ठीक हो जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता— अब आप समाप्त करें ।

श्री कुशलपाल सिंह—

मान्यवर, शेरगढ़ में जो बस-स्टैन्ड है वहां कोई चौकीदार नहीं है । कोई अटेन्डेन्ट नहीं है । कोई स्टाफ वहां नहीं है । वहां पर नियुक्ति की जाये । मथुरा से जावरा जो बस चलती थी, वह बन्द कर दी गई है । मथुरा से सिकन्दरपुर जो बस चलती थी, वह बन्द कर दी गई है । मथुरा से नानकपुर वाया नौहझील बस चलायी जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें ।

श्री कुशलपाल सिंह—

विशेष रूप से मथुरा में सिटी बस सर्विस चालू की जाय । लोगों को बड़ी परेशानी होती है । पांच-छः रुपये में भी रिक्शा नहीं मिलता है । तो वहां पर सिटी बस की व्यवस्था कराई जाय । (इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये) । मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आम तौर से परिवहन बसों के परमिट चार-पांच हजार रुपये खर्च करके मिल जाते थे, लेकिन अब पांच से 25 हजार रुपये खर्च करके परमिट मिलता है इससे बहुत परेशानी होती है । मान्यवर, बेरोजगार लड़के जो घूमते रहते हैं अगर इन्हें मेटाडोर के परमिट दे दिये जायं 20 से 22 किलोमीटर मार्गों पर चलाने के लिये, तो इससे बहुत आसानी हो जायगी और बेरोजगारी भी दूर होगी ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आज दो बजट और हैं आबकारी का बजट आना है जिसका मैनेजर सिंह जी इन्तजार कर रहे हैं "पोरे-मैखाना इन्तजार कर रहे हैं" तो इस तरफ के एक माननीय सदस्य बोल लें तो इसको खत्म कर दें ।

(व्यवधान)

*श्री बाबू राम—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि परिवहन निगम का बहुत महत्वपूर्ण बजट है अभी एक दल से कम से कम एक आदमी भी नहीं बोल पाया है । इसलिये ऐसी व्यवस्था कर दें कि कम से कम एक व्यक्ति तो बोल ले ।

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे होगा ? मैं आपकी बात सुनूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय बाबूराम जी ने जो सुझाव दिया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है इसमें कोई संदेह नहीं है । अगर किसी दल से कोई न बोला हो तो उस दल से एक सदस्य को जरूर मौका दे दें ।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि बोलने देने का क्या तरीका अपनाया गया है । चिटों के आधार पर, लिस्ट के आधार पर या शक्ल देखने के आधार पर बुलवाया जाता है । ऐसे भी सदस्य हैं जो इस बजट सत्र में 4-5 बार बोले हैं । हम लोग एक बार भी नहीं बोले । आखिरकार क्या तरीका है । 5-6 मर्तबा मैं खड़ा हो चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

कर्नल केशरी सिंह आप बोल लेंगे । ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसको बुलवाऊं । कभी लिस्ट फालो करते हैं, कभी अपने विवेक से बुलवाते हैं । बुलवाने में एक तरह का निश्चत नियम नहीं लागू होता है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री प्रेम पाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, यह जो बजट रखा गया है इसकी मैं प्रशंसा करता हूं लेकिन खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि 3 साल से मैं बराबर अपने यहां की परिवहन व्यवस्था के बारे में कह रहा हूं लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। प्रदेश में अनेक जिले तहसील स्तर से जुड़ गये हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे जनपद एटा में जलेसर विधान सभा क्षेत्र के राउंड में 20–25 कि0 मी0 को परिवहन बस सेवा से नहीं जोड़ा गया है। 26 जून, 1985 को मैंने अप्लीकेशन दी थी तो यह कहा गया था कि स्थायी परमिट देकर बस चलाने की व्यवस्था की जायगी लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने 5 लाख रुपये लेकर प्राइवेट बस वालों को बसें चलाने का अवसर दिया और उस रूट को अराष्ट्रीय मार्ग कर दिया।

जलेसर से दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, हाथरस आदि रूटों पर परमिट देकर बसें चलवायें। जलेसर–सिकंदराराऊ, जलेसर–अवागढ़ मार्ग को राष्ट्रीयकृत करके परिवहन सेवा चालू करने का वादा कही गयी थी तथा 1974 तक जलेसर से सिकंदराराऊ और एटा परिवहन सेवा चलती थी लेकिन अधिकारियों ने कहा कि हम अराष्ट्रीय मार्गों पर परिवहन सेवा नहीं चला सकते हैं। जब राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसों को चलाया जा रहा है तो अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर क्यों नहीं चलाया जा सकता है। मेरे क्षेत्र में 3 साल से जनता चिल्ला रही है कि परिवहन सेवा चलायी जाय लेकिन चलायी नहीं जा रही है। 26 दिसंबर को मेरे यहां राज्यमंत्री जी गये थे। उन्होंने आर0 एम0, आगरा, आर0एम0 अलीगढ़ को निर्देशित किया था कि बसें अविलंब चलायी जायं। जब प्राइवेट बस वाले हमारे राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसें चला सकते हैं तो जलेसर से सिकंदराराऊ, जलेसर से अवागढ़, जलेसर से दिल्ली आदि मार्गों पर बसें क्यों नहीं चलायी जा सकती हैं।

मान्यवर, एक जनवरी को सर्वे हुआ था, जलेसर से लखनऊ, दिल्ली के परमिट ले लिये गये लेकिन प्राइवेट बस वालों से लाखों रुपये लेकर उसको ठप्प करा दिया। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जनहित में परिवहन सुविधा से जलेसर को जोड़ा जाय। जलेसर से रिजावली, रिजावली से फिरोजाबाद और जलेसर से सिकंदराराऊ इन तीनों मार्गों का मजट करके इनको राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। जयहिंद।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने परिवहन विभाग के अनुदान संख्या 43 पर माननीय बाजपेयी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे सामने जो सरकार बैठी हुई है, वह देखे कि यह परिवहन विभाग ऐसा विभाग है जो किसी भी सुसंस्कृत एवं प्रोन्नत समाज के लिये आवश्यक है, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है कि 47 करोड़, 73 लाख 16 हजार रुपया जिसका एक साल का बजट हो और वह निगम घाटे में जाय, ऐसे निगम के प्रबन्धक व निगम को चलाने वाले लोगों के बारे में अगर जनता यह बात सुने, तो वह यही कहेगी कि इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिये। वैसे तो इस व्यापार में लाभ ही लाभ होता है, लेकिन इसके घाटे का मुख्य कारण यह है कि जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने इस परिवहन निगम को अपनी जागीर समझ रखी है, कांग्रेस पार्टी पर 5 करोड़ का परिवहन निगम का बाकी है, उसके बाद भी निगम की बसें, टैक्सियां और कारें आदि इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि वह खुद की उनकी जागीर हो, मानो उनकी खुद की बसें हों, और खुद की कारें हों। मैं इसी संबंध में कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह से काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर रहे हैं, जनता की गाढ़ी-कमाई को इस तरह से उड़ा रहे हैं, जनता देर-सबेर सारी चीजों को देखती है और उस पर निर्णय लेगी। जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस रैलों में तत्कालीन परिवहन मंत्री ने बसें मांगी थीं, एक बहुत ही ईमानदार शायद उनका नाम पंकज कुमार था, उन्होंने मना कर दिया था कि यह कांग्रेस की जागीरदारी नहीं है, यह जनता की कमाई की बसें हैं, इसलिये मैं एक भी बस रैली के लिये नहीं दूंगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसे अच्छे अधिकारी को प्रोत्साहन नहीं मिल सका, बल्कि उन्हें हटा दिया गया। दूसरी तरफ जो अधिकारी कुत्तों की तरह से हमारे मंत्रीगणों के तलुए चाटते हैं और जनता की गाढ़ी-कमाई को अपने निजी लाभ के लिये बर्बाद करते हैं, इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हो। इसमें 116 करोड़ का घाटा है। यह निगम जो है, इसमें तो घाटे का सवाल ही नहीं है। इसकी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं यह जो परमिट वितरण व्यवस्था है, यह बहुत ही गलत है। जो प्राइवेट बसों के परमिट प्रदान किये जाते हैं, हमारे भाई राम सिंह जी आगरा परिवहन कमेटी के मेम्बर हैं, 21 लाख रुपयों परमिटों को, और परमिट ट्रांसफर के लिए जमा किया गया, उसके बाद झगड़ा हो गया और यह परमिट की मीटिंग झगड़े के कारण पोस्टपोन हो गयी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे हुए अपने मित्रों से कहना चाहता हूं की वह परमिट व्यवस्था को जिस तरह से एक ही परिवार के लोगों को मिलता चला जाता है लड़के को, लड़की को, बेटे को, बहू को, उसमें परिवर्तन लायें और जो बेरोजगार नवयुवक काम करने वाले हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं उनको परमिट दिये जायं। इसके अलावा मैं दूसरी बात अपने जिले के संबंध में कहना चाहता हूं कि इटावा मैनपुरी मार्ग पर प्रति 20 मिनट पर बस सर्विस है उसमें 8 बसें सरकारी चलती हैं और शेष बसें प्राइवेट चलती हैं। प्राइवेट बसें ऊपर नीचे भर कर चलती हैं इसलिये इन बसों को बन्द करके सरकारी बसें चलायी जायं।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है कि किसनी से शिकोहाबाद चलने वाली बसें सिरसागंज तक ही रोक दी गयी हैं जिससे जनता को भारी कठिनाई होती है उन्हें शीघ्र चलाया जाय। आपने 2 बार इसके लिये चिट्ठी भी लिखी लेकिन रिश्वत न देने के कारण वह नहीं चलायी गयी और दूसरी तरफ राष्ट्रीयकृत मार्ग पर ही रुपया लेकर फरिहा-मैनपुरी, एटा-मैनपुरी राष्ट्रीय मार्ग पर बसें चलवाई जा रहीं हैं इसमें एकरूपता लाई जाय इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और प्रस्तुत बजट का घोर विरोध करता हूं।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग पर बोलने का अवसर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप ज्यादा समय खींचेंगे तो फिर यह लम्बा हो जायेगा। इसके लिये क्षेत्रीय प्राब्लम को 2-2 मिनट में कह दें तो काम निपट जायेगा।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, मैं, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। एवं विपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, विगत कुछ वर्षों में परिवहन निगम के संचालन में काफी तरक्की हुई है। लम्बी दूरी की बसें बहुत अच्छी चलती हैं। जिससे जनता को सही दर पर सफर करने में काफी

सुविधा मिली है। मान्यवर, जो नयी टिकट प्रणाली है इसके सबध में कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी है परन्तु इसके लिये कंडक्टर्स को ट्रेनिंग ना बहुत आवश्यक है। अभी हाल ही में परिवहन विभाग ने रोड टैक्स के लिये नया प्राविधान किया है। यह जनता के लिये बहुत अच्छी चीज है। यह सोचने की बात है कि परिवहन निगम में लगातार घाटा क्यों होता है, वैसे जनता की सुविधा के लिये चलने वाले निगम में घाटा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना घाटा है उसका आधा वर्कशाप की कमजोरी की वजह से होता है। अगर सामान और पुर्जों की खरीद में जो भ्रष्टाचार है, उस पर कंट्रोल कर लिया जाय तो आधा घाटा दूर हो सकता है। बाकी आधा घाटा अवैध बसों के चलने की वजह से है। हमारे जिले में अवैध रूप से सैकड़ों बसें चलती हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ सवारियां ढोती हैं। परिवहन विभाग को पुलिस की मदद से इन अवैध बसों को बन्द कराने का प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, पसेंजर बसों की बहुत कमी है आजकल लम्बे रूट की बस ज्यादा लेकिन छोटे रूट पर चलने वाली तथा थोड़ी-थोड़ी दूर पर रुकने वाली पसेंजर की बसें कम हैं। जनता को ट्रकों में चलना पड़ता है, टैम्पो में चलना पड़ता है। अतः इन पैसेंजर बसों को बढ़ाया जाय। बस्ती-डुमरियागंज मार्ग पर, बस्ती-बांसी मार्ग पर पैसेंजर बसें बढ़ायी जायं। बस्ती की नगरीय बस सेवा में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। केवल दो बसें हैं जो अपर्याप्त हैं। इसलिये कम से कम 3 बसें नगरीय सेवा के लिये रखी जायं और जो बसें हाल में बन्द कर दी गयी हैं उनको दुबारा चालू किया जाय क्योंकि उससे राजस्व की हानि हो रही है। बस्ती–कलवरी–छावनी, बस्ती–दसिया बस्ती–टूटी भीटी-विक्रम जोत पर बसें चलाई जायं। इसके न चलने से जनता को परेशानी हो रही है। मान्यवर, 165 विधान सभा के हरैया बस स्टेशन पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जनता धूप में, बारिश में बैठ सके। वहां पर स्थान उपलब्ध है केवल कुछ हजार रुपये खर्च करके एक शेड बना दिया जाय तो लोगों को आसानी हो सकती है। मान्यवर, विधायकों, सांसदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये जो बसों में आरक्षण है, मैं चाहूंगा कि दूसरे प्रान्तों से जो बसें यहां आती हैं उनमें भी उनको आरक्षण मिलना चाहिये।

दूसरी बात मान्यवर, रूट परमिट में भूतपूर्व सैनिकों को 18 परसेन्ट का आरक्षण होता था, वह कुछ दिन पहले बन्द कर दिया गया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को मिटाने में यह एक अच्छा कदम होगा कि 18 परसेन्ट का जो आरक्षण दिया जाता था, उसको रिस्टोर किया जाय भूतपूर्व सैनिकों को बस व ट्रक का रूट परमिट दिया जाय और इस काम को प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री श्याम बिहारी सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान जनपद बरेली की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, बड़ा गांव, बरेली में जो दो बसें चलाई गयी थीं, वहां अब एक बस कर दी गयी है, मान्यवर, यह बड़ा ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर यातायात का और कोई साधन नहीं है। रेलवे स्टेशन वहां से 20 किलो मीटर से कोई करीब नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि बड़ा गांव के लिये बसों के परमिट बढ़ाये जायं।

मान्यवर, आंवला क्षेत्र में एक इफ्को की फैक्टरी लग रही है जिसमें 50 हजार आदमी काम कर रहे हैं। वहां पर बसें नहीं चल रही हैं, जिससे जनता को बड़ी भारी परेशानी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आंवला से साहाबाद, आंवला से बिरौली, आंवला से बजीरगंज और आंवला से मुरादाबाद के लिये बसें चलाई जायं, जिससे कि इफ्को फैक्टरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के कर्मचारियों को और वहां की जनता को सुविधा मिल सके । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में भी जो बस चल रही थी, बन्द कर दी गयी है । वहां पर बसों के परमिट दिये जायं, जिससे कि जनता को सुविधा मिल सके । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक रामनगर जैन मन्दिर है जहां दूर-दूर से यात्री आते हैं । वहां आने-जाने के लिये कोई सुविधा नहीं है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस जैन मन्दिर के लिये बसें चलाई जायं जो आंवला-बरेली होकर बड़ा गांव होती हुई गुंड़रिया-गौरीशंकर के लिये बस चलाई जाय, जिससे कि वहां के यात्रियों को सुविधा मिल सके । वह गौरी शंकर का मन्दिर एक प्राचीन काल का मन्दिर है जहां एक बहुत बड़ी शिवजी की मूर्ति है । मान्यवर, यह एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां से रेलवे स्टेशन 20-20 किलोमीटर दूर है । मान्यवर, इन शब्दों के साथ में, बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री सन्तन बड़थ्वाल--

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैदानी क्षेत्र में तो परिवहन का महत्व है ही, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में इसका बड़ा महत्व है । क्योंकि वहां पर दूसरे रेलवे साधन नहीं हैं, वहां पर परिवहन की बसें सीधे जनता से जुड़ी हैं । यह जरूर है कि उसमें शिकायतें हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि इसमें सुधार भी हुआ है । मान्यवर, मैं तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, पहाड़ों में जो 80 परसेन्ट इन्डोर्समेन्ट फीस बढ़ायी गयी है, उसके कारण वहां के गरीब मोटर मालिक जो अधिकतर भूतपूर्व सैनिक होते हैं, वे अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं । पहाड़ों में इन्डोर्समेन्ट फीस को पहले का 25 परसेन्ट कर दिया जाय, इस समय जो 80 परसेन्ट हो गया है, इससे वहां पर गम्भीर असन्तोष है । इसके अलावा मान्यवर, पहाड़ों में देहरादून आर0टी0ए0 और पौड़ी आर0टी0ए0 में बड़ा फर्क है । पौड़ी में छोटे-छोटे श्रमिक हैं और एक-एक मोटर के 6-6, 8-8 मालिक हैं । इसलिये अनुरोध है कि पौड़ी में आर0टी0ए0 को रहने दिया जाय । तीसरी बात मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पहाड़ों की आर्थिक विषमता को देखते हुये वहां के विद्यार्थियों को रोडवेज में 50 परसेन्ट के कन्सेशन की व्यवस्था की जाय क्योंकि पहाड़ों में कितनी कठिनाइयों में परिवारों में लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं । वहां पर डिग्री कालेज दूर-दूर हैं । इसलिये विद्यार्थियों को 50 परसेन्ट कन्सेशन देने की व्यवस्था की जाय ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय अशोक बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के घाटे में चलने का, इस निगम के घाटे में चलने का मुख्य कारण यही है कि कुशल प्रशासन नहीं है, प्रबन्ध और संचालन व्यवस्था ठीक नहीं है । मान्यवर, आप किसी भी रूट पर देख लीजिये, जो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं उनके मालिकों ने तो 5-5 साल के अन्दर 3-3 गाड़ियां और खड़ी कर दीं लेकिन इनका विभाग निरन्तर घाटे में ही चल रहा है । मान्यवर, इनके बसों की हालत जो है वह है ही, इसके अतिरिक्त इनकी बसों के कंडक्टर/ड्राइवर सवारियां बिठाते नहीं, निर्धारित स्टापेज पर गाड़ियां रोकते नहीं, मनमाने तरीके से गाड़ियां चलाते हैं ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र खेकड़ा (मेरठ) की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । मान्यवर, खेकड़े की ओर ध्यान दिलाते हुये कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीयकृत मार्ग दिल्ली से सहारनपुर है, उस पर जो गाड़ियां चलती हैं, उनकी हालत बहुत ही बदतर हैं । उनमें न ठीक से शीशे लगे हैं, और न भली प्रकार से सीटें हैं । इसी रूट पर एक गांव पंचलोक

है, वहां पर स्टापेज नहीं है, मैं मांग करूंगा कि माननीय मंत्री जी कृपा करके वहां पर स्टापेज दे दें, वहां स्टापेज बना दिया जाय । इसके अतिरिक्त रटोल से देहली जो गाड़ियां चलती हैं, उनकी हालत बहुत खराब है । अमीरनगर सराय वाया ढिगौली–देहली के लिये दो बसें दी जायं । खेकड़ा से गाजियाबाद के लिये वाया बड़ा गांव–रटोल दो गाड़ियां दी जायं । इससे वहां की जनता को सहूलियत हो जायेगी । मान्यवर, अमीरनगर से देहली वाया ढिकौली जो रूट है, जो काफी दिनों से चला आ रहा है, उसके लिये पिछले तीन साल से निरन्तर मांग की जा रही है बसों की । माननीय मंत्री जी इधर ध्यान देकर कृपा कर दें । मेहरबानी करके 2 गाड़ियां इस रूट के लिये अवश्य दे दें अमीरनगर सराय से देहली वाया ढिकौली । इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई बाजपेयी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री राम सिंह एडवोकेट—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से, जन-मानस के कल्याण के लिये परिवहन विभाग ने जो क्रांतिकारी कदम उठाये हैं, उनकी सराहना करता हूं । 1200 नयी बसों का उपलब्ध कराना, स्टेट ट्रान्सपोर्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना, वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिये प्रदूषण कानून को लागू करना चाहिये—यह कुछ सराहनीय कदम विभाग ने उठाये हैं ।

(श्री मूल चन्द्र सहित कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें ।

श्री राम सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, अभी हमारे विपक्ष के साथी माननीय बाबू राम यादव जी बोल रहे थे कि वहां आर0 टी0 ए0 में पैसे को लेकर झगड़ा हुआ और तमाम बातें हुईं । मान्यवर, मैं आर0 टी0 ए0 में मेम्बर हूं, विपक्ष के साथियों का काम ही केवल आरोप लगाना है, वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ था, न ही कोई पैसे जैसी कोई बात थी, आरोप पूर्णतः निराधार है । आर0 टी0 ए0 का जो उस दिन की मीटिंग का एजेन्डा था, उसमें काफी आइटम हो चुके थे, बाकी आइटम्स के लिये बताना चाहता हूं कि फिर 15 तारीख को मीटिंग है । मान्यवर, आर0 टी0 ए0 हमारी अच्छा काम कर रही है, न वहां कोई विवाद है और न कोई बात है ।

(श्री मूल चन्द्र, श्री जवाहर सिंह यादव आदि कई सदस्यों के खड़े होने पर) (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम सिंह जी, आपका समय समाप्त । माननीय जवाहर सिंह जी, अब बोलेंगे । आप लोग बैठें ।

श्री राम सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, दो मिनट दे दें । मान्यवर, मैनपुरी में डिपो कागजों पर काफी दिनों से बन चुका है परन्तु मौके पर तथा वास्तविक रूप में डिपो नाम की कोई चीज नहीं है । इसको कृपया दिखवा लें तथा तुरन्त डिपो को वास्तविक रूप देने का आदेश दें ।

(व्यवधान)

श्री जवाहर सिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने के लिये मौका दिया है । मैं माननीय बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री राम सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, एक मिनट तो समय दे दें । सुझाव देना चाहता हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप लोग बैठें ।

श्री जवाहर सिंह यादव--

मान्यवर, परिवहन निगम कामधेनु हो गयी है, इस निगम के कर्मचारियों के लिये । मान्यवर, इस विभाग में भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है और जब तक ऊपर से भ्रष्टाचार बन्द नहीं किया जाता तब तक हम नीचे से भ्रष्टाचार के खत्म होने की आशा नहीं कर सकते हैं । ऊपर की देखा-देखी निचले स्तर के चालक, परिचालक और फोरमैन आदि में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है । इनके जो बड़े-बड़े अधिकारी इस विभाग में बैठे हैं, यदि उनकी संख्या कम कर दी जाय तो शायद लाभ की शुरुआत हो जायेगी । हम जानना चाहते हैं कि जो प्राइवेट बसें चलती हैं, उनके मालिकों को साल में लाखों रुपये की आमदनी होती है । इनकी हजारों बसें चलती हैं, तब यह करोड़ों रुपये का घाटा दिखाते हैं । चालक और परिचालक इसके लिये दोषी नहीं हैं । ऊपर से नीचे तक इसमें भ्रष्टाचार भरा हुआ है । यदि ऊपर से ही गन्दगी व्याप्त है तो चालक और परिचालक को सुधारने से समस्या हल नहीं होगी । एक बार जब भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है । अतः इस विभाग के लिए एक कमेटी बनाई जाये जो देखे कि इसमें कहां-कहां भ्रष्टाचार भरा हुआ है । मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद में ढाई-तीन साल पहले जाली टिकटों का करीब 3 करोड़ रुपये का मामला प्रकाश में आया था । इस मामले को दबाने के लिये विभाग के उच्च अधिकारियों ने कई छोटे कर्मचारियों को ट्रांसफर कर दिया और एक कर्मचारी और है, जो इस मामले को जानता है, उसको भी ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है । वह यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वहां जाली टिकटों से संबंधित कागजातों को जला दिया जाये, जो वहां एक कमरे में बन्द करके रख दिये गये हैं । इस तरह से मामले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जांच में उनके खिलाफ कोई बात न आने पाये । मान्यवर, इस काम के लिए आई० ए० एस०, पी० सी० एस० अधिकारियों की एक कमेटी बना दी जाये जो इस मामले की जांच करें । इसी प्रकार मान्यवर, वर्कशाप्स की स्थिति को सुधारा जाये । परिवहन विभाग के वर्कशाप्स में स्टैन्डर्ड कम्पनियां के पार्टस आते हैं, बाद में उनको बदलकर जाली सामान लगाकर भेज दिया जाता है, इन चीजों को रोका जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जवाहर जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं परिवहन मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं । मैं और माननीय सदस्यों जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं परिवहन मंत्री जी द्वारा रखे बजट का स्वागत करता हूं और मैं, एक बात पर विशेष जोर देना चाहता हूं, जो जल परिवहन के संबंध में है । मान्यवर, आज सड़कों पर इतना यातायात बढ़ गया है कि यह जरूरी हो गया है कि जल परिवहन जैसी किसी व्यवस्था को शुरू किया जाये । मान्यवर, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है ।

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, जब परिवहन मंत्री थे, तब इन्होंने भी जल परिवहन शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वह व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को मंत्री जी अतिशीघ्र लागू करें और इसके लिये हमारे विपक्ष के भाइयों को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहिए। हमारे परिवहन मंत्री जी का जैसा नाम है, वैसे ही वह काम भी करते हैं। हमारे क्षेत्र की तरफ मुंशी उसी को कहा जाता है जो बड़ी बारीकी से काम करे। यह माननीय मंत्री जी भी बड़ी बारीकी से काम करते हैं और देखने में भी मुंशी लगते हैं। इसके लिये हमारे मुख्य मंत्री जी ने इन्हें इस विभाग को सौंपा है। वह आज भी 60 वर्ष के कर्मठ युवक हैं। हमारे साथी भी बता रहे हैं कि पश्चिम में भी मुंशी बारीकी से काम करने वाले को कहते हैं। हमें तथा हमारे मुख्य मंत्री जी को इन मंत्री जी से पूरी आशा है कि वह इस विभाग में रहते हुए इसकी बड़ी प्रगति करेंगे। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के बाजपेयी जी ने वीडियो कोच की बड़ी आलोचना की। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारी गरीब जनता को भी वीडियो कोच में चलने की सुविधा मिले तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे ट्रेन अगर लेट हो जाती है, तो गार्ड को ट्रेन के लेट होने का कारण लिखना पड़ता है और उस पर उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाता है। इसी प्रकार अगर बसेस में भी कन्डक्टर द्वारा यह सुनिश्चित करवाया जाये कि बस लेट होने के क्या कारण हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि बसें टाइम पर नहीं छूटती हैं। जब बस चलने का समय होता है, तब बस के ड्राइवर और कंडक्टर बस में आते हैं, अतः बसों के समय पर छूटने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाये। वे बससेवाओं में सुधार हुआ है लेकिन अगर बस छूटने के समय में व्यवस्था सुनिश्चित हो जाये तो यह बहुत कल्याण की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः कटौती का समर्थन करता हूं और विपक्ष द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अशोक बाजपेयी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और विपक्ष के माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन किया है। भले ही श्री अम्मार साहब के डर की वजह से उन्होंने कटौती के प्रस्ताव का विरोध का निर्वाहन मात्र औपचारिकता वश किया है, वैसे अन्तरात्मा से उन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है, मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। प्रदेश के परिवहन विभाग में जो कठिनाइयां रही हैं, जो खामियां रही हैं, पूरा सदन उससे चिन्तित है। प्रत्येक सदस्य ने गंभीर नियमितताओं की ओर इंगित किया है। यह दुर्भाग्य है कि जिन लोगों की फितरत कमीशनखोरी में हो, जिनकी संस्कृति कमीशन खोरी रही है, जिनका प्रेरणा श्रोत बोफोर्स तोपों के अन्दर से कमीशन लेने की रही हो, यदि वे लग बस की बाडी से कमीशन लेते हैं, तो उनके लिये यह कोई गम्भीर बात नहीं है। मैं उधर बैठने वाले मित्रों से कहूंगा, शर्म करिए, जिन करोड़ों की संख्या वाली जनता ने तुम्हें यहां चुनकर भेजा है, जिन्होंने अनजाने में, उनका तुम्हारे साथ विश्वास जुड़ा हुआ है। आज इस कमीशन खोरी के कारण इस निगम की व्यवस्था गिरती जा रही है और लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। परिवहन निगम से प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, यातायात की सुविधा के लिये जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कटौती के प्रस्ताव को रखते समय कहा था, कि इनके रख-रखाव के तरीके से और इनकी अकर्मण्यता के कारण लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो मोटर बिल रोड है

उन पर मोटरें चलाई जायं। दूसरे प्रान्तों में 80 से 95 फीसदी सड़कों की क्षमता का उपयोग मोटर रोड में किया जाता है। हमारे यहां 69,773 किलोमीटर मोटर रोड है, मात्र इनके पास 23 किलोमीटर सड़क पर मोटर की सुविधा है, जिसके कारण घाटा दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक मोटर रोडों की क्षमता का उपयोग किया जाय। लोगों को मौका दें, इससे बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को आजीविका उपलब्ध होगी। उनको स्वतंत्र परमिट दें। इससे रोडवेज को प्रतिकर ही मिलेगा, प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा। हर जगह यह मत समझिये कि रोडवेज की ही गाड़ियां चलेंगी। परमिट प्रणाली के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। सभी सदस्य यह चाहते हैं कि जहां असिसमेन्ट की आवश्यकता है, वहां आवश्यकतानुसार असिसमेन्ट कर लिया जाय। आज बड़े पैमाने पर परमिट में घोटाला हो रहा है। आज 1-1 लाख में परमिट की बिक्री हो रही है। मेरा कहना यह है कि जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं, उनके परमिट को निरस्त किया जाय। जो नये परमिट सृजित किये जाते हैं, उन्हें आप बेरोजगार व प्रतिभा सम्पन्न लोगों को दें ताकि वह स्वावलम्बी बन सकें।

मान्यवर, मैं प्रदेश में बस दुर्घटनाओं की तरह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस संबंध में मेरा कहना है कि 1600 बस दुर्घटनायें पिछले साल हुई हैं। इसमें शासन ने व्यवस्था कर रखी है कि मृतक को 15 हजार रुपए व घायल को साढ़े सात हजार रुपये दिये जायेंगे, लेकिन इसके छान-बीन व पुनरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पैसा दिया गया वह वास्तव में मिला कि नहीं मिला। लाइसेन्स कार्ड की आपने एक अच्छी व्यवस्था कर दी है, जो आपने लखनऊ और कानपुर में चालू कर दी है, इसे आप अन्य जिलों में भी लागू करने की कृपा करें। सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ रोड एन्ड ट्रान्सपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट में दर्शाया है कि 2 लाख 80 हजार किलोमीटर किसी बस के चलने के बाद उसे सेवा-निवृत्त कर दिया जायेगा, लेकिन हमारे यहां एक-एक बस 5-5 लाख किलोमीटर तक चल जाती है, फिर भी उनको सेवा-निवृत्त नहीं किया गया है, उससे होता यह है कि उन पर डीजल का कन्जम्पसन ज्यादा होता है और रख-रखाव पर भी ज्यादा खर्च होता है और यातायात में भी असुविधा होती है, इसलिये मैं चाहूंगा कि उक्त कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाय। मान्यवर, हमारी बसों के रख-रखाव पर 25 हजार रु0 प्रति वर्ष का खर्चा आता है क्योंकि बसें खस्ताहाल हो जाती हैं। अगर समय रहते हम उन्हें सेवा निवृत्त कर दें तो इस खर्चे को रोका जा सकता है।

निगम की कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के माननीय सदस्य हों सभी इससे चिन्तित हैं कि 700 करोड़ रु0 प्रति वर्ष की हानि निगमों से हो रही है। आपका निगम भी सवा करोड़ रु0 के घाटे में चल रहा है। मेरी मांग है कि आप सदन की एक कमेटी बना दें, जो कि इसकी जांच कर ले। कमेटी इस बात का सुझाव दे कि निगम को कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप सदन में ही कमेटी बनाने की घोषणा करें। निगम ने वर्ष 1981 से 86 के मध्य 6000 कर्मचारियों की छंटनी की, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बहाल कर दिया, लेकिन एक अध्यादेश जारी करके उनको निकाल दिया गया। आपने उनके लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। मैं मानता हूं कि निगम में ज्यादा स्टाफ है लेकिन क्यों ज्यादा हुआ, यह भी आपके पूर्ववर्ती लोगों की ही व्यवस्था है। सैकड़ों लोगों को अनावश्यक भर्ती करते रहे। आज भी आप डेली वेजेज पर नियुक्तियां कर रहे हैं, तो फिर उन 6 हजार लोगों को निकालने का क्या कारण है?

जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो अच्छे काम किये थे, उनको भी आप लागू नहीं कर रहे हैं । पैसेंजर पेनाल्टी ऐक्ट बनाया गया था, आज तक उसे लागू नहीं कर सके। अगर इसे लागू कर दिया जाय तो यात्री का दायित्व होगा कि वह टिकट खरीदकर बस में बैठे। जनता पार्टी ने जो अच्छे कानून बनाये थे, उनको भी आप लागू नहीं कर रहे हैं।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनके विभाग के एम0 डी0 रोजाना मीटिंग करते हैं, जिसपर 3000 रु0 प्रति दिन का खर्चा चाय-नाश्ते इत्यादि में आता है । रोज अधिकारियों को मीटिंग में बुलाया जाता है । आपके यहां 4 जोन्स हैं बरेली, मेरठ, बनारस और लखनऊ, चारों जोन के जोनल आफिसेज तो वहीं हैं, लेकिन उनके जोनल मैनेजर लखनऊ में बैठते हैं। रोजाना जाने-आने में पैसा व्यय होता है । पहले यह व्यवस्था थी कि जोन पर ही जोनल मैनेजर को बैठना चाहिये । आप देखें कि कुछ कार्य भी हो, केवल मीटिंग ही न होती रहें ।

एक सुझाव दिया था कि गाड़ियों का आप परमानेन्ट एलोकेशन कर दें, जो गाड़ी जिस रुट पर जानी है उस पर कौन स्टाफ जायगा, दो कन्डक्टर और दो ड्राइवर्स की व्यवस्था कर दें नहीं तो यह होता है कि जो ड्राइवर बरेली से बस लेकर चला, उसे यह मालूम है कि लखनऊ में उसकी ड्यूटी खत्म हो जायगी, तो वह बस को बस स्टेशन पर ही छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके बाद उसका कोई दायित्व नहीं है । वह गाड़ी छोड़कर चला जाता है । जब आप दायित्व निर्धारित कर देंगे, तो वह अपनी ड्यूटी समझेगा।

प्रति किलोमीटर यात्रा पर व्यय आता है मध्य प्रदेश में रु0 63.90, उत्तर प्रदेश में 44.66 और हरियाणा में 41.66, इसके अतिरिक्त हम अपने यात्री व्यय को भी नहीं घटा पा रहे हैं हरियाणा में है 5.70, पंजाब में 5.6 और यहां है 8.6, जब तक व्यवास्था ठीक नहीं की जायगी तब तक यह लाभकारी नहीं बन सकता । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमारी बस 210 कि0मी0 चलती है, मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट बसें 250 से लेकर 400 कि0मी0 प्रति दिन की दूरी किस प्रकार तय कर लेती हैं ।

250 मिनिमम यानी की न्यूनतम मानक है और उच्चतम मानक 400 है जबकि आपकी बसें केवल 210 किलोमीटर, चलती हैं। आप इसको दिखवायें और जांच करवायें, केवल सरकारी अफसरों के जरिये उसे न चलने दें कि वे अपनी स्वेच्छाचारिता से उसे चलाते रहें । उनकी स्वेच्छाचारिता पर आप रोक लगायें तभी आप सुचारु रूप से इस विभाग को चला पायेंगे ।

अभी यहां पल्लवन कमेटी की बात कही गयी । हमारे प्रदेश के लिये पल्लवन कमेटी का कोई उपयोग नहीं है, इससे व्ययभार और बढ़ेगा तथा लाभ अधिक नहीं होगा । जहां पर दो-तीन अधिकारियों से काम चल जाता था वहीं पर इसके हिसाब से दस-बारह अधिकारियों की आवश्यकता है पल्लवन कमेटी के हिसाब से टिकट के दाम 50 पैसा, एक रुपया और दो रुपया होना चाहिये और एक टिकट बनाने के लिये 5 पन्ने फाड़ने पड़ते हैं। कन्डक्टर को जो डिब्बा दिया गया है उसकी कास्ट 300 रु0 है और टिकट पंच करने के लिये जो चिमटी दी गयी है वह 50 रु0 की है । मैं चाहूंगा कि आप पल्लवन कमेटी की रिपोर्ट पर गम्भीरता से विचार करें और केवल इसे अपने प्रदेश में फैशन के लिये न लागू करें बल्कि इसे उपयोगिता की दृष्टि से देख कर ही इसका समर्थन करें क्योंकि इससे हमारे प्रदेश को कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

इसी तरह से बस की बाडी के बारे में भी आप अपने प्रदेश को स्वावलम्बी बनाइये। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आज ही घोषणा करें कि हमारे प्रदेश की एक भी बस की बाडी बाहर से न बनवायी जाय बल्कि इसका निर्माण प्रदेश में ही किया जाना चाहिये । इसकी बाडी के निर्माण में हमारे प्रदेश के जो हजारों-लाखों नौजवान बेकार घूम रहे हैं, उनके सहयोग से इस उद्योग का निर्माण कराया जाय ।

आज निगम में स्टाफ की स्थिति यह है कि 13,747 इसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं। 840 परिचालक हैं, 802 अन्य स्टाफ हैं मैं चाहूंगा कि इतने अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों की फौज, जो आपने निगम में खड़ी कर रखी है, उनकी क्षमता का कोई लाभ निगम को नहीं मिल पा रहा है। छोटे-छोटे से कामों के लिये आप प्राइवेट गैराज का सहारा लेते हैं; तो इतनी ज्यादा फौज खड़ी करके आपको क्या लाभ मिल रहा है कि आप गाड़ी की छोटी सी मरम्मत भी अपने यहां नहीं करा पाते हैं। आप अपने यहां की व्यवस्था को सुनिश्चित करिये और कर्मचारियों और अधिकारियों को सक्षम बनाइये ताकि जरा-जरा से काम के लिये वे प्राइवेट गैराज में न जायं।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन बातों पर गम्भीरता से विचार करें और निगम में जो व्यापक रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिये कोई न कोई कदम जरूर उठायें, चाहे सदन की एक जांच कमेटी बना दें जो कि उसकी जांच करे। होता यह है कि आपका एक एम0डी0 आया और कुछ दिन रहा फिर बदल कर दूसरा एम0डी0 आ गया और उसने अपने हिसाब से नीतियां बनानी शुरू कर दीं। बस इन्हीं बातों में समय गुजर जाता है और कोई लाभकारी कार्य नहीं हो पाता है, निगम अलग उत्तरोत्तर घाटे में चला जा रहा है। इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि निगम के घाटे को गम्भीरता के साथ कैसे दूर किया जाय, इस पर आप विचार करें।

या रब न वे समझे हैं न समझेंगे मेरी बात,

दे उनको जिगर और जो न दे मुझको जुबां और।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं निवेदन करूंगा कि अभी हमारे साथियों ने और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, माननीय मंत्री जी निष्पक्ष रूप से उन पर विचार करने का कष्ट करें और उनकी कमियों को दूर करने का भी प्रयत्न करें। मैं समझता हूं कि मूल्यवान सुझाव को आप अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री रामनाथ मुन्शी—

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने व अन्य जिन मा0 सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं परिवहन निगम के विषय में इस ओर मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इस विभाग के लिए जो भी सुझाव आपको उपयोगी होंगे, अवश्य उन पर विचार किया जायेगा। साथ ही कुछ बातें मुझे भी इस संबंध में कहनी हैं कि धारा 68-ई के तहत 14 मार्गों का नोटिफिकेशन अब तक कर दिया गया है और जहां तक अस्थायी परमिटों की बात है तो यह श्रीमन केवल शादी-ब्याह और तीर्थ यात्राओं के अवसर पर दिए जाते हैं। स्थायी परमिटों की कमी मान्यवर, इस लिए हो जाया करती है क्योंकि प्राईवेट सेक्टर वाले अधिकतर हाई कोर्ट व ट्रिब्यूनल को चले जाते हैं, इस कारण स्थायी बसों की संख्या में कमी है हमारे साथ यह कठिनाई है।

दूसरी बात मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यातायात सुरक्षित प्रकार से है व नाना प्रकार की इस ओर आने वाली परेशानियां समाप्त हों, इस लिए एक इन्स्टीट्यूट खोला गया है जो यह पता लगायेगा कि भविष्य में यह सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार से ठीक होंगी? केन्द्रीय कार्यशाला व ऐलन कोस्ट कार्यशाला के बारे में कुछ बात कही गयीं और अपने प्रदेश में बाडी बनाने की बात कही गयी। इस ओर आप स्वयं देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में यह चेसिसें खरीदी जाती हैं, कभी 1,400 कभी 1,500 और कभी इससे भी ज्यादा खरीदने का कार्य किया गया। हमारे यहां इतनी क्षमता नहीं है कि इतनी चेसिस हम एक साथ बनवा सकें, विवश होकर हमें अन्य राज्यों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। हां, इतना जरूर है कि यह कार्य भविष्य में हमारे ही प्रदेश में हो इसके लिये हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं, परन्तु अभी बसों की संख्या व यहां की कार्यशालाओं की संख्या को देखते हुए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे इस विभाग ने हर ओर तत्परता से कार्यवाही की है। इस वर्ष जनवरी तक हमने कुल जांच प्रक्रिया में वाहनों की जो

चेकिंग की है उसमें 1,32,277 भिन्न-भिन्न वाहनों का चालान किया। माननीय बाजपेई जी ने कहा कि 12 सदस्यों की गठित समिति में से केवल 3 सदस्य ही कर दिए गये, ऐसा नहीं है। मान्यवर, बल्कि 1986में अध मैनुअल में 3 अधिकारी थे, अब 6 हो गए हैं, जिसमें एक उद्योग निदेशक का प्रतिनिधि भी बैठा है, यह मान्यवर सुविधा की दृष्टि से ही किया गया है। दो एक बिन्दु और उठाए गये मा0 विपक्षी सदस्यों की ओर से कि रैली के नाम पर निगम की हजारों बसें ली गयीं, जिससे लाखों का नुकसान हुआ, मान्यवर ऐसी कोई बात नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा भी और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भी कई बार कहा जा चुका है कि पी0सी0सी0 द्वारा जितनी भी बसें निगम से ली गयी हैं, सभी बसों का पैसा दिया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया गया है और जो बात टिकट व्यवस्था के बारे में कही गयी उस संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी व्यवस्था में बड़ी कठिनाइयां सामने आती थीं, इस स्टेशन का टिकट दूसरे स्टेशन पर चला जाता था और दूसरे का दूसरी जगह। दूसरे वह टिकट इतनी कम मात्रा में उपलब्ध थे, कि कर्मचारियों को सादे-सादे कागज पर टिकट बनाना पड़ता था, जिसमें काफी अनियमिततायें भी हो जाया करती थीं। इन्हीं सब को देखते हुए 10, 5 और 2 रुपयों के अलग-अलग और 50 पैसे के अलग टिकट कूपन के रूप में किए गये जिसे आसानी से उपयोग किया जा सके, इससे उपभोक्ताओं को भी आसानी हुयी माननीय बाजपेई जी ने कहा कि बड़े ही उत्तम काम जनता शासन ने किए, लेकिन हमने उनको लागू नहीं किया। इस संबंध में मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार अपने ढंग से जो उचित समझती है कानून बनाती रहती है और उसको लागू करती रहती है, किसी दूसरे कानूनों की हमें आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि पल्लवन कमेटी के बारे में बताया और कुछ मा0 सदस्यों ने भी अच्छे सुझाव दिए कि अधिक क्षमता इस विभाग की बसों में बढ़ाई जाए, जनता की सेवा बहुत अच्छे ढंग से की जाए और समय से लोग अपने गंतव्य स्थान को पहुंच सकें। इसके लिए भिन्न-भिन्न कमेटियां समय-समय पर प्रदेशों में बनती रही हैं इसी आधार पर मद्रास में इस व्यवस्था के लिए छोटे-छोटे निकायों की एक कमेटी बनाकर उसमें सुधार किया गया।

मैं समझता हूं कि सही नक्शा भविष्य में सामने आयेगा और निगम का विकास देखने को मिलेगा। जब इसकी बाधायें दूर होंगी तभी इस व्यवस्था की चमक-दमक दिखाई पड़ेगी। मान्यवर, बहुत सी बातें आप लोगों ने भ्रष्टाचार के बारे में की हैं और जहां पर इस तरह की अनियमितता हुई है, उस पर कार्यवाही की गयी है और भविष्य में भी कार्यवाही की जायेगी। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन शब्दों के साथ, मैं पूरे सदन का बड़ा ही आभारी हूं कि आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण बजट पर अपने दूरदर्शी सुझाव दिये हैं। शासन इन सभी सुझावों पर विचार करेगा, जिससे इस विभाग का कल्याण हो सके।

श्री उपाध्यक्ष--

बाजपेयी जी, क्या आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैंने कटौती के प्रस्ताव को रखते समय यह कहा था कि जो स्पेयर पार्ट्स की खरीद की जाती है, उनको फैक्ट्री रेट पर खरीदा जाये, जिससे चोरी को रोका जा सके और दूसरी बात यह कही थी कि सरकार ने नव परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं की है, अगर माननीय मंत्री जी इन सारी चीजों की घोषणा कर दें और जो घोटाले हैं, उनकी जांच के लिये सदन की कमेटी बना दें, तो मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये तैयार हूं अन्यथा नहीं।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है....

(व्यवधान)

श्री हरदेव---

आरक्षण इस विभाग में पूरा नहीं हो रहा है और आप बोलने नहीं दे रहे हैं, बाहर बोलूंगा हरिजन अधिकारी का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी सीटें नहीं भरी जा रही हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 47,73,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये, मैं एक सूचना दे रहा हूं ।

कतिपय विधायकों की गिरफ्तारी एवं उनकी रिहाई की सूचना (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

सम्बन्धित अधिकारियों से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें वायरलेस संदेशों के माध्यम से आज दिनांक 16 मार्च, 1988 को पूर्वाह्न 11.30 बजे के पश्चात् प्राप्त हुई हैं :--

(1) श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा, (जिला गोरखपुर) दिनांक 14 मार्च, 1988 को अपराह्न 9.30 बजे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये ।

(2) श्री हर्ष वर्धन, सदस्य, विधान सभा, (जिला गोरखपुर) भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दिनांक 15 मार्च, 1988 ई0 को फरेन्दा कस्बे में गिरफ्तार किये गये ।

(3) श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य विधानसभा, (जिला बांदा) दिनांक 15 मार्च, 1988 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/117 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये ।

(4) श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, सदस्यगण, विधान सभा (जिला बस्ती), दिनांक 15 मार्च, 1988 ई0 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और उन्हें उसी दिन सायंकाल रिहा कर दिया गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, अभी परिवहन मंत्री जी ने परिवहन का बजट रखा और उधर से एक दर्जन से अधिक माननीय सदस्यों का यह आक्रोश रहा कि शासन ने कई बार इस बात का संकल्प लिया है कि जो सरकारी विभाग हैं, जो निगम हैं उनमें हरिजनों के आरक्षण की जो व्यवस्था है,

जो कोटा है . . .

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है . . .

श्री सूर्य प्रताप शाही--

यह व्यवस्था का प्रश्न है । चूंकि यह परिवहन विभाग का बजट है, तो इसमें मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो हरिजनों का कोटा है उसे वे पूरा कर रहे हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 1--आबकारी विभाग

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुन्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1--आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,10,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, आज मैं आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट पेश करने जा रहा हूं जिसका प्रदेश के विकास में, उसके कार्य के विकास में, लोगों को गरीबी की रेखा से ऊंचा करने में इसका मूल उद्देश्य रहा है ।

मान्यवर, आबकारी विभाग थोड़े से अंशों में यदि आनन्द की बात को हटा दिया जाय तो आज के भौतिक युग में, रसायनिक युग में, वैज्ञानिक युग में बहुत आगे बढ़ चुका है । यह विभाग प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिये उसकी रीढ़ बन चुका है । मान्यवर, प्रदेश में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में सेल्स टैक्स के बाद यह विभाग अपना दूसरा स्थान रखता है । श्रीमन् 88-89 वर्ष में इस वर्ष भी राजस्व में 100 करोड़ की वृद्धि की आशा है । पिछले आंकड़ों से स्पष्ट है कि हमने क्रमशः सन् 1983 से अब तक कितने राजस्व की वृद्धि की है । पेट्रोल, डीजल पर बिक्री कर के मद में सन् 1983-84 में 63 करोड़, 1984-85 में 74 करोड़, 1985-86 में 82 करोड़, 1986-87 में 102 करोड़ राजस्व अर्जित किया है और आबकारी टैक्स में 1983-84 में 149 करोड़, 1984-85 में 179 करोड़, 1985-86 में 218 करोड़, 1986-87 में 279 करोड़ अर्जित किया है । तथा 1987-88 में कुल 450 करोड़ के राजस्व का अनुमान है । अब तक यानी 1987-88 में 315 करोड़ अर्जन हो चुका है । अगले वर्ष अर्थात् 1988-89 में 100 करोड़ और आने की सम्भावना है । इस प्रकार 550 करोड़ अगले वर्ष (88-89) में इससे हमें राजस्व प्राप्त होगा ।

मान्यवर, मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में ही कहा था कि यह क्रान्तिकारी विभाग होता जा रहा है क्योंकि गन्ने से जो चीनी बनती है वह तो अलग आनंद देती है और जो थोड़ा अरस्व बनता है वह अलग आनन्द देता है । 70 प्रतिशत गन्ने के शीरे से औद्योगिक अल्कोहल बनता है जिससे एक औद्योगिक क्रान्ति आ चुकी है । इससे बनाने वाले 33 किस्म के पदार्थ आज इंडस्ट्रीज बना रही हैं । इसलिये इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आबकारी विभाग जिसे हमारे माननीय सदस्य और बाहर के लोग सभी केवल समदर्शी रूप से देखा करते हैं इसे बहुदर्शी रूप से देखा करें ।

(इस समय 5 बजकर 23 मिनट पर अधिष्ठाता डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

इस समय हमारे यहां 28 आसवनियां काम कर रही हैं जिसमें 6 आसवनियां केवल पेय मदिरा बनाती हैं। अन्य आसवनियां द्वारा उत्पादित अल्कोहल से अत्यंत महत्वपूर्ण रसायन बनाते हैं। इसमें तीन बड़े उद्योग बरेली, मुरादाबाद तथा बाराबंकी में स्थापित हैं। मान्यवर, शीरे से अल्कोहल और अल्कोहल से बूटाडीन बनता है जो आज टायर बनाने में परिवहन के लिये वरदान है।

प्रदेश में अल्कोहल पर आधारित 132 छोटी बड़ी इकाइयां काम कर रही हैं जिनमें हजारों श्रमिक काम कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिये नैनीताल जिले के काशीपुर, बहराइच जिले के नानपारा तथा फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज स्थानों पर आसवनियों की स्थापना हो रही है। काशीपुर में 20 करोड़ की योजना से जो अलकोहल पर आधारित है से रियान धागा बनाया जायेगा जो शरीर ढकने के लिये आपके सामने आयेगा। इन चार आसवनियों में 30.22 लाख क्विंटल शीरे की वार्षिक खपत होगी।

उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक राज्यों में प्रमुख स्थान रखता है। इस समय यहां 104 चीनी मिलें हैं इनमें से एक को छोड़कर 103 मिलें कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 102 चीनी मिलें कार्यरत थीं। इन चीनी मिलों में गत वर्ष 132 लाख क्विंटल शीरे का उत्पादन किया और इस वर्ष इससे ज्यादा ही उत्पादन होगा। यह शीरा अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को अल्कोहल देकर प्रदेश की आर्थिक उन्नति में सहायक होगा।

सरकार को शीरे के उचित उपयोग हेतु, चांदपुर, खड्डा, सम्पूर्णनगर घोसी तथा काला-कांकर में 5 नयी आसवनियां बनाने की योजना है।

इसके अतिरिक्त शीरा अन्य औद्योगिक इकाइयों में भी काम आता है तथा अन्य राज्यों को भी निर्यात किया जाता है। अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को लगाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नशील हैं तथा इसके लिये अनेक कदम उठाये हैं। अभी तक अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को दी जाने वाली अल्कोहल पर, जिसमें अल्कोहल पूर्णतः रूपांतरित होकर नये उत्पाद में बदल जाती है, उसमें करों की दरें 71 पैसे प्रतिलीटर थी राज्य सरकार ने इन दरों को 1 अप्रैल, 1988 से घटाकर 25 पैसे प्रति लीटर करने का निर्णय लिया है ताकि हमारे यहां औद्योगिक इकाइयां आगे बढ़ें। इसके साथ ही प्रदेश के पिछड़े, कम पिछड़े तथा अन्य जिलों में अल्कोहल पर आधारित एफ0 एल0 39 लाइसेंस के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना के लिये क्रमशः 5, 4 और 3 वर्षों के लिये करों में छूट देने का प्राविधान किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह इस संबंध में उद्योगों को आगे लाय और उद्योग विभाग के इस आफर से उद्योग लगाने में मदद करें जो अल्होकल पर आधारित उद्योग हों।

श्रीमन्, पिछले साल शीरा 132.40 लाख क्विंटल था और इस वर्ष भी इससे अधिक ही होने की उम्मीद है। मान्यवर, 500 लाख लीटर अल्कोहल भारत सरकार से निर्यात करने का आग्रह किया है जिसमें 300 लाख लीटर निर्यात करने की स्वीकृति मिल चुकी है। कहने का मतलब अल्कोहल में हमारा प्रदेश सरप्लस होता जा रहा है और माननीय सदस्यों द्वारा यदि अपने प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने की भावना प्रबल हुई तो यहां खपाने की कोशिश करेंगे जिससे प्रदेश आगे बढ़ सके।

मान्यवर, पेय शोधित आसव व मद्यसार पर 10 रुपया प्रतिलीटर निर्यात शुल्क लिया जाता था जिसे घटाकर 5 रुपया प्रतिलीटर कर दिया गया है। अन्य राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल के निर्यात की दशा में 2 रुपये प्रति लीटर निर्यात शुल्क लिया जाता था उसे घटा कर अब 50 पैसे कर दिया गया है।

मान्यवर, जहां इस विभाग ने अपनी प्रगति के लिये अल्कोहल पेय मदिरा या अन्य पेय बनाना शुरू किया उसी तरह ऐसे पदार्थ जो जीवन के लिये खतरा पैदा करते हैं उनको रोकने के लिये यह विभाग कटिबद्ध है। स्मैक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, नशीला पदार्थ है। इसके लिए नारकोटिक्स ऐक्ट बनाया गया है जिसमें एक लाख रुपये तक जुर्माना की व्यवस्था की गई है। 1986-87 में इस प्रकार के 6 गंभीर मामले पकड़े गये जिसमें यह पदार्थ पकड़ा गया।

मान्यवर, अपराधों के शमन के लिये यह विभाग हमेशा जागरूक रहा है। इसके अलावा समाज में अवैध ढंग से काम करके लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ जो करते हैं उनको पकड़ने के लिये प्रवर्तन विभाग सजग रहता है और छापे मारा करता है। वर्ष 1986-87 में 22527 छापे मारे गये तथा चालू वर्ष में दिसम्बर तक 17816 छापे मारे गये। इतना ही नहीं कुछ ऐसे जिले हैं जहां मद्य निषेध लागू है वहां पर कुछ ऐसी दवाइयों के नाम पर सुरा पदार्थ बेंचे जाते थे जिसको गरीब, कमजोर लोग पीकर बुद्धिहीन और नेत्र-हीन हो जाते थे। ऐसी 19 दवाइयों के नाम मालूम होने पर उनको अवैध करार किया गया है इनमें मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल मिश्रित स्प्रिट आदि हैं।

मान्यवर, मैं गांधी जी की कृपा से बताना चाहता हूं कि अब तक....

(व्यवधान के मध्य)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय अधिष्ठाता जी, अपने भाषण के जोश में मंत्री जी भूल गये कि वह क्या कह रहे हैं। एक तो इन्होंने गांधी टोपी लगाकर शराब की दुहाई दी, जो उचित नहीं है और दूसरे इन्होंने गांधी जी के बारे में जो कुछ कहा है, उसको आप कार्यवाही से निकलवा दें। यदि इनका तात्पर्य राजीव गांधी से हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता---

मद्य निषेध पर भी अभी वह बोलेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कई बार कहा कि "गांधी जी की कृपा है", "गांधी जी की कृपा है"।

श्री रामनाथ मुंशी---

सन् 1947 में किसी को यह कहने का अधिकार नहीं था....

(मेजों की थपथपाहट)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

मंत्री जी ने इस पर बोलते हुए कई बार अपने भाषण के दौरान कहा कि गांधी जी की कृपा है, गांधी जी की कृपा है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह उन गांधी जी का जिक्र है जो स्वर्गवासी हो गये हैं और जिनका चित्र मान्यवर, आपके पीछे लगा हुआ है या वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी उनका यह जिक्र कर रहे हैं। इस बारे में वह स्पष्टीकरण दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामनाथ मुंशी--

जिस भावना से आपने गांधी जी का नाम लिया, उसी भावना से मैंने गांधी जी का नाम लिया है।

श्री विजय सिंह राणा--

मंत्री जी यह बता दें कि अल्कोहल से कौन गांधी पैदा हुए ?

श्री रामनाथ मुंशी--

अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान जरा सा अपने किये गये प्रयासों की तरफ दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, अवैध चरस, भांग और गांजा आदि जो बेचते हैं, मान्यवर, जैसा मैंने पहले ही कहा, पैसे के लोभी और जनविरोधी ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ शासन कतई-कतई बरदाश्त नहीं करता, कड़ाई से उनके साथ निपटता है। इसी सन्दर्भ में चरस 1985-86 में 61.864 किलोग्राम पकड़ी गई थी और 62.972 किलोग्राम अफीम पकड़ी गई और 3395 किलोग्राम भांग पकड़ी गई। इसी तरह सन् 1986-87 में 1115.501 कि0 ग्रा0 चरस पकड़ी गई, 82.045 कि0 ग्राम अफीम और 17,450.998 कि0 ग्रा0 भांग पकड़ी गयी। इस वक्त का ताजा समाचार यह है कि चरस 67.557 किलोग्राम, अफीम 19.468 किलोग्राम व भांग 4384.219 कि0 ग्राम पकड़ी गई। विगत वर्षों की तुलना में 86-87 में चरस, गांजा और अफीम की अधिक मात्रा में पकड़ धकड़ हुई है। 17.816 छापे मारे गये हैं केवल दिसम्बर तक और पूरे वर्ष में मिलाकर यह करीब 22 हजार हो जायेंगे। श्रीमन्, चूंकि बार-बार हमको सबकी चिन्ता है, तो शासन ने जो धर पकड़ की है, उससे कितना राजस्व अर्जन हुआ है, इसको भी बताना आवश्यक है। चरस से मान्यवर, इस वर्ष 2 लाख 2 हजार 671 रुपये की, अफीम से मान्यवर, 58 हजार 404 रुपये की और भांग से एक लाख 75 हजार 369 रुपये का। श्रीमन् इसी के साथ-साथ कमजोर वर्ग के लोगों को भी गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये विभाग द्वारा विशेष सुविधायें दी गई हैं। मान्यवर, प्रदेश के 20 जिलों में जहां ताड़ी की दुकानें हैं नीलाम प्रणाली समाप्त करके सरचार्ज प्रणाली लागू कर दी गई है। अनुसूचित जाति, जन-जाति तथा पिछड़े समुदाय के लोगों को, जो ताड़ी निकालने का काम करते हैं उनको शोषण से बचाने के लिये 20 जिलों में जो ताड़ी की दुकानें हैं उनकी नीलामी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। इससे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्ग को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में काफी मदद मिली है। इसमें गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को लाइसेन्स प्राप्त करने में वरीयता देने का भी नियम बना लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

आपको कितना समय और लगेगा ?

श्री राम नाथ मुंशी--

मान्यवर, 10 मिनट और बोलूंगा। मान्यवर, मद्य पिलाई जरूर जाती है, और पीने वालों को पिलाई जाती है जो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं और जो लोग जंगलों और झाड़ियों में न पीने पर तड़पते रहते हैं और अवैध दुकानों से शराब लेकर पीते हैं और मर जाते हैं उससे बचाने के लिये सरकार द्वारा शराब की दुकानों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही लोगों को यह भी बताया जाता है

कि शराब स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, खतरनाक है । यह काम हमारे मद्य निषेध विभाग की तरफ से होता है । समय-समय पर विज्ञापन और चल-चित्रों के द्वारा तथा अनेक कार्य-कलापों के द्वारा विभाग यह बताता है कि यह हानिकारक चीज है । तो इस तरह से हमारे मद्य निषेध के कार्य-क्रम भी चलते रहते हैं । इसके लिये भी हम प्रचार, प्रसार करते रहते हैं । कभी-कभी मान्यवर, आसवनियों से नदियों में प्रदूषण हो जाता है । राज्य की आसवनियों को प्रदूषण उपचार संयंत्र लगाने के लिये कठोर निदेश दिये गये हैं । नौ आसवनियों ने निःस्राव उपचार संयंत्र लगा भी लिये हैं । शेष आसवनियां इस दिशा में कार्यवाही कर रही हैं । मान्यवर, इस वर्ष नीलामी की व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया जायेगा और इसको तहसील स्तर पर छोटे-छोटे ग्रुपों में करने की जरूरत है । मान्यवर, हमारे राजस्व को देखते हुये विभाग के संगठन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, कार्यक्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है । अभी तक केवल इस पर 1 प्रतिशत व्यय किया जाता था भविष्य में विचार किया जा रहा है कि इस विभाग को और मजबूत किया जाय । प्रवर्तन दल में संख्या बढ़ायी जाय ताकि जालिम लोगों को, अवैध शराब बनाकर लोगों की जान लेने वाले लोगों को पकड़ा जा सके और जेल में ठूंसा जा सके । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह विभाग अपने दायित्वों के निर्वहन करने में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करेगा और विभाग में जो भी सुधार की आवश्यकता होगी उसके लिये सारी कार्यवाही की जायगी । इन शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि बिना कटौती का प्रस्ताव पेश किये ही मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे । जयहिंद ।

*श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या—1 आबकारी विभाग, के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता जी, सबसे अफसोसजनक पहलू इसमें यह है कि आबकारी के सिलसिले में कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया गया । मजाक के तौर पर इस बजट को लिया गया है । अब तक यह होता रहा है कि आबकारी के कटौती के प्रस्ताव को पेश करते वक्त और आबकारी का बजट पेश करते वक्त दोनों तरफ के माननीय सदस्यों में कुछ तरह का वातावरण रहा करता था कि पता यह लगता था कि आबकारी का बजट नहीं है बल्कि माननीय मुंशी जी की खुली हुई दुकान से सब लोग निकल कर आ रहे हैं । हुआ यही है कि बच्चन की मधुशाला किसी ने पढ़ी तो अम्मार साहब जैसे लोग अगर मौजूद रहे तो उमर खैय्याम की रुबाई या जिस जिले के वह रहने वाले हैं वहां के रियाज खैराबादी के एक-दो शेर सुना दिये, अब तक के बजट में यही हुआ करता था । मुझे अफसोस है कि देश को आजाद हुये इतने साल हो गये कि अब गिनती भी याद करनी पड़ती है । हमेशा जब से बजट पेश हो रहा है आबकारी के बजट पर यह कहा जाता है कि गांधी जी के सपनों को पूरा नहीं किया जा रहा है । आज खासतौर से जब मंत्री जी बोल रहे थे तो वह बड़े असमंजस में पड़ गये । चूंकि किसी ने कबूलवाने की कोशिश की, महात्मा गांधी या राजीव गांधी किसकी बात मंत्री जी कह रहे हैं । अब बेचारे वह मुश्किल में पड़ गये कि महात्मा गांधी का नाम न लें तो दिक्कत हो जायगी और अगर राजीव गांधी का नाम नहीं लिया तो मंत्रि परिषद् से निकाल दिये जायेंगे ।

मान्यवर, कांस्टीट्यूशन में, जब उसके निर्माताओं ने बनाया था तो इस बात का ख्याल रखा था कि देश में मम्मी और डैडी कहलवाने वाली सभ्यता बहुत तेजी के साथ पनपेगी । अंग्रेज यहां से चले जरूर गये हैं लेकिन उनकी आदतें जो हैं वे बाकी हैं । तो इसलिये उन्होंने डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बनाया था और आर्टिकिल 47 बिल्कुल साफ-साफ इस बात के लिये था कि दि स्टेट शैल रिगार्ड दि रेजिंग आफ दि लेबल आफ न्यूट्रीशन आन दि स्टैण्डर्ड आफ लिविंग आफ इट्स पिपुल । राज्य अपने लोगों के पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्ठतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपयोग को प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा । यह इसाड इरेक्टिव प्रिंसिपिल पर अमल दरामद कभी नहीं हुआ । पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, तो उन्होंने यह तय किया कि हम रेवेन्यू के तमाम घाटे को बरदाश्त करेंगे और शराब को पूरे देश में बन्द करेंगे । हमारे प्रदेश के बहुत से जिलों में शराब बन्द की गयी और इसमें चूंकि लीकर बहुत मजबूत है, हराम का पैसा हराम तरीके से कमाते हैं और हरामकारी में खर्च करते हैं, इसलिये उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में गये, तो उस वक्त जनहित की सरकार थी, उस वक्त हमारे कृषि मंत्री उसी सरकार में थे, बहुत खुश हो रहे हैं तो उस वक्त कंस्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट भी करना पड़ा और 44वां अमेन्डमेन्ट का एक क्लाज 31 (सी) उसी वक्त दाखिल किया गया, ताकि ये शराब का धंधा करने वाले लोग इस प्राहिबिसन के कानून को रोक न दें ।

मान्यवर, यह शराब सभी खराबियों की जननी समझी गयी है । इस सिलसिले में एक ऋग्वेद का श्लोक है कि "यथास्तिन्नी हरणस्य स्वराम पर्याअसच गुरुसतलपवाम ब्रह्म महा एते वतत् पतवारह पंचमी चाचरह अष्टई ।" इस रचना के अनुसार इन्सान खुद अपने से पाप नहीं करता, लेकिन भांग, सुरा, क्रोध, जुआ और असावधानी के कारण ऐसा करता है । इसके अलावा, मान्यवर, जो प्राचीन दर्शन फिलासफी हमारे देश में चलती रही है, उसमें एक सांख्य दर्शन है, जिसके अनुसार गुण तीन हैं, सत्य, रज एवं तम की वृद्धि उर्वरक का काम करती है । ये लोग मान्यवर, मानसीरियस हैं । ये लोग शराब के बल पर जिन्दा हैं । मान्यवर, अभी मैं बताऊंगा ये क्या-क्या करना चाहते हैं ?

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय फजलुल बारी का हाल यह है कि "लुतके गम बयां-क्या करूं, जाहिद हाय जालिम तूने पी ही नहीं ।"

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, इनका तो यह हाल है कि "अच्छी पीली शराब पी ली, जैसी मिली शराब पी ली ।"

श्री अधिष्ठाता--

अब तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माहौल को अच्छा बना दिया है ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, सांख्य दर्शन के अनुसार सुरा जो है, यह रज और तम की वृद्धि में खाद का काम करती है । मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इस्लाम में शराब हराम है, बल्कि मैंने प्राचीन दर्शन की बात यहां पर पेश की, ताकि इनकी समझ में आ सके ।

मान्यवर, यों सोवियत संघ में भी कहने को तो कम्युनिस्ट मुल्क है और उसका मजहब और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां भी ख्रुश्चेव ने कहा था कि हमको उस शराब में मदमस्त फौज नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने फौज में शराब बन्द करने की कोशिश की थी। इसके अलावा 1971 के सोवियत संघ की रिपोर्ट मिली है उसमें उन्होंने यह दिखाया है कि 62 प्रतिशत हिंसा के केसेज शराब की वजह से हुए हैं और 58 प्रतिशत जो चोरी के केसेज हुए हैं वह शराब के कारण हुए हैं ऐसे बहुत सारे केसेज जो शराब की वजह से हुए हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं भी शराब को अच्छा नहीं समझा जाता है लेकिन अगर कोई अच्छा समझता है तो गांधी जी के नाम पर राज्य करने वाले लोग उस तरफ बैठे हुए हैं। हमने 1978 में शराब को बन्द करने की योजना बनायी, कानून बनाया, कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में तरमीम कर उस रास्ते को हमवार किया कि यह देश और प्रदेश शराब की लानत से पाक हो सके लेकिन जब वह लोग वापस आये तो उन्होंने फिर शराब को जारी कर दिया। मान्यवर, यह बात तो मैं इस जमाने की कर रहा था, अंग्रेज जिसकी दुश्मनी में बड़ी-बड़ी कविताएं भी लिखी गयी हैं जिनका आज मौका नहीं है और उससे लड़ने के लिए हमारे वीर जवानों ने अपने जानों की आहुतियां दे दी। उसने जब एक्साइज ऐक्ट 1910 में बनाया तो उसके प्रिएम्बिल में इस बात को खास तौर से लिखा जिसकी मंशा, मकसद शराब को बढ़ाना नहीं सिर्फ शराब को कंट्रोल करना था। उन्होंने अपने प्रिएम्बिल में लिखा कि प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट प्रोहीबीशन की पालिसी को तरक्की देगी और एक हमारी सरकार है कि अंग्रेजों के जाने के बाद 1936 में जिसने यह कानून बनाया था और हमारी सरकार ने उस पर अमलदरामद नहीं किया। अंग्रेजों ने यहां तक कहा था कि जब उनकी फोर्स जायेगी तो उसके वास्ते उन्होंने बाकायदा प्राविजन करा था—

"रीटेल कन्ट्री स्प्रिट्स शाप्स सिचुएटेड आन आर नियर दि लाइन आफ मार्च शैल बी क्लोज्ड व्हाइल यूरोपियन ट्रुप्स आर पासिंग आर इनकैम्प्ड इन दि विसीनिटी दे शैल आलसो बी क्लोज्ड ड्यूरिंग दि पैकेज आफ इंडियन ट्रुप्स इफ दि आफिसर कमांडिंग सो रिक्वायर्स तहसीलदार्स अन्डर दि कलेक्टर्स आर्डर विल एरेन्ज फार दि क्लोजिंग आफ आल सच शाप्स फ्राम दि टाइम दि एडवान्स्ड गार्ड एप्रोचेज टिल दि नियर गार्ड हैज पास्ट आनवर्ड ए फुल माइल।"

यानी जब अंग्रेज फौज आयेगी तो शराब की दुकानें जो रास्ते में या करीब में पड़ती हैं या कहीं कैम्प करेंगी तो उसके करीब के इलाके में जो दुकानें हैं, वह बन्द कर दी जायेंगी और अगर हिन्दुस्तानी फौज पास कर रही है तो उस वक्त भी उनके आफिसर कमांडिंग चाहे तो यह अमल के लिए साथ होगा और तहसीलदार/कलेक्टर के आर्डर पर इसको अमलदरामद में लायेगा। यह तो मान्यवर, अंग्रेज ने कहा था और हमारे इन वीर बहादुरों ने क्या किया इन्होंने मान्यवर, यह किया कि बार खुलवा दिये। इस तरह से खुलवाये और कहा कि एडवरटाइजमेन्ट पर पाबन्दी है, कोई शराब का एडवरटाइजमेन्ट नहीं हो सकता। जनता खुश, लोग मगन कि चलो सरकार चाहती है कि शराब की बोतलों के इश्तहार न हो, लेकिन वह तो बोतल बनाई गयी थी बार पर, कोई देखता तो समझ न पाता, समझ तब पाता जब पढ़ पाता। इन्होंने पालिटिकल एडवर्टीजमेन्ट शुरू कर दिया और

जो जनता पार्टी के जमाने में बार और क्लब बन्द कर दिये गये थे, वहां शराब इन्होंने जारी कर दी। आज हालत यह है कि दुकान से लोग भरी हुई बोतल लेकर जाते हैं पैसा पूरा नहीं है, शाम तक कमाई कायदे से नहीं हुई। 10-5 रुपये लेकर क्लब में गये, 5 रुपये का पेग लिया और चले गये। जो लोग रेस्त्रां में जाते, हैं तो इश्तहार पढ़ने की जरूरत नहीं शराब के छलकते जाम, पेग की उड़ती खुशबू, वहां की बदबूदार महक जो रेस्त्राओं में होती है वे शराब के चलते फिरते इश्तहार हैं। मान्यवर, मामला असल में क्या है? बहुत लम्बा हो जायगा, और लोग जरा सोचते होंगे असलमें जनता पार्टी ने जब तक किया कि पाबन्दी लगायी जायगी, प्राहिबिशन आएगा, तो लोगों ने सोचा कि एकदम से किया जायगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों तक रह चुकी थी, बहुत जनता के मिजाज को समाप्त कर चुकी थी। उसको ठीक करना जरूरी था, इसलिये इसको धीरे धीरे लागू करने के लिये पहले कम करने का काम किया गया कि उस जमाने में जो शराब रेस्त्रां में शराब चल रही थी, उसके लिये पाबन्दी लगा दी कि एफ0 एल0 5 के लाइसेन्स होल्डर के यहां से बार वाले शराब ले सकते हैं, क्योंकि यह लाइसेन्स जो रखते हैं, वह फुटकर शराब के बिक्रेता होते हैं। वह पूरा मुनाफा लेकर शराब बेचते हैं। उसके यहां से बार वाले ले जाएंगे तो वह शराब महंगी बेच पायेंगे। इन्होंने यह कर दिया कि एफ0 एल0-2 के लाइसेन्स होल्डर से बार वाले शराब खरीद सकते हैं, तो फुटकर शराब महंगी और बार की शराब सस्ती होगी। इस तरह से शराब के एडवर्टीजमेन्ट पर पाबन्दी तो जबानी कही, लेकिन पालिटिकल एडवर्टीजमेन्ट करने का पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया।

श्री अधिष्ठाता--

बारी जी, आप कितना समय और लेंगे

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, ऐसा है कि यही एक ऐसा बजट है जो कि असल में देश की एकता को अखन्डता को बाकी रख सकता है। इस पर तो जरूरी है कि पूरा का पूरा समय दिया जाये और इस सरकार को मजबूर किया जाय कि वह शराबबन्दी के कानून को फौरन लाए अगर इनकी सरकार के शराब में बदमस्त, नशाखोर नेतागण ऐसा कानून नहीं बनायेंगे तो ऐसा न हो कि मुल्क इनकी वजह से टूट न जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अभी गन्ना का बजट भी आना है। आप बोलें मुझे एतराज नहीं है, लेकिन अभी गन्ना का बजट आना है। माननीय सदस्य उस पर भी बोलना चाहेंगे। आपने तो वैसे ही गागर में सागर भरने का काम किया है।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, शाम का वक्त हो रहा है। गन्ने के रस की आवश्यकता नहीं है। यही चलने दीजिये।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मा0 मैनेजर सिंह जी को इसकी जरूरत महसूस हो गयी है तो मैं क्या कहूं? मान्यवर, मैं इस सिलसिले में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अभी जो मैंने ऐक्ट का हवाला दिया था, एक्साइज ऐक्ट, 37, जिसका कुछ हिस्सा मैंने पढ़कर सुनाया था, उसकी मंशा है कि प्राहिबिशन लाया जाय। इसमें है कि यदि वह लागू किया जायगा तो उस पर रि-अपील करने का अख्तियार नहीं है। जनता पार्टी की सरकार में जिन-जिन जगहों पर प्राहिबिशन लागू किया गया उसको बिना कानून बनाए कैसे खत्म कर दिया गया? बिना ऐक्ट लाए कैसे खत्म कर दिया। यह बात कुछ समझ में नहीं आयी। मैंने कोशिश की कि इसका जवाब तलाश कर लूं। लेकिन जवाब नहीं मिला। वर्ष 1980 में मसूरी के होटल वालों ने कैसे

कोशिश की, वह तो शराब के नशे में बोफोर्स का सौदा कर लेते हैं, वही बेहतर जानते होंगे। 1980 में मसूरी के होटल वालों ने गर कानूनी परमिट ले लिया और वहां पर प्राहिबिशन समाप्त कर दिया गया।

मैं माननीय मुंशी जी से कहना चाहूंगा कि अल्कोहल जिसमें 99 प्रतिशत मिथाइल अल्कोहल बनता है, यह बहुत ही उपयोगी है हमारी इन्डस्ट्रीज के लिये। हमारे देश की प्रगति के लिये और हमें ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का एक मात्र स्रोत बन सकता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में पैसा कमाने वाला विभाग सेल्स टैक्स के बाद यह दूसरे नम्बर पर है। इसके संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विभाग सेल्स टैक्स को ज्यादा मजबूत कर सकता है। यह विभाग लेबर डिपार्टमेन्ट की बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है। यह विभाग मुल्क की बहुत विषमताओं को दूर कर सकता है। यह विभाग इस प्रदेश में और भी बहुत सारे इंतजाम कर सकता है, लेकिन उसके लिये इसमें प्रोडक्टिविटी पैदा करनी चाहिये। लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो अधिकारी इस डिपार्टमेन्ट को चला रहे हैं, वह असल में आरामतलब और सत्ता के नशे में यह पता नहीं कसे बदहोश हैं कि मंत्रियों को गलत सुझाव दिया करते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं कि अल्कोहल से फैक्ट्रियों में अधिकारियों की देखरेख में बिना एक्साइज ड्यूटी पे किये शराब बनती है। स्मगलिंग की शराब पकड़ी जाती है, उसका सबूत तो बहुत आवश्यक है, किन्तु अभी हमारे एक दोस्त मा0 सदस्य, गोरखपुर कह रहे थे कि कोई एक आबकारी निरीक्षक हैं, साढ़े तीन साल निलम्बित रहे कोई बघेल साहब हैं, वह ज्यादा बेहतर जानते होंगे मुख्य मंत्री जी के रिश्तेदार हैं। गोरखपुर में तैनात हैं। सदस्यों से कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री का साला कहो। उनके पास लाखों रुपये की जायदाद है। साढ़े तीन साल के निलम्बन के बावजूद अगर लखनऊ में सर्वेक्षण करा लें मा0 मंत्री जी तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि बेनामी बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत से होटल आपको ऐसे मिलेंगे जो इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नाजायज दौलत से बने हैं। असल में वह प्राहिबिशन नहीं लाना चाहते। इसका कारण यह है कि स्मगलिंग वाले शराब पर एक्साइज और सेल्स टैक्स की चोरी करके अपनी जेबें भरते हैं तथा पूरे देश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहली फेज में ही टोटल प्राहिबिशन को लागू करना चाहिये। अगर आप इसको लागू नहीं करते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि यह प्रदेश जिस इकनामिक क्राइसिस के द्वार पर खड़ा हुआ है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पायेंगे। दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अल्कोहल को पेट्रोल का विकल्प बना लिया है। पेट्रोल के लिये हम अपनी फारेन एक्सचेंज खर्च करते हैं और पेट्रोल मंगाते हैं। आप अल्कोहल की ऐसी इन्डस्ट्री लगायें इसे पावर अल्कोहल में चेंज करायें और इसे पेट्रोल के विकल्प के रूप में देखें। इससे हमारे यहां जो पेट्रोल की क्राइसिस रहती है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और बहुत सी कीमत अदा कर फारेन एक्सचेंज खर्च करके जो पेट्रोल हम बाहर से खरीदते हैं उसमें भी कमी आयेगी। उस पैसे को बचाकर के हम अपनी देश की सुरक्षा पर खर्च उकर सकते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी ऐसे इन्डस्ट्रियल अल्कोहल से बहुत ही इन्डस्ट्री चल सकती हैं। लेकिन इन्होंने, इनके अधिकारियों ने, ऐसे कानून बना दिये हैं कि उस कानून की वजह से हमारी वह इंडस्ट्रियां डेवलप नहीं हो पाती हैं। मान्यवर, 1955 से सुनते आये थे एक कृष्णा मिक्सचर हुआ करता था। जब गांव में बच्चों को बीमारी होती थी, दस्त और कै उनको आती थी, तो गांव के गरीब लोग 8 आने–12 आने में वह कृष्णा मिक्सचर लाकर बच्चों को पिला देते थे। लेकिन, इस एक्साइज डिपार्टमेंट ने उस पर अपना कुछ ऐसा शिकंजा कसा कि गरीबों की वह दवा कृष्णा मिक्सचर बनना बन्द हो गयी, क्योंकि इसमें इन्होंने अल्कोहल जो 3 प्रतिशत मिलता था, उसको मिलवाना बन्द कर दिया, एक्साइज डिपार्टमेंट की

बांधलियों से बचने के लिये। उसकी वजह से जो उस दवा का असर होता वह घट गया, दवा खराब हो गयी, आज वह कृष्णा मिक्सचर बाजार में नहीं है, बाजार से गायब है।

मान्यवर, मैं कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मालूम जो होता है कि इस मामले में सिर्फ शेरो शायरियां होती रहती हैं, मजाक में टालते रहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरी बातों को भी मजाक में ले लिया जायेगा। अगर देश को, प्रदेश को बचाना है, तो शराबबन्दी लागू करनी पड़ेगी। मान्यवर, हम लोग इन शराब के नशे में मस्त लोगों को जगाते रहेंगे कि शराब बन्द करो। अगर नहीं जागेंगे तो हम लोग सत्ता पर कब्जा करके शराब बन्द करा देंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

*श्री लाल प्रताप सिंह—

मैं टोटल प्राहिबिशन का पक्षधर हूं, मुकम्मल शराबबंदी का हिमायती हूं। लेकिन, इसमें कुछ नहीं है ....

श्री कौशिक रमाशंकर—

माननीय लाल प्रताप जी, यही आपकी खूबी है कि शुरू में तो ठीक बोलते हैं। अब आपने शुरू की बात ठीक कह दी, बस अब आप बैठ जायं।

श्री फजलुल बारी—

शुरू का वाक्य ही आपकी भावना को कह दे रहा है। बस यहीं समाप्त कर दें।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं सम्मानित माननीय मंत्री जी को मैन आफ दि मैच घोषित करूंगा यदि यह टोटल प्राहिबिशन की बात कह दें, मैन आफ दि ईयर इन्हें कहूंगा, यदि यह टोटल प्राहिबिशन लागू कर दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

फिर तो यह मैन आफ दि हाउस भी घोषित हो जायेंगे, अगर लागू कर दें।

श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दो वर्ष पूर्व प्रोफेसर साहब ने एक घोषणा की थी कि प्रतापगढ़ टोटल प्राहिबिशन के तहत होगा। लेकिन उस घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया गया, म माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि टोटल प्रोहिबिशन प्रतापगढ़ में लागू करने की घोषणा की जाये और जो पूर्व में घोषणा हुई है, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। एक बात स्टेट पालिसी की है कि प्रतापगढ़ में सबसे पहले प्रोहिबिशन लागू किया जाना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कह नहीं सकता कि शराब आज किस कदर हमारे नवयुवकों पर छाई हुई है और उसका दुष्प्रभाव हमारे नवयुवकों पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ रहा है। इसका इस कदर कन्जम्पशन होना शुरू हो गया है कि बहुत से परिवार, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में हैं, जो इसके कारण अत्यन्त दुखी हैं, क्योंकि इन परिवार के नवयुवक शराब के प्रभाव से पीड़ित हैं। यह विरोधाभास है कि एक तरफ स्टेट यह कहे कि मैं शराब पीने को रोकना चाहता हूं, शिक्षा देना चाहता हूं और दूसरी तरफ शराब बेची जाये, उसका क्रय विक्रय किया जाये। दोनों बातों में विरोधाभास है। यह बात सत्य है कि बन्दी के बावजूद शराब बनती है और लोग चोरी चुप्पे पीते हैं और सेल करते हैं। आज भी शराब चोरी से बन रही है इसलिये टोटल प्रोहिबिशन कर देने से बहुत लाभ नहीं होता है। इसे शिक्षा के माध्यम से दूर करने का प्रयास करना चाहिये कि लोग शराब से दूर हो जायें। यह बात भी अपनी जगह सही है और यह भी सही है कि शासन का काम थोड़ा प्रैक्टिकल है। कभी-कभी इस तरह से बात हमको करनी पड़ती है कि देखने में आता है कि इस तरह हो जाये, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ और होता है। इन सब कठिनाइयों के बावजूद माननीय मंत्री जी और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि धीरे-धीरे टोटल प्रोहिबिशन लागू करने की कृपा की जाये और सबसे पहले प्रतापगढ़ में इसे लागू किया जाये, जिससे हमारे नवयुवक इससे बच सकें और एक अच्छा वातावरण शहर और देहात में हो सके। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक नावेलिस्ट ने एक बात लिखी है कि शहर में दिन में कोई मजा नहीं आता है। जरा रात में शहर में घूमकर देखो, तो क्या मजा आता है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को दौड़ा रहा है, कोई कहीं पड़ा है। शराब का असली मजा रात के बारह बजे के बाद आता है और शायद वह शराब का ही प्रभाव है। मैं चाहता हूं कि टोटल प्रोहिबिशन लगाया जाय इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए विद्वान सदस्य ने जो कुछ कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी अध्यापक भी रहे हैं और हमें विश्वास है कि वह इस सदन से शिक्षा लेंगे। हिन्दुस्तान की धरती पर जो फकीर हुए हैं, जो नेता हुए हैं और हिन्दुस्तान में जो धर्म बने हैं, उन सबने मिलकर यही कहा है कि शराब पाप है और पाप की जननी है यह सही है कि माननीय मंत्री जी, जब इस बजट को रख रहे थे तो अपने मन को मसोस रहे थे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। मैं भी सोच रहा था कि शराब के खिलाफ ही उनको बोलना चाहिए था लेकिन वह भी क्या करते, उन्होंने भी अपना फर्ज अदा किया। जिस गांधी के नाम पर हमारे सत्ता पक्ष के लोग जी रहे हैं और जिनके मार्गों पर चलने की बात करते हैं उन्हें शराब के पक्ष में नहीं रहना चाहिये। 12 मार्च को इन्होंने डांडी यात्रा भी शुरू की गांधी जी की नकल कर रहे हैं, गांधी जी शराब का विरोध करते थे। अतः आज आप घोषणा करें कि शराब को पूर्णतया बन्द कर देंगे और कोई इसे बेचने नहीं पायेगा।

दूसरी चीज, आपसे कहना चाहता हूं कि शराब के लिये जो भी व्यवस्था बना रखी है जैसे शराब कहां पर बिकेगी, उसके लिये नियम बने हैं। उन नियमों के विपरीत बलिया में राम सिंहासन इण्टर कालेज के पास और टाउन डिग्री कालेज के पास शराब बिकती है, विद्याभवन नारायणपुर इण्टर कालेज है, उसके पास भी शराब बिकती है। इस सम्बन्ध में नियमों में यह व्यवस्था है कि धार्मिक संस्थायें स्कूल के पास शराब नहीं बेची जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो भी नियम बना रखे हैं, उनका पालन करें और शराब को ऐसे स्थानों पर बिकने को रोकने का प्रयास करें। जिस शहर को मैं बिलौंग करता हूं वहां 11 बजे रात तक शराब बिकती है। यदि आप सर्वे करें तो पायेंगे कि 80 प्रतिशत अपराधिक घटनायें रात को 10 बजे के बाद होती हैं। ये घटनायें इसलिये होती हैं क्योंकि उस समय तक

शराब खाने खुले रहते हैं और शराब बिकती रहती है । मेरी मांग है कि जिस समय तक शहर खुला रहता है, उसी समय तक शराब बिके उसके बाद नहीं । मंत्री जी ने कहा है कि शराब लाभ की चीज है । मैं कहना चाहता हूं कि लाभ के लिये तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं लेकिन हमारा समाज और हमारी नैतिकता इस बात के लिये इजाजत नहीं देती कि उन्हें लागू किया जाय । जैसे प्रोस्टीट्यूशन का कार्य असामाजिक तत्वों के बीच लाभप्रद माना जाता है, लेकिन यह देश के लिये घातक है, समाज के लिये घातक है कोई भी इसे मान्यता नहीं दे सकता उसी प्रकार शराब भी है । मेरी मांग है कि इसको तत्काल रोकने की कोशिश करें इसी में भला है । इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

चौधरी श्याम लाल—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य, प्रतापगढ़ ने प्रस्ताव रखा था कि पूर्ण शराब बन्दी रख दी जाय प्रतापगढ़ में, इस पर मतदान करा लिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है, आप बैठें ।

चौधरी श्याम लाल—

मान्यवर, इस देश की संस्कृति शील पर निर्भर है और सभी राष्ट्रीय नेताओं का दृष्टिकोण पूर्ण शराब बन्दी का रहा है । लेकिन इसमें कठिनाई यह है कि राजस्व की जो आमदनी एक अरब रु0 से ऊपर है, वह कहां से पूरी हो । चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है और इसमें एल्कोहल इन्डस्ट्री का महत्वपूर्ण रोल है । एल्कोहल निर्यात होता है, दूसरे राज्यों को जाता है, अगर उसी को, हमारे यहां टक्नालाजी प्रकोष्ठ भी है, इस इण्डस्ट्री के ऊपर विश्व की संस्थायें मार्जिन मनी पर छूट के ऊपर सबसीडाइज करना चाहती हैं । इस प्रकार जो राजस्व की कमी होगी, उसको एल्कोहल इण्डस्ट्री से पूरा कर सकते हैं । हमारे यहां दो प्रकार की मोलेसिस है शुगर बेस्ट मोलेसिस और खाण्डसारी बेस्ड मोलेसिस, "डेस्को" से बात करके देखें कि खाण्डसारी मोलेसिस से एल्कोहल का उत्पादन हो सकता है, जिसको एक्सपोर्ट करते हैं, सारे विश्व में इसकी मांग है । इससे इस राजस्व की पूर्ति की जा सकती है । मेरा सुझाव यह है कि प्रोहीबीशन एकदम न कर सकें तो जिलेवार करते जांय । जहां अपराध ज्यादा हो, जहां प्रोहीबीशन लागू कर दें । अन्त में मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए बहुत लम्बी-चौड़ी घोषणा की कि उन्होंने हरिजनों का उत्थान कर दिया शुद्ध शराब दिला कर उन्होंने कहा कि शुद्ध शराब की व्यवस्था उन्होंने कर दी है क्योंकि जहरीली शराब के पीने से लोग मरते थे । इसके लिये पहले मैं माननीय मुन्शी जी को बधाई दे दूं क्योंकि हरिजनों के उद्धार को वे इस तरह से प्रेरणा स्रोत अपने को समझते हैं कि वे बन गये हैं ।

माननीय मंत्री जी के विभाग के दो काम हैं और वह हैं शराब का प्रचार और दूसरा काम है शराब के बन्द करने का काम एक ही इंस्पेक्टर शराब के बन्द कराने का भी काम करता है और वही इंस्पेक्टर शराब के प्रचार और प्रसार का भी काम करता है जब एक ही आदमी दोनों तरह

से काम करेगा तो इसमें विरोधाभास होगा और है । जो आदमी शराब के प्रसार का काम कर रहा है वही आदमी शराब को बन्दी का काम कैसे कर सकता है ? मान्यवर, जरा मुन्शी जी को आप देखिये, वह सुन नहीं रहे हैं, तो मैं कह किससे रहा हूं ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, आप जरा इधर ध्यान दें ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

तो मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग के अधिकारियों की राय लेकर जो कि यह नीतिगत मामला है, कोई निर्णय क्या इस सम्बन्ध में ले सकते हैं कि एक ही इंस्पेक्टर दोनों काम न करे । क्या यह व्यवस्था आप कर सकते हैं ?

इसके अतिरिक्त एक बात और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सभ्यता, यहां की संस्कृति में शराब को किसी ने भी अच्छा नहीं कहा है, यदि किसी भी महापुरुष ने शराब को अच्छा कहा है, किसी भी बड़े आदमी ने, किसी भी सन्त ने इसे अच्छा कहा हो तो ये बतला दें कि फलां-फलां आदमी ने इसको अच्छा कहा है और कहा हो कि शराब का प्रचलन होना चाहिये ? ऐसा हो तो आप हमें बतला दें ।

अभी माननीय बारी साहब ने 1936 के कानून के बारे में जिक्र किया था यानी कि जिस जाति ने हमें गुलाम बनाया उसने भी कहा है कि नशाबन्दी होना चाहिये । महात्मा गांधी का नाम लेकर गरीबों के लिये शुद्ध शराब का प्रचार करना और कहना कि हम हरिजनों के हितैषी हैं, उन्हें शुद्ध शराब को पिलाना और शराब की सिफारिश करना यह सब काम चुनाव की दृष्टि में रख करके किया गया है कि चुनाव में आप शराब की रणनीति के जरिये से काम करायेंगे, इस पर आप विचार कर लें । आप उत्तर प्रदेश में कम से कम महात्मा गांधी का नाम लेकर यह काम न करें तो बहुत अच्छा होगा ।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जो शराब का ठेका होता है तो शराब का ठेका लेने वाले कौन लोग होते हैं, बन्दूक और बल्लम लेकर लोग एकदम इकट्ठा हो जाते हैं और पहले प्रीमियम के रूप में रुपया देते हैं । इस काम के लिये बड़े-बड़े अपराधी इकट्ठे हो जाते हैं और गुण्डागीरी के बल पर प्रीमियम तय करके गुण्डई के बल बूते पर ठेका प्राप्त कर लेते हैं । आप इस व्यवस्था को कैसे रोकेंगे ? आपने कहा था कि इसके लिये हम उपाय कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे भांग, गांजा, चरस, अफीम और अब एक और चीज चल गयी है, स्मैक, हमारे फिरोजाबाद में और आगरा में बड़े-बड़े घरों के लड़के इसके पीछे पागल हो रहे हैं । हमारी संस्कृति की जो नयी पौध आ रही है, इन बच्चों में हम क्या आदतें डाल रहे हैं ? इसको बन्द करने का कोई इन्तजाम होना चाहिये ।

यहां दारुलशफा के आगे एक शराब की दूकान है जिसमें लिखा हुआ है "गोरखपुर वाईन" यानी कि मुख्य मंत्री जी गोरखपुर के हैं तो वाईन भी गोरखपुर की ही होगी ? फिरोजाबाद में हिन्दू के मन्दिर के पास, स्कूल के पास शराब की दुकानें हैं, जहां कि इसे नहीं होना चाहिये ।

आगरे में मान्यवर, आपने स्वयं देखा कि कलेक्ट्रेट के सामने ही शराब की दुकान है ।

श्री अधिष्ठाता— (व्यवधान)

मा0 वर्मा जी, आप अपनी बात को अब समाप्त करें ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट पर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

तो मान्यवर, इन सब को देखते हुए मैं यह कहना चाहता था कि क्या सरकार अपनी इस रणनीति को बदलते हुए इन दुकानों को ऐसे स्थानों पर जगह देगी जहां पर कोई कानून-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न हो और कोई धार्मिक व सार्वजनिक स्थान न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनसे यह अपेक्षा करूंगा कि प्रदेश में पूरे तौर पर नशाबंदी कर महात्मा गांधी की कल्पना को साकार करने की सद्बुद्धि भगवान इन्हें दे और हमें तो यह खतरा है कि कहीं यह सरकार यह घोषणा न करने लग जाए कि हम हरिजनों के लिए सस्ते दामों पर शराब की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री अमिताभ अनिल दुबे--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विभाग, जिससे इस प्रदेश का खर्चा मिलता है सरकार को चलाने के लिए। साथ ही साथ में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं कि हमारे गाजीपुर जिले में नन्दगंज चीनी मिल है, जिससे मान्यवर पूरे उस क्षेत्र में पूर्व-पश्चिम के 20 कि0मी0 की दूरी तक प्रदूषण बुरी तरह से फैल रहा है, जहां के लोगों का रहना अब मुश्किल हो गया है क्योंकि वहां पर आए दिन अनेकों बीमारियां व संक्रामक रोग फैल रहे हैं और मान्यवर यही नहीं उस फैक्ट्री के अगल-बगल वालों के घरों पर लोग शादी-ब्याह के लिए भी नहीं आते हैं, ऐसी गम्भीर स्थिति है। इसलिए आपसे अनुरोध है मान्यवर, कि ऐसे स्थानों पर प्रदेश में जहां-जहां प्रदूषण फैल रहा है, उसका निराकरण कराएं। दूसरे मान्यवर हमारे प्रदेश व भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे एशिया में सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है, इस कारण मान्यवर, जनपद गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के नवयुवक व अधेड़ उम्र के लोग चरस, अफीम और मार्फिया आदि जैसी मादक चीजों के आदी बन रहे हैं, जिससे वहां के निवासियों का इसको लेकर एक सर दर्द बन चुका है कि वह अपने लड़कों को कैसे बचाएं? इसलिए आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस ओर कोई ऐसी स्पष्ट नीति अपनाएं और ऐसे कार्यक्रम बनाएं और उनका प्रचार हो कि इन मादक चीजों से क्या-क्या नुकसान होते हैं, जिससे जन-मानस में कुछ सुधार हो।

दूसरी बात मान्यवर, इस विभाग में यह देखने में आ रही है कि आज जिन लोगों पर गम्भीर आरोप हैं और जिन के ऊपर अनेक हत्याओं के केसेज हैं, उन्हीं लोगों को अच्छे पदों पर रखा गया है ऐसी नीति से तो मान्यवर, भ्रष्टाचार में और बढ़ावा आयेगा। दूसरी बात मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि जो स्थान रिक्त हैं, उन पदों पर योग्यता के आधार पर भरा जाए और एक बात सुझाव के रूप में और कहना चाहता हूं कि मद्यनिषेध के अन्तर्गत जो धन आप दे रहे हैं, वह उपयुक्त धन नहीं है, जैसे हमारे गाजीपुर जनपद के लिए एक हजार रु0 दिया गया है जो इसके प्रचार के लिए पोस्टर व अन्य सामग्री के लिए अपर्याप्त है, इससे फिर कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर वास्तविक रूप में मद्य-निषेध को लागू करना चाहते हैं और जो लोग भोले-भाले और अशिक्षित शराब व अन्य मादक चीजों का इस्तेमाल कर गुमराह हो रहे हैं, उन्हें इससे परिचित कराया जाए, जागरूक किया जाए, तो इसके लिए धन का बढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

माननीय सदस्य बारी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका पूरी दृढ़ता और गम्भीरता से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसके पूर्व कि मैं अपने विचार व्यक्त करूं, इस गम्भीर विषय पर दो पंक्तियां कहना चाहता हूं :

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"यह विसंगति जिन्दगी के द्वार सौ-सौ बार रोई।

चाह में है और कोई, बांह में है और कोई।।

मान्यवर, मैं सोचता था कि माननीय मंत्री जी जिन्होंने आबकारी पर अपना बजट रखा है, उनकी जो वेशभूषा है, जिससे कम से कम मैं तो प्रभावित होता ही हूं और सोचता था कि वह इस बजट के माध्यम से किसी नीति की स्पष्ट घोषणा करेंगे। बजट भाषण में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिसमें किसी नीति की घोषणा की गयी हो। इस बजट के माध्यम से अगर माननीय मंत्री जी पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा नहीं कर सकते थे तो कम से कम अपनी नियत का प्रदर्शन तो कर ही सकते थे कि वे इस दिशा में सचेष्ट हैं।

मान्यवर, यह एक विसंगति है कि जिन महात्मा गांधी का चित्र आपकी पीठ पर लगा है, उन्होंने स्वप्न देखा कि जब भारत आजाद होगा तो समाज की संरचना किस प्रकार से करेंगे। जो संविधान बना है, उसके नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का समावेश किया गया है कि हम टोटल प्राहिबिशन की ओर पहुंचेंगे, लेकिन आज हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी जो मुंशी जी हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि सेल्स टैक्स विभाग के बाद नम्बर दो पर इन्हीं का विभाग है, जो सबसे अधिक आमदनी दे रहा है। मैं चाहता था कि इस पर आप अपनी नीति बताते। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 1984 में इसी सदन में प्रो0 वासुदेव सिंह ने जब आबकारी का बजट प्रस्तुत किया था तो कहा था कि वह नशाबन्दी लागू करेंगे और उन्होंने तर्क रखते हुए कहा था इससे राजस्व की हानि अवश्य होगी, लेकिन इससे समाज में चरित्र का निर्माण होगा। मान्यवर, राजस्व की हानि तो होगी मगर उससे देश का जो कल्याण होगा, उसका मूल्य कहीं अधिक होगा। आज मंत्री जी को इसी तरह की घोषणा करनी चाहिये थी, लेकिन ऐसा कुछ लगता है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह शराब को सस्ती करने जा रहे हैं। मंत्री जी से यही कल्पना की जा सकती है कि वह शराब को और अधिक पिलवाने का प्रयास करें और महात्मा गांधी के अरमानों की होली जलाने दें। सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोगों के पास तस्करी की अफीम पकड़ी जाती है शाजहांपुर के कांग्रेसी विधान सभा सदस्य के यहां हशीश पकड़ी गयी, परन्तु पता नहीं उसका क्या हुआ ? जब आप आंकड़े देते हैं कि इतनी अफीम पकड़ी गयी। पिछले वर्ष से ज्यादा पकड़ी गयी, तो यह तथ्य स्वयं सिद्ध करता है कि उसका प्रचलन पिछले साल से अधिक हुआ है। जब अफीम पकड़ी जाती है, तो जो उसके बड़े-बड़े तस्कर हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता है, जो तस्कर सम्राट हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता है। पुलिस के लोग भी उनको नहीं पकड़ते हैं और जब कोटा पूरा करने के लिये कहा जाता है तो गरीब और मजदूर को वही ठेकेदार बुलाता है, उसके घर में खाने-पीने की व्यवस्था कर देता है और उसका चालान करवा देता है। तो मान्यवर, यह स्थिति चल रही है। मान्यवर, शराब में मिलावट भी खूब हो रही है, फर्रुखाबाद में कन्नौज में मिलावट की जहरीली शराब से 32 आदमियों की जान चली गयी, ताड़ीकाण्ड हुआ जिसमें 17 व्यक्ति कमालगंज में मरे और जहानाबाद की घटना नजदीक की ही है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में नीति-निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु शराब के नाम पर और मादक द्रव्यों के नाम पर सरकार मद्य निषेध करेगी और मादक वस्तु औषधि के रूप में केवल दवा में प्रयोग की जायेगी, अन्य चीजों में नहीं करेंगे। आज परिस्थिति दूसरी है। आज नशे के नाम पर आप लोगों को जहर दे रहे हैं। भारी संख्या में लोग मर रहे हैं। इसके ऊपर आप प्रतिबन्ध लगायें और एक नीति निश्चित करें। एक बात और कहना चाहता हूं। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मन्दिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के पास जो दुकानें बनी हैं उन्हें हटा दिया जाय। बदचलन होने से, खुशबू से तो बचा दीजिये। जो हमारी संस्कृति के मान बिन्दु हैं उनके ऊपर भी शराब की दुकानें हैं। मान्यवर, आप देखें, आपके पड़ोस में हुसैनगंज में शराब की दो दुकानें, मस्जिद के पास हैं। विधान सभा की सड़क पर उसके सामने शराब की दुकान है जो स्पष्ट आमंत्रण करती है कि आओ विधायको पियो।

लखनऊ में कुछ जगह ऐसी है जहां आधे में मंदिर है भगवान विराजमान हैं और दूसरे आधे में

शराब की दुकानें चल रही हैं। जो हमारे स्कूल हैं, तीर्थ-स्थान हैं, विद्यालय हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, लोगों के एकत्रीकरण के स्थान हैं उन पर आप स्ट्रिक्टली, फोर्सिबिली, प्रभावी तौर पर मद्य निषेध लागू करने की कृपा करें।

मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। हो सकता है उनकी कहीं पर मजबूरी हो, उनकी आत्मा उन्हें कचोटती हो, इसकी घोषणा न कर पाते हों तो यह घोषणा कर दें कि उनकी सरकार आबकारी विभाग को अपनी आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहती है और यह बता दें कि कहां-कहां वह मद्य निषेध करना चाहती हैं। अन्यथा, मान्यवर यह होगा कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। यह बढ़ता चला जा रहा, है और मद्य-निषेध एक ढोंग होता जा रहा है। इस विसंगति को दूर करने के लिये आप निश्चित रूप से स्पष्ट घोषणा करें। इन शब्दों के साथ, मैं एक बार पुनः जोर देते हुये जोबारी साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है जिसमें शराबखोरी और नशाखोरी के विरुद्ध जितना कहा गया है, जो सदियों से इसकी प्रशंसा करते हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे (व्यवधान)। राजीव गांधी तो इसको बढ़ा ही रहे हैं, मैं उनके कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने आबकारी विभाग के बजट पर मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हमारे जो विरोधी दल के माननीय विधायक हैं उन्होंने वास्तविकता से परे बात कही है। मान्यवर, कांग्रेस का यह आदर्श रहा है कि यहां पर मद्य निषेध हो। लेकिन आदर्शों के आधार पर समाज नहीं चलता। मान्यवर, आज भी यह आदर्श है कि लड़ाई-झगड़ा नहीं होना चाहिये। यह आदर्श है तो अदालतें और कोर्ट बेकार हो जायेंगे। यह आदर्श है कि कोई बीमार न पड़े लेकिन फिर भी अस्पताल और दवायें हैं। यह जरूर है कि जनता पार्टी के समय में यह बन्द हो गया तो कुछ लोगों के धन्धे उठ गये। मजबूर होकर जब कांग्रेस सत्ता में आयी तो फिर आबकारी शुरू करना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सैनिक जब दूर-दराज के सीमान्त प्रदेशों से, पहाड़ों से ऋषिकेश, हरिद्वार में छुट्टी पर आते हैं तो उनकी तलाशी होती है। सब जानते हैं कि सैनिक लोग शराब पीते हैं जब वे पकड़े जाते हैं तो उन्हें कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि जब सैनिक छुट्टियों में आते हैं तो उनकी तलाशी न ली जाय। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह अच्छी बात है कि मंत्री जी हमारे परिवहन के मंत्री भी हैं गाड़ियों पर, जिनमें शराब मिलती है, जो अपराधी होते हैं, वे नहीं पकड़े जाते हैं। जब गाड़ियों में शराब पकड़ी जाती है तो शराब ले जाने वाला तो नहीं पकड़ा जाता है लेकिन गाड़ी के मालिक पर जुर्माना कर दिया जाता है वह काफी बड़ी धनराशि होती है। मालिक जो दूर-दराज में रहता है उसको पकड़ा जाता है उस पर 4, 5 हजार रुपया जुर्माना किया जाता है।

हमारे पहाड़ों में अवैध रूप से शराब बहुत निकाली जाती है इस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिये। ऋषिकेष में जो टिंचर जिंजर की दुकानों के लाइसेंस दिये गये हैं उसमें बहुत सी दुकानें हैं जो अवैध उसका व्यापार करती है जिसको अवैध रूप से लोग पीते हैं और उससे आये दिन वहां एक्सीडेंट होते हैं। इन लाइसेंसों को जब्त कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

दो मिनट हमें यह भी बोलना है कि बढ़नी से इसकी तस्करी होती है इसलिये मंत्री जी को बता दूं। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप माननीय मंत्री जी को लिख कर भेज दें अभी एक बजट और है। (व्यवधान) माननीय मूल चन्द्र जी आप भी मंत्री जी के कार्यालय में चले जाइये। वहीं यह सब बता दें।

श्री फजलुल बारी—

माननीय अधिष्ठाता जी, सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने मेरी कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया यह खुशी की बात है। औपचारिक रूप से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य समर्थन किये हों लेकिन उनका पूरा भाषण मेरे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में ही था।

मान्यवर, मैं चन्द बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जब वह जवाबी भाषण करें उसमें इन बातों का उल्लेख कर दें। जो यहां पर मंदिर, मस्जिद और स्कूलों के पास शराबखाने खुले हैं वह नहीं होने चाहिये। लखनऊ में ही बहुत सारे मामले हैं हमारे यहां गोंडा में उतरौला में मस्जिद के पास शराबखाना है जिसके बारे में मैंने कई बार लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से एक मंदिर के पास ही उसके अन्दर ही शराब की दुकान खुली है उसके बारे में मैंने प्रश्न भी किया था उसके जवाब में यह आया कि शराबखाने वाले ने ही मंदिर बनाया है और उसे वह बनाये रखना चाहता है। तो इस प्रकार का जवाब देकर सदन को भ्रमित किया जाता है।

मैं अपनी कमी मानता हूं मुझे चाहिये था कि मैं मंत्री जी को कंक्रीट सजेशन देता कि पूर्ण शराबबंदी की जाय और इससे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाय। लेकिन इस सिलसिले में ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ। इस समय जो कुछ हो रहा है वह यह है कि शराब से ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाया जाये। एक बात बार-बार कही जाती है कि हमने इससे रेवेन्यू बढ़ाई है और शराब की खपत को कम किया है। यह केवल आंकड़ों का खेल है। एक शराब की दुकान नीलाम होती है लाख सवा लाख में और लाइसेंस फीस का 25 से 50 हजार दूकानदार अलग देता है। आप उनके बिक्री रजिस्टर को देखिए तो पता लगेगा कि जितना पैसा वह खर्च करता है शराब की दूकान हासिल करने में, लाइसेंस फीस आदि देने में उससे कहीं कम उसकी आमदनी बिक्री रजिस्टर में दर्ज होती है। तो माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वह इस बात का पता लगायें कि उसके पास वह कौन सा खजाना है जिससे वह इस घाटे को पूरा करता है। तो उन कारखानों के अन्दर जहां शराब बनती है उसमें कितनी शराब ऐसी होती है जो अधिकारियों की सांठगांठ से बगैर इक्साइज ड्यूटी दिये ही स्मगल होकर चली जाती है। रामपुर की डिस्टलरी है उसमें कई ट्रक अल्कोहल बगैर टैक्स दिये ले जाते पकड़े गये। मैं देख रहा हूं कि माननीय मंत्री जी इसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं।

हमको ऐसा अहसास होता है कि मंत्री जी शराब को नापसंद करते हैं और इसीलिये मंत्रिमंडल में वह खप नहीं रहे हैं और वह चाहते हैं कि शराब की जगह पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल की तरक्की की जाये, इसीलिये भाषण में उन्होंने अपनी कुछ बातें कहीं। मैं कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल के काम को आप घटा दें और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिये जितने संभव हो सकते हैं उतने कारखाने खुलवायें, इसका सर्वे करायें और इंसेंटिव देकर कारखाने खुलवायें तो यह अल्कोहल शराब से हटकर प्रोडक्शन की तरफ जायेगी।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा अल्कोहल पैदा करने वाला प्रदेश है। यदि इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बना दें तो हमारा प्रदेश भारत का सबसे अमीर और रईस प्रदेश हो सकता है और यहां की गरीबी दूर हो सकती है। मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और

बैंकों में पैसा भर जायेगा। स्विस बैंकों में इसीलिये पैसा जमा हो रहा है चूंकि शराब चल रही है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शराब की जहां बुराइयां हैं वहीं एक बात और है माफिया गैंग डेवलप हो रहे हैं और माफिया ने पूरे शराब के धंधे को कंट्रोल किया है और जितने अधिकारी हैं वह सब माफिया के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। यदि मंत्री जी में ताकत हो तो अपने अधिकारियों पर अंकुश लगायें और देखें कि किस तरह से उनके यहां दिन दूनी रात चौगुनी आमदनी होती जा रही है। आज अधिकारियों की दावत में जाकर देखें कि शराब के जाम-पे-जाम चलते हैं। यह कैसे हो रहा है? प्रदेश की गरीब जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा जो रोज बजट में पास कराते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं बातों में खर्च होता है। रिश्वत का बाजार गर्म है और खर्च शराब में होता है। चोरी होती है खर्च शराब में होता है गिरहकटी होती है; जुएं के अड्डे चल रहे हैं और खर्च शराब पर होता है। सारी बुराइयों की जड़ शराब है। इसलिये मंत्री जी इस अल्कोहल को शराब में गर्क न होने दें लेकिन इसके लिये करना पड़ेगा कि अल्कोहल के दाम को घटा दें और उससे बेहिसाब इंडस्ट्री डेवलप करेंगे और इंडस्ट्री डेवलप होने से यहां का घाटा पूरा हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपने मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह इस कटौती से प्रस्ताव को इस बार मान लें तो फायदे में रहेंगे यहां भी और वहां भी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है और कहा है कि इतने रुपये की भांग पकड़ी गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश का रेवेन्यू रिकार्ड बताता है कि भांग बोई नहीं जाती है लेकिन नीलामी की जाती है और स्टोर में चली जाती है तो स्टोर में कहां से आती है और पकड़ी कहां से जाती है इस पर रोशनी डाल देंगे, अपने बजट के उत्तर भाषण में?

श्री रामनाथ मुंशी—

मान्यवर, श्री फजलुल बारी साहब तथा अन्य सम्मानित सदस्यों ने इस आबकारी के बजट पर अपने अमूल्य सुझाव दिये, अपने मन की वेदनायें भी कही और अल्कोहल के लिये प्रोत्साहन की बात भी कही। मैं तो अपने बजट भाषण में कह चुका हूं, और केवल 30 प्रतिशत पूरे अल्कोहल का पेय मदिरा के रूप में और 70 प्रतिशत अल्कोहल के रूप में हमारी आसवनियां तैयार करती हैं..... (आवाज सुनाई नहीं पड़ने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा माईक के नजदीक आ जाइये।

(व्यवधान)

श्री राम नाथ मुंशी—

श्रीमन्, दूसरी चीज यह है कि सारे सम्मानित सदस्यों की वेदना यह निकल रही थी कि शराब क्यों नहीं बन्द कर दी जाती? मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया कि किसी समय जनता शासन में ही मान लीजिये, उन्होंने शराबबन्दी का एक प्रयोग करना शुरू किया। आंकड़े उठाकर देख लीजिये अवैध शराब पीकर मरने वालों की संख्या, अब के मरने वालों से कहीं अधिक रही है।

उसके आंकड़े से पुनः आप स्पष्ट कर लें । अब यह सरकार हमेशा ही संविधान के तहत चलती है और चलती रहेगी । भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रजातांत्रिक मूल भावनाओं के अनुकूल यह सरकार शनैः शनैः इसे नियंत्रित कर रही है और करेगी । लेकिन यह भी मैं कह दूं कि उधर के ही किसी माननीय सदस्य से मेरी मुलाकत हो गई और वह एक बहुत ही सुन्दर शेर पढ़ रहे थे, जो पेश है—

"मेरी शामें गम, सरे शाम लौट आना,

न तेरा कहीं ठिकाना, न मेरा कहीं ठिकाना ।"

मैं यह हंसने के लिये नहीं कह रहा हूं इसकी गम्भीरता को समझने के लिये कह रहा हूं । मान्यवर, खान-पान, रुचि, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है । कुछ यह समाज से मिलता है और कुछ सोहवत से मिलता है और कुछ लोगों को अनायास ही कुछ कारणों से मिल जाता है । अब प्रश्न यह है कि इन परिस्थितियों में इनकी जान को कैसे बचाया जाए ? वे शराब पीकर अपना जीवन गवां दें या माननीय सदस्य यह बता दें कि उनकी जीवन रक्षा कैसे होगी ? ऐसी हालत में शासन का यह दायित्व है कि उनके जान-माल की रक्षा, जिसको वह प्रकृति से, स्वभाव, से, संस्कार और शोहरत के कारण से नहीं रोक सकते हैं । ऐसे लोगों के लिये ही यह व्यवस्था है किसी को पीने के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । इसलिये मैं कहता हूं कि मैं नहीं पीता और आप सब नहीं पीते, और पीने वालों की रक्षा में शराब की दुकानें शनैः शनैः बन्द कर दी जायेंगी, लेकिन लोगों को इस बुराई से रोकने और समझाने का काम समाज सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का है । दुकानों की स्थित रखने का जहां तक सवाल है मन्दिर, मस्जिद, विद्यालय और शिक्षा स्थान के बारे में यह नियम है, हमारे आबकारी में यह नियम है कि इनके समीप दुकानें नहीं खोली जायेंगी, लेकिन बहुत सी दुकानें पहले की चल रही थीं. . मन्दिर, मस्जिद, स्कूल बाद में भी बन गये । ऐसी स्थिति में पुरानी दुकानों को हटाने के लिये एक कानूनी प्रक्रिया लागू करनी पड़ती है । हमने जिले में जिलाधिकारी, एस0 पी0, एस0 एस0 पी0, सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट की एक कमेटी बना दी है इसमें विभाग की सलाह लेकर, जो दुकानें असंगत जगह पर हैं उनकी विसंगति को दूर करने का प्रयास शासन करेगा । फिर आप लोग न कहियेगा कि दुकानें हटा क्यों दी गईं ?

(व्यवधान)

अभी हमारे माननीय सदस्य ने प्रदूषण के बारे में बात कही, तो मैं बजट भाषण में कह चुका हूं कि प्रदूषण निकालने के लिये बोर्ड तत्पर है । सुप्रीम कोर्ट की नोटिस हो गई है । संयंत्र लगाने में बहुत पैसा लगता है इसलिये भारत सरकार से सस्ती टेक्नोलाजी लाने का आग्रह किया था इस सम्बन्ध में भारत सरकार की एक टीम विदेश गई है जैसे ही सस्ती टेक्नोलाजी आयेगी सारी आसवनियां संयंत्र लगा लेंगी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप सूक्ष्म कर दें ।

श्री राम नाथ मुंशी—

जहां तक सरकार की नीति है ऐसे धार्मिक स्थान जैसे पौड़ी, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, जिला देहरादून, हरिद्वार, अयोध्या आदि धार्मिक स्थलों पर मद्य-निषेध है, वृन्दावन में भी मद्य निषेध है । इसके अलावा अगर कोई ऐसी जगह निकल आती है जहां किसी धर्म के लोगों को ठेस लगती है, तो वहां पर भी सरकार विचार करती रहेगी । मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय सदस्य से, माननीय सदन से, यह आबकारी शब्द जो है यह पुराना है इसे आबकारी शब्द न समझ कर रासायनिक

प्रक्रिया में भौगोलिक प्रक्रिया में इसको बढ़ाने में सहयोग करें, ताकि 132 लाख कुन्टल, जो बहता हुआ शीरा है वह प्रयोग में आये और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 5,10,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य विधान सभा को जिला कारागार, बांदा में बन्दी बनाये जाने की

सूचना

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं दूसरी मद लेने से पहले एक सूचना सदन को देना चाहूंगा ।

जिलाधिकारी, बांदा से यह अग्रेतर सूचना प्राप्त हुई है कि श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत दिनांक 15 मार्च, 1988 को गिरफ्तार करके परगना मैजिस्ट्रेट, नरैनी, जनपद बांदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और जाती मुचलका प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप उन्हें जिला कारागार, बांदा भेज दिया गया ।

वित्तीय वर्ष 1988—89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या 25—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 20,11,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 71,43,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आज आपने सदन में ऐसे महत्वपूर्ण विभाग पर बजट रखने और बोलने का अवसर दिया । यह बजट प्रदेश के जो 30 लाख किसान हैं तथा प्रदेश की पूरी जनता के साथ सम्बन्ध रखता है । मैं सर्वप्रथम उन 30 लाख गन्ना किसानों को सधन्यवाद देता हूं जिनके अथक प्रयास से प्रति वर्ष गन्ने में विकास संवर्धन, परिवर्धन होता जा रहा है । इसके बाद में कुछ गन्ना विभाग की उपलब्धियों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । प्रदेश मे

कुल खाद्यान्न के उत्पादन से लगभग तीन गुने अधिक गन्ने का उत्पादन होता है । वर्ष 1985-86 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 313.38 लाख मी0 टन हुआ और गन्ने का कुल उत्पादन 730.58 लाख मी0 टन था । 1986-87 में खाद्यान्न का उत्पादन 298.54 लाख मी0 टन था जब कि गन्ने का उत्पादन 852.49 लाख मी0 टन था । इस प्रकार से खाद्यान्न के उत्पादन से गन्ने का उत्पादन ढाई-तीन गुने अधिक है । जहां तक प्रति हेक्टेयर औसत गन्ने का उत्पादन है 1977 में 49.34 मी0 टन था जो बढ़ कर 1986-87 में 51 मी0 टन पर पहुंच गया है ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक-एक दिन में 3-3 मदें ली जा रही हैं । गन्ने की मद प्रारम्भ हो रही है । गन्ना आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विषय है । इस पर सारे सदस्य बोलना चाहेंगे । मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि या तो कम से कम 4 घंटे तक चर्चा चलायें या जब तक आखिरी सदस्य बोलना चाहें तब तक चर्चा करायें । ऐसा न हो कि 2 घंटे बाद आप थक जायं और कहें कि समाप्त करिये । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, इस बजट पर काफी लम्बी चर्चा होनी चाहिये ।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, बोलने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है । मैं समझता हूं कि सारे सदस्य पहले वाले बजट पर बोले हैं । 3 सवा 3 घंटे बहस हुयी है । आबकारी का बजट था जहां तक होश रहा उस पर बोले । जब होश खत्म हो गया तो बहस खत्म हो गयी । यह गन्ने का बजट है, मैं समझता हूं थोड़ा-थोड़ा समय सबको दें, हर एक अपनी बात कह ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय 7 बजे हैं । मैं समझता हूं 2 घंटे काफी रहेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, अगर बोलने वाले सदस्य न रहें तो आप डेढ़ घंटे में समाप्त कर दें मुझे कोई एतराज नहीं है । नहीं तो मान्यवर, 4 घंटे से कम समय न रखें ।

चौधरी तारा चन्द्र सोनकर—

मान्यवर, यह अभी आ रहे हैं । हम लोग 11 बजे से यहां बैठे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मेरा निवेदन है कि इस पर 4 घंटे की चर्चा कराइये । यह बंधुवा मजदूर हैं इन्हें रात भर बैठना है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं कोई समय निश्चित नहीं करता । मेरा प्रयास होगा, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये, ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इस पर बोलें और अपने विचार व्यक्त करें । मैं कोई समय निश्चित नहीं करता ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम नाथ मुन्शी—

मान्यवर, वर्ष 1986–87 में प्रदेश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन 846.42 लाख मी0 टन था, परन्तु इस चालू पेराई वर्ष में पिछले कीर्तिमान को तोड़कर 878.75 लाख मी0 टन गन्ना पैदा होने का पूर्वानुमान है, जो प्रदेश के गन्ना उत्पादन इतिहास में सबसे अधिक होगा। मौसम की प्रतिकूलता के कारण यद्यपि गन्ने में चीनी का परता इस वर्ष अपेक्षाकृत कम होने के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा चीनी उत्पादन में कुछ कमी आयेगी। वर्ष 1986–87 में कुल चीनी का उत्पादन 25.56 लाख मी0 टन हुआ था, जो कि अब तक का सबसे अधिक था, इस वर्ष 24.65 लाख मी0 टन चीनी उत्पादन सम्भावित है। चीनी मिलें बहुधा नवम्बर में चला करती थीं और इस बार मौसम अनुकूल न होने से मिलें देर से चल सकती थीं। पर हमने अक्तूबर से ही मिलें चलवाकर किसानों को सुविधा दी। इस वर्ष प्रदेश में 104 चीनी मिलें हैं और शाहगंज को छोड़कर 103 चीनी मिलें पेराई कार्य कर रही हैं, जिनमें पुवायां (शाहजहांपुर) व घाटमपुर (कानपुर देहात) दो नयी चीनी मिलों ने पेराई कार्य प्रारम्भ किया। पिछले वर्ष चीनी मिलों द्वारा 271 लाख मी0 टन गन्ना पेरा गया था, जबकि इस वर्ष 1987–88 में 285 लाख मी0 टन गन्ना पेरा जाने का अनुमान है। 30 जून तक वर्ष 1986–87 में 652.72 करोड़ रु0 में से 618.14 करोड़ रु0 का भुगतान गन्ना मूल्य के मद में किया गया था, जबकि इस वर्ष 15 फरवरी, 1988 तक वर्ष 1987–88 में 374.77 करोड़ रु0 गन्ना कीमत में से 311.71 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना मूल्य के मद में कर दिया गया है। चूंकि वर्तमान पेराई सत्र पिछले पेराई सत्रों की अपेक्षा लम्बे समय तक चलने की सम्भावना है। अतः चीनी मिलों को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि वह अपने बैंकर्स से सम्पर्क करके बैंक लिमिट समय से प्राप्त कर लें और गन्ना मूल्य भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 14 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य भुगतान के भी कड़े आदेश शासन ने दिये हैं। इस पर नजर रखी जा रही है। चीनी मिलों का संरक्षण गत वर्षों में केवल एक वर्ष के लिये किया जाता था, परन्तु विकास कार्यक्रमों के दृष्टिकोण से तथा चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये संरक्षण आदेश वर्ष 1986–87 से लेकर 1988–89 तक तीन वर्षों के लिये पारित किये गये हैं। इससे कृषकों में भी अनिश्चितता का वातावरण समाप्त हो सकेगा। संरक्षण के आदेश के बाद, पेराई सत्र में, लगभग प्रत्येक माह प्रयास किया गया कि प्रत्येक मिल के सम्बन्ध में गन्ने की स्थिति का आंकलन किया जाये। जहां भी गन्ने की कमी और बेसी पाई गयी, वहीं परिवर्तन तुरन्त किया गया। उत्पादकों को गन्ने का मूल्य तथा समितियों को कमीशन भुगतान की समीक्षा बैठकों में निरन्तर की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि किसानों का गन्ना जल्दी पेरा जाय। इस वर्ष, गत वर्ष 86–87 (31 जनवरी, 1987) तक की तुलना में बहुत अधिक निरीक्षण किये गये, जिनकी संख्या 3472 है। इनमें से 1799 स्थानीय अधिकारियों, 1212 गन्ना निरीक्षकों 370 अन्तर जिला जांच दलों व 9 माननीय संसद सदस्यों व विधायक व 82 अन्य अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किये गये। इनमें 634 गड़बड़ियां पकड़ी गयीं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही हुई, जिसके अन्तर्गत 40 मिल तौल लिपिकों के लाइसेंस रद्द किये गये और 8 समितियों के लिपिकों को निलम्बित किया गया। सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को गन्ना पूर्ति में सुविधा दिये जाने के उद्देश्य से अन्य सदस्यों की अपेक्षा जनवरी, 1988 से प्राथमिकता के आधार पर गन्ना पूर्ति करने की सुविधा तथा अतिरिक्त सट्टा कराने की जमानत की 1/2 धनराशि की छूट की भी सुविधा प्रदान की गयी। आगामी पेराई सत्र 1988–89 के लिये गन्ने की सट्टा नीति की भी घोषणा बुवाई के समय से पूर्व की जा चुकी है, ताकि कृषकों को गन्ने की बुवाई सुनियोजित रूप से करने का अवसर प्राप्त हो सके। आगामी पेराई सत्र के लिये भी अन्य वर्षों की भांति किसानों द्वारा पिछले चार वर्षों (1984–85, 1985–86, 1986–87, 1987–88) में पूर्ति किये गये गन्ने की औसत मात्रा उनका बेसिक कोटा माना जायेगा। मिल

द्वारा आफर किये गये गन्ने की तौल में जो माइनर होने पर जो बचत कोटा है उसे बढ़ोत्तरी कोटा कहते हैं ।

यदि मिल चाहे तो आवेदन पत्र देती है । सरकार की तरफ से व्यवस्था है कि वह इसका बांड भराकर गन्ना पेरने की व्यवस्था करे । यदि मिल नहीं देती है तो वह सरकार से प्रतिबन्धित है कि जब तक सरकार का आदेश नहीं मिलेगा, मिलें कदापि बन्द नहीं हो सकतीं । किसानों को चीनी मिल की आवश्यकतानुसार सामान्य बढ़ोतरी एवं अतिरिक्त सट्टा कराने की भी सुविधा दी गयी है । छोटे किसानों को सुविधा दिये जाने के उद्देश्य से जिन कृषकों का सट्टा पश्चिमी क्षेत्र में 40 कुन्तल एवं पूर्वी क्षेत्र में 25 कुन्तल या इससे कम है उनको छोटा माना गया है और उन कृषकों का गन्ना हर चीनी मिल को 90 दिन के अन्दर पेर लेना आवश्यक है । मान्यवर, सत्र 87–88 में जनवरी, 88 तक 1728 खाण्डसारी की लाइसेंस कृत इकाइयां हैं जिनमें से 1534 इकाइयों ने कार्य किया और 479.17 लाख कुन्तल गन्ना पेर कर 17.65 लाख कुन्तल खाण्डसारी चीनी बनायी ।

मान्यवर, इस वर्ष कुछ इकाइयां बन्द हो गयी थीं इसलिये सदन में बार बार गन्ने की समस्या उठाई जाती है । कुछ खास कारणों से मिलों पर दबाव ज्यादा बढ़ गया था जो दूर किया जा रहा है और जल्द ही दूर कर दिया जायेगा । मान्यवर, जनवरी, 88 तक इकाई स्वामियों पर 4.40 करोड़ रु0 का क्रय कर लगाया गया, इसमें से 423 करोड़ रुपये वसूल हुए तथा 0.17 करोड़ रुपये वसूली अवशेष हैं । कुल गन्ने का लगभग खाण्डसारी चीनी बनाने में व 30 प्रतिशत कोल्हुओं द्वारा पेरने में प्रयुक्त हो रहा है । मान्यवर जहां हम गन्ने का विकास करते हैं और गन्ना पैदा कराकर चीनी मिलों द्वारा पेरते हैं वहीं पर हम गन्ना के अनुसंधान करने में भी पीछे नहीं हैं । मान्यवर, गन्ने का प्रथम शोध संस्थान 1912 में शाहजहांपुर में स्थापित हुआ था । अब हम यह जान पाये हैं कि फलक के फूल से भी गन्ना होता है अभी तक हम यह जानते थे कि तने से ही गन्ना होता है । इस अनुसंधान केन्द्र के अलावा आठ और उप अनुसंधान केन्द्र हैं—सेवरही लक्ष्मीपुर (देवरिया), कूड़ाघाट (गोरखपुर), गोला में दो केन्द्र, काशीपुर, मुजफ्फरनगर, और दौराला । यहां पर उपज का विकास किया जाता है । यू0पी0–5,6,7 यह उपज बाहर जा चुकी है और यू0पी0 8,9,10,11 यह अच्छी प्रगति में है । आज गन्ने के मामले में हम किसी प्रदेश से पीछे नहीं हैं । गन्ना अनुसंधान में हमारा कदम बढ़ता ही जा रहा है । भविष्य में और भी अनुसंधान केन्द्र खोले जायेंगे । जितना हमने इधर प्रगति की है उतना हमने राष्ट्रीय नीति में भी की है, उसमें हम पीछे नहीं हैं । कभी-कभी विवाद आ जाता है कि गन्ने को परिवार नियोजन के साथ क्यों लगाया गया है । मान्यवर, स्वेच्छा से, इच्छा से राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन यदि हो तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । परिवार नियोजन की दिशा में अपने विभाग के कर्मचारियों की प्रेरणा से इस वर्ष जनवरी, 88 तक 8281 नसबन्दियां करायी जा चुकी हैं जब कि 8 हजार का लक्ष्य था । चीनी मिलों के अलावा खाण्डसारी इकाइयों द्वारा भी इस कार्यक्रम में कार्य किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, विराजें ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, सरकार चाहती है तो इस बजट को ऐसे ही पास कर दीजिये, पास करा लीजिये क्योंकि सरकार इस पर स्वयं गम्भीर नहीं है । इस बजट पर माननीय मंत्री जी को आज देखा गया है कि सुबह से नाचते रहे हैं कभी इधर फिरते हैं कभी उधर नाचते फिरते हैं । चारों तरफ घूम-घूम कर भाषण करते हैं, मुझे दया आती है । ये तो मुन्शी हैं मालिक तो इनके हैं नहीं, जो मुख्य मंत्री हैं ।

मुन्शी क्या जवाब देंगे, जो सवाल पूछे जायेंगे और अधिकारियों में न इनके गन्ना सचिव हैं, न गन्ना आयुक्त हैं। यह सरकार गम्भीर नहीं है जो काम यहां के किसानों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बारे में सरकार की क्या नीति है, सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है तो फिर बजट पास करवा लीजिए।

श्री अधिष्ठाता---

मुंशी जी ने साबित कर दिया कि उनमें बहुत क्षमता है। उन्होंने लगातार 3 बजट प्रस्तुत किये हैं।

श्री राम भजन लाल---

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। इस पर बहस के लिये किसी और दिन 4 घंटे का समय मुकर्रर कर दीजिए। इस पर बहस जरूरी है।

श्री सत्यपाल सिंह---

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो बात उठायी, तो जब इस विषय पर चर्चा हो रही है, नीतिगत प्रश्न होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी गन्ना मंत्री हैं, उनको यहां पर होना चाहिये। यहां पर गन्ना विभाग के अधिकारी भी मौजूद नहीं हैं। इन अधिकारियों को बुलाने के संबंध में और मुख्य मंत्री जी को बुलाने के संबंध में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय मैनेजर सिंह ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, आप इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य भी रहे हैं। यह एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है। सम्मिलित उत्तरदायित्व होता है मंत्रि-मंडल का। इस समय बहुत से कैबिनेट मंत्री यहां पर उपस्थित हैं और अधिकारी जिस स्तर के आपने बताया है, बैठे हैं या नहीं, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता और बैठते हैं तो ठीक है, बैठना चाहिये, लेकिन उनको बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री अम्बार रिजवी---

मान्यवर, वैसे तो सारे अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इन दीर्घाओं का नोटिस इस सदन में नहीं लिया जा सकता। आप इसको स्वयं देख लें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

मान्यवर, यह जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात कही, तो यह मंत्री-परिषद् के सदस्यों की होती है या मुंशी लोगों की होती है।

श्री अधिष्ठाता---

मुंशी जी, आप भाषण जारी रखें।

श्री रामनाथ मुन्शी---

जी मुख्यमन्त्री, परिवार नियोजन के राष्ट्रीय प्रोग्राम में गन्ना विभाग ने अपना योगदान दिया।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी, आप स्वास्थ्य विभाग पर बोल रहे हैं, नसबंदी पर बोल रहे हैं या गन्ना विभाग के बजट पर बोल रहे हैं ?

श्री राम नाथ मुन्शी—

मान्यवर, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में गन्ना विभाग के योगदान का जिक्र मैंने किया।

विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों की प्रेरणा से इस वर्ष जनवरी, 1988 तक 8281 नसबन्दियां करायी जा चुकी हैं जब कि लक्ष्य 8,000 ही निर्धारित किया गया था चीनी मिलों खाण्डसारी इकाइयों द्वारा भी इस कार्यक्रम में कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा विशेष परिवार कल्याण शिविर भी आयोजित किये जाते हैं।

मान्यवर, अल्प बचत की बाबत भी बताना चाहूंगा। अल्प बचत के क्षेत्र में गन्ना विभाग ने इस वर्ष जनवरी में रु0 1727.295 लाख धन जमा कराया जब कि विगत वर्ष 1987 में जनवरी तक प्रगति रु0 1093.352 लाख थी। मान्यवर, ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर जब तक 1260 कि0मी0 लम्बी सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। मान्यवर, वर्ष 1986–87 में 79,000 मैट्रिक टन नत्रजन वितरण के लक्ष्य के विपरीत 79.66 हजार मैट्रिक टन नत्रजन वितरण किया गया था जब कि इस वर्ष 87–88 में 104 हजार मैट्रिक टन नत्रजन वितरण के लक्ष्य के विपरीत अब तक 84,000 मैट्रिक टन नत्रजन वितरित किया जा चुका है।

मान्यवर, प्रदेश में विकास कार्यों को सम्पादित करने के लिये इस समय 102 गन्ना विकास परिषदें कार्यरत हैं, जो बीज यातायात, गन्ना सुरक्षा, नर्सरियों का रखरखाव, अनुदान वितरण, प्रचारकार्य, सड़कों, पुलियों के निर्माण आदि का सभी विकासकार्य करती हैं। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश में सहकारी गन्ना समितियां मिलों को गन्ना पूर्ति व्यवस्था, किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान व्यवस्था, ऋण व्यवस्था खाद उर्वरक व्यवस्था, कीटनाशकों व कृषि यंत्रों की व्यवस्था करती हैं। इस समय प्रदेश में 143 समितियां हैं। मान्यवर, गन्ना किसानों को सुविधा देने के लिये, आर्थिक लाभ देने के लिए जो कदम उठाये हैं, उनके क्रम में यह भी बताना चाहता हूं कि नाबार्ड योजना के अन्तर्गत किसानों को 5,000 रु0 तक 11 1/2 प्रतिशत ब्याज दर पर, 5,000 रु0 से 10,000 रु0 तक 12 1/2 प्रतिशत तथा 10,000 से 15,000 रु0 तक 14 प्रतिशत की दर पर ऋण सहकारी बैंकों से दिलाये जाते हैं। गन्ना समितियों का जनवरी, 88 तक किसानों पर 55 करोड़ 56 लाख रु0 बकाया है। नाबार्ड योजना में किसानों को 1 अप्रैल, 1987 से फरवरी, 1988 तक 4002 लाख रु0 के ऋण वितरित किये गये हैं।

मान्यवर, इस तरह से एक अरब रुपये गन्ना किसानों को कर्ज के रूप में देकर सरकार गन्ना विकास में योगदान कर रही है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, किसानों को अनुसंधान की नयी सिफारिशों तथा नयी तकनीक बताने, सरकारी नीतियों को बताने के लिये प्रभावी ढंग से प्रचार कार्य विभिन्न दृश्य श्रव्य माध्यमों से हो रहा है। इसी एक महीने के विशेष प्रचार अभियान में सभी गन्ना उत्पादक गांवों में प्रचार कार्यकर्त्ता ग्राम सभायें, सामूहिक सभायें, फिल्म शो आदि करके किसानों तक पहुंचे। इस साल दिसम्बर, 1987 तक 47984 ग्राम सभायें, 489 सामूहिक सभायें, 35 प्रदर्शनियां, 998 चल चित्र प्रदर्शन किए गए तथा 271 लाख पर्चे बांटे गये। मान्यवर, प्रशिक्षण कार्यक्रम गन्ना किसान संस्थान द्वारा चलाया जाता है। जनवरी, 88 तक 10318 किसानों व 6505 कर्मचारियों व अधिकारियों को इस वर्ष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रत्येक जोन में जाकर भी किसानों को दिया जाता है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो लिखी हुई बातें पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय। लिखा हुआ जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ा हुआ मान लें, उसके बाद जो कहना चाहें, कहें।

श्री राम नाथ मुन्शी--

आंकड़े तो देख लेने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, आंकड़े देख रहे हैं।

श्री राम नाथ मुन्शी--

मान्यवर, इस समय 104 चीनी मिलें प्रदेश में हैं। इसमें 30 कोआपरेटिव की हैं, 31 मिलें चीनी निगम की हैं, 41 निजी क्षेत्र की हैं तथा 2 रिसीवरशिप में हैं, मान्यवर, गन्ना पेराई जितनी हुई है, उसमें 10 परसेंट अपनी क्षमता से अधिक पेरा गया है। मान्यवर गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से उचित मूल्य हमेशा दिया गया है और इस वर्ष भी दिया जा रहा है। इस वर्ष पूरब में दो रु0 और पश्चिम में ढाई रु0 बढ़ाकर दिया गया है। मान्यवर, इस तरह से गन्ना किसानों के हित में जो कार्य किये गये हैं, वह सराहनीय है। इस वर्ष .77 रिकवरी कम आ रही है, जो दो रुपये इस तरह से कम हो गये और उधर 2 रु0 मूल्य गन्ना खरीदते वक्त ज्यादा दिये जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे इन विचारों से गन्ना विकास के संबंध में किये गये कार्यों से, माननीय सदस्यगण संतुष्ट होंगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अच्छे सुझाव देंगे जिससे किसानों की जो रीढ़ है, प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है, देश की आर्थिक रीढ़ है गन्ना उपज आगे बढ़े और विकसित हो। मैं चाहूंगा कि आप इस बजट को पारित करायें और सहयोग दें। (मेजों की थपथपाहट)

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय के खड़े होने पर मेजों की थपथपाहट)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24--गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी जब गन्ने पर चर्चा प्रारम्भ करने के लिये माननीय राज्य मंत्री जी हुए तो मुझे लगा कि कोई गंभीर नीतिगत बात वे करेंगे। मान्यवर वैसे यह सरकार अगर गन्ना कृषकों के प्रति संवेदनशील होती वैसे तो यह संवेदनहीन है तो इस समय गन्ने पर चर्चा न कराती। मान्यवर, आप देखें इससे पहले दो बजट रखे गये परिवहन, आबकारी फिर गन्ना अब आया। अभी तक तो माननीय मंत्री जी लड़खड़ा रहे थे अब बजट यहां प्रस्तुत करने के बाद बाहर चले गये हैं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में गन्ने के उत्पादन से प्रदेश का बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश में 1935-36 में एक गौरव स्थापित हुआ था कि जब पूरे हिन्दुस्तान के टोटल चीनी प्रोडक्शन का 57.7 प्रतिशत हमने पैदा किया था। मान्यवर सन 1939-40 से गन्ने के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा और अन्य प्रदेश में जलवायु की दृष्टि से, भूमि की दृष्टि से सक्षम लोग गन्ने के उत्पादन में आगे आये। वर्ष 1939-40 में हमारी गन्ने की उपज 53.1 प्रतिशत रही और जब हमारी नीतियां उत्तरोत्तर गन्ना किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण हो गईं तो वर्ष 1981-82 में टोटल प्रोडक्शन का पूरे प्रदेश में केवल

23.5 प्रतिशत रह गया। आज मैं इसलिये इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि न केवल गन्ना उत्पादन, किसान ही इससे जुड़े हैं बल्कि कर के रूप में केन्द्रीय सरकार के खाते में और प्रदेश के वित्तीय खाते में अधिक से अधिक धनराशि इसी के माध्यम से आती है। लेकिन आज हिन्दुस्तान के पैमाने पर हमारा उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों से लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम पिछली वर्ष की अपेक्षा गन्ने का उत्पादन अधिक करने जा रहे हैं, तब मैंने सोचा कि गन्ने का जो उत्पादन इन्होंने किया, उस हिसाब से इनका उत्पादन अच्छा रहा होगा। लेकिन इन्होंने जो पुस्तिका प्रस्तुत की है उत्तर प्रदेश शासन 1988-89 गन्ना विकास उसके हिसाब से गन्ने का जितना उत्पादन होना चाहिये, वह नहीं हुआ। आपने जो पुस्तिका दी है मैं उसके पृष्ठ-17 पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें प्रदेश के गन्ना विकास का हिसाब-किताब दिया हुआ है। हमारा जो क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से वर्ष 1986-87 में 17.28 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था गन्ने की बोवाई का लेकिन 16.59 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया गया। इसी तरह वर्ष 1987-88 में लक्ष्य 17.60 लाख हेक्टेयर का था जबकि इसके विपरीत उपलब्धि रही 18.50। लेकिन जो उत्पादन औसत उपज है वह 47.50 एम0टी0 है जो विगत वर्ष से कम है इस वर्ष आपका लक्ष्य 53.00 लाख मीट्रिक टन का है।

मान्यवर, सरकार की जो नीतियां, जिस ढंग से बनती हैं और जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य के हिसाब से समुचित साधन और समुचित व्यवस्थायें अगर यह विभाग को उपलब्ध करायें तो किसानों का उत्पादन ज्यादा होगा। लेकिन लक्ष्य ज्यादा निर्धारित कर दिया जाता है और किसान को समुचित साधन मुहैय्या नहीं कराये जाते हैं। इस कारण यह लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। मान्यवर, मंत्री जी आंकड़े तो बता रहे थे, लेकिन यह नहीं बता रहे थे कि लक्ष्य का कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ। मान्यवर, यह जो गन्ने का उत्पादन है, यह और प्रदेशों के मुकाबले काफी कम है। यह सही है कि गन्ने के लिये भूमध्य रेखा से 15.8 अंक्षाश उत्तर में और 60 डिग्री फारेन हाइट का तापमान होना चाहिये और इस दृष्टि से तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि प्रदेश उपयुक्त हैं। इसके लिये 40 इंच वर्षा की आवश्यकता भी होती है। हम अगर इस तरह की जलवायु उपलब्ध नहीं करा सकते, लेकिन प्रदेश में सिंचन क्षमता बढ़ाकर, उर्वरक बढ़ाकर उत्पादन क्षमता को तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम दो करोड़ हेक्टेयर के करीब गन्ने को पानी ही नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादन और प्रदेशों के मुकाबले हमारा कम है। कर्नाटक जो हमसे पीछे हुआ करता था, वह आज हमसे आगे है। महाराष्ट्र, पंजाब भी हमसे आगे हैं। मान्यवर, यह जब कह रहे थे कि हमारा उत्पादन इस वर्ष 51.7 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गया। मान्यवर, चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि हिन्दुस्तान का एवरेज 60 टन से भी ज्यादा हो गया है। आप हिन्दुस्तान के पैमाने पर इस प्रदेश को लाने में अक्षम रहे हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के आंकड़े मैं अगर आपको दिखा दूं, तो आप दंग रह जायेंगे। मान्यवर, मैं अन्य प्रदेशों की बात नहीं करता हूं, लेकिन 1985-86 के आंकड़े देकर एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। 1985-86 में महाराष्ट्र में 89.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर गन्ना पैदा हुआ, कर्नाटक में 78.9 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर गन्ना पैदा हुआ और उत्तर प्रदेश में केवल 49.0 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर गन्ना पैदा हुआ। टोटल प्रोडक्शन का आधा गन्ना जो प्रदेश पैदा करता रहा हो, आज उसे आपने इस स्तर तक पहुंचा दिया। इसके लिये किसान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिये सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। किसानों को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिये था, वह आप उन्हें मुहैय्या नहीं करवा पाये। रिकवरी की तरफ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि परता जलवायु, क्षेत्र व पानी पर निर्भर करता है। हमारे प्रदेश में गन्ना की पैदावार को बढ़ाने के लिये मिलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये अच्छे परते वाले गन्ने को होना चाहिये। लेकिन वह नहीं हो पा रहा है। कुछ

प्रजातियों को इन्होंने खोजा, जिनकी रिकवरी 11 परसेन्ट तक है, लेकिन टोटल उत्पादन कम है, जिसकी वजह से किसान इसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है । परता भी अच्छा हो और उत्पादन भी अच्छा हो, ऐसी प्रजातियों को खोजा जाय, जिससे किसान भी उनकी तरफ आकृष्ट होगा । 1148 नम्बर का एक गन्ना था, जिसकी पैदावार भी अच्छी होती थी और परता भी अच्छा होता था, उसके बाद नम्बर 60 है या 64 उसे आपने खोजा । मेरे यहां तो यह बहुत कम है, लेकिन इस प्रजाति के गन्ने का परता 11 परसेन्ट से भी ज्यादा है, सुना है कि हरियाणा सरकार इस गन्ने को 32 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से खरीद रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भी इसे 32 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से खरीद रहे हैं, लेकिन यदि उपज आधी आती है, तो उस 5–6 रुपये के बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है और किसान उसकी तरफ दिलचस्पी नहीं लेगा । कोशिश यह होनी चाहिये कि परता भी अच्छा हो और पैदावार भी अच्छी हो । शाहजहांपुर व स्योरही के आपके जो संस्थान हैं, वह इसमें दिलचस्पी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनको परश्यूएड किया जाय कि वह इस क्षेत्र में आगे आवे ।

अब मैं मान्यवर, मंत्री जी को शोध के बारे में बताना चाहता हूं । पिछले वित्तीय वर्ष में 1987-88 में इन्होंने आयोजनेत्तर में 81 लाख 87 हजार रुपये दिये अनुसंधान के लिये और आयोजनागत में 50 लाख रुपये दिये, कुल टोटल है 1 करोड़ 31 लाख 87 हजार रुपये और इसका पुनरीक्षित आंकलन आया 1 करोड़ 35 लाख 4 हजार । इस साल 86 लाख आयोजनेत्तर में और 42 लाख आयोजनागत में दिया गया है, टोटल है 1 करोड़ 28 लाख 86 हजार रुपये । क्या इतने से शोध हो पायेगा ? मेरा कहना है कि इसके लिये ज्यादा धन की आवश्यकता है । आप अधिक से अधिक वैज्ञानिकों को परश्युएड करें तभी इसमें कुछ हो पायेगा । अच्छी क्वालिटी की प्रजाति की खोज की जाय, जिसका परता व पैदावार दोनों अच्छे हों, क्योंकि किसान को उतना ही श्रम करना होता है । जितनी अच्छी मैं कोयम्बटूर का जो शोध संस्थान है, उसने आपकी कुछ प्रजातियों से अच्छी प्रजातियां निकाल दी हैं । यहां जो प्रजाति निकाली भी जाती है तो किसान तक पहुंचते-पहुंचते उसे 3–4 साल लग जाता है, इस बीच मालूम होता है कि कुछ रोगों से वह प्रभावित हो गया है और जो उसका लक्ष्य था उत्पादन का, वह भी कम हो गया है । मेरा कहने का मतलब यह है कि शोध में कन्टीन्युएटी रहनी चाहिये, इसके लिये अधिक धन देने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, इनकी जो 140 सहकारी गन्ना समितियां हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इन समितियों की बहुत ही दयनीय स्थिति है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि इन 140 सहकारी गन्ना समितियों का पूरा खर्चा, जो 35 पैसे प्रति क्विन्टल गन्ना खरीद पर मिलों से टैक्स दिलवाते हैं, उसी से चलता है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डोईवाला, मवाना और मेरठ की कुछ समितियों को छोड़ कर कोई समिति ऐसी नहीं है जो अपना खर्चा कमीशन से चला पा रही है । इन समितियों में 14,000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं । गन्ना किसानों को दाम जो मिलना चाहिये, उसको उन्हें देने के बजाय मिलों से पैसा लेने के बाद इन कर्मचारियों का वेतन दे दिया जाता है । ये समितियां दिवालिया हो रही हैं । मेरे क्षेत्र में बढ़नी गन्ना सहकारी समिति 1978–79 और 1979–80 में गन्ना किसानों का 5 लाख रु0 नहीं दे सकी और सारा पैसा अपने कर्मचारियों के वेतन में दे दिया । हम लोग बराबर लड़ते हैं । यहां पर एक पण्डित जी थे सोसाइटी के सचिव, वहां की सोसाइटी की हालत वैसे ही खराब थी, उनको सोसाइटी का सचिव बनाकर भेज दिया गया, जिससे वह परेशान हैं उनकी तनख्वाह थी 3,000 रु0 महीना यानी 36,000 रु0 सालाना । मन्त्री जी से कहा तो उन्होंने कहा कि खत्म हो जायगा, लेकिन श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सचिव इनको कुछ समझते ही नहीं हैं । माननीय मुख्य मंत्री और सचिव के बीच में मंत्री जी एक लैटरबाक्स की तरह हैं ।

हमारे क्षेत्र में किसानों का गन्ने का दाम कर्मचारियों के वेतन में जा रहा है । आपको इन समितियों को सुधारना होगा । समितियों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाना होगा । चाहे अनुदान दीजिये या कुछ भी करिये, लेकिन कुछ करना होगा । इन समितियों को तोड़ नहीं सकते, कर्मचारियों को निकाल नहीं सकते । कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने गन्ना सहकारी समि-

तियों का विधेयक इसी सदन में इस अपेक्षा एवं उमंग से पास किया होगा कि ये समितियां किसानों के हितों को बिचौलियों से और मिल मालिकों के शोषण से बचायेंगी, लेकिन ये ही आज किसानों की शोषक और विरोधी कार्य कर रही हैं। इन समितियों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये कार्य करना होगा। एक समिति वाल्टरगंज में है, 1 करोड़ 80 लाख का पावना है। वैसे ही यहां गन्ना संघ है। यह गन्ना संघ केवल राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों की सुख-सुविधा के लिये खोल रखा गया है। इनको करोड़ रुपये का अनुदान देते हैं। यह मार्जिनल ब्याज पर बैंक से ऋण लेकर खाद लेते हैं और समितियों को देते हैं, समितियां किसानों को देती हैं। जितना यह ब्याज लेते हैं, यह समितियां वसूल कर नहीं पाती हैं। चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। अगर सारी समितियों की प्रापर्टी भी बेच दी जाय तो भी संघ का बकाया समितियों से नहीं मिल सकता है, जो अनुदान संघ को देते हैं, सीधे समितियों को दीजिये। जो खाद संघ के माध्यम से देते हैं, सीधे समितियों को दीजिये। ये संघ की तरफ से वसूली अधिकारी होते हैं। वसूली तो कर नहीं पाते हैं, जिस दिन नोटिस काटते हैं उसी दिन 10 प्रतिशत वसूली ले लेते हैं, समितियों के खाते में रुपया लिख लेंगे चाहे वसूलें या नहीं। यह नियम बना दीजिये कि जो धनराशि आयेगी, उसमें से दश प्रतिशत वसूली का खर्चा लिया जायगा।

मान्यवर, समितियों की हालत के बारे में हमने आपका ध्यान आकृष्ट किया और इसके बाद में आपका ध्यान संघ की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि संघ का कार्यकलाप बहुत अच्छा नहीं है। मैं बहुत आलोचना नहीं करता क्योंकि बहुत आलोचना करना भी ठीक नहीं होता है लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संघ पर आप नियंत्रण करिये और जरा इसे खुद भी देखिए। वहां जितने अधिकारी काम करते हैं, एक दूसरे को पहचानते तक नहीं हैं। मैं एक बार माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी के साथ गया था तो वहां पर देखा कि वहां के अधिकारी को दूसरे अधिकारी के बारे में कुछ पता नहीं है। इसका कारण यह है कि आई0 ए0एस0 और पी0 सी0 एस0 के संचालक मण्डल के लड़के वहां अफसर हैं और ये लोग अपने घरों के लोगों को वहां पर भरे हुए हैं, इस पर आप कोई नियंत्रण कायम करिये। आप समितियों के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देते हैं परन्तु बोनस के नाम पर संघ के कर्मचारियों को पैसा देते हैं। इस पर भी आप प्रतिबन्ध लगाइए।

गन्ने के मूल्य के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसको आप एक तरह से निर्धारित नहीं करते हैं, कभी आप परता के आधार पर इसे लगाते हैं। आज भी प्रदेश में किसानों का 6 करोड़ रु0 से ज्यादा का मूल्य शेष है। यह समितियां 1977-78 में शुगर केन परचेज एक्ट में जनता पार्टी के राज्य में इसमें प्राविधान किया गया था कि जो फैक्ट्री 15 दिन तक गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं करेगी उससे ब्याज का 18 परसेंट लिया जायेगा। मैं आपको बतला रहा हूं कि हमारे यहां गोविन्द नगर फैक्ट्री जो है उस पर 37 लाख रु0 गन्ने का मूल्य ब्याज अवशेष है। आप यही व्यवस्था कर दीजिए कि समितियों के बारे में जो प्राविधान किया गया था कि मूल्य का धन शेष होने पर ब्याज की वसूली की जायेगी। आप कहते हैं कि चूंकि केन्द्र ने जो गन्ना मूल्य निर्धारित किया है हम इससे अधिक देते तो बात और है नहीं तो यदि 15 दिन तक किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान यदि फैक्ट्रियां न करें तो उनसे आप कम से कम ब्याज की वसूली के आदेश तो कर ही सकते हैं। हमारे यहां वाल्टरगंज फैक्ट्री पर गन्ने के मूल्य का 30 लाख रु0 बकाया है। अरबों रुपया इस तरह से बकाया का फैक्ट्रियों में पड़ा हुआ है, जो पावना है समितियों का, उसको मिलों को देना दिखते हैं। वे इस तरह से टैक्स देने से बच जाते हैं। 30 लाख रु0 पर जो टैक्स होना चाहिये वह उसे देने से इस तरह से बच जाते हैं और आप उनसे टैक्स वसूल नहीं कर पाते हैं इसलिये आप उनकी बैलेन्स शीट को अलग करिये और उसका निरीक्षण करिये।

गन्ने का दाम यदि जोड़ा जाय तो पूरे गन्ने के उत्पादन, पेराई के कन्वर्जन मूल्य प्रदेश का जोड़ा जाय तो मैं समय की कमी से मा0 मुन्शी जी अधिक हिसाब-किताब में जाना नहीं चाहता हूं, नहीं तो अभी मैं गुणा-भाग करके आपको समझा देता कि गन्ने का मूल्य प्रति क्विन्टल 33 रु0 77 पैसा आता है। आप परता के हिसाब से गन्ने का दाम जोड़ते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आपका क्या झगड़ा है। हम बड़ा परिश्रम करते हैं पूर्वी जोन उतना ही परिश्रम करता है जितना कि पश्चिमी जोन। पूर्वी जोन में मान्यवर, 6 करोड़ 65 लाख 12 हजार क्विन्टल गन्ना पिछले साल मिलों ने पेरा जिसके मूल्य का यदि आप प्रति क्विन्टल एक रुपया भी कम देते हैं तो जान लीजिए कि 6 करोड़ 55 लाख 12 हजार रु0 आपसे कम देते हैं किसान इससे वंचित रह जाता है वह किसान जो नंगा, भूखा परेशान है और यह रुपया उनके पास चला जाता है जिनके लड़के गाड़ियों में घूमते हैं। इस तरह से किसानों के परिश्रम का पैसा अपने महाजनों के घर में डाल दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रिकवरी 10 प्रतिशत होती है और हमारे गांव का किसान भी गन्ना बोता है और उतनी ही मेहनत करता है और खर्च करता है परन्तु उसकी रिकवरी 8 व 9 प्रतिशत ही होती है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? इसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री वालों की है। इसे मान्यवर, आप दिखवायें। इनके निकम्मेपन को दूर करायें। अगर यह फैक्ट्रियां निकम्मी हो जायें तो क्या इसका परिणाम देश और प्रदेश का किसान भुगतेगा (मा0 मुख्य मंत्री जी को संबोधित करते हुए) अब तो आप आ गये हो, कम से कम इसके दोहरेपन को समाप्त कर कुछ तो कल्याण पूरब वालों का कर डालो। यही नहीं मान्यवर, यह जो सूबों को जोन के हिसाब से बांटा गया है। यहां पर जो बाबू रहे हैं, जो कृषि के बड़े विशेषज्ञ हैं, वह फ्रांस गये हुए थे, वह स्वयं ही बता रहे थे कि वहां पर एक ऐसी मशीन है जो केवल डेढ़ दो लाख की ही मिलती है। अगर उसको टैंक के साथ लगा दिया जाय तो वह एक घंटे के अन्दर रिकवरी का पता दे देती है। परते पर जो किताबें उत्तर प्रदेश गन्ना एवं कृषि विभाग में लोगों के उपयोग व हित के लिये प्रकाशित हुई हैं, उन्हें मान्यवर, छिपाकर दफ्तर में रख दिया गया है, जिसमें परते के बारे में स्पष्टतौर पर दिया गया है, जिसे देखकर लोगों के समझ में सही बात न आने पावे, बड़ी मुश्किल से खोजकर निकाली है, जिसका नाम है "उत्तर प्रदेश का गन्ना एवं चीनी उद्योग की प्रमुख सांख्यिकी, जिसके पृष्ठ 51 पर दिया है कि पश्चिम बंगाल में जिसका परता 7.02 है और इसी पुस्तक के पृष्ठ 53 पर गन्ने के दाम दिये हैं। पश्चिम बंगाल 25 रुपया प्रतिक्विन्टल, आप भी देख लीजिएगा, जिसे आपने चुपके से प्रकाशित किया है, और उस पर चुपके से यह भी लिख दिया है कि केवल सरकारी उपयोग हेतु, यह इसलिये किया गया कि कहीं हम लोग विपक्षी लोग इसकी हकीकत को न समझ जायें और इसी प्रकार से राजस्थान का परता है 6.45 वर्ष 1985-86 में और गन्ने के दाम हैं 23 रु0 से लेकर 25.50 तक।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जहां गन्ना पैदा होता है, वहां की बात करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

ठीक मान्यवर, वहां की बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां गन्ना ज्यादा होता है, वहीं की बात करेंगे कि पश्चिम में मुजफ्फरनगर है, वहां गन्ना अधिक होता है वहां का भाव 20 रु0 कर दीजिए। (हंसी) तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो परता आता है मेरे यहां बस्ती शुगर फैक्ट्री है उसका प्रति परता 10 प्रतिशत आता है तो वही परता, पश्चिम उ0 प्र0 में इसका भुगतान में फर्क क्यों आ रहा है, इसलिये इस ओर आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस फर्क को दूर किया जाए और केन्द्रीय सरकार से भी अनुरोध किया जाये कि वह इस पर विचार करे और इसकी स्थिति में कुछ सुधार लावें। दूसरी बात

मान्यवर, हमारे यहां आज तीन प्रकार की फैक्ट्रियां हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर, दूसरी सहकारिता और तीसरी निगम की। यह तीन प्रकार की फैक्ट्रियां इस क्षेत्र में हैं, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने जो उसकी स्थापित क्षमता कायम की है, उसको आप देख लें, आपकी जो यह पुस्तक है, उसमें दिया हुआ है कि आप पूरी क्षमता से गन्ने की पेराई नहीं कर पा रहे हैं। उसके आंकड़े भी मैं आपको बताता हूं, निगम की चीनी मिलों की संख्या 30 है और कुल लाइसेंस्ड क्षमता (टी0सी0डी0) 44301 है और प्रति मिल औसत 1477 है, यानी इनकी क्षमता 1000 से कम है। यह औसत क्षमता पश्चिम की एक, पूर्व की 12 और इस प्रकार कुल प्रदेश की 13 मिलों में नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार से सहकारी क्षेत्र में, 29 चीनी मिलों में कुल टी0सी0डी0 41800 है और औसत प्रति मिल 1441 है। यह 1000 से 1229 तक है, इसमें पश्चिम की 1 मिल, मध्य की 3 मिलें, पूर्व की 10 मिलें और कुल प्रदेश में 14 मिलें हैं, अर्थात् 27 मिलें ऐसी हैं जो औसत से कम पेराई कर रही हैं। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप गन्ने की पेराई कैसे कर पायेंगे। जब आप स्थापित क्षमता से कम गन्ने की पेराई करेंगे तो कैसे पूरा गन्ना पेर पायेंगे? यह मैं नहीं समझ पाता हूं। अगर आपकी समझ में आता हो तो बता दें।

मान्यवर, यही नहीं मैं और बताता हूं। थोड़ा समय और दे दें। अपनी बात पूरी करता हूं। जो इनका सेवेन्थ प्लान है, उसमें दिया हुआ है वर्ष 1986-87 में जो गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है वह 1.90 लाख टी0सी0डी0 रखा गया है और गन्ने उत्पादन का लक्ष्य 23.60 लाख टी0सी0डी0 रखा गया। इस किताब में लिखा हुआ है है, जो आपके यहां से प्रकाशित हुई है। वर्ष 1986-87 में रजिस्टर्ड दैनिक पेराई क्षमता (टी0सी0डी0) 1,67,971 थी। लक्ष्य था आपका 1.90 हजार का और आपने पेराई कराई 1,67,971 की और आप कर रहे हैं कि क्षमता से अधिक पेराई हो रही है। या तो आपका कहना गलत है, या यह किताब गलत है। मान्यवर, अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री राम भजन लाल--

माननीय अध्यक्षता महोदय, मेरे सामने जो बहस चल रही थी, उसको मैं अपने हृदय पर पत्थर रख कर सुन रहा था। मैं नहीं चाहता था कि इस बहस में किसी तरह का हिस्सा लूं, मैं हर तरह से टालना चाहता था, लेकिन एक चीज ऐसी आ गयी, जिससे मुझे इस बहस में हिस्सा लेना पड़ा क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग यह सोचेंगे कि इतनी महत्वपूर्ण बहस में हमारे प्रतिनिधि ने, नुमाइन्दे ने कोई भाग नहीं लिया। मुख्य मंत्री भी चले गये। मैं चाहता था कि अपनी बात उनके सामने रखता और वह हमारी बात को सुन लेते। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में 4 महीने हो चुके हैं, 15 दिन कुल तौल की गयी है। पिछले 2 डेढ़ महीने बन्द रही और हमारे विभाग के जो मंत्री हैं, जो सचिव हैं और जो अधिकारी हैं वह बड़े हठी हैं, वह किसी की बात सुनते ही नहीं हैं। गन्ना सूख रहा है। हमारा क्षेत्र सूखाग्रस्त का इलाका है। कोई सुनने वाला नहीं है। सभी लोग आश्वासन देते हैं। मैंने गन्ना गोला से दूसरी जगह भेजने के लिये कहा तो सचिव ने उसकी कतई परवाह नहीं की और कल यह कह दिया कि हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे मैं आपसे पूछता हूं कि क्या गन्ने का डाइवर्जन भी गैर-कानूनी काम है। यह तो हमेशा होता रहता है। जितना गन्ना ज्यादा हो वह दूसरी फैक्टरियों को भेज दिया जाता है, जो गन्ना हमारी गोला फैक्टरी में जाता था उतना वे लेने के लिये तैयार थे। क्षेत्र पुवायां के लिये बलिया से गन्ना आसानी से आ सकता था उसको भी लेने के लिये तैयार थे किन्तु उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में जनता की आवाज को इस तरह से दबाया जा रहा है। मनमानी की जा रही है। इसका मतलब यह है कि नादिरशाह या अल्लाउद्दीन की हुकूमत है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसके लिये लड़ने के तैयार हूं। मैं जानता

हूं कि पार्टी की तरफ से मैं कितना वफादार हूं । मैं पार्टी के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कर सकता मैं पार्टी के लिए पीछे हटने वाला नहीं हूं । लेकिन हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको भी मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं ।

"न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है,
घुट के मर जाऊं यह मर्जी मेरे सैय्याद की है ।"

मेरे दिल के अन्दर इस तरह का दर्द है कि मैं कैसे उसका बयान करूं ।

"मेरा दरदेस्त अन्दर दि अगर गोयम जबां सौजद,
वगरदम दरकसम तरसम की मगजे उस्तखां सौज़द ।"

अगर बयान करता हूं तो अंदेशा है कि मेरी जबान जल जायगी और अगर पेट के अन्दर रखता हूं तो अंदेशा है कि मेरी हड्डियों का मगज न पिघल जाय । मैं साफ बात कहता हूं । मैं गवर्नमेन्ट की बुराई नहीं करता हूं और न पार्टी की बुराई कर रहा हूं लेकिन हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है मैं उसकी बात कह रहा हूं । इसका असर न हमारे ऊपर पड़ेगा और न पार्टी के ऊपर पड़ेगा ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के 4/5 ऐसे सेन्टर्स बेकार पड़े हैं जिनमें गन्ने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है ।....(व्यवधान)

(श्री हरेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर) (व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

(श्री राम भजन लाल के पुनः खड़े होने पर)

अब आप कृपया बैठ जायं ।

श्री राम भजन लाल--

मान्यवर, माननीय अम्मार रिजवी तथा माननीय हुकुम सिंह जी मेरी स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं । मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय माता प्रसाद पाण्डेय के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । गन्ना हमारे प्रदेश की एक कैश क्राप है....

श्री राम भजन लाल--

अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसपर मंत्री जी ध्यान दें....

श्री अधिष्ठाता--

अब माननीय सदस्य जो बोलेंगे, वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, पूरे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था गन्ने पर निर्भर करती है । इससे ज्यादा अनदेखी सरकार और क्या कर सकती है कि यह गन्ना विभाग ऐसे मंत्री को सौंपा गया है जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है । अगर सरकार इसके बारे में गम्भीर है, यह प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था का मामला है । किसानों के उत्थान का मामला है तो सबसे पहले सरकार को इनका टेस्ट लेना पड़ेगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ये गन्ने के बारे में कुछ नहीं जानते हैं । आज गन्ने का जो क्षेत्रफल है वह घटता जा रहा है और गन्ने के नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि की जा रही है । इनके घोषणा-पत्र में कहा गया है कि वह गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलायेंगे । लेकिन यह सरकार इनको लाभकारी मूल्य नहीं दिला पायी । हरियाणा 32 रुपये क्विन्टल दे रहा है और वहां निश्चित रूप से रिकवरी कम है । मैं इस मत का हूं और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि समान मूल्य के साथ ही उसे लाभकारी मूल्य भी दिया जाय । किसान के खून-पसीने की कीमत अधिकारियों और मिल मालिकों की जेबों में न जाय । इन्होंने किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य देने के बजाय मिल मालिकों को पैसा देने का काम किया है । इन्होंने किदवई फार्मूले को भी शामिल नहीं किया है । माननीय पाण्डेय जी ने इनको रचनात्मक सुझाव दिये हैं । माननीय मंत्री जी को किसानों की परेशानियों की जानकारी नहीं है क्योंकि वह आपस में बातों में लगे हुये हैं । इन्होंने गन्ना संघ की बात कही । गन्ना संघ को भी आप देख लें उसमें इनके जो आंकड़े हैं पिछले दो सालों के उर्वरक बांटने के उसमें कमी की है । 1985 में 34 करोड़ 60 लाख का उर्वरक बांटा है और इस वर्ष जब सूखा पड़ा जब यह किसानों की सहायता की बात करते हैं । 1987-88 में 10 करोड़ 11 लाख का उर्वरक बांटा है तो इससे मालूम हो जाता है कि यह कितना किसान की सहायता करना चाहते हैं । गन्ना संघों की बात अभी माननीय पाण्डे जी ने कही । उनकी गाड़ियां अधिकारियों के बच्चों को स्कूल छोड़ने और सिनेमा दिखाने के लिये उन्हें ले जाने का काम करती हैं । उसका पैसा किसानों से लिया जाता है । सोसाइटी से जो ऋण वह लेते हैं उस पर ब्याज लेते हैं अगर आज किसान ऋण लेता है और परसों गन्ने की पूर्ति करता है और उसके भुगतान में देर होती है तो ब्याज उसके ऋण की वसूली में जोड़ दिया जाता है । इस प्रकार 18 परसेन्ट ब्याज किसान को देना पड़ता है, यह काला कानून आपका बना है । उस किसान का पैसा मिल पर बकाया है लेकिन ब्याज किसान को देना है । इसलिये ब्याज जो है वह मिल मालिक से लिया जाना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने 14 दिन के अन्दर गन्ना किसान को भुगतान करने की बात कही । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी 14 दिन में भुगतान नहीं हो रहा है । मैं चुनौती देता हूं कि हमारे यहां के मंत्री जी यहां पर बैठे हैं माननीय हुकुम सिंह जी परसों यह उदास बैठे थे, आज कुछ खुश नजर आ रहे हैं । वह जानते हैं हमारे यहां 4 मिलें हैं कहीं पर भी एक डेढ़ महीने से पहले भुगतान नहीं हो रहा है आज भी उनका पैसा रुका हुआ है 1977 में जब जनता सरकार थी माननीय हुकुम सिंह भी उस समय इधर थे उस वक्त कहा गया था कि किसान का जो पैसा बकाया है उस पर 18 परसेन्ट ब्याज देना होगा । वह इस सरकार ने कहीं दिया हो तो बता दें । हमारे यहां मंसूरपुर में 77 लाख रुपया किसानों का मिल मालिकों पर बकाया पड़ा है । यही नहीं, गन्ना किसान जब अपने गन्ने को बेचने जाता है तो उसका गन्ना कम तौला जाता है, उसे अधिकार नहीं है कि कम तौल की शिकायत कर सके । यह हिन्दुस्तान का काला कानून है । हमारी मांग है कि गन्ना किसान को कांटा चेक करने का अधिकार दिया जाय ।

जहां तक बीज निगम की बात है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है जिससे किसानों को फायदा हो । पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरबी उत्तर प्रदेश के लिये एक प्रजाति 1148 नाम की निकाली थी उसकी इल्ड पहले अच्छी थी लेकिन अब उसमें सूख आ गयी है, देहरादून और सहारनपुर में वह सूखने लगी है और वहां से वह मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ रही है । बीज निगम के अधिकारी इस सम्बन्ध में छानबीन कर रहे हैं । अधिकारी आस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में जाकर लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं । हमारे यहां मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर में गन्ना बीज प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण चला रहा है । हम जानना चाहते हैं कि अभी तक कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया है ? उसके नाम पर लाखों रुपया बर्बाद कर दिया है, किसानों को उससे कोई लाभ नहीं है, अभी एक निर्णय लिया गया है हमारे जनपद में एक करोड़ की लागत से संस्थान की बिल्डिंग बनेगी । तो उस बिल्डिंग का क्या फायदा किसान को होता है यह देखने की बात है । आज किसानों को अच्छे बीज की जरूरत है उसकी वह पूर्ति नहीं करता है किसान की फसल सूख रही है उसके लिये कोई नई प्रजाति वह पैदा

नहीं कर रहा है । दूसरी ओर एक करोड़ की बिल्डिंग शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर में बना रहे हैं जिससे किसान का कोई फायदा नहीं है । सी0 ओ0 जी0 64 नाम के गन्ने की यह दुहाई देते हैं, उसकी पैदावार अब कम हो रही है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पैदा होने के 4 महीने के अंदर उसमें रोग लग जाता है । एक दूसरी प्रजाति 802 है उसको चारा जानवर नहीं खाते हैं ।

मान्यवर, बीज निगम की मंत्री जी बड़ी बड़ाई कर रहे थे लेकिन इसमें एक भी सफल प्रजाति नई नहीं निकाल पाये हैं और अगले चार सालों तक यदि कोई नई प्रजाति का विकास नहीं किया गया तो गन्ना किसान भुखमरी के कगार पर आ जायेगा ।

जहां तक मिलों द्वारा गन्ना किसानों के विकास की बात है यह कोरी फर्जी बात है क्योंकि कहीं भी गन्ना किसानों के विकास के लिये रचनात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं, न उनके लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, न उनके बच्चों के लिये स्कूल बनाये जा रहे हैं बल्कि मिलें ही नहीं सरकार भी इस कार्य में उपेक्षा कर रही है । उदाहरण के तौर पर खतौली चीनी मिल, बुढ़ाना क्षेत्र को दस किलोमीटर रेडियस का क्षेत्र मान कर विकास कार्य करने के लिये तैयार है । परन्तु सरकार को चूंकि उनसे कमीशन लेना है, पैसा लेना है, चन्दा लेना है, इसलिये वह ऐसा नहीं करने दे रही है । अब तो स्तर यहां तक गिर गया है कि मुन्शी जी से मिल मालिकान भी नहीं मिलते हैं, बल्कि उनके कारिन्दा, जी0एम0 मिलते हैं, इनसे बात करते हैं और पैसा देते हैं, इन्हें तो गन्ने की आपूर्ति की भी जानकारी नहीं है । नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिये इस सरकार ने कानून बनाये हैं कि प्रत्येक जिले में एक चीनी मिल लगायी जायेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या औचित्य है ? जहां गन्ना पैदा नहीं होता है वहां चीनी मिल क्या करेगी, घाटमपुर और नन्दगंज इसके उदाहरण हैं । मेरी मांग है कि गन्ने के क्षेत्रफल के आधार पर नई चीनी मिलों की स्थापना की जाय ताकि मिलों को गन्ना पेराई के लिये उपलब्ध हो सकें और किसानों को गन्ना खरीद की व्यवस्था की जा सके । मुजफ्फरनगर में मेरे क्षेत्र में नई चीनी मिल और मेरठ में नई चीनी मिल अवश्य लगाई जाय ।

मान्यवर, जो निगम और संघ की मिलें हैं, आज प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिलें हैं उनकी मालिक यह प्रदेश सरकार है और उनके जी0एम0 फैक्ट्री के बाहर नहीं निकलते हैं, वह गन्ना खरीद के सम्बन्ध में जानकारी तक नहीं रखते हैं । यह जो इन्होंने सफेद हाथी पाल रखे हैं, एक एक के पास 4-4 कारें हैं, फिर भी टैक्सियां किराये पर लेकर फर्जी भुगतान दिखाया जाता है प्रत्येक मिल में गेस्ट हाउस बनाये गये हैं जिनमें प्रति माह पांच से बीस हजार रुपये तक खर्च दिखाया जाता है, इसका क्या लाभ है चूंकि किसान वहां कोई नहीं रुकता है । मुजफ्फरनगर में 1500.00 रु0 प्रति महीने किराये का भवन लेकर उसमें गन्ना विकास का दफ्तर खोल रखा है । मैं पूछता हूं कि गन्ने का विकास क्षेत्र में होगा या मुजफ्फरनगर पेराई मिल में विकास होगा । इसलिये इसके खर्च करने का क्या औचित्य है ?

मान्यवर, मुन्शी जी तारीफ कर रहे थे कि गन्ना विभाग ने राजकीय नसबन्दी कार्यक्रम में योगदान दिया है और अल्प बचत में भी योगदान दिया है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में दो करोड़ रुपया जमा करने के लिये किसानों को बाध्य किया गया है, भूखे किसानों को जबरन नसबन्दी के लिये मजबूर किया जा रहा है । क्या यह बेईमान सरकार मिल मालिकों को जो गन्ना किसान का खून चूसते हैं, को भी नसबन्दी और अल्प बचत के लिये मजबूर करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठ जायं ।

*श्री राजेन्द्र शर्मा---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि अपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस पर श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। श्री पाण्डेय जी खड़े हुए थे तो मुझे भरोसा था कि पाण्डेय जी जो कि किसान नेता और विधायक हैं कटौती का प्रस्ताव न लाकर किसानों के लिये बढ़ोतरी का प्रस्ताव लायेंगे। लेकिन मेरी उम्मीद के विरुद्ध माननीय पाण्डेय जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा जो मेरे और उनके दल के हित में नहीं है। मान्यवर, मंत्री जी ने पूर्ण नियोजित और प्रगतिशील गन्ने का बजट रखा है जिसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

मान्यवर, हमारे विरोधी साथी बार-बार कहते हैं कि सूखा पड़ा जिसमें यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष गन्ने की अनुमानित पैदावार इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार ने इस भयंकर सूखे के समय में बिजली से सिंचाई की व्यवस्था की जिसका परिणाम है कि हमारे प्रदेश में इस बार गन्ने की पैदावार बढ़ी है। गन्ना शोध संस्थान की श्री हरेन्द्र सिंह ने चर्चा की, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में गन्ना विभाग ने जो नई खोजें की हैं उनमें सी0 ओ0जी0-64, सी0ओ0जी0-802, 767, 791, यू0पी0ओ0-1 तथा 5, 6 आदि यह सारी नई खोजें हैं।

यह सारी नई खोजें हमारे गन्ना विभाग के शोध संस्थानों द्वारा की गई हैं। दूसरी चर्चा भी कई बार हमारे विरोधी साथी करते हैं। वह फार्मूला 400 गन्ने को लेकर आन्दोलन की बात करते हैं। माननीय मलिक जी तो उस समय हमारे साथ थे, प्रदेश के कई नेता जो आज मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं, इसी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय हमारे सामने कोई फार्मूला नहीं था एक ही फार्मूला था कि प्रदेश के किसान का गन्ना जलाया गया है, ऐसी स्थिति क्यों आई? जब वह मांग करने के लिये लखनऊ की सड़कों पर आये, तो न केवल उनसे मिलने से इंकार किया गया, उनका नोटिस लेने से इंकार किया गया, बल्कि उन पर सरकार द्वारा बर्बर लाठी चार्ज हुआ था। किन्तु हमारे इस शासन में आज जब कोई आन्दोलन करता है गन्ने के सवाल पर, तो प्रजातान्त्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक मर्यादायें सदैव हमारे नेताओं के सामने रहती हैं। जो अभी मेरठ में किसानों का आन्दोलन हुआ, हमारे नेताओं ने, मंत्रियों और मुख्य मंत्री ने जाकर बड़े धैर्य से उनको सुना है। इसके लिये उनको और मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। पाण्डेय जी ने कहा कि गन्ने का क्षेत्रफल अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बढ़ा है और गन्ने के मूल्य का जहां तक सवाल है, ऐसी परिस्थितियों में जो गन्ने का मूल्य परते के हिसाब से दिया गया है वह न्यायोचित है और किसान के हित में है। इसका समर्थन मैं ही नहीं, प्रदेश के किसान नेता ने भी 4 माह पूर्व किया था। इतना ही नहीं उन्होंने साथ ही में विरोधी दलों को चेतावनी दी थी कि यह गन्ने का मूल्य उचित है और इसको लेकर यदि इस समय कोई हड़ताल करता है तो हमारी राय में वह उचित नहीं है। मंत्री जी ने जो किसानों के लिये ऋण सुविधा उनकी प्रगति के लिये दी है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही अब मैं कुछ अपने सुझाव भी यहां देना चाहता हूं गन्ना मंत्री जी को। मान्यवर, नई चीनी मिलों की जब बात होती है, आज सारी मिलें जो लगती हैं 25 से 30 प्रतिशत गन्ना उनके द्वारा पेरा जाता है। इसलिये नई मिलें, जहां इतना गन्ना उपलब्ध है लगाना अनिवार्य है और यह लगाई जायं। इसके साथ में मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा:--

मान्यवर, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गन्ना बजट का विरोध और पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये कहना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बार रिजवी—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने अभी इस बजट के सम्बन्ध में कहा था कि चार घंटे तक इस पर चर्चा कराई जाय । इस पर हमने कहा था कि जब तक लोग बैठे रहे और रुचि ले रहे हों तब तक यह चलाया जाय । किन्तु वह स्वयं यहां से पलायन कर गये हैं । तो जब उन्होंने यह मूव किया था तो उन्हें यहां रहना चाहिये था ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी आपकी बात को उन तक पहुंचा देंगे ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

(बैठे-बैठे) मान्यवर, आप सबको दो-दो मिनट का समय दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को 5–5 मिनट का समय दूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर यह सरकार गन्ना और गन्ना किसानों के प्रति कितनी हृदयहीन है, इसकी जानकारी इससे लग जाती है कि गन्ना विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग बराबर मुख्य मंत्री के पास रहा है । सन् 74 से मैं ही जानता हूं, हमेशा यह गन्ना बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है । मुन्शी जी की योग्यता पर मैं कोई शंका नहीं करता हूं किन्तु यह सरकार गन्ना विभाग को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसको दर्शाना चाहता हूं । यह इस प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है । 30 लाख परिवारों का इसके साथ सीधा संबंध है । किन्तु इस सरकार के मुख्य मंत्री के पास इसके लिये समय नहीं है कि आज इस समय वह यहां उपस्थित होते । मैं मंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूं, जो उन्होंने यह बताया है कि जितना अनुमान था, उससे ज्यादा पेराई होगी । यह लोकदल की सरकार और चौधरी साहब की चर्चा करते हैं, लेकिन वह दिन शीघ्र आने वाला है श्रीमन् इसी मई जून के महीने में खेत-खेत में आग लगाई जायगी । आप मुंशी जी हमारे इलाके में चलिए । गोरखपुर देवरिया में चलिए एक भी किसान आप ऐसा बता दें जिसका आधे से ज्यादा गन्ना बिक गया हो, ऐसे बड़े लोगों को छोड़कर जो सत्ता का पक्ष करते हैं । गरीब किसान का गन्ना खेतों में सड़ रहा है । मान्यवर, मेरी चुनौती है 50 फीसदी छोटे किसानों का गन्ना खेत में लगा हुआ है । मान्यवर, यह गलत बयानी करते हैं । यह अक्षम हैं यह निरर्थक हैं । आपकी नीतियां किसान विरोधी हैं । कोई आदर्शवादिता नहीं है यह चार साल का औसत देखते हैं हमने एक साल गन्ना बोया और पिछले साल नहीं बोया, यह कौन सी नीति है.....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आप लोग बीच में न बोलें । वरना जब आप लोग बोलेंगे तो मैं भी किसी को नहीं बोलने दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया माननीय सदस्य व्यवधान न डालें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

तो चार साल का गन्ने का आंकलन का नियम इन्होंने बना दिया है । मान्यवर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि एक साल एक एकड़ गन्ना हमने बोया लेकिन उसके बाद

बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो हर साल स्थिति एक जैसी नहीं रहती है आज प्रदेश के सामने पूर्वी इलाके में गन्ना किसानों के सामने चार साल का एवरेज तखमीना किया है मैंने इसमें कई दफा काम रोको प्रस्ताव के जरिए कहा कि आप एक सर्वे करा लें। आप अपने वर्कर को भेजकर पता करा लें कि कितना गन्ना खेतों में लगा है। इनके तखमीने के कारण ज्यादातर किसानों का गन्ना खेत में पड़ा हुआ है। सारी फैक्टरियां गन्ना छोड़कर बन्द हो जायंगी और किसानों का गन्ना खेत में सूख जायगा। मैं मुंशी जी से कहना चाहता हूं यह साढ़े 32 रुपये दे रहे हैं नन्दगंज में जो फैक्टरियां हैं उसको यह दे रहे हैं। गोरखपुर की फैक्ट्री को यह नहीं दे रहे हैं। साढ़े 26 रुपये के हिसाब से गन्ना सिवरही रसड़ा जाता है। सरकारी सेक्टर में चलने वाली जो मिलें हैं वह 6 रुपये कारटेज देती हैं यह रुपया मिल मालिक को आप दे रहे हैं अपने प्रशासन को रुपया दे रहे हैं यह हमारे किसानों को क्या दे रहे हैं। हमारे इलाके का गन्ना सठियांव मिल जा रहा है। नन्दगंज को यह 6 रुपया ज्यादा दे रहे हैं हमारे यहां के किसानों ने कौन सा पाप किया है जो यह उन्हें नहीं दे रहे हैं। आज घोषणा कराये कि रसड़ा को भी 32 रुपये देंगे। जनता पार्टी की सरकार ने 35 रुपये तक दाम किसानों को दिया है जो किदवई फार्मूला है उसके अनुसार गन्ना मूल्य दें। मुंशी जी आपकी सरकार बिहार में है वहां की उसकी रिकवरी साढ़े सात प्रतिशत है। साढ़े 27 रुपया वहां किसानों को दे रहे हैं। आप हमारे यहां के किसानों को कहां तक धोखा देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप एक मापदन्ड तय कर दें कि किसान इससे ज्यादा गन्ना नहीं बोयेंगे या तो फिर आप अपनी मिलों की क्षमता बढ़ायें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि या तो आप मिल की क्षमता को बढ़ाइये अगर आप मिल की क्षमता को नहीं बढ़ाते हैं तो किसानों पर बंदिश लगायें कि इतने एकड़ से ज्यादा गन्ना वह न बोयें। आप क्षमता मिलों की बढ़ा नहीं रहे हैं। गन्ना एक कैश क्राप है इससे किसान को अच्छे पैसे मिल जाते हैं इसलिये किसान गन्ना ज्यादा बोता है आप कुछ गन्ने की मिलें खोलने जा रहे हैं। आपने इसके लिये क्या कोई जियोलाजिकल सर्वे कराया है। मेरा कहना है कि कुछ मिलें न जाने किस कारण से ऐसी जगहों पर खोल दी हैं जहां पर गन्ना बोया ही नहीं जाता है। जब कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मिलों के न होने के कारण गन्ना बाहर नेपाल चला जाता है। आपको वहां पर मिलें लगाने की फुरसत नहीं है। हमारे क्षेत्र में मंत्री जी मिल मत लगाइये लेकिन अपने वजीरे आला बीर बहादुर सिंह के क्षेत्र पनियरा में लगायें या महराजगंज में लगायें जहां पर गन्ना सरप्लस है। दूसरी जगहों पर जहां गन्ना नहीं है वहां मिल लगाने से क्या फायदा है। आपने चुनाव कराये हैं मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन जहां पर बदमाशी हुई है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गन्ना समिति अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था है कि थ्री कान्सीकूटिव इयर्स तक कोई आदमी अध्यक्ष नहीं रह सकता है। लेकिन घुघली, सिमवा आदि तमाम जगहों पर किसानों के दलाल इन नियमों को वायलेट कर रहे हैं और तीसरे टर्म में भी अध्यक्ष बने बैठे हैं। उनका पर्चा खारिज नहीं किया गया है। सरकार को अधिकार है, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 80 के अनुसार व्यवस्था की गयी है कि जिनका चुनाव गलत है उनका चुनाव सरकार निरस्त कर सकती है। चुनाव के लिये तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं लेकिन जो प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिये और जिन लोगों का चुनाव गलत हुआ है उनको निकालना चाहिये मान्यवर, मैं निगम के बारे में कहना चाहता हूं कि निगम एक सफेद हाथी है।

मान्यवर, मेरा गन्ने से संबंध है इसलिये मुझे थोड़ा सा समय और दें। श्रीमन्, निगम सफेद हाथी और भ्रष्टाचार की जननी है। यह निगम शासन के ऊपर है निगम को शासन की कोई चिन्ता नहीं है। सदन में मेरे सवाल के उत्तर में 1985 में, सौभाग्य से उस समय सईदुल हसन जी मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 1982 के शासन के निर्देशों

का परिपालन करने के लिये चीनी निगम को कहा गया है और उसका कार्यान्वयन हो रहा है और रिटायर्ड श्रमिकों के वारिसों की भर्ती की जा रही है। लेकिन आपके अधिकारियों की यह हिम्मत देखिए कि वह हाईकोर्ट चले गये। आपके मातहत अधिकारी हाईकोर्ट जा रहे हैं, आपकी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये, आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सिसवा में 44 लोगों को जो पुराने मैनेजमेन्ट के समय के थे, सीजनल थे, उनसे 5 लाख रुपये लेकर उनको परमानेन्ट कर दिया गया। इसी तरह से प्री टेकओवर के पहले के जो किसानों के डयूज हैं, 12 लाख रुपया छितौनी मिल पर है। आज करीब 11 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है यह स्थिति है आपके निगम की प्री टेकओवर का पैसा किसानों का, मजदूरों का बाकी है। इसके संबंध में हाईकोर्ट का आदेश भी हो चुका है लेकिन छोटे किसानों और मजदूरों का प्री टेकओवर का पैसा नहीं बांटा गया है मनमाने ढंग से यह निगम काम कर रहा है। मेरी मांग है कि आदरणीय सदन के सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाय तो आपकी अध्यक्षता में इस निगम की जांच करे तो पता चल जायगा कि स्थिति क्या है? मान्यवर, रामकोला मिल को हटाने की चर्चा है, यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा। रामकोला, देवरिया पूर्वान्चल की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। उसको छीनने का कभी मत कीजियेगा, वरना एक तूफान आयेगा और आपकी सरकार चली जायेगी। मान्यवर, निगम की वहां 7 इकाइयां हैं, घुघली, सिसवा, खड्डा, छितौनी, रामकोला, पिपराइच। वहां पर एक डिस्टलरी यूनिट लगा दीजिए तो वहां का गन्ना जो नेपाल जा रहा है वह न जाये और गन्ने का सदुपयोग हो जाय तथा किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरे। इन शब्दों के साथ में, आपको धन्यवाद देते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सतीश अजमानी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जनहित, किसान हित वाले रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जिस तरह से इस वर्ष और पिछले वर्ष गन्ने का पेमेंट किसानों को मिल रहा है, उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। ऐसे कम ही समय आये हैं जबकि किसानों को इस तरह से समय पर पेमेंट मिला करते थे। मैं अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ समस्यायें आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र निघासन तहसील में बहुत ही अधिक गन्ना उपज इस वर्ष हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार बधाई की पात्र है कि फैक्टरियों को अक्टूबर माह में चला दिया गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे क्षेत्र में इतना गन्ना है जो कि जुलाई, अगस्त माह तक समाप्त होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। गन्ना की अधिकता को देखते हुए मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि निघासन, चन्दन चौकी (थारू जनजाति), ढकरवा चौराहा, बम्मनपुर में नई फैक्ट्री लगनी चाहिए और चारों नई फैक्टरियों को हमारे किसान गन्ना उपलब्ध करायेंगे। यह मैं आपको आश्वासन देता हूं। गन्ने की अधिकता को देखते हुए अधिक गन्ना शाहजहांपुर, गोला, पुवायां फैक्टरियों को दिया जाना चाहिए। किसानों को 20 किलोमीटर तक गन्ना कांटे पर ले जाना पड़ता है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि मूड़ा बुजुर्ग (मूड़ी ताल), खैरागढ़, नौरंगाबाद, बेला परसुआ में नये क्रय केन्द्र लगने चाहिये। कभी-कभी गन्ना कम तौलने की शिकायत किसानों के द्वारा की जाती है। इस कार्य में शख्ती की जानी चाहिये ताकि किसानों का शोषण न हो सके। जो ये सम्पूर्णानन्दनगर, बेलरायां, नई फैक्टरियां बनी हैं, इनमें लोकल लोगों को सर्विस पर लगाया जाना चाहिए, जोकि वहां के अधिकारी लोग अक्सर लापरवाही बरतते हैं और लोकल लोगों को सर्विस नहीं मिलती। मान्यवर, हमारे यहां 10-12 क्रेशर हैं, वहां के किसान 14-15 रु0 और यहां तक कि 12 रु0 तक गन्ना अपना मजबूरी में क्रेशरों पर देते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि क्रेशर का रेट किसानों के हित में सरकार द्वारा फिक्स किया जाना चाहिए। अन्त में, मैं आभारी हूं सरकार का, माननीय मुख्य मंत्री का, गन्ना मंत्री का, गन्ना सचिव का, केन कमिश्नर का व गन्ना अधिकारियों का कि जब-जब मैं क्षेत्र से संबंधित कोई परेशानी लेकर गया या किसानों के डेपुटेशन को लेकर गया, उन्होंने हर किसानों की समस्याओं

को बड़े धैर्य से सुना और हर मुमकिन कोशिश कर समस्या को हल करने की कोशिश की। अन्त में मैं फिर माननीय मंत्री जी के द्वारा जनहित, किसान हित में रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और विरोधी दल के माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी, मेरे दोस्त के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(समय 8 बजकर 20 मिनट पर)

*श्री गया प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, आज आपने गन्ना विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है ये किताब से लिखकर यहां पढ़ा है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, अभी सरकारी पक्ष के सदस्यगण बड़े जोरों से कह रहे थे कि माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, बहुत अच्छा है और बाद में जब बोलने के लिए खड़े हुए तो बोलते समय इस बजट का विरोध करने लगे तो ऐसा लग रहा है कि इनके मन में कोई डर है। इस डर की वजह से कि कहीं इनको पार्टी से न निकाल दिया जाय या कहीं सदस्यता से न निकाल दिया जाय इसलिए सही बात नहीं कह पा रहे हैं।

मान्यवर, यह जो अभी बात चली थी कि किसान आन्दोलन करता है, किसान आन्दोलन में जान नहीं होती है, सरकार ने कितनी होशियारी के साथ में आन्दोलन को कुचला, यह अभी कह रहे थे माननीय कुछ सदस्यगण। यह सही बात है कि जब यह मेरठ में आन्दोलन चल रहा था किसानों का, उस समय सरकार ने बिल्कुल होशियारी से कुछ मिनिस्टर साहबान को लगा दिया कि यह कहिये कि यह किसान गड़बड़ी कर रहे हैं, खुद रेल की पटरियां अपने कार्यकर्ताओं से उखड़वाने लगे और इतना नुकसान करने लगे कि जिससे किसान यूनियन बदनाम हो जाय। लेकिन किसान यूनियन वालों ने यह जानकर आन्दोलन वापस ले लिया। मान्यवर, इस सरकार के मंत्रियों को बहुत बड़ा शौक है शिलान्यास करने का, उद्घाटन करने का। हमारे जनपद में एक मंत्री जी हुआ करते थे उन्होंने बसरिहर के पास उदयपुरा में एक चीनी मिल का उद्घाटन किया था। उस उद्घाटन में हजारों रुपये खर्च हो गये और अब मौके पर देख लीजिए वहां पर एक ईंट भी नहीं मिलेगी और पत्थर भी पता नहीं कहां चला गया? ऐसे हैं इनके मंत्रिगण जिनको शौक है शिलान्यास करने का। इसलिए मैं चाहता हूं कि बसरिहर ब्लाक में उदयपुरा गांव में माननीय मंत्री जी ने जो शिलान्यास किया था, उस गन्ना मिल को जरूर संचालित किया जाय।

(इस समय 8 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, दूसरा मेरा कहना यह है कि हेवरा, जसवंतनगर, बखेबर नामक स्थानों में जहां पर वास्तव में गन्ना बहुत पैदा होता है वहां पर गन्ना मिल स्थापित किया जाय। मान्यवर, यह गन्ने को जो बीमारी पैदा हो जाती है इससे गन्ने का बड़ा नुकसान होता है, इस वर्ष भी बहुत नुकसान हुआ है लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी।

मेरा सुझाव है कि जिन किसानों के गन्नों में बीमारी लग जाने से नुकसान हुआ है उनको सरकार मुआवजा दे। मान्यवर, मैं गन्ने की कीमत के बारे में कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने कितना अच्छा गन्ना का भाव दिया है अपने यहां, मान्यवर, 33 रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से किसानों को देना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारा इतना बड़ा प्रदेश होते हुए भी यहां की सरकार 27 रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से भाव दे रही है और उसमें भी यह भेदभाव बरत रही है। पूर्वी जनपदों में 26.50 रु0 और पश्चिमी जनपदों में 27 रुपये प्रति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्विंटल दे रहो है मेरा निवेदन है कि इस भेदभाव को दूर किया जाय और हरियाणा जैसी कीमत यहां भी दिलाई जाय । इसके साथ ही मैं पाण्डे जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, प्रदेश के अधिकांश भाग में गन्ना पैदा होता है । वर्ष 1986-87 में 28 लाख 62 हजार हेक्टेयर और वर्ष 1987-88 में 29 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया गया । वर्ष 1987-88 में शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा । उत्तर प्रदेश भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। हमारे किसानों पर भी उसका प्रभाव पड़ा लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी, जो स्वयं एक किसान के बेटे हैं, जिन्होंने गरीबी के सुख-दुख को जिया है, जो उनकी मजबूरी को और बंदिशों को जानते हैं, उन्होंने किसानों को राहत देने के लिये हर प्रयत्न किये हैं। मान्यवर, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि गन्ना ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और नेता विरोधी दल, नेता जनता पार्टी और नेता बी0 जे0 पी0 यहां पर नहीं हैं । कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे दलों के लोग नहीं हैं । मैं कहना चाहूंगा कि ये बड़े किसान हैं, राजे-महराजे हैं, जागीरदार हैं, ताल्लुकेदार हैं, इन्होंने हमेशा किसानों का शोषण किया है, उनकी अस्मिता से खेला है । इनको किसान से कोई मतलब नहीं है । ये राजे-महराजे, ताल्लुकेदार, जमींदार और जो बड़े किसान हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने गन्ने का दाम बढ़ाकर 27 रुपया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 26 रुपया क्विंटल पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर दिया । कुल 655.14 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया गया और जो कुल राशि का 99.78 प्रतिशत था ।

श्रोता जी मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप भी संसदीय परम्पराओं का पालन कीजिये । तो मान्यवर. 50 पैसे प्रति क्विंटल आज गन्ने की ढुलाई दी जा रही है, जबकि पड़ोस के प्रान्तों में 2 रुपये से 3 रुपये क्विंटल ढुलाई दी जा रही है । उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन 80 लाख टन हुआ, जो पिछले वर्ष से 10 लाख टन अधिक है । चीनी के इस बढ़ते हुए मूल्यों से चीनी मिलों को 35 करोड़ रुपये के घाटे की संभावना है । मान्यवर, मैं यह बताना चाहूंगा कि यह माननीय वीर बहादुर सिंह की सरकार ही है जिसके विधायक अनुशासित हैं जिनमें 5 साल तक सरकार चलाने की क्षमता है । मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि आज गांव सम्पर्क मार्गों से जुड़ चुके हैं । आज स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग में कीर्तिमान का प्रसार हो रहा है । गांवों में नलकूप पहुंच चुके हैं । हरिजन बस्तियों ऊर्जित कर दी गयी हैं । यह सब इनको नहीं दिखाई देता है क्योंकि यह ढाई साल शासन नहीं चला सके । मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय समाप्त हो चुका है ।

डाक्टर रजनी कान्त दत्त—

मान्यवर, मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकी नीयत खराब है, इनकी नजर खराब है । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री अवनीश कुमार सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री मैनेजर सिंह—

इनसे पूछिये कि गन्ना जड़ में पैदा होता है या ऊपर पैदा होता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है और लाखों किसानों की जीविका का मुख्य साधन है। मान्यवर, गन्ना विकास किसान देशवासियों के जीवन में मिठास घोलता है, लेकिन वही किसान मिठास से वंचित रहता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश के चीनी के कुल उत्पादन का आधा उत्पादन उत्तर प्रदेश से हुआ था, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण उत्पादन घटता जा रहा है। मान्यवर, चीनी की मांग प्रति वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ती है। इसी कारण से विदेशों से चीनी मंगानी पड़ती है, लेकिन बड़ी बिडम्बना है कि विदेशों से चीनी आयात करके मंगाई गयी और इस वर्ष भी चीनी का आयात करना पड़ेगा। यदि यही स्थिति रही तो कैसे काम चलेगा? इस स्थिति को टाला जा सकता है, अगर सरकार समझ से काम ले। आज गन्ना किसान के पास गन्ने का खेत छोड़ने के अलावा और कोई साधन नहीं रह गया है। उर्वरक, कीट नाशक दवा आदि चीजों की कीमत लगातार बढ़ रही है और गन्ने का मूल्य 26-27 रुपये क्विंटल यह सरकार दे रही है। बाजार में चीनी का भाव 650 रु0 है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि एक बार श्री किदवई साहब के नेतृत्व में एक समिति बनी थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जितने रुपये कुंटल चीनी बिकती है उतने आना कुंटल गन्ना होना चाहिये। उनके हिसाब से 40 रु0 का भाव आना चाहिये। 40 रु0 का भाव किसानों को मिलना चाहिये लेकिन वह नहीं दे पा रहे हैं। मान्यवर, हरियाणा की सरकार गन्ना किसानों को 32 रु0 कुंटल दाम दे रही है और उसके बावजूद भी मुनाफा कमा रही है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार 26 रु0 कुंटल और 27 रु0 कुंटल का दाम दे रही है लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सारी मिलघाटे में चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

मान्यवर, 5 मिनट का समय और दे दें। मान्यवर, जब कभी भी गन्ना किसान अपने गन्ने का लाभकारी मूल्य मांगने के लिये खड़ा होता है तो सरकार उसे निर्मम्तापूर्वक कुचल देती है। मान्यवर, रूस में किसान आन्दोलन को कुचलते हुए स्टालिन ने कहा था, यदि आज किसानों की मांग पूरी हो जाती है तो कल वे सोना मांगेंगे। रूसी क्रांति के बाद स्टालिन का नाम लेने वाला कोई रूस में नहीं रहा। यही स्थिति आज इस कांग्रेस शासन की है अभी भी अगर यह नहीं चेते तो आगे कांग्रेस नाम लेने वाला कोई नहीं रह जायेगा। जिस प्रकार मेरठ का किसान आन्दोलन कुचल गया। मान्यवर, उसके निश्चित ही दूरगामी परिणाम होंगे। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कह दूं। मान्यवर, बदायूं जनपद में केवल एक ही सहकारी चीनी मिल है। पिछले महीने में फरवरी माह मिल केवल 10 दिन चली, 20 दिन भी नहीं चली मिल के टरबाइन के गियर बाक्स तथा शाफ्ट खराबी आ गयी। मार्च के महीने से अब तक एक हफ्ते चली है। मार्च के प्रथम सप्ताह में शाफ्ट टूट गयीं। मान्यवर, वहां किसानों का सारा का सारा गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है। अपनी क्षमता से 40 प्रतिशत गन्ना भी मिल नहीं ले पायी है। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में युद्ध स्तर पर कार्यवाही होनी चाहिये। नहीं तो वहां के किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा रह जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय पाण्डे जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

कर्नल केशरी सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं

और माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर हमारी सरकार, माननीय मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने भू0पू0 सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये इस विभाग में आरक्षण किया है । मान्यवर, गत वर्ष गन्ने के मूल्य के भुगतान करने में 99 प्रतिशत से अधिक भुगतान करके, एक कीर्तिमान स्थापित करके, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है । मैं बस्ती जिले के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, बस्ती जिला गन्ने के विषय में बहुत दिन से उपेक्षित सा चला आ रहा है । बस्ती जिले में केवल 4 चीनी मिलें हैं जो 1932 के आस-पास की बनी हुई हैं । इनके आधुनिकीकरण के लिये कोई कार्यक्रम तैयार नहीं है । इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, गन्ने की फसल पूरे प्रदेश में कैश क्राप है । बस्ती जिले में भी इस कैश क्राप पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है । मान्यवर, वहां एक वाल्टरगंज की मिल है, उसका जो आरक्षित क्षेत्र है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उसमें 21 लाख टन गन्ना इस वर्ष पैदा होगा, लेकिन उस मिल की क्षमता 11 लाख टन की है । इस कारण किसी भी प्रकार से गन्ना वह मिल पेर नहीं पायेगी । उस ओर ध्यान दिया जाये । इसी तरह से अन्य मिलों की क्षमता भी कम है । अतः बहुत सा गन्ना बच जायगा । जनता के हित में वहां पर आवश्यकता है एक सहकारी चीनी, सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल लगाने की । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर एक सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल लगायी जाय । गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि सारे प्रदेश में चाहे पूरब हो या पश्चिम गन्ने का मूल्य एक होना चाहिये । यह हमारे गन्ना किसानों की प्रबल मांग है । इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा कि जो गन्ना समितियां हैं उनका आडिट हर वर्ष कराया जाना चाहिये, ताकि घपले आदि सामने आते रहें । मान्यवर, हमारे यहां एक खाण्डसारी मिल है, उसकी क्षमता को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है उसे बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय । मान्यवर, यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में अनुसंधान संस्थान अच्छा कार्य कर रहे हैं । गन्ने के बीज, अनुसंधान आदि के लिये मानपुर में एक अनुसंधान केन्द्र खोला जाय इसके लिये लगभग 250 एकड़ जमीन मानपुर इण्टर कालेज के पास उपलब्ध है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें । माननीय कुशलपाल सिंह जी, आप बोलें ।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर अन्त में मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं एवं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री कुशल पाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माता प्रसाद जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, यह कांग्रेस के लोग अपने को किसान का हमदर्द बताते हैं और उसके पीछे हाथ उठाने वाले भी बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि हम किसान के हमदर्द हैं । मान्यवर, जिन्होंने कभी देखा नहीं है कि गन्ना कैसे बोया जाता है, क्या परेशानी होती है, वह अपने को गन्ना किसान का समर्थक बता रहे हैं । हमारा आज गन्ने का बजट है, लेकिन सरकार हमदर्द होने का पता इसी से चल जाता है कि आज सबसे आखीर में गन्ने का बजट रखा गया है और दो घंटे से भी कम समय हमें दिया गया है ।

मान्यवर, हमारे मथुरा जनपद में छाता शुगर फैक्टरी है । मान्यवर, यह फैक्ट्री पिछले वर्ष 21 नवम्बर को चालू की गई थी और इस वर्ष इसको 6 नवम्बर से चालू किया गया है । लेकिन मान्यवर, इतना समय बीत जाने के बावजूद दो लाख क्विंटल गन्ना अभी कम पेरा गया है । हमारे क्षेत्र के सब किसानों का गन्ना अभी खेत में पड़ा हुआ है और सूख रहा है । मान्यवर, वहां पर्चियां मिल नहीं रही हैं और ब्लैक की जा रही है । इसी तरह मान्यवर,

मांड तहसील का गन्ना साथा शुगर फैक्टरी कभी भी नियमित नहीं होती है और वहां पर बाजना, जरारा, हरवे कनाल आदि केन्द्र बन्द पड़े हैं। मान्यवर वहां पर एक महीने से गन्ना नहीं खरीदा जा रहा है, जिससे गन्ना खेत में सूख रहा है और किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। मान्यवर, इस छाता गन्ना समिति में 20 कर्मचारियों की जगह रिक्त पड़ी हुई हैं और इन जगहों की पूर्ति नहीं की जा रही है, जिसके कारण स्टाफ कम होने की वजह से भी वहां पर भारी दुर्व्यवस्था है लेकिन स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा रही है। मान्यवर, मथुरा शहर में से ट्रकों पर गन्ना एलाट नहीं किया जा रहा है, जिससे फैक्टरी उस गन्ने को नहीं ले पा रही है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मांट क्षेत्र में एक नई फैक्टरी बना दी जाये, जहां पर गन्ने का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इसमें मांट, खैर, गोकुल, सादाबाद क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया जाय इससे किसान को लाभ मिल सकता है। मान्यवर, इस फैक्टरी के लिये हमारी बहुत लम्बे समय से मांग चली आ रही है। अगर इस फैक्टरी को नहीं बनाते हैं तो कम से कम शेरगढ़ पर का जमुना पुल बनवा दिया जाय, जिससे इस क्षेत्र के किसानों का गन्ना छाता मिल में आ सके। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मांट क्षेत्र में जिन किसानों का गन्ना लिया गया है, उनका काफी समय से पेमेन्ट नहीं किया गया है। मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि शेरगढ़ का पुल अवश्य बनवा दिया जाये, ताकि कम से कम किसानों को गन्ना छाता मिल में आ सके। मान्यवर, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बाजना, जरारा, हरवे कनाल गन्ना केन्द्र जो नियमित नहीं चल रहे हैं, उनको नियमित चलाने की कृपा की जाये, ताकि गन्ने की पेराई समुचित ढंग से हो सके और किसानों का सारा गन्ना खरीदा जाये। इन बन्द गन्ना क्रय केन्द्रों को मंत्री जी चलवाने की कृपा करें, इसी के साथ मैं माता प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने गन्ने के इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, यह स्वाभाविक है कि माननीय गन्ना मंत्री मुन्शी भी हैं और गन्ने की लागत मूल्य का भले ही इन्हें पता न हो, लेकिन मुझे उस समय बड़ी हैरानी और आश्चर्य हुआ, जब हमारे कृषि मंत्री जी सदन को गन्ने का लागत मूल्य नहीं बता पाये। जो सरकार किसान के गन्ने का लागत मूल्य न बता सके, वह किसान के गन्ने को लाभकारी मूल्य कैसे दे सकती है? मान्यवर, आज से 20 वर्ष पहले लेवी चीनी का मूल्य 1.45 रु0 किलो था और गन्ने का मूल्य उस समय 15 रुपये क्विंटल था। आज लेवी चीनी का मूल्य 5 रुपये 10 पैसे किलो है और गन्ने का मूल्य 26 या 27 रुपये प्रति क्विंटल है जो हरियाणा की भांति कम से कम 30 रु0 होना चाहिये।

मान्यवर, आप लेवी चीनी के मूल्य को देखें और गन्ने के मूल्य को देखें। लेवी चीनी का मूल्य 3 गुने से भी अधिक बढ़ गया और गन्ने का मूल्य दो गुने से भी कम है। यही नहीं मान्यवर, इसी वर्ष चीनी का मूल्य 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से यह कह कर बढ़ा दिया गया है कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देना चाहते हैं। इस प्रकार यदि आप देखें तो 2.50 रुपये प्रति क्विन्टल का। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और किसानों को कोई लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है किसानों को नहीं। बड़े आंकड़े दिये जा रहे हैं कि हमारे प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ गया है। हमारा प्रदेश, पहले पूरे देश का 60 प्रतिशत गन्ने का उत्पादन करता था, आज स्थिति यह है कि हमारा प्रदेश 50 प्रतिशत से भी कम गन्ना पैदा कर रहा है।

मान्यवर, मैं अपने जनपद बरेली की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारे जनपद में जो बोरार बरेली फैक्ट्री है, उसके विकास के लिये ज्यादा पैसा न लगाया जाय, बल्कि उस फैक्ट्री की अब अचल सम्पत्ति को बेच कर बरेली तहसील में एक नयी फैक्ट्री लगाई जाय। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जनपद बरेली में जो एक नई फैक्ट्री सेमीखेड़ा लगाई गई है, उस फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी के कारण चारों तरफ के जो गांव हैं, उनका पीने का पानी भी दूषित हो गया है जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसपर माननीय मंत्री जी तुरन्त ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री बलराम यादव--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह कहना चाहता हूं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण गन्ने का उत्पादन कम हो गया है। हमारा प्रदेश जो गन्ने के उत्पादन में गौरवशाली स्थान रखता था, आज वह गलत नीतियों के कारण बहुत नीचे चला गया है। माननीय श्री पांडेय जी ने जो तमाम बातें की हैं, यदि माननीय मंत्री जी उनको अमल में ले आयें तो गन्ने के उत्पादन का काफी विकास हो जायेगा। माननीय मंत्री जी किसानों के प्रयासों की सराहना कर रहे थे। आज आजमगढ़ के गन्ना किसानों की बड़ी दुर्दशा है, जैसा उधर के माननीय सदस्य श्री शर्मा जी अपने यहां के गन्ना किसानों की दुर्दशा की बात कर रहे थे। आजमगढ़ में दो मिलें लगी हुई हैं, लेकिन राजनैतिक प्रभाव के कारण गोरखपुर का गन्ना आजमगढ़ की मिलों में पेरा जा रहा है। शाहगंज की जो गन्ना मिल है, वह प्राइवेट मिल मालिकों की साजिश की वजह से बन्द हो गई है। गोरखपुर का गन्ना वहां आ जाने के कारण आजमगढ़ का गन्ना नहीं पेरा जा रहा है। सहकारी क्षेत्र में जो मिल लगी हुई है, गन्ना गोरखपुर से जो आ रहा है, 40 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से खरीद रहा है, और ये कहते हैं कि हमारी गन्ना मिलें काफी घाटे में चल रही हैं, यह सब इनकी नीतियों के कारण हो रहा है। आजमगढ़ में गन्ना किसानों का गन्ना पेरा जाय, इसके लिये सरकार ने कोई विचार नहीं किया है और न ही इस ओर ध्यान दे रही है। वहां पर गन्ना की समितियां नहीं हैं, इसलिये इसकी स्थापना की जाय तथा अतरौलिया गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में चीनी मिल लगाने की मांग भी करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मोहम्मद अफजल खां--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि सहारनपुर की शुगर मिल के लिये आदेश दिये थे, लेकिन अभी तक कोई मिल चालू नहीं हुई है। उसके बारे में क्या कोई आश्वासन देना चाहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ। आप मंत्री जी से बात कर लें।

*श्री कनक सिंह--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलना चाहता हूं। मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अपने क्षेत्र से संबंधित है, सबसे मुख्य जो कठिनाई किसानों के सामने आ रही है, फर्जी खाद वितरण की है। हजारों मामले हर सोसायटी में हैं। ये विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारियों द्वारा तय किये जाते हैं जो कि कई साल तक तय नहीं होते हैं। किसान के ऊपर 10 हजार, 5 हजार, 7 हजार रु0 का बोझ लदा हुआ है। मेरा क्षेत्र सिम्भावली है। वहां मिल में केवल 25 प्रतिशत गन्ना पेरा गया है। जो गन्ने की बाण्डिंग है, उसके हिसाब से जुलाई तक गन्ना खत्म नहीं होगा। मैं उस गन्ने को आसपास की मिलों में डाइवर्ट करने की मांग करता हूं। ओला वृष्टि से गन्ने को काफी क्षति हुई है। गन्ने की फसल टूट गयी है, या उखड़ गयी है जिससे किसानों का गन्ना बिल्कुल सप्लाई नहीं हुआ। वह सूख जायगा अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे तो, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान होगा।

गन्ना मूल्य के बारे में सुझाव देना है कि बैंकों से किसानों को भुगतान कराया जाय क्योंकि सोसायटी में तमाम अनियमिततायें हैं। बहुत सा पैसा किसानों का 10 साल का अनपेड है, जिसकी किसान को जानकारी ही नहीं है। दसियों लाख रु0 ऐसा है, जो "अनपेड" में है। मेरी मांग है कि उन किसानों का पैसा "एकाउन्ट पेई" चेक द्वारा भुगतान किया जाय। जले हुए गन्ने का पैसा और अन्य पैसा किसानों का लाखों रुपया समितियों में पड़ा है. मेरी मांग है कि तुरन्त हिसाब बनाकर पेमेंट कराया जाय।

मिलों से निकली राख से और गन्दे पानी से जो प्रदूषण फैलता है, उसको रोकने की तत्काल व्यवस्था की जाय। इसी के साथ ही मैं वाटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शौनाथ सिंह—

मान्यवर, आज गन्ना मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके अन्दर जो सब्सिडी देने का, बीज देने का, खाद देने का जो प्राविधान रखा है किसानों के लिये आज तक किसी मंत्री ने या मुख्य मंत्री ने या किसी सचिव ने नहीं रखा।

(व्यवधान होने पर)

आप सुन लीजिए। टाइम खराब मत करो, काम की बात करो।

तो यह जो आज मंत्री जी ने, मुख्य मंत्री जी ने और सचिव साहब ने रखा है, बना कर.....

("सचिव साहब", "सचिव साहब" की आवाज आने पर)

हां, सचिव अच्छा होगा, तो अच्छा बना देगा, बुरा होगा तो बुरा बना देगा।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूं जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और वाटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना संघ के अन्दर हमने 7 करोड़ रु0 का गबन पकड़ा, भगवती प्रसाद मिश्रा, ज्वाइन्ट कमिश्नर पर। विजिलेंस की करीब-करीब जांच पूरी हो गयी है। उन्होंने हाईकोर्ट से आकर स्टे ले लिया कि उनके खिलाफ जो चार्ज है उससे वसूल न किया जाय। कहीं हिन्दुस्तान में आपने सुना है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो यह कहे कि मेरी बेईमानी की आप जांच न कराइए? अब वह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। हमने कह दिया है कि यह गलत है, हाईकोर्ट से इनका स्टे नहीं होना चाहिये थे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सजा मिलनी ही चाहिये वह चाहे कोई भी हो।

तीसरी बात, अभी एक आइटम और है कि सुप्रीम कोर्ट का 17 फरवरी को फैसला हुआ कि जो गन्ना संघ का चुनाव हुआ उसमें कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ हुआ और कुछ

नहीं हुआ। यह अवैधानिक हुआ, गलत हुआ। अभी प्रदेश की 35 सोसाइटीज बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि पहले उन 35 सोसाइटीज का आप चुनाव कराइये और उसके बाद 15 जून तक गन्ना संघ का दुबारा चुनाव कराया जाय जो कि सुचारु रूप से, कायदे के साथ जिसे पब्लिक भेजना चाहे, वह आये।

मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसका भी इन्तजाम करा लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत गन्ना संघ के और 35 सोसाइटियों के आप चुनाव सही तरीके से कराइये जिससे कि सुचारु रूप से काम हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, मा0 गन्ना मंत्री के द्वारा पेश किये गए बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री लक्ष्मी नारायण--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने के लिये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये समय दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी वैसे ही गन्ना किसानों से रुष्ट हैं शायद उन्होंने कभी उनको धूप में बैठा दिया था इसलिए वे रुष्ट हैं।

मान्यवर, आज इस सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे प्रदेश में केवल 30 परसेन्ट किसानों का गन्ना शुगर मिलों पर लिया जाता है और किसानों का गन्ना क्रेशर पर 18 रु0 में लिया जाता है। तो यह क्लेम सरासर लूट का है और इस लूट को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि वह शुगर मिलों का विस्तारीकरण करे और साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे गन्ना शोध संस्थान हैं, दुर्भाग्य इस बात का कि यह संस्थान आज तक एक भी ऐसी वैराइटी की खोज नहीं कर सका है, जिससे रिकवरी कुछ बढ़ सके या कोई लाभप्रद बात सामने आवे और मान्यवर, जो गन्ना सोसाइटी से किसान लोन लेता है, चाहे वह किसान उस लोन को उसी दिन या दूसरे दिन लौटा दे तब भी उससे 6 माह का ही ब्याज लिया जाता है जो गलत है। हमारे यहां मान्यवर, छाता शुगर मिल है, जिसकी पेराई की क्षमता 1250 टन प्रति दिन है, जब कि वह क्षेत्र गन्ने का बहुत ज्यादा क्षेत्र है और आधे से ज्यादा गन्ना हरियाणा को जाता है। इस ओर मान्यवर, कई बार अनुरोध किया गया कि छाता शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाकर कम से कम 3,000 टन प्रति दिन के हिसाब से कर दिया जाय और मान्यवर, हमारे छाता में आज कम से कम हजारों किसानों पर खाद व बीज के नाम से फर्जी लोन पड़ा हुआ है। इस लोन की रिकवरी को मान्यवर, रोका जाए और मामले के लिये यथाशीघ्र जांच करायी जाय और इसमें जो भी अधिकारी/ कर्मचारी दोषी पाया जाय उसे दण्डित किया जाय और एक अनुरोध यह भी कि किसी भी शुगर फैक्टरी में जनरल मैनजर के पद पर कोई पी0 सी0 एस0 आफिसर न बैठाया जाय क्योंकि इन आफिसरों को इन मिलों के बारे में कोई अनुभव नहीं होता है, बल्कि विभागीय अधिकारियों को इस ओर अनुभव रहता है। इसी प्रकार से गन्ना आयुक्त के पद पर कृषि विशेषज्ञ को होना चाहिए। किसी भी आई0 ए0 एस0 आफिसर को रखा नहीं जाना चाहिए और आपकी सोसाइटियों में जो सीजनल क्लर्क और चपरासी रखे जाते हैं, उनके लिए कोई नीति निर्धारित नहीं है और न इनका कोई वेतन मानते हैं और जो थोड़ा बहुत मानते हैं, वह भी उन्हें दिया नहीं जाता है, इस ओर मान्यवर, आप देखें और उन्हें परमानन्ट करें और जितने भी मान्यवर, आपकी शुगर फैक्ट्रियां लाभ में चल रही हैं। उनका बोनस सीधे किसान को दिया जाना चाहिए न कि मिल-मालिक में उसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लें और बोनस के रूप में कर्मचारी और अधिकारी लें। किसान की मेहनत का मुनाफा भी किसान को ही दिलाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरदेव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज इस गन्ने के बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं केवल 2-4 सुझाव थोड़े समय में गन्ना मिलों के हितों में व जनहित में देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि कोआपरेटिव नियमों में परिवर्तन किया जाय क्योंकि सबसे ज्यादा इसका लाभ कर्मचारियों /अधिकारियों को ही मिल जाता है और यह लोग काम काज कुछ करते नहीं है। 20 दिन गैर हाजिर तो 10 दिन हाजिर और मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक दिन महीने में हाजिर और 29 दिन गैर-हाजिर। वहां पर न रहते हुए भी जबरजस्ती हाजिरी ही केवल बनाते रहते हैं, जिससे मान्यवर, 120 लाख रु0 का घाटा इन चीनी मिलों द्वारा हो रहा है।

दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि जहां-जहां चीनी मिलें हैं, वहां पर गन्ना किसान परिषदों का नये सिरे से गठन किया जाय जिसमें नये सिरे से वहां के संबंधित जन प्रतिनिधि हों, किसान और मिल के अधिकारी हों ताकि इस प्रकार के गठन से मिल की देख-रेख अच्छे ढंग से हो सकेगी और इस प्रकार विकास भी संभव होगा फैक्ट्री का और एक दूसरे के सहयोग से फिर मिलों की हालत में सुधार आयेगा और विकास की ओर अवश्य बढ़ेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर गन्ना मिल के क्षेत्रों में इन गन्ना विकास परिषदों का नये सिरे से गठन किया जाय साथ ही मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आरक्षण कोटे का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, उसका जिम्मेदार मैं विशेष रूप से हूं। माननीय मंत्री जी ने अब तक गन्ना ग्राम सेवक, गन्ना सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, लिपिक और अधिकारियों में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है आपसे निवेदन है कि इस पर बिचार करते हुए, रसड़ा गन्ना चीनी मिल में आरक्षण कोटा पूरा किया जाय, जो हमारे लिये जिम्मेदारी का विषय है। मान्यवर, गन्ने की प्रगति और गन्ने के समय से मूल्य का भुगतान किया गया है, जो एक सराहनीय कार्य हमारी सरकार ने किया है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को अच्छे कार्यों के लिये बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो मैंने दो सुझाव दिये हैं, उन पर विचार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठे, बाकी जो सुझाव हैं उनको आप लिखकर दे दें।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का मैंने भाषण सुना, मैं भाषण देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह 4 घोषणायें कर दें, तो उससे किसानों का बड़ा भारी कल्याण हो जायेगा।

पहली चीज यह है कि यह बात सही है कि आधे से ज्यादा किसानों का गन्ना खेत में खड़ा है और मिलें इस सरकार से मिल गयी हैं और वह बात करते हैं कि सरकार ने मान लिया है कि तुम मिल बन्द करो और घर जाओ, तो मान्यवर किसान का क्या होगा? आप एलान कर दें कि किसी मिल को तब तक बन्द नहीं किया जायेगा, जब तक एक-एक गन्ने की पेराई नहीं हो जायेगी। मान्यवर, 4 साल के परते की बात कही गयी कि उसका औसत निकाला जायेगा। ओझा जी ने ठीक ही कहा है कि अगर किसी किसान ने तीन साल गन्ना नहीं बोया, दो साल नहीं बोया, तो वह इस औसत में मिट जायेगा। तो परते की बात को आप समाप्त करें और एलान करें कि जब तक एक-एक गन्ना नहीं पिर जायेगा, मिलों को बन्द नहीं किया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि टिकैत जी धरना देते रहे थे, कोई मंत्री जी गये और उन्होंने कहा कि टिकैत जी मान लीजिये कि परते के आधार पर गन्ने का दाम दिया जायेगा। परते के आधार पर चीनी मिलें षडयन्त्र कर रही हैं और सरकार उसकी शिकार है। मंत्री जी बड़े अच्छे हैं, मैं आशा करता हूं कि वहां चीनी मिलों के मालिकों के शतरंज के शिकंजे में नहीं फसेंगे। गन्ने की उत्पादन की लागत को निकालें और लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित करें। कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने तीन वर्ष पूर्व जो फीगर भेजी हैं, उसके अनुसार गन्ना उत्पादन में प्रति एकड़ 30 रुपया लागत आती है आज तो वह लागत और बढ़ गई है। और इस पर 20 प्रतिशत मुनाफा जोड़ दें, तो 36 से 40 रुपया आज भी उसका मूल्य आता है और गन्ने की लागत के आधार पर गन्ना किसानों को मूल्य दिया जाना चाहिये। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह कहा है कि जो 5–5 और 6–6 साल से गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया था, उसका भुगतान इस साल किया गया है। मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि गन्ने के मूल्य का भुगतान उसी दिन किया जाना चाहिये जिस दिन वह अपने गन्ने को तौलाता है।

चौथी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि कांटा 20–20 और 30–30 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और किसानों को इतनी दूर अपने गन्ने को तौलाने के लिए ले जाना पड़ता है। आप ऐलान करें कि 5 किलोमीटर के अन्दर कांटा होगा और इससे ज्यादा दूरी पर गन्ना नहीं ले जाना पड़ेगा। मान्यवर, मंत्री जी इन 4 चीजों का एलान कर दें, तो किसानों का बड़ा भला होगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा गन्ने के संदर्भ में रखे गये बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभार हूं। मान्यवर, जहां पूरे प्रदेश में शताब्दी का सूखे का भीषण प्रकोप पड़ा है, इस भीषण सूखे से प्रभावित होगा भी जिस तरह से अनुमान किया जाता था कि सूखे में करीब-करीब हर फसल प्रभावित हुई है तो गन्ना भी उसी रेशियो में प्रभावित होगा। परन्तु माननीय मंत्री जी की सूझबूझ और विभागीय लोगों की सूझबूझ द्वारा तथा उनकी कार्यकुशलता के बल पर गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ है यह निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की ओर से और मैं अपनी ओर से उनकी प्रशंसा करता हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह का इस सूखे में एक अभूतपूर्व बजट है जिस से प्रदेश की समृद्धि जुड़ती है। जैसा कि अभी हमारे कुछ माननीय साथियों ने कहा है, मैं भी उन्हीं के साथ अपने को उनसे जोड़ता हुआ यह कहता हूं कि उन्होंने एक अभूतपूर्व बजट रखा है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने का उत्पादन 225 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत तक बढ़ा है। इसके लिये निश्चित रूप से माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने सिराथू विधान सभा क्षेत्र, जनपद इलाहाबाद की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जो गंगा और यमुना के बीच में बसा है। पूरे इलाहाबाद द्वाब में सिराथू, मंझनपुर और चायल तीन तहसील क्षेत्र हैं, दोआब होने की वजह से यहां की भूमि शत प्रतिशत गन्ना तथा कृषि योग्य भूमि है··· (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा सिराथू विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय स्तर पर गन्ना मिल लगाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें··· (व्यवधान)

(श्री सुखपाल पाण्डे का नाम पुकारे जाने पर)

श्री पुरुषोत्तम लाल—

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और माता प्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री सुखपाल पाण्डे--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री प्रसाद जी पाण्डेय के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी मंत्री के पद पर विराजमान नहीं थे तब वे अक्ल की बात किया करते थे । वे अक्लमन्द हैं । एक अध्यापक हैं और नाम ही उनका मुंशी है । मंत्री प्रसाद जी ने उनको कुछ अक्ल दी है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वे रास्ते पर चलें ।

मान्यवर, इस प्रदेश की 100 चीनी मिलों में 140 गन्ना सहकारी समितियों के माध्यम से 29 लाख किसानों का गन्ना सप्लाई किया जाता है । आज किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है । यह सरकार उनका गन्ना पेरने में असमर्थ है । वह सूद का पैसा नहीं दिला सकती है । जब रिजवशन होता है तो गन्ना आयुक्त बैठते हैं और कहते हैं कि हम मिल चालू नहीं होने देंगे, जब तक भुगतान नहीं करेंगे । लेकिन जब वह खत्म हुआ तो फिर मिल चालू हो गई । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज यह स्थिति है कि किसानों की दुर्गति हो रही है लेकिन इस सरकार के दिल या दिमाग में किसानों का हित नहीं है । आज उनके काम के लिये प्रदेश में कर्मचारी नहीं ग्राम सेवक और सुपरवाइजर नहीं हैं । उनकी भर्ती नहीं की जाती है । उनका काम पूरा नहीं है । उनका गन्ना नहीं पेरा जा रहा है । यह सरकार किसानों की मदद करने में असमर्थ है । यहां के आई0 ए0 एस0 अफसरों को कोलम्बो मलेशिया, सिंगापुर आदि जगहों पर भेज दिया गया था लेकिन आज वे पता नहीं किस विभाग में हैं । अगर गन्ना विभाग के अधिकारी ही वहां जाते तो वे इसी विभाग में होते । इस विभाग के अधिकारी अनुभव कर अगर आते तो आज उसका लाभ किसानों को मिलता ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुझाव दें, समय कम है ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

हमारे यहां वर्तमान में सहकारी समिति है, उस पर 16 लाख का कर्जा पड़ा हुआ है जिसे उस समय के केन्द्रीय मंत्री श्री केशव देव मालवीय ने अपनी अध्यक्षता में कर्जा दिलाये थे जब वह एम0 पी0 थे लेकिन उस रुपये की वसूली आज किसानों से हो रही है, उसे किसानों के नाम पर दिखाया जा रहा है ।

वहां पर एक गोदाम 5 लाख रु0 की लागत से पिछले 8 साल से बन रहा है लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ । पैसा ठेकेदार खा गया है और उनके विभाग के अधिकारी खा गये लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । हमारे यहां बभनान चीनी मिल हो या बस्ती चीनी मिल हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय पाण्डे जी, आप समाप्त करें । (व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे--

वहां पर गन्ने का परसेन्टेज 10 परसेन्ट है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है लेकिन उनको मूल्य वहां की अपेक्षा कम दिया जा रहा है । इसलिये हमारी मांग है कि वह भी वही दाम दिया जाय जो पश्चिमी इलाकों में गन्ने का दाम दिया जा रहा है । (व्यवधान) ऐसे कैसे काम चलेगा । दो मिनट और दे दें । गन्ना सहकारी समितियों का जो कर्जा लोगों पर बकाया है उसकी वसूली के लिये रिकवरी अधिकार बनाये गये हैं । जो उचित नहीं है । उसकी जगह पर कामगार और सुपरवाइजर जैसे पहले होते थे उन्हीं के द्वारा वसूली हो । किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

दो मिनट का समय दे दें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

दो तीन मेम्बर रह गये हैं सबको दो-दो मिनट दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है लिखकर मन्त्री जी को दे दीजिये । शाही जी, अब मैं पाण्डेय जी को बुला रहा हूं, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी को ।

(व्यवधान)

श्री सत्य पाल सिंह--

मैंने इस बजट पर चर्चा प्रारम्भ होते समय ही जब अधिष्ठाता महोदय बैठे थे उनसे कहा था गन्ना ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कम से कम चार घंटे का समय अवश्य दिया जाना चाहिये । या फिर जब तक आखिरी सदस्य न बोल लें तब तक इस पर चर्चा चलनी चाहिये । इस पर अभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और वह बैठे हैं अगर आप थक गये हैं तो किसी अधिष्ठाता को बैठा दीजिये क्योंकि जो माननीय सदस्य रह गये हैं उनकी बात भी सुन ली जाय ।

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

शान्त रहिये । कोई स्पष्टीकरण के लिये भी रहेगा या नहीं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

केवल दो तीन व्यक्ति रह गये हैं उनको भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है ।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत गन्ना विकास के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय गन्ना विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय माता प्रसाद जी के कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, मेरी एक मांग है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन विधान सभाई क्षेत्र आते हैं वे हैं--चायल, मंझनपुर और सिराथू । यहां गन्ने की पैदावार अधिक है इसलिये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि यहां एक नई चीनी मिल दे दें ताकि गन्ने का सदुपयोग हो सके और मिल न होने से काश्तकार ज्यादा गन्ना नहीं बोते हैं वहां बो सकें इसके लिये मिल होना अति आवश्यक है ।

मान्यवर, मेरी एक और मांग है कि मंझनपुर में कुम्भिवां में सरकारी कांटे की व्यवस्था की जाये ताकि गन्ने की तौलने की व्यवस्था हो जाये । इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं, कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी द्वारा बजट पर रखे कटौती के प्रस्ताव के समथन में बोलने का समय दिया ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र खेकड़ा, मेरठ की तरफ ले जाना चाहता हूं। सरकार किसानों को उसके गन्ने की उत्पादन लागत को देना सर्क और उनकी मजबूरियों का फायदा उठा रही है। जब कि 12 मार्च, 1988 को इस क्षेत्र में ओला वृष्टि से किसानों की रबी की फसल शत-प्रतिशत नष्ट हो गयी है, मान्यवर, सरकार किसानों को प्रलोभन देकर नसबन्दी करा रही है और कहा जा रहा है कि नसबन्दी करने पर पांच पर्चियां दे दी जायेंगी। मैं चाहता हूं कि बागपत क्षेत्र और खेकड़ा क्षेत्र में नसबन्दी रोकी जाय। वहां के चार गन्ना सेन्टर्स-खेकड़ा, बड़ा-गांव, चिरौड़ी और मंडौला का इन्डेन्ट बढ़ा दिया जाये या उनको फ्री कर दिया जाये जिससे उनको समस्त गन्ना मिलों में डाला जा सके और गन्ना नष्ट होने से बच जाये तथा तुरन्त गन्ने का भुगतान कराया जाये। नगला बाड़ी अहमदनगर गांव के किसानों के जो बांड चालू हो गये थे वह बन्द कर दिये हैं उन्हें तुरन्त चालू किया जाये।

मान्यवर, 55 लाख रुपये का घोटाला मुजफ्फरनगर मिल का है जिसकी जांच कराई जाये। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का समय दिया। मेरा सबसे पहला निवेदन है कि इस साल गन्ना अनुरक्षण की बैठक में गन्ना आयुक्त और चीनी सचिव तथा पूरी सरकार फेल हो गयी है चूंकि 14 जनवरी, 1988 तक उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुरक्षण की व्यवस्था आप नहीं कर पाये किस जिले के किस क्रय केन्द्र का गन्ना किस मिल को दिया जाये यह आप के समझ में नहीं आया देवरिया, गोरखपुर से सैकड़ों कि0 मी0 दूर रसड़ा और घोसी देने का क्या औचित्य था। इसलिये समय से गन्ना नहीं पेरा जा रहा है। मैं आरोप लगाता हूं कि सरकार पर कि सरकार ने जानबूझकर पूंजीपतियों की साजिश से गन्ना क्रय केन्द्रों को एलाट करने की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की। मंत्री जी आज जो बजट रख रहे हैं इन्होंने 1/3 हिस्से को छोड़ दिया है। निजी मिल मालिकों के संदर्भ में सरकार की क्या नीति है? उनकी धांधली की तरफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये गन्ना नीति संपूर्ण नहीं है, और सरकारी नीति अपरिपक्व है। मान्यवर, देवरिया जिले में मिलों की पेराई क्षमता से 40 लाख क्विंटल गन्ना अधिक पैदा हुआ है, उसके पेराई की भीषण समस्या पैदा हो गई है। इसलिये गोरखपुर में मैंने मंडलीय बैठक में मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था कि देवरिया के हेतिमपुर तथा बघौचघाट में दो नयी चीनी मिलें लगाई जायं। क्या आपने उन चीनी मिलों को लगाने की व्यवस्था की? बजट में इसका उल्लेख न होने से मुझे निराशा हुई है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र से 12 लाख क्विंटल गन्ने की अकेले हेतिमपुर सिरदार नगर शुगर फैक्टरी को सप्लाई किया जाता है। इसी तरह श्री हरीश जी के बासी क्षेत्र में कोई चीनी मिल नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि बस्ती जिले में देवरिया जिले की तरह गन्ना पेराई की समस्या है, इसलिये बासी में एक चीनी मिल लगायें तथा देवरिया सेजले के हेतिमपुर और बघौचघाट में सरकारी या सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल लगवायें। गन्ने का रिसर्च करायें और बाण्ड व्यवस्था लागू करें ताकि मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया था कि कुल गन्ना उत्पादन का 30 प्रतिशत गन्ना ही चीनी मिलों द्वारा पेरा जाता है, किन्तु इस साल मिलों को बेचे गये गन्ने का सिर्फ 40 प्रतिशत ही गन्ना अब तक पेरा गया है, 60 प्रतिशत गन्ना खेतों में खड़ा है। उसकी पेराई के लिये पर्चियां नहीं मिल रही हैं, किसान इस समस्या से बहुत परेशान हैं। किसानों का गन्ना खेतों में सूख रहा है, जिसकी पेराई की व्यवस्था की जाये। इस समस्या को लेकर किसानों में रोष है उनकी गन्ने से लदी गाड़ियां क्रय केन्द्रों पर हफ्ते-हफ्ते भर गाड़ियां देवरिया में खड़ी रहती हैं, उनकी पेराई और ढुलाई की व्यवस्था नहीं है।

मैं अपने क्षेत्र की चीनी मिल सरदारनगर शुगर फैक्ट्री की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। वहां उस क्षेत्र के अधिकांश गन्ने की ढुलाई होती है, लेकिन वह उस सारे गन्ने की व्यवस्था नहीं कर पाता है, उसकी व्यवस्था बड़ी खराब है, जिससे गन्ना किसान को बहुत परेशानी होती है और उसका शोषण होता है। सरकारी पक्ष के लोग सरदार नगर फैक्ट्री से समय-समय पर अपनी रैलियां आदि के लिये चन्दा लिया करते हैं। इसलिये वह मुख्य मंत्री के संरक्षण में किसानों को परेशान करने का काम किया करता है और किसी की बात नहीं सुनता है। मनमानी किया करता है। निगम की पांच-पांच फैक्टरियां देवरिया में हैं, जिसमें एक भटनी मिल भी है, लेकिन इनमें से किसी एक के भी विस्तार के लिये इस बजट में व्यवस्था नहीं की गई है, जब कि गोरखपुर में केवल दो ही मिलें हैं और उनकी मरम्मत और विस्तार के लिये करोड़ों रुपये का इंतजाम किया गया है। तो क्या राजनैतिक आधार पर प्रदेश की गन्ना नीति, चलेगी या लोगों और किसानों की आवश्यकता को देखकर चलेगी। प्रदेश के अन्दर इस तरह का भेद-भाव समाप्त किया जाये और पूरे प्रदेश में गन्ने की विकास की दृष्टि से इस नीति को चलाया जाए। अन्त में मैं, प्रस्तुत बजट का विरोध और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उन सभी माननीय सदस्यों के लिये आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर पक्ष में और विपक्ष में अपने सुझाव दिये हैं। मान्यवर, मैं नीतिगत आलोचनाओं में न जाकर, क्यों कि इस सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री से लेकर गन्ना बजट के प्रस्तुत करने वाले कार्यवाहक मंत्री जी भी थक गये हैं और ऊब गये हैं, संक्षेप में अपने दो एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश और देश में गन्ने की संभावनायें बहुत अधिक हैं। आज जो हमारा चीनी का उत्पादन है यह लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन बताते हैं, फिर भी हमें चीनी का आयात करना पड़ता है। इसलिये कहना पड़ता है कि चाहे उसका मूल्य कम हो, चाहे हमारी आवश्यकताओं भर, यदि हमारी खपत पूरी नहीं होती है तो इसे हमें देखना होगा। हमारे सामने आंकड़ा है रूस और भी अन्य कुछ देश हमसे ज्यादा चीनी का प्रयोग करते हैं, जब कि वे जनसंख्या में हमारे देश की अपेक्षा आधे या चौथाई हैं। यदि चीनी की नीति सुनिश्चित की जाए, उसके बाजार मूल्य पर इस तरह की व्यवस्था की जाये कि साधारण आदमी भी गुड़ की अपेक्षा चीनी की ओर आकर्षित हो, तो इसका मार्केट प्रदेश में बढ़ेगा और इसके साथ प्रदेश में गन्ने का उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा।

जो कारपोरेशन की मिलें हैं आज घाटे में चल रही हैं। इनको जिस समय सरकार द्वारा लिया गया था, सही फीगर तो मुझे नहीं पता है, वही बता सकते हैं, फिर भी इतना स्पष्ट है कि तब से उनकी लायबिलिटी आज 10 गुना बढ़ गई है। फिर यह चीनी मिलें इस लिये सरकार द्वारा नहीं ली गई थी कि गरीब किसान का पैसा उनके अफसरों पर अना शनाप ढंग से खर्च किया जाये और उनको परेशान किया जाए। उन्हें वित्तीय सहायता देकर उनसे मुनाफा कमाने का उद्देश्य था, लकिन इनकी प्रबन्धकीय व्यवस्था से इनकी स्थिति खराब होती चली जा रही है। इनके प्रबन्ध कार्य में जो आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अफसर रखे गये हैं, इनकी मिलों में कोई रुचि नहीं होती है। यह वहां थोड़े दिनों के लिए जाते हैं और अपने भाई-भतीजों, मित्रों और रिश्तेदारों को उसमें फिट करके वापस चले जाते हैं।

मेरा सुझाव है कि जो भी आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारी निगम में जायेंगे, फैक्ट्री मैनेजमेंट में जायेंगे और मिलों को घाटा हो तो एडवर्स इन्ट्री कर दिया

जाएगा, तो जो चारागाह समझकर अधिकारी जाते हैं उस पर रोक लग जाएगी इस बारे में प्राइवेट फैक्ट्री के लोग जो हैं जिस तरीके से इन्होंने अपना मैनेजमेंट डेवलप किया है, उसी तरह से आप भी प्रबन्धकीय व्यवस्था करें तो ज्यादा उपयोगी होगी। मैं कहना नहीं चाहता था, शर्मा जी नहीं हैं, लेकिन बार-बार जनता पार्टी का नाम आया तो मुझे कहना पड़ रहा है कि 1978-89 में 157.64 टन गन्ना पेरा गया था। पेराई का कुल गन्ना उत्पादन से प्रतिशत 27.2 था। 1984-85 में 154.40 टन गन्ना पेरा गया था। इसमें पेराई का कुल गन्ना उत्पादन से प्रतिशत 22.8 था। 1985-86 में 172.17 टन गन्ना पेरा गया और पेराई का कुल गन्ना उत्पादन से प्रतिशत 24.4 रहा। आप इस तरह से दोष नहीं दे सकते हैं आपको आंकड़ों को देखना चाहिये। उस समय पेराई क्षमता इतनी नहीं थी और न ही इतनी मिलें भी थीं फिर इतना गन्ना पेरा गया था। आप अपने माननीय सदस्यों को आंकड़े बांट दीजिए यह जनता पार्टी को दोष न दें। इन फैक्ट्रियों से जो राजस्व की प्राप्ति होती है उस पर ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1985-86 का प्रतिवेदन है इसमें पृष्ठ 95 पर लिखा है "भारत सरकार" द्वारा नियुक्त किये गये अभिरक्षकों (कस्टोडियन्स) द्वारा प्रबंधित तीन मिलों पर 13.02 लाख रुपयों पर बकाया। मान्यवर, फिर लिखा है कि निगम द्वारा स्थापित तीन नई मिलों तथा सहकारी क्षेत्र की तीन मिलों द्वारा देय 151.92 लाख रुपये को आडिटर जनरल ने लिखा है। राजस्व प्राप्तियों में कमी हो रही है। आडीटर जनरल ने लिखा है कि मिल मालिकों से वसूली नहीं हो पा रही है, तो आप यह वसूली कराने का कष्ट करें।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि रूस जो है वहां पर हमारे यहां से कम आबादी है और चीनी की खपत ज्यादा है, तो मान्यवर, यहां की सरकार चीनी के ऐसे मूल्य रखे कि छोटे लोग भी चीनी का ठीक तरह से उपयोग कर सकें। अभी माननीय चौधरी साहब और माननीय शौनाथ सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव का मामला विचाराधीन है। 22 मार्च तारीख पड़ी है। गन्ना समिति के नूरपुर में चुनाव नहीं हुए हैं। इसमें दोनों स्तर से चुनाव करायें। मैं एक चीज और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मान्यवर, सुझाव तो बहुत से हैं जिनको कहना चाहता था लेकिन समय की कमी के कारण नहीं कह पा रहा हूं। मैं गन्ना मंत्री जी से आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि हम लोग गांव की झोपड़ियों से निकल कर यहां आते हैं। जैसा कि कहा गया कि हम लोग राज घरानों से आते हैं तो वैसी बात नहीं है। हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि जब हम यहां से चलें तो गांव में जायें, गांव को न भूलें ताकि किसान को लाभ पहुंच सके। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया।

श्री शौनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि फैसला 17 फरवरी को हुआ है। अगर फैसला नहीं हुआ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर हुआ है तो माननीय सदस्य इस्तीफा दे दें।

श्री अध्यक्ष--

इस्तीफा किसी को देने की जरूरत नहीं है।

श्री राम नाथ मुन्शी--

हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और कटौती के प्रस्ताव को रखने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उस सम्बन्ध में किसानों के हित में जो भी उचित होगा जरूर किया जायगा। कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिनके विषय में मैं सदन का थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं। हमारे पाण्डेय

जी ने शुगर कार्पोरेशन की चर्चा की । पूरा सदन जानता है कि निगम की 31 मिलें ऐसी हैं जो सन् 23 से लेकर सन् 46 के बीच की हैं । प्राइवेट सेक्टर के लोग, इनको चूस कर चले गये थे तो किसानों के हित में और गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से निगम के जरिये इन मिलों को लेकर सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है । इनमें घाटा अधिक होता है लेकिन हम इनको छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि इससे हमारे किसानों का गन्ना रह जायगा और अगले साल गन्ने का विकास रुक जायेगा । श्रीमन्, इन मिलों की आयु औसत 46 वर्ष की हो चुकी है, इन मिलों के मालिक मिलों को छोड़कर, नुकसान उठाकर चले गये थे जिनको चलाने का दायित्व सरकार को लेना पड़ा है । हमारे पाण्डेय जी ने कहा कि एक करोड़ कुछ लाख रुपये शोध के सम्बन्ध में दिये गये हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि शक्कर विशेष निधि से 3 करोड़ 12 लाख रुपये का अनुदान और दिया गया है जो आगे विकास के कामों में प्रयोग होगा । श्रीमन् छोटा मिल की पेराई के बारे में माननीय सदस्यों ने बताया है तो मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं, 108 दिन यह फैक्टरी चली तथा केवल 35 हजार कुन्तल कम गन्ना पेरा गया है । लेकिन अब यह फैक्टरी ठीक चल रही है और अप्रैल के अंत तक यह सब गन्ना पेर लेगी । इसी तरह से जो पुरानी मिलें हैं, गन्ना किसानों के हित में उन मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण की पंचवर्षीय योजना बनाकर लक्ष्य के करीब तक पंहुचा जा चुका है । पूर्वी क्षेत्र की 6 मिलों का इस वर्ष विस्तार किया जा रहा है । मैं बता देना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर में ननौता सरसावा, मेरठ में रमाला, खोरी में बोलराया तथा सम्पूर्ण नगर, पीलीभीत में बीसलपुर, बहराइच में नानपारा इनका विस्तारीकरण किया जा रहा है । अब यह मिलें 2500 टी0सी0डी0 की क्षमता की बनायी जा रही हैं । शाहजहांपुर में तिलहर, मेरठ में बागपत मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । इसी तरह से निगम की जो फैक्टरियां हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है । रामपुर में रामपुर चीनी मिल, मुरादाबाद में अमरोहा चीनी मिल, बिजनौर में बिजनौर चीनी मिल, गोरखपुर में सिसवां मिल, मेरठ में सकौती टांडा मिल, मेरठ में ही मोहिउद्दीनपुर, देहरादून में डोईवाला, बहराइच में जरवल रोड यह जो मिलें हैं इनकी पेराई क्षमता 9090 टी0सी0डी0 थी जिसको बढ़ाकर 19000 टी0सी0डी0 करने की योजना है ।

श्रीमन् हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि चीनी मिलें बकाया काफी रखे हुए हैं । श्रीमन्, मैं बता देना चाहता हूं कि 49 मिलों में 10 दिन से भी कम का मूल्य बकाया है, जब कि 14 दिनकी उन्हें छूट दी गयी है । श्रीमन्, राज्य में कुल खरीदे गये गन्ने के 87 प्रतिशत मूल्य का भुगतान कर दिया गया है । अब केवल 13 प्रतिशत बाकी है । पुवायां की एक समस्या है, माननीय सदस्य जी बहुत दुखी थे । मान्यवर, जब चीनी मिलें लगती हैं, तो उनसे सम्बन्धित चीनी मिलों की परिसीमन एरिया होगी है । भारत सरकार के नियमों के अनुसार अगर उस क्षेत्र की किसी अन्य मिलों को दे दिया जायगा, तो वह गैर कानूनी होगा । तो इस गैरकानूनी बाधा के कारण उनका अनुरोध मानने में दिक्कत है । श्रीमन् चीनी मिलों की अनियमितताओं की बात कही गयी । श्रीमन् मुरादाबाद व गोला चीनी मिलों के प्रासीकयुसन की कार्यवाही कर दी गया है तथा जानकारी में लायी गयी, उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच की जा रही है । यह मैं आश्वासन देता हूं कि यदि गन्ना खेत में जब तक रहेगा तो मिल चलती रहेगी । इन शब्दों के साथ, मैं, आशा करता हूं कि माननीय पाण्डेय जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे और सदन को धन्यवाद देता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि गोविन्दनगर सहकारी समिति का एक वर्ष का 1985–86 का 11 लाख रुपया बाकी है और उस पर इसकी ब्याज की रकम भी बाकी है । क्या माननीय मंत्री जी की इसकी जानकारी नहीं है ? यदि माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी करके तुरन्त भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आप ने कहा कि गन्ने का बहुत विकास हुआ है और बहुत अनुसंधान हुआ है, नयी प्रजातियां निकाली हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय हरदेव जी आपकी पीठ पर सवार हैं, आप उनसे पूछिये कि रसड़ा की जो चीनी मिल है, पूरे बलिया जनपद में एक ही है, आपका गन्ना विकास विभाग असफल हो गया है बलिया में आज गन्ना एक मिल के लिये भी पैदा नहीं हो रहा है, गोरखपुर से आ रहा है। इससे स्पष्ट है कि आपका विभाग गन्ना विकास में असफल हो गया है और जो नशबन्दी की बात आप कह रहे हैं तो नशबन्दी के नाम पर 60-70 साल की उम्र की 20 हरिजन औरतों की नशबन्दी माननीय हरदेव जी के क्षेत्र मिल एरिया में की गयी है। रसड़ा चीनी मिल में नयी गाड़ी खरीदी गयी है, जो कलेक्टर के परिवार की सेवा में लगी है। माननीय हरदेव जी ने कहा कि यह सही है कि अकंछा समिति की अध्यक्षा, कलेक्टर की पत्नी बनिता चीनी मिल की गाड़ी का दुरुपयोग कर रही हैं और उन्होंने आंगन बाड़ी से कहा कि पांच-पांच सौ रुपये दो या नशबन्दी का केस दो। माननीय हरदेव जी ने कहा कि यह बात सही है। आप इसकी पुष्टि माननीय हरदेव जी से करा लीजिए।

श्री फजलुल [illegible]---

[illegible], मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके गन्ना विभाग से हमारे विधान सभा क्षेत्र में गन्ना विभाग ने 85-86 में कुछ सड़कें बनायी थीं, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। क्या इसकी जांच कराकर जो दोषी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

पाण्डेय जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24---गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24---गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 20,11,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25---गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25---गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 71,43,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिसमें सीतापुर में युवा व्यापारी का अपहरण तथा उसकी हत्या के सम्बन्ध में माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, बाकी अस्वीकार हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी-अभी ऐसी सूचना मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गये हैं और 2 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को दिल्ली में शपथ दिलायी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार दिल्ली में किया जा रहा है, सारे नियमों को यह सरकार ताक पर रखे है।

कानपुर में गंगा बैराज बनाने एवं गंगा को घाटों तक लाने के सम्बन्ध में वक्तव्य तथा जनपद आगरा की नहरों में पानी की आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 14, 15 स्थगित करता हूं।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :

16 मार्च, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिहार पंचायत सेवा

नत्थी 'क'

(देखिये अ0 सू0 ता0 प्र0 सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ पर)

आवश्यक वस्तुओं के औसत फुटकर बाजार भाव दिनांक 8 मार्च, 1988

	(भाव रुपये प्रति कुन्तल में)
1—गेहूं	266.
2—आटा	292.
3—चना	487.
4—चावल	330.
5—सरसों तेल	2263.
6—मूंगफली तेल	2907.
7—वनस्पति घी	2532.
8—अरहर दाल	917.
9—उरद दाल	695.
10—खाण्डसारी	544.
11—चीनी	631.
12—गुड़	309.
13—चाय	37.
	(भाव प्रति किलो ग्राम)
14—डबलरोटी	2.20 (प्रति डबल रोटी)
15—नमक	0.83 (प्रति किलो)
16—आलू	1.0 (प्रति किलो)
17—मांस	30. (प्रति किलो)
18—अण्डा	0.8 (प्रति अण्डा)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम 38(2) के ता0 प्र0 सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

यूपिका के शोरूमों से वर्ष 1986-87 में आपस में माल के स्थानान्तरण का ब्यौरा

0 सं0	माल स्थानान्तरित करने वाले बिक्री केन्द्र का नाम	स्थानान्तरित किए गए माल की धनराशि	माल प्राप्त करने वाले बिक्री केन्द्र का नाम
1	2	3	4
		रु0	
1	पी0पी0 एम0 मार्केट, कानपुर	46,902.90	सुल्तानपुर
		15,833.25	एल0 आई0 सी0 बिल्डिंग, दि माल, कानपुर
		3,901.25	पी0 रोड, कानपुर
		32,052.50	लाल पैलेस, कानपुर
	योग ..	98,689.90	
2	गोदौलिया, वाराणसी	53,160.00	पौड़ी गढ़वाल
3	हल्द्वानी	42,929.30	काशीपुर
4	मुरादाबाद	17,004.00	लाल पैलेस, कानपुर
		314,726.15	धामपुर
5	अलीगंज, बांदा	87,970.50	लाल पैलेस, कानपुर
		1,18000.00	मुख्यालय कानपुर
		21.65	
6	देहरादून	77951.25	सर्वोदय नगर कानपुर।
		9,905.00	दि माल, कानपुर।
7	चंडीगढ़	14,933.25	पटियाला
		30732.00	सीतापुर
8	ग्वालियर	1,36,714.00	मुख्यालय कानपुर
		18,052.00	जम्मू
9	जम्मू	15,150.00	जयपुर
		4,749.00	ग्वालियर
		3,000.00	चंडीगढ़
	योग ..	10,48,391.85	
.0	भोपाल	9,787.50	इन्दौर
		1,21,131.00	भोपाल एक्सपो
		21,490.00	इन्दौर
		55,185.00	इन्दौर
		71,975.00	हैदराबाद एक्सपो

1	2	3	4
		रु0	
11	रांची	1,24,576.10	मुख्यालय, यूपिका, कानपुर
		9,515.35	मुख्यालय, यूपिका, कानपुर
12	तुलाराम चौक, जबलपुर	1,85,662.22	अशोक मार्ग, जबलपुर
		15,231.10	गोरखपुर प्रदर्शनी
		14,842.90	भिलाई प्रदर्शनी
		9,229.25	इन्दौर डिपो
13	सुल्तानपुर	2,232.60	सर्वोदय नगर, कानपुर
		12,974.00	आलमबाग, लखनऊ
14	फैजाबाद	58,763.25	लाल पैलेस, कानपुर
		33,919.30	बस्ती
		17,989.55	सुल्तानपुर
		55,731.00	गोण्डा
15	अशोक मार्ग, जबलपुर	2,28,197.95	तुलाराम चौक, जबलपुर
		6,17,940.00	भिलाई प्रदर्शनी
		5,06,032.65	गोरखपुर प्रदर्शनी
		59,562.75	लालपैलेस, कानपुर
16	बंगलौर	13,392.00	आगरा
	योग ..	33,43,952.72	
17	हरिद्वार	1,23,807.00	सर्वोदय नगर, कानपुर
		2,976.00	रुड़की
18	ग्वालियर	18,052.50	जम्मू
19	देवरिया	18,828.00	मुख्यालय, यूपिका, कानपुर
		1,76,814.31	विस्तार पटल, रिसिआ
		1,78.419.23	पडरौना, प्रदर्शनी
20	इन्दौर	26,189.70	मुख्यालय, यूपिका, कानपुर
		1,00,307.50	भोपाल
		34,866.00	भोपाल
		27,910.65	रीवां
		4,954.25	ग्वालियर
		29,737.65	तुलाराम चौक, जबलपुर
21	बम्बई	1,35.468.45	लालपैलेस, कानपुर
		49,703.45	वाराणसी
		10,257.05	पटियाला
		10,650.00	करोलबाग, दिल्ली
		3,50,299.45	विस्तार पटल, बम्बई

1	2	3	4
		रु0	
22	आगरा	12,275.20	जयपुर
		33,147.20	पी0 रोड, कानपुर
		38,706.90	बंगलौर
		55,531.60	मुख्यालय, यूपिका, कानपुर
23	लिण्डसे स्ट्रीट, कलकत्ता,	2,88,924.50	मुख्यालय, यूपिका, कानपुर
	कुल योग ..	50,82,078,71	
24	फर्रुखाबाद	72,297.56	लाल बंगले, कानपुर
25	सहारनपुर	80,107.25	पटियाला
		18,869.85	गोदौलिया, वाराणसी
		45,893.25	गोदौलिया, वाराणसी
		20152.00	सर्वोदय नगर, कानपुर
		13,530.00	मुख्यालय स्टोर, कानपुर
	योग ..	53,32,928.62	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

प्रदेश में वर्ष 1987-88 में छिड़ित होने वाले नलकूपों की जनपदवार सूची—

क्रमांक	जनपद का नाम	जिला प्लान के अंतर्गत	राज्य सेक्टर के अन्तर्गत	विश्व बैंक परियोजना (फेज द्वितीय) के अन्तर्गत
1	2	3	4	5
1	मेरठ	..	10	..
2	सहारनपुर	1	1	..
3	मुजफ्फरनगर	..	..	..
4	गाजियाबाद	..	..	..
5	देहरादून	..	..	..
6	अलीगढ़	1	..	..
7	बुलन्दशहर	..	1	..
8	आगरा	3	5	..
9	मथुरा	..	5	..
10	मैनपुरी	3	..	..
11	एटा	3	..	25
12	मुरादाबाद	3	6	..
13	बिजनौर	2	2	..
14	रामपुर	..	..	..
15	गढ़वाल	..	..	..
16	बरेली	4	..	25
17	पीलीभीत	..	..	..
18	शाहजहांपुर	1	..	..
19	बदायूं	4	1	25
20	नैनीताल	..	..	..
21	झांसी	1	..	..
22	ललितपुर	..	..	..
23	हमीरपुर	8	..	..
24	जालौन	7	..	..
25	बांदा	7	..	..
26	लखनऊ	2	..	..
27	उन्नाव	2	..	..
28	सीतापुर	5	..	..
29	रायबरेली	3	..	..
30	खीरीमपुर	5	..	..
31	कानपुर (देहात)	7	..	25
32	कानपुर (नगर)	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
33	हरदोई	2	..	..
34	फर्रुखाबाद	2	5	..
35	इटावा	..	..	..
36	इलाहाबाद	4	27	..
37	फतेहपुर	2	5	..
38	वाराणसी	3	3	..
39	मिर्जापुर	3	..	..
40	गाजीपुर	5	5	..
41	बलिया	8	10	..
42	जौनपुर	5	5	..
43	आजमगढ़	5	..	25
44	प्रतापगढ़	2	..	..
45	फैजाबाद	3	15	..
46	बाराबंकी	1	..	..
47	गोंडा	6	5	..
48	बहराइच	4	1	..
49	सुल्तानपुर	3	6	25
50	गोरखपुर	8	15	25
51	बस्ती	13	15	..
52	देवरिया	8	15	25
	कुल योग ..	159	163	200

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित श्री राज किशोर सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या–46 के उत्तर में उल्लिखित सूची :

क्रम–संख्या	उत्पाद वस्तु का नाम	जनपद का नाम	परियोजना की लागत
1	2	3	4
			(करोड़ रु0 में)
1	सिन्थेटिक ब्लेन्डेड यार्न	बस्ती	15.00
2	सिन्थेटिक ब्लेन्डेड फैब्रिक्स	बस्ती	20.00
3	साइट्रिक एसिड	देवरिया	15.00
4	फर्टिलाइजर	सुल्तानपुर	720.00
5	कोल्ड राल्ड फोरम्ड सेक्शन	सुल्तानपुर	5.40
6	अल्युमिनियम क्वाइल्स	सुल्तानपुर	60.00
7	6 ए0 पी0 ए0 एण्ड एम्पीसिलीन	वाराणसी	6.00
8	आइन एक्सचेन्ज रेजिन्स	जौनपुर	5.00
9	मेज प्रोसेसिंग कम्प्लैक्स	जौनपुर	20.00
10	जेली फील्ड टेलीकम्युनिकेशन केबुल	जौनपुर	65.00
11	इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स वायर्स	जौनपुर	3.50

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्वी जिलों में 3 अन्य परियोजनाओं की स्थापना हेतु आशय-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

वीर बहादुर सिंह,
मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1988 के 3रे बुधवार हेतु निर्धारित श्री धनराज यादव के द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर का संलग्नक ।

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	नाम एवं पद	स्थानान्तरण आदेश संख्या व दिनांक	स्थगन आदेश संख्या व दिनांक	कब तक के लिये स्थगित किया गया	स्थानान्तरण निरस्तीकरण संख्या तथा दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
		1—अधिशासी अभियन्ता				
1	1984–85	श्री आर0पी0 सिंह	शासनादेश सं0 3746/23 सि0–10–84–3–3–84, दिनांक 30 जून, 1984	..	..	..
2	1985–86	..	..	..	..	..
3	1986–87	श्री केदारनाथ	शा0सं0 347–(1)/23–1–87, दिनांक 16 जनवरी, 1987	शा0सं0 1177/23–1–87, दिनांक 23 फरवरी, 1987	31–5–87	शा0 सं0 1087/29 एम0 एम0, दिनांक 6 अप्रैल, 1987 द्वारा स्थगन आदेश निरस्त किया गया ।
		2—सहायक अभियन्ता				
1	1984–85	श्री राजेन्द्र मणि	पत्रांक सी–243/ई–1, दिनांक 21 जून, 1984	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2	1985-86 एवं 1986-87	श्री विजय राज सिंह	पत्रांक सी-162/ई-1, दिनांक 22 जून, 1985	पत्रांक 189/ई-1, दिनांक 5 जुलाई, 1985	31-10-85	..
				पत्रांक 428/ई-1, दिनांक 31 अक्तूबर, 1985	31-5-86	..
				पत्रांक 350/ई-1, दिनांक 6 मार्च, 1986	अग्रिम आदेशों तक	..
				प्र0अ0के पत्रांक 190/ई-1, दिनांक 31 मार्च, 1987	दिनांक 15 अप्रैल, 1987 तक कार्य-मुक्त करने के आदेश थे।	..
				प्रमुख अभियन्ता के अ0 शा0 पत्रांक सी-377/ई-1, दिनांक 27 अगस्त, 1987	अग्रिम आदेशों तक स्थगित	..
3		श्री एस0बी0आर0मिश्र	पत्रांक 187/मु0अ0 गो0, दिनांक 29 जून, 1985	..	..	..
4		श्री जगजीत सिंह	शा0सं0 4002/2/85-23-सि-2, दिनांक 6 नवम्बर, 1985	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
5		श्री राम प्रीति सिंह	पत्रांक 123/ई–1, दिनांक 23 अप्रैल, 1985	सी–214/ई–1, दिनांक 6 सितम्बर, 1985	31–5–86	..
				सी–302/ई–1, दिनांक 30 जून, 1986	31–5–87	
				पत्रांक 190/ई–1, दिनांक 31 मार्च, 1987	15–4–87 तक कार्यमुक्त करने के आदेश थे	..
6		श्री ए0पी0 सिंह	पत्रांक 337/मु0अ0 गो0, दिनांक 12 जनवरी, 1987 मंडल कार्यालय म सम्बद्ध होने के आदेश	पत्रांक सी 107/मु0अ0 गो0, दिनांक 10 मार्च, 1987	31–5–87	..
			पुनः पत्रांक सी–382/92 बी–52 डब्ल्यू0, दिनांक 14 अगस्त, 1987 द्वारा मंडल कार्यालय से सम्बद्ध करने के आदेश दिये गये	प्र0अ0 के पत्रांक सी–452, दिनांक 24 सितम्बर, 1987 के अनुपालन में पत्रांक 9941/मु0अ0गो0, दिनांक 26 सितम्बर, 1987 पारित	यथावत् स्थापन	..
		3—अवर अभियन्ता				
1	1984–85	श्री भोला नाथ सिंह	पत्रांक 320/ई–2 क, दिनांक 22 जून, 1984	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2	श्री जीउत प्रसाद	पत्रांक 4491/सी0 निम0 गो0, दिनांक 26 जून, 1984	..	..	..
3	श्री आर0 एन0 राय	पत्रांक 5220/मु0अ0 गो0, दिनांक 28 जून, 1984	पत्रांक 5385/मु0 अ0 गो0, दिनांक 7 जुलाई, 1984	30-4-85	..
4	श्री के0 ए0 जायसवाल	तदेव	पत्रांक 5385/मु0 अ0 गो0, दिनांक 7 जुलाई, 1984	तदेव	..
			पत्रांक एम0 पी0 29, दिनांक 7 मार्च, 1986 इसके उपरान्त सितम्बर, 1987 तक पत्रांक 6925/मु0 अ0 गो0, दिनांक 17 जुलाई, 1987	30-9-87	..
5	श्री शत्रुघन लाल	तदेव	पत्रांक 7875/मु0 अ0 गो0, दिनांक 18 अक्तूबर, 1984	30-4-85	..
6	श्री के0 पी0 गुप्ता	तदेव	पत्रांक 5385/मु0 अ0 गो0, दिनांक 7 जुलाई, 1984	तदेव	..
7	श्री बी0 सी0 विश्वकर्मा	तदेव	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
		श्री रामेश्वर प्रसाद	पत्रांक 5220/मु0अ0 गो0, दिनांक 28 जून, 1984	..	..	पत्रांक एम0 एल0 ए0 165/मु0 अ0 गो0, दिनांक 19 जुलाई 1984 ।
	1985–86	श्री रामेश्वर प्रसाद	पत्रांक 153/मु0 अ0 गो0, दिनांक 29 जून, 1985	..	..	..
		श्री आर0 पी0 त्रिपाठी	पत्रांक 2236/ई–2 क, दिनांक 21 जून, 1985	पत्रांक एम0 एम0 392/ई–2, दिनांक 5 अक्तूबर, 1985	30–4–86	पत्रांक एम0 193/ई–2 क, दिनांक 26 जून, 1986 ।
			पत्रांक 6394/प0नं0 एवं बाढ़, दिनांक 3 अगस्त, 1987	..	..	..
		श्री राजा राम मिश्रा	पत्रांक 2236/ई–2 क, दिनांक 21 जून, 1985	पत्रांक 10870/सि0नि0 म0गो, दिनांक 29 अक्तूबर, 1985	30–4–86	..
				पत्रांक एम–54–ई–2 क, दिनांक 31 मई, 1986	30–4–87	
				पत्रांक 232/ई–2, दिनांक 30 जुलाई, 1987	31–12–87	..
	1985–86	श्री अवध नारायन यादव	पत्रांक 2236/ई–2 क, दिनांक 21 जून, 1985	..	..	2573/ई–2 क, दिनांक 17 मई 1986 ।

1986–87	श्री मुख्तार सिंह	पत्रांक 6962/मु0 अ0 गो0, दिनांक 7 जुलाई, 1986	पत्रांक 7930/मु0 अ0 गो0, दिनांक 14 अगस्त, 1986	30–4–87	..
	श्री भागीरथी सिंह	पत्रांक एम–231/ई–2 क, दिनांक 30 जून, 1986	पत्रांक 5747/ई–2 क, दिनांक 23 अगस्त, 1986	30–4–87	..
			एम 190/ई–2 क, दिनांक 17 अगस्त, 1987	30–4–88	..
	श्री रणजीत सिंह	पत्रांक 4278/ई–2 क, दिनांक 22 जून, 1986	पत्रांक 6046/ई–2 क, दिनांक 10 अगस्त, 1986	30–4–87	..
			पत्रांक 7546/ई–2, दिनांक 31 अगस्त, 1987	30–4–87	
	श्री के0 एम0 श्रीवास्तव	पत्रांक 4530/ई–2 क, दिनांक 3 जून, 1986	..		..
	श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी	पत्रांक एम0 एल0 ए0 45/मु0 अ0 गो0, दिनांक 9 जुलाई, 1986	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
		श्री बी0पी0 राय	पत्रांक 332/सि0नि0म0 गो0, दिनांक 30 जून, 1986	पत्रांक 6720/सि0नि0म0 गो0, दिनांक 19 जुलाई, 1986	30-4-87	..
				पत्रांक 7995/सि0नि0म0 गो0, दिनांक 30 सितम्बर, 1987	30-4-88	..
		श्री अनवार अहमद	पत्रांक 8098/सि0वि0म0 गो0, दिनांक 28 जून, 1986	..	..	..
			पत्रांक 7563/ई-2 क, दिनांक 13 जुलाई, 1987	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिए अता0 प्र0 सं0 113 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

वर्ष 1986–87 के सूखा एवं बाढ़ के मद से रु0 72,50,000 रु0 की औषधियां पी0सी0डी0एफ0 के माध्यम से वर्ष 1987–88 में जिन औषधि निर्माताओं से क्रय की गई की सूची :

क्रम-संख्या	फर्म का नाम
1	मेसर्स एस0के0एफ0 लिमिटेड, 23 विधान सभा मार्ग, लखनऊ
2	आलवेड फार्मा, मद्रास
3	आई0डी0 पी0 एल0
4	एच0 ए0 एल0
5	आई0 ई0 एल0, लिमिटेड मद्रास
6	इमकेमेक्स लिमिटेड, मद्रास
7	वेफ लेव कैन्ट रोड, लखनऊ
8	इम्युनोटोजिकल्स, दिल्ली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "छ"

(देखिए अता0 प्र0 सं0 124 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

क्रम-संख्या	मण्डल का नाम	जिले का नाम	वितरित धनराशि (लाख रु0 में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	आगरा मण्डल			
		1—आगरा	64.50	419
		2—अलीगढ़	64.37	369
		3—मथुरा	32.12	280
		4—मैनपुरी	41.63	246
		5—एटा	34.82	185
2	इलाहाबाद मण्डल			
		1—इलाहाबाद	133.35	896
		2—फतेहपुर	63.84	368
		3—कानपुर (शहर)	3.36	20
		4—कानपुर (देहात)	22.85	179
		5—इटावा	13.55	142
		6—फर्रुखाबाद	20.41	247
3	बरेली मण्डल			
		1—बरेली	63.85	412
		2—बदायूं	50.35	412
		3—पीलीभीत	21.93	173
		4—शाहजहांपुर	49.582	327
4	फैजाबाद मण्डल			
		1—सुल्तानपुर	29.13	164
		2—बाराबंकी	35.07	330
		3—प्रतापगढ़	41.87	233
		4—बहराइच	78.66	390
		5—गोंडा	65.50	411
		6—फैजाबाद	85.71	448
5	गोरखपुर मण्डल			
		1—गोरखपुर	85.56	411
		2—बस्ती	61.46	358
		3—देवरिया	100.85	521
		4—आजमगढ़	91.78	485

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
6	पौड़ीगढ़वाल			
		1—देहरादून	31.590	191
		2—पौड़ी	28.310	139
		3—टेहरी	14.560	108
		4—चमोली	14.610	78
		5—उत्तरकाशी	9.166	73
7	झांसी मण्डल			
		1—झांसी	37.33	245
		2—ललितपुर	8.02	77
		3—उरई (जालौन)	41.69	225
		4—हमीरपुर	15.02	51
		5—बांदा	22.34	123
8	लखनऊ मण्डल			
		1—लखनऊ	67.03	342
		2—उन्नाव	32.85	316
		3—रायबरेली	63.02	386
		4—सीतापुर	63.28	337
		5—लखीमपुर खीरी	55.88	303
		6—हरदोई	34.99	219
9	मेरठ मण्डल			
		1—सहारनपुर	68.18	439
		2—मुजफ्फरनगर	77.49	411
		3—मेरठ	74.83	525
		4—गाजियाबाद	92.20	537
		5—बुलन्दशहर	32.70	227
10	मुरादाबाद मण्डल			
		1—मुरादाबाद	98.76	576
		2—रामपुर	32.88	269
		3—बिजनौर	55.25	382
11	नैनीताल मण्डल			
		1—अल्मोड़ा	33.16	227
		2—नैनीताल	43.80	232
		3—पिथौरागढ़	19.79	117
12	वाराणसी मण्डल			
		1—वाराणसी	91.93	506
		2—गाजीपुर	61.21	351
		3—मिर्जापुर	67.59	357
		4—जौनपुर	40.45	298
		5—बलिया	46.68	279
		महायोग ..	2832.688	18547

पी0 एस0 यू0 पी0—5 वि0 सभा—13-7-1988—813 (मोनो)